खण्ड-381, अंक-2
मंगलवार, 16 आषाढ़, शक संवत् 1909
(7 जुलाई, 1987 ई0)

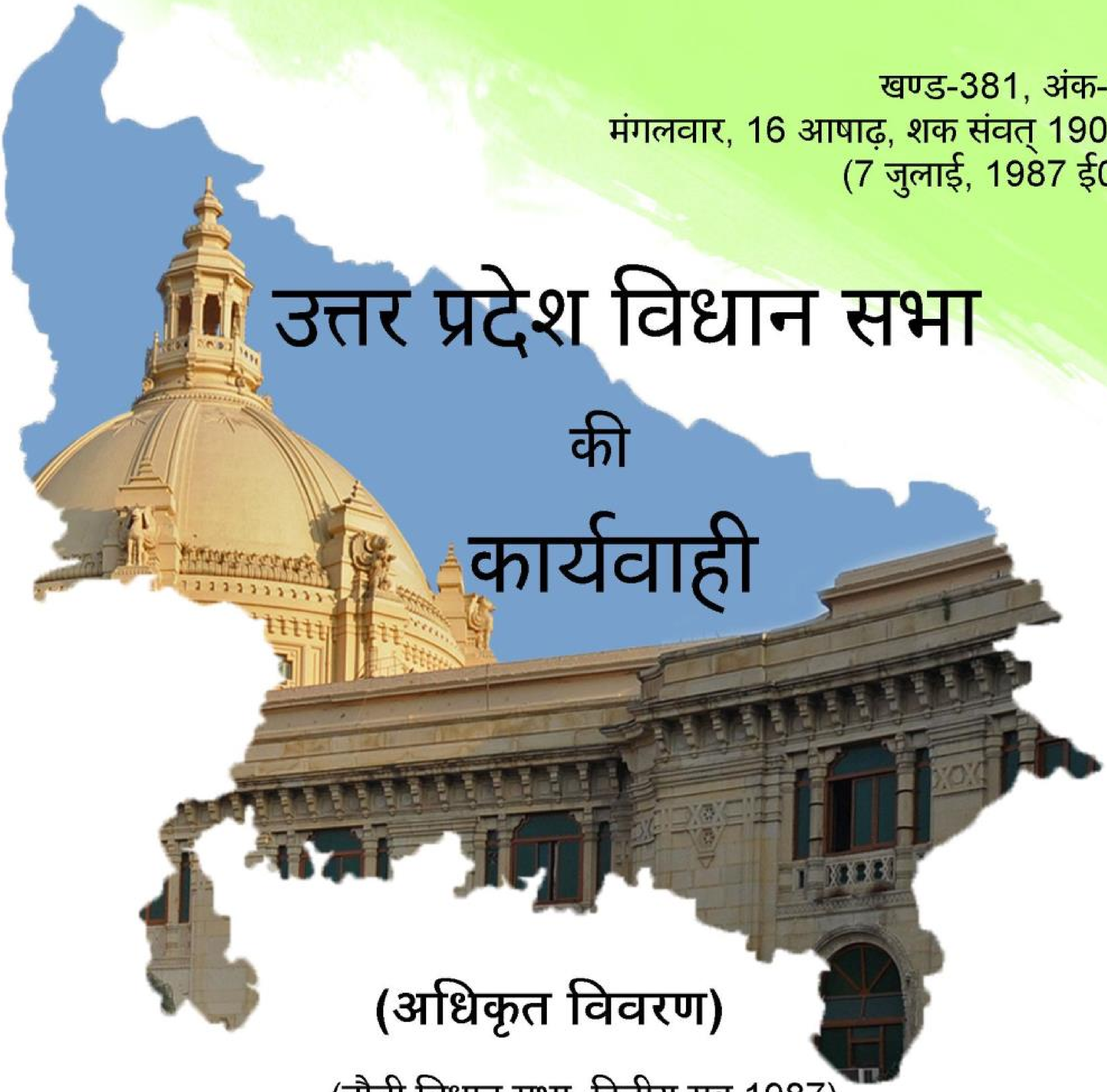

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–76
आज वितरित बजट साहित्य में त्रुटिपूर्ण छपाई के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण ..	76
ग्राम बिलसड़ी, जिला फर्रुखाबाद में भीषण अग्निकाण्ड एवं राहत की मांग होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के गंगोत्री प्रदर्शन कक्षा में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
मुरादाबाद दिल्ली सीमा पर आम की पेटियों के निरीक्षण से आम विक्रेताओं को हानि होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
नगरपालिका गाजीपुर में गन्दे पानी की आपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
कानपुर देहात में रामगंगा कमाण्ड विभाग द्वारा खेतों की सिंचाई हेतु नालियों के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
मथुरा जनपद के मांट क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
ग्राम लाड़पुर विकास खण्ड हाथरस, अलीगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	80
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	89
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	89–101
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, (पशुधन) अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 17—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) तथा अनुदान संख्या 22—खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	102
आज की कार्यसूची की मद संख्या 10 व 13 के स्थगन की सूचना ..	155
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	155
प्रदेश के पत्रकारों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में वक्तव्य	156
नत्थियां	164–178

उदय प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर अहमद डम्पी, श्री	नैनीताल	दूधनाथ, श्री	जौनपुर
अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
अतर सिंह यादव, श्री	एटा	पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	परमाई लाल, श्री	हरदोई
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर	प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़	फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोण्डा
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी	फूल सिंह सौदाई, श्री	मुजफ्फरनगर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	बद्री सिंह, श्री	जालौन
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
किशोरी लाल सकलानी, श्री	देहरादून	बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
कौशिक रमाशंकर, श्री	मुरादाबाद	बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा	बालेश्वर, श्री	देवरिया
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
गौरी शंकर, भइया	बलिया	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	मंगलदेव, श्री	गोन्डा
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	महाराज सिंह, चौधरी	इटावा
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़	महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद अबरार अहमद, इंजीनियर, श्री	बदायूं
मोहम्मद आकिल (उर्फ मुन्ना मियां), श्री	मुरादाबाद
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम सरन दास, श्री	सहारनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
सरस्वती देवी, श्रीमती	अल्मोड़ा
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हृदय नरायन दीक्षित, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 1987 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा हेतु अधिकतम आयु सीमा

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष किए जाने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

कार्य राज्य मंत्री (प्रमोद कुमार)—

जी नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा था कि हमारी न्यायिक सेवाओं में जिसमें मुंसिफ वगैरह की परीक्षायें होती हैं उसके लिये आयु सीमा 35 वर्ष कर दी जायेगी जिसके उत्तर में शासन ने उत्तर दिया कि "जी नहीं" । तो मैं जानना चाहूंगा कि लोक सेवा आयोग की जो पी0सी0एस0 की परीक्षायें होती हैं उसके लिये न्यूनतम आयु 30 वर्ष है जब कि उसके लिये न्यूनतम योग्यता बी0ए0 है लेकिन न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम योग्यता एल0-एल0 बी0 शासन ने की है । ला की डिग्री अब 5 वर्ष की होने जा रही है अभी तक 3 वर्ष की थी । तो बी0 ए0 के बाद तीन वर्ष या 5 वर्ष उसे और पढ़ने पड़ेंगे । कुछ प्रदेशों में यह आयु सीमा 35 वर्ष है । तो यहां 35 वर्ष न करने का क्या औचित्य है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पी0सी0एस0 के लिये 30 वर्ष की आयु सीमा नहीं है बल्कि 28 वर्ष है और जुडीशियल के लिये 30 वर्ष है । जहां तक इसे और न बढ़ाने का औचित्य है मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में शासन अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि उसके लिये उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग से भी सहमति लेना आवश्यक है । इस संबंध में हमें कुछ प्रतिवेदन मिले थे हमने उच्च न्यायालय को वह भेजे थे उन्होंने इस पर असहमति बताई है । इसलिये शासन अकेले इसे नहीं कर सकता है । एक बात औचित्य की बता दूं कि जब 30 से 35 वर्ष करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को 35 वर्ष में कम्पिटीशन पास करने के बाद नौकरी प्रारम्भ करते-करते 37, 38 वर्ष हो जायेंगे । जब सामान्य कैन्डीडेट के लिए 35 वर्ष करेंगे तो हरिजन आदि के लिये 40 वर्ष करना होगा । तो 40 के बाद उसे नौकरी प्रारम्भ करते-करते 41, 42 वर्ष हो जायेंगे । इस प्रकार 58 वर्ष की जो रिटायरमेंट की एज है उस वक्त तक रिटायर होने वाले की नौकरी 15, 20 साल ही रह जायेगी जिसमें पेंशन ग्रेच्युटी आदि ठीक से नहीं मिल पायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अभी माननीय मंत्री जी ने औचित्य के संबंध में उत्तर दिया है तो मैं एक बात जानना चाहता हूं, कि यह सही है कि हमारे प्रदेश में जो विश्वविद्यालयों की परीक्षायें होती हैं उनमें अव्यवस्था के कारण कभी-कभी दो-दो वर्ष तक छात्रों को लटकना पड़ता है उससे भी एज बढ़ जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये जैसा मैंने पहले बताया इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे और लोक सेवा आयोग इस पर विचार करने के लिये कहेंगे आपने उच्च न्यायालय के बारे में कहा कि उन्होंने नकारात्मक उत्तर दे दिया है लेकिन लोक सेवा आयोग से नहीं पूछा गया है उनसे भी इस संबंध में बात करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, उच्च न्यायालय से इस संबंध में उत्तर अभी मार्च, 87 में आया है और उन्होंने असहमति व्यक्त की है फिर पूछने का अभी प्रश्न नहीं उठता है। इसमें निर्णय लेने के लिये दोनों की सहमति आवश्यक है और उच्च न्यायालय ने मना कर दिया है तो जब तक तीनों सहमत नहीं होंगे तब तक यह करना सम्भव नहीं है। दुबारा उनसे पूछना उचित नहीं है क्योंकि वह अभी असहमति व्यक्त कर चुके हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस सेवा में नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की सहमति आवश्यक होती है। जहां तक मेरी जानकारी है राज्य सेवा के लिये किसी अन्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। 1978 तक न्यायिक सेवा में आयु सीमा 35 वर्ष ही थी और उसे 1978 में घटाकर 30 वर्ष किया गया था फिर बाद में बढ़ा दिया गया 1980-81 में यह 35 वर्ष कर दिया गया था तो क्या उस समय लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालक की सहमति इस संबंध में ली गयी थी ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह संभावना प्रतीत नहीं होती है चूंकि हमारे पास जो एक्ट है, सितम्बर 29, 1951 उसके नियम 11 में लिखा है कि इसकी अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी।

दूसरी बात जो कहा है उसके लिये आवश्यक नहीं है, इसमें स्पष्ट प्राविधान है कि उच्चतम न्यायालय की सहमति नहीं मिल जाती है तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि जैसा शासन का आदेश है 28 वर्ष अधिनियम आयु की है और प्रादेशिक सेवाओं के लिये शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन है और उसके बाद 3 वर्ष ला की डिग्री प्राप्त करने के लिये समय लगता है, तो ऐसी दशा में क्यों न आयु उनकी 3 वर्ष बढ़ा दी जाये सामान्य सेवाओं से, इसमें शासन को क्या परेशानी है।

श्री प्रमोद कुमार—

इसका जवाब दे चुका हूं लेकिन पुनः बता दूं कि ला की डिग्री 3 वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण करके मिल जाती है और अभ्यर्थी 22 साल की उम्र में ला कर लेता है, इस प्रकार न्यायिक सेवा के लिये उसे 8 वर्ष का समय काफी है।

श्री नरेन्द्र देव—

मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन क्या लोक सेवा संघ और उच्च न्यायालय को यह लिखने का कष्ट करेगा कि जो छात्र विधि संकाय के अंतिम वर्ष में 30 वर्ष के पूरे नहीं हुये हैं और विश्वविद्यालय की गलती से वह विधि संकाय अंतिम वर्ष की परीक्षा देते-देते 30 वर्ष की आयु सीमा पार कर जाते हैं तो उनको न्यायिक सेवा में बैठने के लिये छूट दी जाये ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है जिसमें 30 वर्ष लग जाते हैं ला करने में । सामान्यतः एक दो वर्ष लगकर 23-25 वर्ष की आयु में अभ्यर्थी ला कर लेगा, इस प्रकार उसको भी 5 वर्ष मिल जाते हैं । विश्वविद्यालय में 30 वर्ष तक लगातार फेल होता रहे ऐसा उदाहरण नहीं आया है ।

श्री अरविन्द तिवारी—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कितने पद रिक्त हैं । क्या यह सही नहीं है कि आयु सीमा कम होने से हमको उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पाये हैं । यदि ऐसा है तो प्रदेश में आयु का जो विचार होता है जैसे हाई कोर्ट में जज 45–50 साल के पहले नहीं बनता है, तो एक मेच्योर्ड आदमी ही अच्छा जजमेंट दे सकता है और सतर्क मारेल्टी का हो सकता है, इसलिये क्या यह सही नहीं है कि कम आयु सीमा के व्यक्ति न मिलने से पद रिक्त हैं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, स्थान के रिक्त होने में आयु सीमा बाधक नहीं है । हमारे मुंसिफों को अच्छा ज्ञान है इसका कारण है 30 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति हम लेते हैं, इसलिये वे अच्छा काम कर रहे हैं ।

उ0 प्र0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन की स्थापना में व्यय तथा अपट्रान द्वारा सौंपे गये कार्य

**2—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के आठों पर्वतीय जनपद (उत्तराखण्ड) की विशिष्ट आर्थिक सामाजिक व भौगोलिक परिपेक्ष्य में वहां इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के नियोजित विकास हेतु 1985 के बाद उ0 प्र0 अपहिल इलेक्ट्रानिक्स की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो इससे पूर्व उ0 प्र0 की इलेक्ट्रानिक्स उद्योग विकसित करने वाली इकाई अपट्रान मे उत्तराखण्ड के किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक्स विकास हेतु क्रमशः कितना-कितना धनराशि किन-किन मुख्य मदों में व्यय की थी? उपरोक्त उ0 प्र0 अपहिल इलेक्ट्रानिक्स की स्थापना हो जाने के बाद अपट्रान द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु कितनी-कितनी पूंजी निवेशित की गयी ? दिनांक 1 जून, 1987 तक उत्तराखण्ड क्षेत्र में अपट्रान द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित/निर्मित/पूंजी निवेशित कौन-कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश अपहिल इलेक्ट्रानिक्स को हस्तान्तरित कर दी गयी थी ? किन-किन का हस्तान्तरण शेष है ? यदि नहीं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में दो-दो प्रतिष्ठानों को कार्यरत रखने का क्या औचित्य है ? सरकार ने इस असंगतता को दूर करने हेतु क्या-क्या निर्णय लिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का विकास सुनिश्चित करने के लिये उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की सब्सिडियरी के रूप में उ0 प्र0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की स्थापना की गई थी । अपहिल कारपोरेशन की स्थापना के पूर्व अपट्रान द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों में उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि व्यय की गई है :—

स्थान का नाम	योजना	मद	धनराशि
1—अल्मोड़ा	सेजलेक इंडिया लि0 की स्थापना	अंशपूंजी	10 लाख
2—नैनीताल (भीमताल)	टेलीट्रानिक्स कम्पनी की सफल कार्यान्वयन	अंशपूंजी	15 लाख

शून्य

अपहिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की स्थापना के बाद उन्हें निम्नलिखित प्रस्तावित योजनाएं अपट्रान द्वारा सौंप दी गई हैं :—

1—कार्डलेस टेलीफोन उत्पादन योजना-नैनीताल ।

2—कार्बन ट्रैक पोटेन्शियोमीटर योजना-भीमताल (नैनीताल)

3—टी0 वी0 ट्यूनर उत्पादन योजना-अल्मोड़ा ।

4—हाईब्रेड सरिकट तथा मोडम उत्पादन परियोजना-काशीपुर (नैनीताल)

5—क्लोपीडिस्क उत्पादन इकाई-देहरादून ।

6—पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, कोटद्वार, भीमताल मुनी की रेत एवं राम-नगर में इलेक्ट्रानिक्स अस्थानों का कार्य ।

कोई नहीं ।

अपहिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की सहायक कम्पनी के रूप में चलाने के नीति इसकी स्थापना के समय निर्धारित की गई थी । पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी इकाइयों को अपहिल इलेक्ट्रानिक्स लगायेगा और यदि आवश्यकता हुई तो बड़ी इकाईयों को अपट्रान भी लगा सकता है । अपट्रान सारे प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स के विकास हेतु कार्यरत है और उसकी देखरेख में अपहिल पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स की वकास हेतु कार्यरत है । इसमें किसी प्रकार की असंगत नहीं है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मैंने अपने प्रश्न में पूछा है कि अपहिल कारपोरेशन की स्थापना से पूर्व इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में पूंजीनिवेश क्या है, तो उसके जवाब में मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अल्मोड़ा में 10 लाख और नैनीताल में 15 लाख, यानी कुल 25 लाख का ही पूंजी निवेश पर्वतीय जिलों में किया गया था अपट्रान के माध्यम से । फिर पूछा है कि बाद में कितना पूंजी-निवेश किया है तो आपने जवाब दिया है—'शून्य' । तो अपट्रान का पूंजी निवेश फील्ड में बहुत कम था और इस कारपोरेशन बनने के बाद तो इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में पूंजी निवेश बिलकुल बन्द कर दिया । तो अब कौन सी ऐसी व्यवस्था होगी, आप ऐसे कौन से उपाय करेंगे कि वह अपने हिसाब से पर्वतीय क्षेत्र में वहां की विशिष्ट परिस्थितियों को देखकर पूंजी निवेश कर सके और वहां के लोगों को इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन कर सके ?

श्री राम औतार दीक्षित—

अपहिल कारपोरेशन की सन् 85 में स्थापना हुई है और उसके बाद बहुत सी योजनाएं इस वक्त हैं, जिनको वह कार्य रूप में परिणत करने जा रहा है । मैं उन योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा, कार्डलेस फोन्स, कार्बन ट्रैक पोटिन्टोमीटर, इलेक्ट्रानिक टी0 वी0 रन, हार्डबिड आई0 सीस0 केव0 टेलीफोन, फ्लापी डिस्केट्स तथा इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्सेस। इस तरह से ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो कि अपहिल कारपोरेशन के माध्यम से हिल्स में अस्तित्व में आने वाली हैं ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मंत्री जी ने जैसा प्रश्न के उत्तर में कहा है जो अपहिल कारपोरेशन है अपट्रान के मातहत, तो जब अपट्रान वही कार्य कर रहा है, तो फिर दोहरी व्यवस्था कायम करने की क्या वजह है? तो दोनों के हित में और हिल्स के हित में दोनों में से एक ही इकाई द्वारा वहां पर कार्य करने के बारे में मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, सारे उद्देश्यों को देखते हुए हमने ऐसा किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अपहिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को स्वायत्तता के अधिकार दिए गये हैं ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, अपहिल कारपोरेशन को स्वायत्ता के सम्पूर्ण अधिकार दे दिए गये हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए प्रतिष्ठान स्थापित किए गये हैं । लेकिन इन प्रतिष्ठानों का विकास कार्य दुर्भाग्य से बहुत जीर्ण-शीर्ण है। वहां जो प्रतिष्ठान खोले जाते हैं वह वहां की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर खोले जाने चाहिए । जो अपहिल इलेक्ट्रानिक्स की स्थापना की गई है तो इसको खोलने के लिए कौन-कौन विशेषज्ञ थे जिन्होंने इसे खोलने की अनुमति दी ? दूसरी बात क्या माननीय मंत्री जी कोट्द्वार में इलेक्ट्रानिक्स की स्थापना पर विचार करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

यह तकनीकी विषय है मैं बताना चाहता हूं कि अपहिल कारपोरेशन को मैनेजिंग एक्जीक्यूटिव सी0 पी0 जोशी की सलाह पर खोला गया वहां की पूरी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसकी स्थापना की गई है और श्री सी0 पी0 जोशी भी पहाड़ के रहने वाले हैं । दूसरी बात कोट्द्वार में इलेक्ट्रानिक्स लगवाने पर विचार हो रहा है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, अप हिल इलेक्ट्रानिक्स को पूरी स्वायत्ता दी गई है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अप हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को कोई स्वायत्ता प्राप्त नहीं है उसका जो प्रबन्धक मंडल है वही अपट्रान का भी है तो उसको अप हिल से कोई लेना देना नहीं है जैसे आपने इनके अलग नाम रख दिए हैं वैसे ही आप इनके लिए अलग से सारी व्यवस्था करने का कष्ट करें इसके मैनेजिंग डाइरेक्टर अलग बनायें तभी अप हिल कारपोरेशन विकसित हो सकेगा ।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैंने अभी कहा कि अप हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन को स्वतंत्र स्वायत्ता प्रदान है मैं बार-बार कहना चाहता हूं कि अप हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन का अपना स्वामित्व है उसका अलग-अलग अस्तित्व है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टेहरी गढ़वाल में इलेक्ट्रानिक्स की स्थापना की बात कही गई है इस दिशा में अभी तक कितना काम हुआ है टेहरी के लिए यह घोषणा की गई थी कि एक इकाई की स्थापना हो जाएगी ।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, टिहरी के विस्थापितों को रोजगार देने के लिये वहां पर एक टी0 वी0 का कारखाना लगाने की योजना है । उसका प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । निकट भविष्य में हम शीघ्र ही टिहरी में टी0 वी0 कारखाना लगाने जा रहे हैं ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां पर मि0 जोशी को चेयरमैन बनाया गया वह पहाड़ के रहने वाले हैं । तो मैं जानना चाहूंगा कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, आपने जिस तरह पहाड़ पर पहाड़ के लोगों को नियुक्त किया है, उसी तरह से मैदानी क्षेत्र में जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनमें मैदानी क्षेत्र के लोगों को नियुक्त किया जायगा।

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है । चूंकि माननीय सदस्य ने पर्वतीय अंचल की जानकारी के संबंध पूछा था उस पर मैंने उदाहरण के रूप में यह बात कही । जहां तक पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का संबंध है वहां पर सभी प्रदेशों और देश के लोग कार्य कर रहे हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

महानगरों में ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि

*1—श्री समर पाल सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के महानगरों में जनसंख्या के दबाव एवं यातायात में हुई वृद्धि के कारण ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है और भारी वाहनों में प्रेशर हार्न के कारण इस प्रदूषण में और अधिक वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो शासन इस बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय कर रहा है ? क्या शासन शहरी सीमा के अंतर्गत प्रेशर हार्न के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक प्रतिबंध लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं परिस्थिति विज्ञान राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा)—

जी हां ।

वर्तमान में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में पर्यावरण से सम्बन्धित कानूनों में कोई विशिष्ट प्रभावी प्राविधान नहीं है । केवल मोटर विहिकिल नियमावली के नियम 115 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि कतिपय श्रेणी के वाहनों जैसे एम्बुलेन्स, फायर सर्विस की गाड़ियां आदि को छोड़कर अन्य किसी वाहन में प्रेसर हार्न या तेज आवाज वाले या भय उत्पन्न करने वाले हार्न नहीं लगाये जायेंगे । इससे स्पष्ट होगा कि शहरी सीमा के अन्तर्गत प्रेसर हार्न के उपयोग पर मोटर विहिकिल नियमावली में प्रतिबन्ध पहले से ही लगाया गया है ।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के स्तर पर भी इस सम्बन्ध में विचार हुआ है और भारत सरकार ने ध्वनि प्रदूषण, जिसमें वाहनों के हार्नों द्वारा किया जाने वाला ध्वनि प्रदूषण सम्मिलित है, की समस्या का अध्ययन करने एवं इसके निदान के लिए संस्तुति देने हेतु एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया था जिसकी संस्तुतियां भारत सरकार को प्राप्त हो चुकी है । हार्नों से होने वाले प्रदूषण के बारे में मुख्य संस्तुति यह की गई है कि आई0 एस0 आई0 स्टैण्डर्ड के हार्नों द्वारा अधिकतम ध्वनि तथा तीव्रतम पिच को एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत सीमित रखने का प्राविधान किया जाय । समिति की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को 2-7-87 को प्राप्त हुई है जिसमें भारत सरकार ने प्रदेश सरकार से अपने विचार भेजने की अपेक्षा की है ताकि उनके प्राप्त होने पर भारत सरकार द्वारा विचारोपरान्त एक एक्शन प्लान तैयार किया जा सकें। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरकार द्वारा मोटर हार्नों के बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये यथासम्भव उपाय किये गये हैं ।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न से सहमत हैं कि बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुये यह बताया है कि कोई विशिष्ट प्राविधान नहीं किया गया केवल मोटर वेहिकिल एक्ट की धारा 115 में ही प्राविधान है । तो मैं जानना चाहूंगा कि यदि प्राविधान है तो उसको लागू करने में क्यों देरी हो रही है ? शहरों में प्रेशर हार्नों से शोर मचता है परन्तु मेरी जानकारी है कि किसी का चालान नहीं किया गया है । अगर चालान

किया गया है तो बतायें कि ऐसे चालान कभी हुये हैं या नहीं । इसी संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि ध्वनि प्रदूषण ऐसा विषय है जिसका रिश्ता केन्द्रीय सरकार से है । यदि सरकार सोच रही है कि इस संबंध में भी अधिनियम बनाया जाय तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगी और भारत सरकार से इस बात की संस्तुति करेंगी कि ध्वनि प्रदूषण के लिये कोई अधिनियम बनाया जाय । यदि केन्द्र सरकार इस अधिनियम को बनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त करती है तो क्या प्रदेश सरकार इसमें पहल करेगी और ध्वनि प्रदूषण के लिये कोई अधिनियम बनायेगी ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, जैसा पहले ही बताया गया है । इसमें माननीय सदस्य के दो सवाल हैं । एक तो मैं पहले सवाल पर यह बताना चाहती हूं कि चालानों के बारे में 1985 में परिवहन विभाग से एक रिपोर्ट गयी थी चालानों की, इसमें और भी बातें थी और यह भी था कि इसमें जो ध्वनि प्रदूशण हो रहा है उस पर भी चालान करने की बात थी। इसमें आप कहिये तो मैं पढ़ दूं-तेज आवाज से बजने वाले हार्न के अभियोग में किये चालानों की सूचना नियम-115 के अन्तर्गत जो हुए हैं, उसमें मैनपुरी अक्तूबर 85 में 70, एटा नवम्बर, 85 में 84, मैनपुरी नवम्बर, 85 में 70, एटा दिसम्बर 85 में 72, मैनपुरी दिसम्बर 85 में 60, एटा में जनवरी 86 में 70, मैनपुरी में जनवरी 86 में 85, मैनपुरी में फरवरी 86 में 75, एटा में फरवरी, 86 में 75 ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, यह क्या है, मेरी समझ में नहीं आता ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, जो इसकी सूचना मांगी गयी है वह मैं बता रही हूं-एटा मार्च 86 में 65, मैनपुरी मार्च, 86 में 60, एटा अप्रैल 86 में 50, मैनपुरी अप्रैल, 86 में 50, एटा मई 86 में 50 मान्यवर, कहिये तो और भी पढ़ दूं ।

मान्यवर, दूसरा सवाल जो है मैं उसके बारे में यह कहना चाहती हूं कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन दोनों ही इसके लिए जागरूक हैं जैसा मैंने उत्तर में बताया है पिछले साल जो इन्वायरनमेन्ट एक्ट बना है उसके तहत जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट भारत सरकार से आयी है और भारत सरकार ने उस पर हमारी संस्तुतियां मांगी हैं और वह अभी 2 जुलाई को ही हमें प्राप्त हुआ है और उसके लिए हम जल्द से जल्द संस्तुतियां भारत सरकार को प्राप्त करवा देंगे ।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से व्हैकिल गाड़ियों में ध्वनि प्रदूषण की बात की जा रही है, उसी तरह से जो ये लाउडस्पीकर मंदिर, मस्जिद, समाज सेवी संस्थाओं, गिरजाघरों आदि में लगे हैं इनके ऊपर कोई विचार करेंगी क्योंकि जिस समय बच्चों के इम्तहान होते रहते हैं उस समय इन ध्वनि प्रदूषण से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बड़ा नुकसान होता है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो क्या इस सम्बन्ध में माननीया मंत्री जी केन्द्र को सुझाव देंगी और इस पर रोक लगाने की व्यवस्था करेंगी ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, यह जो इन्वायरनेमेंन्ट एक्ट 86 है इसका बहुत व्यापक विषय है। यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इसमें हर तरीके की बात शामिल है। वैसे मेरी तरफ से जो संस्तुतियां जायेंगी उसमें इसे जोड़ देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं पूंछना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क के किनारे-किनारे गांव को छोड़कर लोग बस रहे हैं, पहले नदियों के किनारे लोग बसते थे लेकिन अब सड़कों के किनारे लोग बसते हैं। सड़कों पर ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है और उस पर भी जगह-जगह लाउडस्पीकर है तो क्या आप इसके लिए कोई व्यापक उपाय करेंगी

श्रीमती दीपा—

माननीय सदस्य की भावना से शासन भी जागरूक है। हम लोग इस पर सोच रहे हैं और जरूर कर रहे हैं।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीया मंत्री जी ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये तो बाहर काफी उपाय सोच रही हैं, मगर क्या जो सदन के अन्दर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उस पर कोई कार्यवाही करेंगी ?

(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं आया।)

श्री सुखपाल पाण्डे—

माननीया मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि एक कमेटी बनी थी और उसकी संस्तुति भारत सरकार को भेजी गयी है। तो मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या संस्तुतियां दी है, उसे माननीया मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती दीपा—

मान्यवर, रिपोर्ट मेरे पास है, आप कहें, तो मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ दूं या उसके कुछ अंश मैंने लिये हैं, उसे बता दूं।

श्री सुखपाल पाण्डे—

जो सरल हो आपके लिए वही आप बता दें।

श्रीमती दीपा—

यह मान्यवर, अंग्रेजी में रिपोर्ट है। मैं इसे पढ़ देती हूं।

श्री सुखपाल पाण्डे—

आप उसके प्वाइंट्स हिन्दी में बता दीजिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग इतना सवाल प्रदूषण पर पूछना चाहते हैं, इसमें तो कोई टेक्निकल बात है नहीं, जिसमें आप इतने लोग खड़े हुए हैं।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, जो मुख्य-मुख्य बातें हों, और जिसे माननीया मंत्री जी सरल समझें, वही बता दें, जिससे हम लोगों को जानकारी हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

वह पढ़कर बता सकती हैं, वैसे उनको मुख्य-मुख्य बातों का पता है।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में ये जितने भी कालेज हैं, उसमें लड़के और लड़कियां सीटी बजाते हैं, उससे प्रदूषण हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस प्रदूषण के तहत उन बच्चों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय समरपाल सिंह का जो प्रश्न है, उससे प्रदूषण पर रोक नहीं लगी है, बल्कि बढ़ावा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय कुशवाहा जी को देखकर लड़कियां सीटी बजाती हैं कि लड़के सीटी बजाते हैं?

(हंसी)

*2–श्री अशोक बाजपेई–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपदों को जिला योजना हेतु आवंटित धन

*3–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 87-88 की जिला सेक्टर की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए शासन द्वारा प्रत्येक जिले के लिए रखे गए आवंटित धनराशि का उसकी जनसंख्या के अनुसार अनुपात क्या है? क्या इस आवंटन में आर्थिक असन्तुलन को दूर करने के लिए उन जिलों का विशेष ध्यान रखा गया है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं? यदि हां, तो वे जिले क्रमानुसार कौन हैं?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

जिलों की जनसंख्या तथा वर्ष 1987-88 में जनपदों को जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय के प्रतिशत की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट-1 में दी गयी है।

प्रदेश में अन्तर्जनपदीय विषमताओं को कम करने के उद्देश्य से जनपदों को परिव्यय का आवंटन सम्पूर्ण जनपद को आधार न मानकर एक फार्मूला के आधार पर किया जाता है जिसमें जनसंख्या के साथ-साथ कतिपय विकास संकेतों में पिछड़ेपन को वेटेज दिया गया है ताकि जनपदों को समग्र रूप से विकास हेतु परिव्यय का उचित भाग उपलब्ध हो सके। मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयोग किये जा रहे फार्मूले परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 164 पर)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से अपने प्रश्न में दो बातें पूछी थीं, एक तो यह कि आवंटित धनराशि का उसकी जनसंख्या के अनुसार अनुपात क्या है तथा दूसरा पिछड़े जिले कौन हैं? उन पिछड़े जिलों के नामों की सूची तो मंत्री जी ने नहीं दी बल्कि उन सबके ऊपर प्रतिशत निकालकर एक बहुत लम्बा चार्ट प्रस्तुत कर दिया। मान्यवर, यह जो चार्ट प्रस्तुत किया गया है, इसमें सुल्तानपुर नाम का एक जिला है, इसमें प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 1,93 और जो कुल धन का आवंटन है वह 3,34 मान्यवर, इसी सुल्तानपुर जिले के बाद फैजाबाद, गोण्डा और बहराइच हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः फैजाबाद में जनसंख्या 2.25 और आवंटित धन 2.03 है, गोण्डा में जनसंख्या का प्रतिशत 2.67 और आवंटित धन का 2.62 है तथा बहराइच में 2.09 और 2.06 है मान्यवर, आप देखें कि सुल्तानपुर की तुलना में गोंडा और बहराइच की जनसंख्या अधिक है परन्तु धन का आवंटन सुलतानपुर को अधिक किया गया है। इसी तरह से दो जिले ऐसे हैं, देवरिया और आजमगढ़ जिनकी जनसंख्या सुलतानपुर की अपेक्षा डेढ़ गुनी है, यदि सुल्तानपुर की जनसंख्या 20 लाख है, तो इन दोनों स्थानों पर 36-36 लाख है, यानी डेढ़ गुने से भी ज्यादा है, लेकिन धन का आवंटन सुलतानपुर की तुलना में कम है। जब कि मान्यवर, यह एक साल नहीं 84-85 में सुल्तानपुर जनसंख्या की दृष्टि से, पिछड़ेपन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 36 वें नम्बर पर था लेकिन धन के आवंटन में सुलतानपुर का स्थान दूसरे नम्बर पर है। इसी तरह से 85-86 में इसका स्थान 22वें नम्बर पर था, लेकिन धन के आवंटन की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर था केवल गोरखपुर पहले इसलिए हो गया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के रहने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुल्तानपुर में धन का आवंटन किस मानक के आधार पर किया गया? क्या उसी मानक के अनुसार माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आवंटन कराने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, जिस मानक के आधार पर धन का आवंटन दिया जाता है, वह इस प्रकार है, इसमें 50 प्रतिशत कुल जनसंख्या का है, इसके बाद जो रह जाता है वह विभिन्न मानकों पर रखा जाता है जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या पर 5 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या पर 10 प्रतिशत, कृषि उत्पादन में पिछड़ापन 5 प्रतिशत, औद्योगिक पिछड़ापन 5 प्रतिशत, सड़कों में पिछड़ापन 5 प्रतिशत, विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन 5 प्रतिशत, अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन 5 प्रतिशत और पेयजल अभावग्रस्त गांवों में 5 प्रतिशत रखा गया है। इस तरह से इन सब चीजों को देखकर किसी भी जिले के लिए धन का आवंटन किया गया है। यह जरूरी नहीं है कि कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वह पिछड़ा हो गया जैसे यह जो चार्ट है, इसमें आप देखें कि आगरा मण्डल की जो आबादी है तो श्रीमन्, आप देखें कि आबादी आगरा मण्डल की तो है ज्यादा 9.97 प्रतिशत, लेकिन इनको जो धन आवंटित किया गया है टोटल धन का 8.33 क्योंकि इसको स्वयं डेवलप माना जाता है। लखनऊ मण्डल की आबादी है 11.59 और धन आवंटित जो किया गया है वह 11.27। इसी प्रकार से झांसी की आबादी 5.12 प्रतिशत और इनको जो धन आवंटित किया गया है वह है 8.22 तो आबादी एक फैक्टर तो जरूर है, लेकिन इसके अलावा पिछड़ेपन

को भी देखा जाता है, इसलिए यह स्थिति आयी क्योंकि बाज जनपदों की आबादी अधिक है लेकिन जो उनको धन आवंटित किया गया है वह आबादी से कम दिया गया है क्योंकि वह डेवलप जिलें हैं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि फैजाबाद, गोण्डा, बहराईच आदि जिले जनपद सुलतानपुर से आबादी में भी ज्यादा हैं और पिछड़े हुए भी हैं, फिर भी जो इन जनपदों को धन आवंटित किया गया है, वह सुल्तानपुर के मुकाबले में बहुत कम आवंटित किया गया है, इसका क्या कारण है? मा0 मंत्री जी इसको बताने की कृपा करेंगे? और दूसरा प्रश्न मान्यवर, मेरा यह है जो बहुत ही स्पष्ट है कि फैजाबाद, गोंडा, बहराईच, बस्ती देवरिया व आजमगढ़ आदि जनपदों में जो पिछड़ापन व्याप्त है इनको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी सुलतानपुर की भांति पांचों मानकों के आधार पर एकता धन आवंटित करने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इन जिलों में भी मानक के आधार पर धन आवंटित किया जायेगा।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी मा0 मंत्री जी ने मानकों के आधार पर धन आवंटित करने की चर्चा पर उत्तर दिया। मान्यवर, एक तरफ तो यह सरकार क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के नारे लगाती है और दूसरी तरफ स्वयं नियोजन प्रणाली के नाम पर क्षेत्रीय विषमता को बढ़ावा दे रहे हैं और फैजाबाद मण्डल व गोरखपुर मण्डल में हर मामले में चाहे सड़क बनाने का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, इन दोनों मण्डलों को सुलतानपुर के मामले में बहुत नेगलेक्ट किया जा रहा है, जबकि जनपद के आधार पर यदि देखा जाए तो सुलतानपुर में इतनी जन-संख्या इन जनपदों के मुकाबले नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो धन सुलतानपुर में लग रहा है, हां, अगर सरकार की तरफ से यह आदेश आ जाते कि यह जनपद प्रधानमंत्री का जनपद है, इसलिए इधर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर जो धन आवंटित करने का तरीका अपनाया जा रहा है नियोजन प्रणाली का नाम लेकर वह गलत है। क्या सरकार इन दोनों मण्डलों पर भी समान रूप से आबादी के अनुसार धन आवंटित करने की कृपा करेंगे ताकि क्षेत्रीय विषमता समाप्त हो और इस पर भी इस के लिए अंकुश लगाया जाय।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैंने हरीश जी के प्रश्न के उत्तर में इसका उत्तर दे दिया है और जहां तक क्षेत्रीय विषमता की बात है, जिसमें फैजाबाद व अन्य पूर्वी जिलों के नाम लिये गये इस संबंध में फिर एक बार बताना चाहूंगा कि आगरा की आबादी 9.97 है और धन इनको जो आवंटित किया गया है वह 8.33 जो इनकी आबादी से कम है, लेकिन यह जिला चूंकि खुद भी डेवलप है, इसलिए इसको अधिक धन आवंटित नहीं किया गया है इसी प्रकार से लखनऊ, झांसी व बरेली आदि जनपद हैं, जिन्हें इनकी आबादी से कम धन आवंटित किया गया है, क्योंकि यह डेवलप जिले माने जाते हैं। इसी तरह से मेरठ मण्डल की आबादी 11.24 प्रतिशत है, जबकि धन आवंटित किया गया है 8.62 प्रतिशत। अब आप मण्डल देख लीजिये। यादव जी ने बनारस मण्डल के बारे में

कहा, वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेवलप्ड माना जाता है, उसी को देख लें, उसकी आबादी है 11.47 प्रतिशत, जबकि धन दिया गया है 12.64 प्रतिशत। यहां पर धनराशि बढ़ी है..

श्री राम नरेश यादव–

और सारे मामले जो मैंने बताए हैं, उस पर मंत्री जी नहीं बता रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसी तरह से श्रीमन्, गोरखपुर मण्डल की आबादी है 13.59 प्रतिशत, जबकि आवंटन हुआ है 13.95 प्रतिशत। मेरे कहने का आशय यह है कि जो मानक हैं, वे काफी सोच समझ कर निर्धारित किये गये हैं और उनके हिसाब से जो डेवलप्ड और पिछड़े जिले हैं, उनके हिसाब से धन आवंटित किया जाता है और जैसा कि हरीश जी ने पूछा था, जिन मानकों के आधार पर सुल्तानपुर जिले को किया जाता है, शेष जिलों को भी उसी आधार पर किया जायगा।

श्री मुईद अहमद–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं कि सुल्तानपुर पूर्वांचल के जिलों में सबसे पिछड़ा जिला है, यह सब लोग जानते हैं। मान्यवर, जो मानक हैं, आज नहीं मान्यवर, पुराने आंकड़े देख लें, 1974 में इस जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। मान्यवर इसको उद्योग विभाग ने शून्य जिला घोषित किया है। इसको बाढ़ग्रस्त जिला भी घोषित किया गया है, तो मान्यवर, देवरिया, आजमगढ़ और फैजाबाद से तो वैसे भी यह पिछड़ा हुआ जिला है। तो सुल्तानपुर में 1987-88 में जो आवंटन किया गया है धन का, यह विषमता नहीं फैलाई जा रही है, बल्कि सुल्तानपुर के पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछें।

श्री मुईद अहमद–

सन् 74 की जो रिपोर्ट है, यह शून्य उद्योग का जिला है, अभावग्रस्त और बाढ़-ग्रस्त है, तो क्या मान्यवर, उसके लिये धनराशि का आवंटन पूरा कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे?

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपके मानक के अनुसार जिलों को धन का आवंटन किया जाता है और जिलों से जो प्रस्ताव विभिन्न विभागों के विभिन्न कार्यों के लिये आते हैं, उन पर धनराशि स्वीकृत की जाती है, लेकिन उसकी स्वीकृति फिर आपके मुख्यालय से जारी की जाती है। क्या आप इस बात का पता लगायेंगे कि जो धन जिलों को दिया जाता है, कई पिछड़े जिले जैसे बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर हैं, उनके लिये मुख्यालय से धन की स्वीकृति नहीं आती है और यह धन उन जिलों को दे दिया जाता है, जिनमें कोई राजनीतिक स्वार्थ होता है शासन का, तो क्या इस आधार पर जांच कराएंगे कि इन चार जिलों में कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी और इनके लिये स्वीकृत कितनी धनराशि की स्वीकृति मुख्यालय से नहीं मिली और वह धनराशि लैप्स हो गयी?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, यह कहना सही नहीं है, फिर भी जानकारी करा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पक्षपात और सत्ता और पद के दुरुपयोग का घिनौना उदाहरण इससे दूसरा नहीं मिलेगा, मान्यवर, मैं सीतापुर की बात जानता हूं, सुल्तानपुर की भी बात जानता हूं। सुल्तानपुर के आंकड़े आप देख लें कि किस प्रकार से दिये गये हैं और सीतापुर को भी देख लें। सीतापुर की आबादी 2.20 प्रतिशत है और सुल्तानपुर की 1.93 प्रतिशत है, लेकिन सुल्तानपुर को आवंटन किया गया है 3.34 प्रतिशत। वर्ष 1984-85 में सीतापुर को 6.98 करोड़ दिया गया, जबकि आवंटन 11 करोड़ था। जबकि मान्यवर, यह जानकारी सही देना चाहता हूं कि सीतापुर में केवल 11 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हैं जबकि सुल्तानपुर में शत प्रतिशत विद्युतीकरण है। सीतापुर उद्योग में भी पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुल्तानपुर को उद्योग शून्य जिला बताया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कोई जांच कराने की कृपा करेंगे या कोई हाई पावर कमेटी बनाने की कृपा करेंगे, जो यह देख सके कि सुल्तानपुर के पिछड़ेपन के जो आंकड़े दिये गये हैं, उसकी तुलना में सीतापुर पिछड़ा है या सुलतानपुर? मान्यवर, जब स्थिति विपरीत है, तो आवंटन में भेद करने के क्या कारण हैं?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, सुलतानपुर शून्य इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया गया, 1971 में..

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अब 1987 है, आप 1971 की बात कर रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

1971 में भारत सरकार ने उ0 प्र0 के 7 जिलों को शून्य जिला इंडस्ट्रियल के मामले में डिक्लेयर किया।

श्री सुखपाल पाण्डे–

वह कौन-कौन जिले थे।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

सुल्तानपुर, झांसी, ललितपुर, बलिया-इसी तरह से 7 जिले थे।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या उसमें कानपुर देहात भी था।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

कानपुर देहात उस समय बना नहीं था। सुखदेव पाण्डे दुखदेव पाण्डेय बन रहे हैं।

जो जिले शून्य जिले डिक्लेयर हुए, वहां औद्योगीकरण की प्राथमिकता भारत सरकार ने दी । भारत सरकार की ओर से भी वहां पर इंडस्ट्री दी गयी । डिस्ट्रिक्ट प्लान 1982 में इन्टरोड्यूस हुआ । जो मानक बताये गये हैं, इन मानकों के लिये कुछ आधार वर्ष लिया गया । आधार वर्ष के आधार पर आंकड़े बनाये गये हैं । जनसंख्या 1971 के आधार पर देखी गयी थी, अनुसूचित जाति/जनजाति-1971 देखी गयी । सीमांत कृषक तथा कृषि मजदूर-इसमें 1970-71 देखा गया । कृषि उत्पादन 1976-77 देखा गया, औद्योगिक उत्पादन-1975-76 देखा गया । सड़क-1976 वर्ष देखा गया, ग्रामों का विद्युतीकरण-वर्ष 1979 इसमें आधार माना गया । इसी तरह से अन्य चीजें थी । इसमें देखा गया कि सुल्तानपुर पिछड़ा हुआ है । फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना में डिस्कशन शुरू हुआ, जिस कमेटी की बात कही गयी, वह कमेटी बनायी गयी । उनसे हर जिले की फिर से मानिटरिंग की गयी । उन्होंने टोटल जिलों में से कुछ जिले ऐसे छांटे जिनका जो है, यानि 6 जिले ऐसे हैं, परसेंटेज डेवलपमेंट का स्थिर रहा । कुछ ऐसे थे जहां पर विकास हुआ, और कुछ ऐसे थे जहां पर विकास थोड़ा सा कम हुआ । जहां पर विकास कम हुआ-22 जिले थे । परिव्यय बढ़ाने की बात महसूस हुई । 20 जिले ऐसे थे, जहां विकास की बात थी, कहीं सड़क अच्छी बन गयी, कही ट्यूबवेल ज्यादा बन गये, वहां पर परिव्यय घटाने की आवश्यकता महसूस हुई ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांति बनायें रखें । मा0 मुईद साहब बैठें । मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

वह जिले भी हैं, जिसके लिये हरीश जी और गुप्ता जी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। सुल्तानपुर और बलिया। मान्यवर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, मथुरा, जालौन, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बदायूं भी उसी में हैं । जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा । जहां काफी अच्छा काम हुआ, वहां परिव्यय घटाने की आवश्यकता महसूस हुई । लेकिन, इन जिलों में से किसी का परिव्यय घटाया नहीं गया । कांस्ट्रेट किया गया घटाया इसलिए नहीं गया कि जो लगातार योजनायें चल रही हैं, जैसे कहीं 12 कि0 मी0 सड़क बननी थी, 8 कि0 मी0 बन गयी, 4 कि0 मी0 जो बची, उसको पूरा करने की जरूरत है । उस कमेटी ने परिव्यय की बाबत सिफारिश की थी, लेकिन बढ़ाया भी नहीं गया, कम भी नहीं किया गया । उनको वहीं रखा गया और जिन 20 जिलों में बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, उन सब में बढ़ाया गया ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया और जो चार्ट पेश किया गया है, उसे देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता पैदा करने के लिए एक सुनियोजित षडयंत्र चलाया जा रहा है । आबादी को देखते हुए पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम धन आवंटित किया गया है । जैसा कि माननीय श्री गुप्ता जी ने भी कहा है कि फर्जी आंकड़े बताकर प्रधान मंत्री के इलाके को पिछड़ा घोषित किया गया है। यही नहीं विश्व बैंक से सड़कों हेतु जो पैसा मिला था, उसे भी वही दिया गया और 1971 को आधार माना गया है । क्या माननीय मंत्री जी 1971 को आधार न मानकर

1981 को आधार मानकर एक हाईपावर कमेटी बनाकर पुनः इन आंकड़ों की जांच कर और उन्हें संशोधित कर धन आवंटन करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक काल में ही एक समिति बनाई गई और उसने आंकड़े संशोधित किए और उसी हिसाब से जिलों को अंशपूंजी आवंटित की गई ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय मंत्री जी अमेठी से लगे हुए अतिरिक्त तहसीलों को भी यही सुविधायें प्राप्त करवायेंगे जो सुविधायें अमेठी को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मानकों के आधार पर ही किया जा रहा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

*3–श्री काशी सिंह एरी–

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा अधिकारी द्वारा बन्दी बाल कैदियों का निरीक्षण

*4–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-4-86 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आशय की सूचना प्रदेश के समस्त कारागारों को मिली कि उ0 प्र0 न्यायिक सेवा के अधिकारी जेलों का निरीक्षण कर यह देखेंगे कि 16 वर्ष से कम आयु के बाल कैदियों की दशा क्या है तथा किन हालात में वह जेल में रह रहे हैं ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

जी हां ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सबको पता है कि हमारे कारागारों में जो कम उम्र के बच्चे कारावासित हैं, उन्हें ऐसी प्रताड़ना दी जाती है कि वे सुधरने के बजाय बिगड़ ज्यादा रहे हैं । इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनादेश याचिका प्रस्तुत हुई थी और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो कारावासित हैं, उनकी जांच की जाय । इसके बाद जिलों में इसका निरीक्षण हुआ होगा, तो उसके बाद किन्हीं जिलों की आख्या भी आई होगी और उन आख्याओं में क्या तथ्य शासन के समक्ष आये और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, पहले एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश शासन ने नहीं पूछा था बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से पूछा था कि 16 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे कारागारों में किस हालत में रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। उच्च न्यायालय ने अपने जनपद के न्यायाधीश के माध्यम से प्रत्येक कारागार की इस संबंध में रिपोर्ट मांगी और वह रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को भेज दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से जांच की, लेकिन जांच की रिपोर्ट जो भेजी गयी है, उसकी जानकारी कारागार अधीक्षकों को है, शासन को भी है। पिछली बार जब एजेण्डे पर सवाल आया था, उन्होंने कहा था कि कुछ जिलों की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है, मैं जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट की जानकारी शासन को है ? शासन की तरफ से बताने की कृपा करेंगे कि क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं और क्या कार्यवाही की जा रही है ? उसमें राज्य सरकार से अपेक्षा की थी कि परिस्थितियों का सुधार करके ऐसी स्थिति बनायी जायगी जिससे बच्चे बजाय बिगड़ने के सुधर सकें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिये थे उच्च न्यायालय ने जनपदीय न्यायाधीशों को निर्देश दिये थे कि जनपद के कारागारों में क्या स्थिति है। यह रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से मांगी और वह रिपोर्ट उच्च न्यायालय ने जनपद न्यायाधीशों से मांगी और उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से संकलित की, एकत्रित की और उच्चतम न्यायालय को भेज दी। शासन को जो जानकारी उपलब्ध हुई है और प्रदेश के समस्त जिलों से जानकारी उपलब्ध हुई है, वह उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि के द्वारा हुई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, उसमें निर्देश अंकित है कि इसे जनहित में बताया न जाय। यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में अंकित है। माननीय मैनेजर सिंह जी और माननीय कल्यान सिंह जी, गलत बयानी का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

जो तथ्य निरीक्षण के दौरान इन बाल अपराधियों की दशा के बारे में आये हैं और जिनको शासन ने सत्य मानकर अपनी आख्या सर्वोच्च न्यायालय को भेजी है उच्च न्यायालय के माध्यम से, क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि उन तथ्यों के आधार पर उन बाल अपराधियों के सुधार के लिये शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ? क्या इसकी जानकारी सदन को देंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मैंने माननीय गुप्त जी के प्रश्न के उत्तर में कई बार दोहरा कर कहा और फिर से बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शासन से कोई अपेक्षा नहीं की है, कोई भी निर्देश नहीं दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से रिपोर्ट मंगायी है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि जो तथ्य निरीक्षण के दौरान बाल अपराधियों की स्थिति के संबंध में शासन के संज्ञान में आये और शासन ने उच्च न्यायालय को रिपोर्ट कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गये, उन तथ्यों पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय को उत्तर प्रदेश शासन ने कोई आख्या या रिपोर्ट नहीं दी है न सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शासन से किसी रिपोर्ट की या आख्या की अपेक्षा ही की है । उत्तर प्रदेश शासन ने अवश्य ही जानकारी उपलब्ध करने का प्रयास किया और जानकारी प्राप्त की । कोई रिट पिटीशन हुआ था, उसके संदर्भ में चीफ जस्टिस माननीय श्री पी0 एन0 भगवती का जजमेंट है, उनके जजमेंट में भी अंकित है, इसकी जानकारी किसी भी प्रकार से पब्लिक को नहीं दी जायेगी, इसलिये इस पर किसी भी प्रकार की जानकारी देना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की और जजमेंट की अवहेलना होगी ।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, यह मामला बड़ा गम्भीर है और यह बाल कैदियों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। इसकी गम्भीरता और भी इसलिये बढ़ जाती है कि उच्चतम न्यायालय ने उचित यह समझा कि उस रिपोर्ट को प्रकाशित न किया जाय। उच्चतम न्यायालय ने जो असन्तोषजनक तथ्य पाये बाल अपराधियों के संबंध में, उनका जीवन इतना नारकीय रह रहा होगा लेकिन गोपनीयता की जहां तक बात है, यहां शासन के पास इसकी रिपोर्ट आयी है क्योंकि शासन से उसका संबंध है तो क्या शासन उस रिपोर्ट से सहमत है या असहमत है ? यदि सहमत है, तो शासन उसके संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने जा रहा है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

उसमें चूंकि क्या हालात हैं, किस हालत में बाल कैदी रह रहे हैं उस संबंध में एक प्रोफार्मा था कि इन-इन बिन्दुओं पर रिपोर्ट दें, मात्र इतना ही निर्देश था कि वह रिपोर्ट रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को प्रेषित करें, किसी प्रकार के और कोई निर्देश नहीं थे । लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने जैसा कहा है उ0 प्र0 शासन उन कमियों पर जरूर विचार करेगा और निश्चित रूप से यदि कोई इस प्रकार की कमियां हैं तो निश्चित रूप से उनमें सुधार करेंगे जिससे कि बाल बन्दियों को अच्छी तरह से वहां रखा जा सके, इन सब बातों पर सरकार ध्यान देगी ।

[मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बुलन्दशहर सैदपुर मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*2–श्री किरन पाल सिंह–

(अनुपस्थित)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम व परगना अगौता के कृषकों की भूमि बुलन्दशहर सैदपुर मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1979-

80 में बिना विधिवत कार्यवाही पूर्ण किये अनाधिकृत रूप से अधिग्रहित कर ली गयी थी तथा उन्हें अभी तक उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश सं0-6-1(1)/84-रा-2 दिनांक 10-12-84 में निहित निर्देशानुसार किसानों को उनकी भूमि के मुआवजा के रूप में जमीन की बाजार भाव से कीमत-सौलसियम, अतिरिक्त प्रतिकर के साथ 2 वर्ष 1979-80 में कब्जा लेने की तिथि से भुगतान की तिथि तक पैरा 9 व 10 के अनुसार निर्धारित दर पर ब्याज देगी ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम व परगना अगौता के कृषकों की भूमि बुलन्दशहर सैदपुर मार्ग के निर्माण हेतु जनवरी, 1980 में कृषकों की मौखिक सहमति से ली गयी थी, जिसका विधिवत अधिग्रहण कर घोषित अभिनिर्णय के अनुसार अधिकांश भू-स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है । प्रतिकर का निर्धारण शासनादेश संख्या 6-1 (1)/82-रा-2-दिनांक 10-12-84 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाजार भाव के आधार पर किया गया है तथा उस पर 30 प्रतिशत सोलेशियम के अतिरिक्त पैरा 9 के अनुसार धारा 4 (1) के अधिसूचना के कनेक्शन की तिथि से अधिनिर्णय घोषित होने की तिथि तक मूल प्रतिकर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त प्रतिकर दिया गया है । परन्तु चूंकि अभिनिर्णय वर्ष 1985 के बाजार दर पर घोषित किया गया है और भूमि का विधिवत कब्जा विभाग को दिनांक 30-4-87 को दिया गया है अतः पैरा 10 के अनुसार ब्याज देने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ एवं चीनी निगम में घाटा

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहकारी एवं चीनी निगम द्वारा लगाई गई अधिकांश चीनी मिलें अपने प्रारम्भ के 5 वर्ष के अंदर घाटे की स्थिति में आ गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी अविलम्ब उत्तर प्रदेश के सहकारी तथा निगम की चीनी मिलों में एक निश्चित समय के अन्दर बेहतर कार्य कुशलता लायेंगे जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके ? यदि हां, तो वह निश्चित समय क्या है और क्या-क्या उपाय लागू किए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

प्रदेश में उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ एवं उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा लगाई गयी नई चीनी मिलों में प्रारम्भ के 5 वर्षों में घाटा होने की सम्भावना अधिक रहती है क्योंकि मिल की स्थापना हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण एवं ब्याज के भुगतान का मिल पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ता है । इसके अतिरिक्त घाटे के अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे गन्ना मूल्य की कमी, वास्तविक भुगतान किये गये गन्ना मूल्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित लेवी चीनी के मूल्य में असंतुलन, बाजार में मुक्त चीनी का लाभकारी विक्रय मूल्य न मिलना, मिल की कार्य कुशलता में कमी आदि ।

सहकारी तथा निगम की मिलों की कार्य कुशलता बढाने के प्रयास के साथ-साथ धन की उपलब्धता के अनुसार उनका आधुनिकीकरण, पुर्नवासन एवं नवीनीकरण भी योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है । वर्ष 1985-86 में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की 7 मिलों ने तथा सरकारी क्षेत्र की 12 मिलों ने "कैश प्राफिट" अर्जित किया है तथा स्थिति में लगातार सुधार होता जा रहा है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, प्रश्न पूछने से पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उनके मूल उत्तर के बारे में जानना चाहूंगा कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि "उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ," चीनी मिलों को लगाता है । दोनों प्रकार की मिलें सहकारी समितियों के द्वारा लगायी जाती हैं । इस प्रश्न के उत्तर को बनाने वाले ने कैसे "संघ" द्वारा मिलों के लगाने की बात इस उत्तर में बताई है इसको आप उनसे पूछ लीजियेगा । जहां तक माननीय मंत्री जी ने इसमें परिस्थितियों का उल्लेख किया है तो क्या कारण है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होते हुए भी नई मिलें क्या बल्कि पुरानी क्षेत्र की मिलों में भी घाटा नहीं होता है बल्कि फायदा ही होता है । लेकिन सहकारी क्षेत्र की मिलों में या सरकारी क्षेत्र की मिलों में पहले पांच सालों में घाटा ही हो जाता है ? तो मैं पूछना चाहता हूं कि कुल कितनी मिलें लगायी गयी हैं और पहले पांच वर्षों में कितनी मिलें थीं, जिनमें घाटा हुआ।

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, चीनी मिलों के घाटे और फायदे के कुछ तत्व साधक बताये गये हैं, पहला तो यह है कि मिल की स्थापना के लिये वित्तीय साधनों एवं लिये गये ऋण और उसके ब्याज का भुगतान, का व्यय भार पड़ता है . .

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह तो मूल प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं । मैंने कहा कि दूसरी मिलों को कैसे फायदा होता है और इनकी मिलों को कैसे घाटा हो जाता है ?

श्री राम नाथ मुंशी–

एक तो मान्यवर, गन्ने की कमी और उसका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सकना, वास्तविक भुगतान किये गये गन्ना मूल्य एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेवी के मूल्य में अन्तर . . .

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का यह उत्तर नहीं है। मैंने यह नहीं पूछा था। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने समर पाल जी को बुला लिया है, वह इसको क्लियर कर देंगे ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह जो सहकारी चीनी मिलें हैं, वह राजनैतिक आधार पर लगाई जाती हैं, क्योंकि ऐसी अधिकांश चीनी मिलें हैं, जहां पर वह लगी हैं और किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिये लगाई गयी हैं ।

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, जहां पर गन्ना नहीं है, वहां पर चीनी मिलें सातवीं पंच वर्षीय योजना के पहले लगाई गयी थीं और उद्योग शून्य जिलों में लगाई गयी थी । सातवीं योजना में भारत सरकार ने यह नीति बनायी है कि 40 किलो मीटर दूर प्रत्येक चीनी मिल और 2500 मीट्रिक टन की क्षमता से कम चीनी मिल नहीं लगायी जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में सहकारी और सरकारी क्षेत्र में लगी चीनी मिलें कौन-कौन हैं जिनमें पहले पांच सालों में घाटा था और फायदा था और इसके साथ ही साथ मैं और प्रश्न पूंछना चाहूंगा कि गन्ना के उत्पादन के क्षेत्र में पंजाब और हरियाना इसके विपरीत परिस्थिति में प्रबन्ध व्यवस्था में सक्रिय होने के कारण लाभ में पहुंच जाते हैं । तो यहां पर क्यों घाटा होता है ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, सहकारी क्षेत्र में 1985-86 में 28 चीनी मिलें थीं, जिनमें 12 मिलें लाभ में थी और 16 घाटे पर थीं । मान्यवर, लाभ और घाटे का अन्तर 56 लाख 55 हजार रुपया था । मान्यवर, निगम की 30 मिलें हैं, जिनमें से 5 नयी हैं और 25 पुरानी हैं । 7 लाभ में हैं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप बरार जी का प्रश्न समझ लीजिये, तब उत्तर दें । बरार जी आप फिर प्रश्न कर लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो सहकारी और सरकारी क्षेत्र में चीनी मिलें हैं, उनमें कितनी चीनी मिलें थी जिनमें पहले पांच सालों में फायदा हुआ है या घाटा हुआ है और कुल कितना घाटा हुआ है और इसके विपरीत परिस्थितियों में पंजाब और हरियाना में सहकारी और सरकारी क्षेत्र में लगी हुई मिलों में फायदा होता है और यहां पर घाटा होता है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष–

पांच साल जो पहले के हैं, उनमें घाटा क्यों रहता है, अब समझ में आ गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो बयान रटाया गया है, वही माननीय मंत्री जी बार-बार दे रहे हैं ।

श्री राम नाथ मुंशी–

कौन घाटे में है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बागपत सहकारी चीनी मिल क्या अब भी घाटे में चल रही है । यदि हां, तो उसमें सुधार करने की क्या योजना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बागपत की सूचना कहां से दें । यह मूल प्रश्न से बाहर है ।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है । जो मूल प्रश्न है, अगर उसको देखा जाये तो यह मामला हो जायेगा कि प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया है । माननीय मंत्री जी ने जिन चीनी मिलों का जिक्र किया है, उनमें कितना घाटा है और आज कितना है । मान्यवर, छितौनी मिल जो है उसमें पहले 12 लाख रुपये का कर्जा

था और अब 9 करोड़ का कर्जा हो गया है और यही स्थिति दूसरी मिलों की भी है। तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि निगम की पूरी मिलों की कार्यवाही की छानबीन करने के लिये सदस्यों की एक समिति बनायेंगे और जो अपनी रिपोर्ट पेश करे ?

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, हमारा विभाग कार्य कर रहा है और सर्वेक्षण किया जा रहा है और जैसी आवश्यकता होगी वह किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह बड़ा महत्व का सवाल है, और माननीय मंत्री जी इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो जानकारी मांगी जाती है, उसको नहीं दे रहे हैं।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, इनको पता नहीं है, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित करता हूं।

कुमांऊ मण्डल विकास निगम लि0 नैनीताल द्वारा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों में लगाई गयी अंशपूंजी

*4–श्री काशी सिंह ऐरी– (अनुपस्थित)

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल विकास निगम ने दिनांक 10-11-86 तक व 1 अप्रैल, 1987 तक क्रमशः किन-किन अन्य औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाइयों में अपनी अंशपूंजी लगायी है ? इसमें उपरोक्त निगम की पूंजी कितनी प्रतिशत है ? क्या औद्योगिक व अन्य प्रतिष्ठानों में निगम की पूंजी लगाने से पूर्व शासन से अन्य विधि सम्मत पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों को किस-किस से ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं हेतु सरकार उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कुमांऊ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल द्वारा निम्न इकाइयों में अंशपूंजी 10-11-86 तक लगाई गई है:–

आई0 एम0 पी0 सी0 एल0 मोहान (अल्मोड़ा)	रु0 16.00 लाख
उ0 प्र0 वन उद्योग ग्रा0 लि0, काठगोदाम	रु0 0.75 लाख
उपाय लिमिटेड, लखनऊ	रु0 1.01 लाख
शिवालिक सीमेन्ट्स लि0	रु0 17.00 लाख
राज सीमेन्ट कं0 लि0	रु0 5.00 लाख
कुमाऊं स्टील्स लि0	रु0 22.00 लाख
सिन्थेटिक रेजिन इकाई, टनकपुर	रु0 1.25 लाख

10-11-86 से 1 अप्रैल, 1987 तक कोई अंशपूंजी नहीं लगाई गई है ।

(क) आई0 एम0 पी0 सी0 एल0	49%
(ख) उ0 प्र0 वन उद्योग लि0	प्रतिशत निर्धारित नहीं
(ग) उपाय लि0	तदैव
(घ) शिवालिक सीमेन्ट्स लि0	26%
(ङ) राज सीमेन्ट्स कं0 लि0	15%
(च) कुमाऊं स्टील्स लि0	10%
(छ) सिन्थेटिक रेजिन इकाई	26%

उक्त इकाइयों में निगम द्वारा अंश विनियोजन के पूर्व शासन अथवा निदेशक मण्डल से निम्न विवरणानुसार स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है ।

इकाई का नाम शासन से	स्वीकृति तिथि
–आई0 एम0 पी0 सी0 एल0	29-1-82
–शिवालिक सीमेन्ट्स लि0	22-8-85
–राज सीमेन्ट्स कं0 लि0	15-9-84
–कुमाऊं स्टील्स लि0	7-6-85
निदेशक मण्डल से	
उ0 प्र0 वन उद्योग प्रा0 लि0	4-9-79
सिन्थेटिक रेजिन इकाई	निदेशक मण्डल की 52वीं बैठक में

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

*5–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

कुमायूं मण्डल में ठेकेदारों की रायल्टी

*6–श्री पूरन सिंह माहरा–

क्या सरकार को जानकारी है कि कुमायूं मण्डल के तीन जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व नैनीताल में विभागीय कार्यों के किये जाने पर ठेकेदारों के बिलों में से पत्थर, रेता व बजरी आदि के लिए रायल्टी काटी जाती है ? क्या यह भी सही है कि रायल्टी अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के ही ठेकेदारों के देयकों में से काटी जाती जाती है, नैनीताल जनपद के ठेकेदारों के देयकों में से नहीं काटी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के ठेकेदारों को भी नैनीताल के ठेकेदारों की तरह यह छूट देगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब से?

श्री राम अवतार दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, इस प्रश्न को दिये हुये लगभग ढाई महीने हो गये हैं, फिर माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि सूचना की आवश्यकता है। आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह सूचना नहीं आ रही सकी है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें?

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं स्वयं इस बात का आदी नहीं हूं कि यह कहूं कि सूचना की आवश्यकता है। मैंने स्वयं इस बात की पूंछ तांछ किया है और उनका जवाब तलब किया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वह इन तीन जिलों की सूचना एकत्र करेंगे तो उसके साथ ही साथ आठों पर्वतीय जिलों की सूचना एकत्र कर लेंगे।

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, वह तो मैं मंगवा ही रहा हूं।

*7–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गन्ने के मूल्य का निर्धारण

*8–श्री राम नरेश यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के गन्ने का क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति क्विन्टल देने का प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारण का अधिकार भारत सरकार में निहित है। वर्तमान पेराई सत्र 1986-87 के लिये भारत सरकार द्वारा 8.5 प्रतिशत चीनी परते से सम्बद्ध 17.00 रु0 प्रति क्विन्टल न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया है। इस आधार पर प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों के लिये चीनी परता के अनुसार निर्धारित गन्ने का मूल्य 17.00 रु0 से 22.00 रु0 प्रति कुन्टल तक आता है, परन्तु प्रदेश शासन द्वारा कृषकों के हित व अन्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सत्र हेतु पश्चिमी/मध्य क्षेत्रों के लिये 25.00 रु0 प्रति कुन्टल व पूर्वी क्षेत्र के लिये 24.00 रु0 प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य दिये जाने का परामर्श दिया गया। चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान करने की क्षमता तथा चीनी उपभोक्ताओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इससे अधिक गन्ना मूल्य देने का औचित्य नहीं है।

*9–श्री कल्याण सिंह तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[दिनांक 10-3-87 को अता0प्र0सं0 77 द्वारा उत्तरित]

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गन्ना मूल्य के बकाया पर ब्याज देने की मांग

*10—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

प्रथम सत्र 86 के 6ठे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना मूल्य के बकाया पर ब्याज से सम्बन्धित बिन्दु का प्राविधिक दृष्टि से परीक्षण कब से किया जा रहा है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शूगर केन परचेज एण्ड सप्लाई रेगुलेशन एक्ट में इस विषय पर आवश्यक संशोधन न किये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रथम सत्र 1986 के 6ठे तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उत्तर में कहा गया था कि यह विवादास्पद है कि ब्याज भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य पर देय होगा अथवा राज्य सरकार द्वारा परामर्शित गन्ना मूल्य पर । इस बिन्दु का विधिक दृष्टि से परीक्षण कराया जा रहा है ।

उक्त प्रकरण में विधिक परीक्षण किया जा चुका है जिसके अनुसार ब्याज के भुगतान का आधार वह गन्ना मूल्य दर होगा जिस पर वास्तव में गन्ने की खरीद की गई हो अतः उस अवशेष गन्ना मूल्य पर जिसका भुगतान गन्ना खरीद के दिनांक से 14 दिन के अन्दर न हुआ हो, उस पर ब्याज देय होगा । तदनुसार आवश्यक निर्देश भी प्रसारित किये जा चुके हैं। इस बिन्दु पर अधिनियम में यदि संशोधन की आवश्यकता होगी तो यथासमय विचार कर लिया जायेगा।

पर्वतीय जनपदों में लकड़ी के मूल्यों में विषमता

*11—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के कुछ जनपदों में लकड़ी 16 रुपये प्रति कुन्तल और कुछ जनपदों में 40 रुपयों प्रति कुन्तल वन विभाग द्वारा दी जाती है? यदि हां, तो यह विसंगति क्यों है? इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को राशन कार्ड पर जलौनी लकड़ी दी जाती है। जलौनी लकड़ी की बिक्री दर विभिन्न स्थानों में 20 रुपये से 48 रुपये प्रति कुन्तल तक है। 16 रुपये प्रति कुन्तल की दर किसी जनपद में लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश के नगरों में जलौनी लकड़ी की आपूर्ति की दरें उ0प्र0 वन निगम के प्रबन्ध मण्डल की संस्तुति से निर्धारित की जाती है। संस्तुति यह है कि पर्वतीय मण्डलों के शहरों में राशन कार्ड धारकों के लिये जलौनी लकड़ी की सामान्य दर 30 रुपये प्रति कुन्तल होगी जिन शहरों में यह दर पहले से कम है उनमें वर्तमान दर ही लागू होगी । यह भी निर्णय है कि विक्रय दरों का समय समय पर पुनः निर्धारण किया जायेगा और ऐसा करते समय मुख्यतः यातायात व्यय को ध्यान में रखा जायेगा । इस नीति के तहत नैनीताल तथा अल्मोड़ा जनपद के कुछ कस्बों में जलौनी लकड़ी की बिक्री दर 20 रुपये प्रति कुन्तल है। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, गढ़वाल तथा टिहरी जनपदों के अधिकांश कस्बों में बिक्री दर 30 रुपये प्रति कुन्तल है। केवल ऐसे स्थानों में जहां ढुलान पर और अधिक व्यय होता है वहां बिक्री

दर मुख्यत: ढुलान की लागत दर को देखते हुये दूरी के अनुसार 30 रुपये से 40 रुपये के बीच है। बद्रीनाथ में बिक्री दर 48 रुपये प्रति कुन्तल है।

इस प्रकार यह विदित होगा कि मुख्यत: जंगल से डिपो की दूरी के अनुसार ढुलान की लागत दर को देखते हुए विभिन्न स्थानों में जलौनी लकड़ी की बिक्रीदर में भिन्नता है क्योंकि दरों में भिन्नता के मुख्य कारण कुछ शहरों में पहले से ही कम दर का होना तथा ढुलान की लागत दरों में भिन्नता है अत: जलौनी लकड़ी की बिक्री दरों में वर्तमान भिन्नता को दूर करने की वन निगम के प्रबंध मंडल अथवा सरकार की कोई योजना वर्तमान में नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि लकड़ी की उपरोक्त विक्रय दरों की तुलना में बाजार भाव कहीं अधिक है।

बस्ती जिले में कुवानों नदी के शिवाघाट पर पुल बनवाने की मांग

*12—कर्नल केशरी सिंह—

क्या शासन के संज्ञान में है कि बस्ती जिले के कुवानों नदी पर शिवा घाट पर नाव दुर्घटना में लगभग दो वर्ष पूर्व कई व्यक्तियों की नदी में डूबकर मृत्यु हो गयी थी और इस घाट पर पुल बनवाने से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 169 रामनगर की दूरी धर्म स्थली अयोध्या और राजधानी लखनऊ में लगभग 40 कि0मी0 कम हो जायेगी जो क्षेत्र की गरीब जनता के लिए एक विशेष वरदान होगी? क्या बस्ती जिले में कुवानों नदी पर शिवा घाट पर पुल बनवाने की कोई योजना है? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक पूरा करवाने का लक्ष्य है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील से प्राप्त सूचना के अनुसार नाव दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

शिवाघाट कुवानों नदी पर सेतु निर्माण हो जाने से निर्वाचन क्षेत्र रामनगर की दूरी अयोध्या एवं लखनऊ से लगभग 25 कि0मी0 कम हो जायेगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों की कमी की विवशता के कारण।

*13—श्री झिलमिट राम तथा श्री अवधेश प्रसाद—

[10वें मंगलवार में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत पुन: निर्धारित]

हरदोई जनपद के कतिपय मार्गों को गंगा पुल तक मिलाने की मांग

*14—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जनपद हरदोई में माधोगंज-मेंहदीघाट एवं मल्लावां मेंहदी घाट मार्गों को पूरा कराकर मेंहदी घाट स्थित गंगा पुल तक मिलाने की व्यवस्था राज्य बजट से करने का विचार करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्गों को मेंहदीघाट स्थित गंगा पुल तक मिलाने का कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है, जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद फैजाबाद में गोसाईगंज भीटी रोड के जर्जर पुल की मरम्मत की मांग

*15—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित गोसाईगंज भीटी रोड पर गोसाईगंज कस्बे के दक्षिण का मड़हा नदी का पुल काफी जर्जर हो गया है और यदि उसकी शीघ्र मरम्मत न करायी गई तो किसी भी समय भारी दुर्घटना हो सकती है? यदि हां, तो उक्त पुल का नये सिरे से निर्माण कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पुल की मरम्मत करा दी गई है, अतः दुर्घटना की फिलहाल कोई आशंका नहीं है। संसाधनों की कमी के कारण स्वीकृत करना अभी सम्भव नहीं है।

गन्ना समिति सरदार नगर, गोरखपुर में खाद के घोटाले की जांच

*16—श्रीमती शारदा देवी—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के गन्ना समिति सरदार नगर में करीब 18 लाख रुपये के खाद के घोटाले से सम्बन्धित कोई जांच शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सरकारी गन्ना विकास समिति लि0 सरदार नगर में रु0 21,16,749.65 पैसे का खाद एवं दवाओं का घोटाला प्रकाश में आया है। इस मामले में 10 कर्मचारी सम्बद्ध पाये गये हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। 8 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है और उनमें से 7 के विरुद्ध स्थानीय थाने में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दी गयी है।

*17—श्री मित्रसेन—

[दिनांक 23-6-87 को अता0प्र0सं0 44 द्वारा उत्तरित]

दौराला शुगर मिल से उत्पन्न प्रदूषण विषयक शिकायती पत्र

*18—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि दौराला शुगर मिल, मेरठ की चिमनियों से भारी मात्रा में धुआं के साथ कोयले की राख व कण निकलते हैं जो आस पास के वातावरण को दूषित कर जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? यदि हां, तो शासन इस विकराल समस्या को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में किसी शिकायत पर शासन ने कोई जांच गत वर्ष करायी थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही है कि दौराला सुगर मिल मेरठ की चिमनियों से धुएं के साथ कोयले की राख व कण निकलते हैं। यह भी सही है कि इस इकाई द्वारा बोर्ड के निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन किया जा रहा है। किसी विशिष्ट अध्ययन के अभाव के कारण यह निश्चित रूप से कह पाना कठिन है कि इस उत्सर्जन से जनता के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उद्योग ने वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु साइक्लोन (डस्ट कलेक्टर) की व्यवस्था की है किन्तु इसको अपर्याप्त मानते हुए बोर्ड द्वारा उद्योग को समुचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है और दिनांक 8-6-1987 को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत उद्योग को सहमति प्रदान नहीं की गयी है।

इस उद्योग के विरुद्ध किसी शिकायती पत्र पर जांच कराये जाने की सूचना उपलब्ध नहीं है। शिकायती पत्र तथा शिकायत का विवरण दिये जाने पर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

*19–श्री अशोक बाजपेई–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बलिया जनपद के कतिपय ग्रामों के विकास हेतु गंगा नदी पर पीपे के पुल बनाने की योजना

*20–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में ग्राम नगवां एवं शहर बलिया के बीच उ0 प्र0 और बिहार को जोड़ने तथा उ0प्र0 के गंगासागर के गांव शिवपुरदीयर, जबहीदीयर एवं उमरपुर दीयर को प्रशासनिक एवं विकास सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने के लिए गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्न नही उठता।

रहने की अवधि का कोई डी0ए0 देय न होगा और उक्त स्थानों के जाने आने का व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। संदर्भित प्रकरण में श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई। जांच में शिकायतें तथ्यहीन पाई गई। ऐसी स्थिति में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

वेट लिफ्टिंग एवं बेस्ट फिजीक प्रतियोगिता हेतु चयनित प्रदेशीय सिविल सर्विसेज टीम के मैनेजर श्री आर0 डी0 सिंह के विरुद्ध शिकायतों की जांच

1–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में तमिलनाडू सरकार के सौजन्य से मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में वेट लिफ्टिंग एवं बेस्ट फिजीक प्रतियोगिता सिविल सर्विसेज टीम का नेतृत्व एवं मैनेजर के रूप में आर0 डी0 सिंह मद्रास गये थे? क्या यह सत्य है कि मद्रास पदार्पण करते ही श्री सिंह सपत्नी

तीर्थाटन के लिए टीम को छोड़कर चले गये थे और उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रत्येक खिलाड़ी 135 रु0 कम देने के कारण उनके द्वारा शिकायतें की गयी थीं? यदि हां, तो खिलाड़ियों को कितनी धनराशि दी गयी व मैनेजर के विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1984-85 में वेट लिफ्टिंग एवं बेस्ट फिजीक प्रतियोगिता हेतु चयनित प्रदेशीय सिविल सर्विसेज टीम के मैनेजर के रूप में श्री आर0 टी0 सिंह भेजे गये थे। श्री सिंह को मद्रास से रामेश्वर एवं तिरुपति जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई थी कि उन्हें मद्रास से बाहर रहने की अवधि का कोई डी0 ए0 देय न होगा और उक्त स्थानों के जाने-आने का व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। संदर्भित प्रकरण में श्री सिंह के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई। जांच में शिकायतें तथ्यहीन पाई गई। ऐसी स्थिति में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला अल्मोड़ा को योगाश्रम हेतु वन भूमि आवंटन का विचाराधीन प्रस्ताव

2–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भक्त राज श्रीमद् ऊंकरनाथ जी उर्फ श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी, ब्लाक चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा को योगाश्रम हेतु द्रोणागिरी एवं रानीखेत में वन विभाग की भूमि के आवंटन सम्बन्धी उनके आवेदन पर राजस्व मंत्री ने दिनांक 19-6-86 एवं अनुस्मारक क्रमशः 18-7-86 तथा 23-7-86 में आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को संस्तुति हेतु भेजने का आदेश दिया था? यदि हां, तो क्या प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया? यदि नहीं, तो क्यों एवं इसके लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है?

श्री जफर अली नकवी–

जी हां। माननीय राजस्व मंत्री जी ने माननीय राज्य मंत्री वन से वन विभाग की भूमि के आवंटन के बारे में आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। यह प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा गया। मामले में वस्तु-स्थिति यह है कि श्री ऊंकारनाथ ने अल्मोड़ा जिले में एक शिखर अध्यात्म योग महाविद्यालय अथवा शिखर अध्यात्म योगाश्रम की स्थापना करने हेतु वन भूमि की मांग की थी। प्रदेश में वन क्षेत्र की कमी को देखते हुए तथा भारत सरकार के इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कि भवनों के लिए वन भूमि के प्रस्तावों पर सामान्यतया विचार नहीं किया जायेगा, वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकरण में कोई अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।

स्व0 शहजादे, प्रधान बन्दी रक्षक जिला कारागार हरदोई के पद पर उनके पुत्र श्री अशोक कुमार की नियुक्ति की मांग

3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्रीमती राम श्री पत्नी स्व0 शहजादे प्रधान बन्दी रक्षक जिला कारागार, हरदोई का कोई प्रार्थना पत्र दिसम्बर, 86 के प्रथम सप्ताह में पिता के स्थान पर पुत्र श्री अशोक कुमार की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही

की गयी। क्या यह भी सही है कि अधीक्षक, जिला कारागार द्वारा भी इनके पुत्र की नियुक्ति की संस्तुति की गयी? यदि हां, तो नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

उक्त प्रार्थना पत्र को अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ को नियमानुसार कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

जी हां।

श्री अशोक कुमार बन्दीरक्षक पद के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे अस्तु उन्हें उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग सेतु निगम तथा सिंचाई विभाग में सीमेण्ट की खपत की भिन्नता

4–श्री सै0 जावेद अली–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 विभाग तथा सेतु निगम 1: 2: 4 की सीमेण्ट के ढुलाई कार्य में क्रमशः नेचुरल एगरीगेट के साथ 6.20 तथा 6.50 बोरी सीमेण्ट की खपत दिया जाता है जबकि सिंचाई विभाग 1:2:4 की उसी प्रकार की ढुलाई में 5.76 बोरे सीमेण्ट की खपत दिखाता है? यदि हां, तो इस विभिन्नता का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग में 1:2:4 की सीमेण्ट की घुलाई में क्रमशः नेचुरल एगरीमेट के लिए विश्लेषण के आधार पर मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। तदनुसार टूटी हुई ग्रिट में यह मात्रा 6.69 बोरी तथा नदी की ग्रिट (सिंगल) में 6.20 बोरी प्रति घनमीटर आंकी जाती है। सेतु निगम में भी विभिन्न प्रकार की कंक्रीट में सीमेण्ट के प्राविधान हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं जो 1:2:4 की सीमेण्ट कांक्रीट के लिए 6.5 बोरे निर्धारित है। इन मापदण्डों में छीज भी शामिल है। गिट्टी की साइज पर भी सीमेण्ट की खपत निर्भर करती है। सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सेतु निगम में प्रयोग की जाने वाली अधिकांश कांक्रीट प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद प्रयोग की जाती है जिसमें सीमेण्ट की मात्रा स्वतः निर्धारित हो जाती है। सिंचाई विभाग में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और 1:2:4 का कार्य समूहात्मक रूप में योजनात्मक ढंग से किया जाता है अतः वहां बचत की सम्भावना है। जिससे भिन्नता सम्भव है।

5–डा0 दिनेश जौहरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बस्ती में बांसी से रुधौली राजमार्ग पर कार्यरत कतिपय माली तथा उनके वेतनमान

6—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में बांसी से रुधौली राजमार्ग पर रोड माली के पद पर सर्वश्री नागेन्द्र नाथ दुबे, श्याम लाल, बसन्त कुमार राय, दिलीप कुमार नन्द लाल, जाफिर खां, रामबली दुर्गेश, राजकुमार आदि प्रत्येक कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? इनका वेतन प्रति माह क्या है?

श्री जफर अली नकवी—

बस्ती जिले में बांसी से रुधौली राजमार्ग पर प्रश्न में दिये गये व्यक्तियों के कार्य आदि का विवरण निम्नवत् है:—

क्रम-सं0	नाम	कार्यस्थल	कार्य करने की बवधि
1	श्री नागेन्द्र नाथ दुबे	बांसी, रूधौली, राजमार्ग।	जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक
2	श्री श्याम लाल	तदव	नवम्बर, 83 से लगातार
3	श्री बसन्त कुमार राय	तदव	अगस्त, 85 से मार्च, 86 तक
4	श्री दिलीप कुमार	तदैव	फरवरी, 85 से मार्च, 86 तक
5	श्री नन्द लाल	तदैव	फरवरी, 84 से जून, 85 तक तथा सितम्बर, 85 में।
6	श्री जाकिर खां	तदैव	अप्रैल, 85 से लगार
7	श्री राम बली	तदैव	अक्तूबर, 85 से लगातार
8	श्री दुर्गेश	तदैव	अप्रैल, 85 से लगातार
9	श्री राज कुमार	तदैव	अगस्त, 83 से जनवरी, 84 तक अप्रैल, 86 से जून, 86 तक।

समस्त रोड़मालियों को जुलाई 86 तक रुपया 208 प्रतिमाह तथा अगस्त, 86 से फरवरी, 87 तक रु0 225 प्रतिमाह की दर पर भुगतान किया गया। माह मार्च 87 से रु0 275 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है।

तहसील खास, आगरा जनपद के कतिपय मण्डी समिति के मार्ग को सा0नि0वि0 को स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव

7—श्री विजय सिंह राणा—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद की तहसील खास के अन्तर्गत मण्डी समिति के धन से सा0 नि0 वि0 द्वारा बनाई गयी सड़कों ककुआ कबूलपुर मार्ग और धाधूपुरा करभना मार्ग को सा0 नि0 वि0 अपने यहां स्थानान्तरित कर रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्नगत दोनों मार्ग जो मण्डी समिति के अधीन है, को सा0नि0 विभाग में अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में तभी विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा, जब जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा इन्हें जिला योजना में सम्मिलित कर इनके पुनः निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी जाय।

8–श्री यदुनाथ सिंह–

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

सचिव संस्थागत वित्त को प्रदत्त मा0 सदस्य के पत्र पर कृत कार्यवाही

9–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 53 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 755 मुख्य मंत्री को ता0 20-5-86 को पत्र संख्या 2225 सचिव, संस्थागत वित्त को ता0 13-10-86 को मिला है? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मा0 सदस्य को अलग से उत्तर भेज दिया जायेगा।

10–श्री यदुनाथ सिंह–

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

श्री एल0 पी0 गोयल मुख्य अभियन्ता (भवन) की पत्नी के नाम बने भवन के विरुद्ध शिकायत की जांच

11–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि श्री एल0 पी0 गोयल, मुख्य अभियन्ता (भवन) ने अपनी पत्नी श्रीमती प्रेमलता के नाम से लखनऊ महानगर में मकान बी-16 बनवाया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या 823 मुख्य मंत्री जी को ता0 2-6-86 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासन में उपलब्ध सूचना के अनुसार महानगर लखनऊ स्थित बी-16 भवन श्री एस0 पी0 गोयल, मुख्य अभियन्ता (भवन) की पत्नी श्रीमती प्रेमलता गोयल के नाम है ।

जी हां ।

श्री एस0 पी0 गोयल, मुख्य अभियन्ता (भवन) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र संख्या-823/, दिनांक 30/31–5–86 माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में 2-6-86 को प्राप्त हुआ । मामले की जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेशित किया गया था। उक्त आख्या शासन को प्राप्त हो गई है जो विचाराधीन है। कई बिन्दुओं पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी । अतः सतर्कता अधिष्ठान से जांच कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

कोलाहरि मत्स्य विकास निगम मांट, मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत

12–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या मत्स्य पालन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 26-6-85 को प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती-पत्र कोलाहरि मत्स्य विकास निगम जो मांट क्षेत्र मथुरा में बन रहा है, में व्याप्त भ्रष्टाचार, खारा पानी व ट्यूबवेल में निम्न स्तर की बनाई गई इमारत आदि के बारे में दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

तकनीकी आडिट सेल से जांच कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

13–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के काण हटाया गया]

जनपद आगरा किरावली कस्बा के बाइपास चौराहे पर अवरोधक बनाने की मांग

14–श्री बदन सिंह–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा किरावली कस्बा के बाई-पास चौराहे पर गत तीन वर्षों में कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो इस चौराहे और बाद में अवरोधक न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आगरा में किरावली कस्बा के बाईपास चौराहे पर गत तीन वर्षों में पुलिस से प्राप्त सूचनानुसार 7 दुर्घटनाएं हुई हैं । उक्त चौराहे से गुजरने वाली किरावली-अछ-नेरा-भरतपुर सड़क पर अछनेरा व किरावली कस्बों के निकट गति अवरोधक बने हुए हैं । भारत सरकार (परिवहन मंत्रालय) ने राष्ट्रीय मार्गों पर गति अवरोधक बने हुए हैं । भारत सरकार (परिवहन मंत्रालय) ने राष्ट्रीय मार्गों पर गति अवरोधक न बनाने के निर्देश दे रखे हैं । इस कारण उक्त चौराहे से गुजरने वाली दूसरी सड़क किरावली बाईपास (राष्ट्रीय मार्ग) पर गति अवरोधक नहीं बनाये गये हैं ।

राज्याधीन अधीनस्थ सेवाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग

15–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 25/2/1967-नियुक्ति-4, दिनांक 17 दिसम्बर, 1979 स्वारा राज्याधीन अधीनस्थ सेवाओं से अंग्रेजी की अनिवा-र्यता समाप्त कर दी गई है और केवल वर्ग–2 की स्टेट सेवाओं में ही सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न पत्र रखा गया है ? यदि हां, तो क्या यह शासनादेश उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्य-रत वैयक्तिक सहायकों पर लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । किन्तु सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 का है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16–श्री रमेश यादव–

[उरे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 127 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

17–श्री हर्षवर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के काण हटाया गया]

18–श्री मो0 मसूद खां–

[दिनांक 30-6-87 को अता0 प्र0 सं0 135 द्वारा उत्तरित]

फैजाबाद जनपद के कतिपय रोड के अन्तर्गत पटरियों को ठीक कराने की मांग

19—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में महरुआ बाजार मथानी रोड तथा अन्नावां औरंगनगर (पहितीपुर) रोड की दोनों पटरियां समुचित रख-रखाव के अभाव में काफी क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उन पर चलना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा और अब तक ठीक न कराने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मार्गों की पटरियां पिछली बरसात में खराब हो गयी थीं जिन्हें ठीक करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20—श्री विष्णु देव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के काण हटाया गया]

21—श्री मैनेजर सिंह—

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना पर्यवेक्षकों की अनियमित नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

22—श्री रणजीत —

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना पर्यवेक्षकों की अनियमित नियुक्तियों के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-12-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित आरोप क्या थे और उस सन्दर्भ में किस अधिकारी से जांच करायी गयी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत पत्र में प्रमुख आरोप यह था कि उच्च योग्यता रखने वाले सामान्य व आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न रखकर अपने-अपने गांव संबंधियों को पैसे लेकर इण्टर कृषि वालों की नियुक्तियां की गईं । इस मामले की जांच अपर चीनी आयुक्त लखनऊ द्वारा करायी जा रही है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

निलम्बित बिक्रीकर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

23—श्री रणजीत—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में किन-किन बिक्रीकर अधिकारियों को गंभीर आरोप लगाकर निलम्बित किया गया है ? क्या इन लोगों के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध हो गये हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पी0सी0एस0 अधिकारियों का निलम्बन तथा वित्तीय अनियमितताओं की जांच

24–श्री रणजीत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में किन-किन पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को शासन द्वारा निलम्बित किया गया ? किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच बैठायी गई ? कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1986 में केवल एक पी0 सी0 एस0 अधिकारी श्री सियाराम, जब वह सेक्टर मैजिस्ट्रेट कुम्भ मेला हरिद्वार के पद पर नियुक्त थे तो दिनांक 14-4-86 को तीर्थ यात्रियों की भगदड़ के कारण हुई, दुर्घटना के संबंध में मजिस्ट्रेट की हैसियत से बरती गयी लापरवाही, शिथिलता एवं उदासीनता के कारण, दिनांक 19-4-86 को उन्हें निलम्बित किया गया । उक्त निलम्बनादेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के फलस्वरूप उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया गया ।

उक्त निलम्बित अधिकारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच नहीं बैठायी गयी । अतः दोषी पाये जाने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

25–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री रिजवानुल्लाह उप निबंधक कार्यालय गोरखपुर को वसीका नवीस का लाइसेन्स

26–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रिजवानुल्लाह वसीका नवीस निबंधक कार्यालय गोरखपुर को वसीका नवीस का लाइसेन्स प्राप्त है ? यदि हां, तो कब और किस वर्ष से ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । श्री रिजवानुल्लाह को उप निबंधक कार्यालय गोरखपुर में कार्य करने के लिए दिनांक 6-4-72 से वसीका नवीस का लाइसेन्स प्राप्त है ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

पिथौरागढ़ के बलुवाकोट पयपापौड़ी मोटर मार्ग के निर्माण का निविदा

27–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बलुवाकोट पयपापौड़ी मोटर मार्ग वर्ष 1981-82 में स्वीकृत हुआ था ? क्या यह भी सत्य है कि इस मोटर मार्ग के निर्माण के लिए जनवरी, 86 में ही निविदायें आमंत्रित की गई थीं किन्तु दिनांक 1 जुलाई, 1986 तक इसमें कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ था ? यदि हां, तो इस अतिशय विलम्ब के लिए किस स्तर पर कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? कब तक इस मोटर मार्ग कब निर्माण कार्य पूरा करवा लिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत 15 कि0 मी0 लम्बे मोटर मार्ग की स्वीकृति 2 चरणों में दी गई । प्रथम चरण में 5 कि0 मी0 में 1982-83 में तथा द्वितीय चरण में 10 कि0 मी0 के लिए 1984-85 में स्वीकृति दी गई । यह सत्य है कि निविदायें आमंत्रित किये जाने के बावजूद निर्माण कार्य मार्ग में पड़ने वाली आरक्षित वन भूमि, बेनाप भूमि तथा नाप भूमि के उपलब्ध न हो सकने के कारण प्रारम्भ नहीं किया गया है जिसके लिए कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वन भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति भारत सरकार से मिलने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है । भारत सरकार से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करा करके पूरा किया जा सकेगा ।

28–श्री काशी सिंह एरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

29–श्री काशी सिंह एरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री रमेश चन्द्र सक्सेना सांख्यकीय निरीक्षक बदायूं के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

30–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांख्यकीय निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सक्सेना जो कि इस समय बदायूं में तैनात हैं, की ज्येष्ठता तथा इनके सम्पूर्ण मामले की जांच कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 29-10-85 का पत्र राज्य नियोजन मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

माननीय सदस्य का 29-10-85 का श्री रमेश चन्द्र सक्सेना के संबंध में इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ था कि श्री सक्सेना के अभ्यावेदनों पर शासन स्तर पर जांच कराके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं श्री सक्सेना की विषम घरेलू परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं भविष्य में उन्हें वर्तमान निदेशक द्वारा परेशान न किया जा सके, इसलिए श्री सक्सेना को लखनऊ में ही सचिवालय या अन्य किसी विभाग में प्रति-नियुक्ति पर तैनात किया जाये ।

सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् इस संबंध में पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी एवं किसी दूसरे विभाग में भी सक्सेना को प्रतिनियुक्ति पर भेजना उचित नहीं पाया गया ।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग को जीप क्रय हेतु आवंटित धन का सरेन्डर

31–श्री नरेश चन्द्र–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग को 84-85 में जो पैंतीस लाख रु0 35 जीप खरीदने के लिए आवंटित हुआ था उसमें से कितना धन सरेन्डर किया गया और क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया –

अर्थ एवं संख्या प्रभाग को वर्ष 84-85 में 30 लाख रु0 30 जीप क्रय करने हेतु आवंटित हुआ था । एक्सेसरीज कम मात्रा में क्रय किये जाने के कारण बचत की धनराशि रु0 50,623 को समर्पित किया गया था ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्डों में रोलरों की संख्या तथा रोलरों की हालत

32–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में किन-किन खण्डों में कितने रोड रोलर हैं और उसमें से कितने चालू हालत में हैं तथा उसमें कितने रोलर कितने दिनों से खराब पड़े हैं ? क्या सरकार आजमगढ़ जनपद में रोलरों की अविलम्ब व्यवस्था करके सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ में, प्रान्तीय खण्ड में 8, निर्माण खण्ड में 6, तथा अस्थायी खण्ड नम्बर 2, में 7 रोड रोलर हैं । इन कुल 21 रोड रोलरों में से 17 रोड रोलर चालू हालत में हैं तथा 4 स्टीम-रोड रोलर बहुत पुराने हैं । इन पुराने रोड रोलरों को निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में कार्य के आधार पर रोड रोलरों की व्यवस्था कर दी गई है । इस समय जनपद आजमगढ़ में 26 रोड रोलर कार्यरत हैं और सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आजमगढ़ में खण्ड वाईज रोड निर्माणार्थ उपलब्ध कराया गया तारकोल

33–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में खण्ड वाईज सन् 86-87 में कितना तारकोल मिला और सभी कार्यों के लिए कितने तारकोल की आवश्यकता थी ? तारकोल कम मिलने के लिए जिम्मेदार कौन से लोग हैं ? क्या सरकार तारकोल की अतिशीघ्र समुचित व्यवस्था करके सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद आजमगढ़ में प्रान्तीय खण्ड को 794.50 मी0 टन निर्माण खण्ड को 837.50 मी0 टन तथा अस्थायी खण्ड नम्बर-2 को 1221.00 मी0 टन अर्थात कुल 2853.00 मी0 टन तारकोल वर्ष 1986-87 में मिला जबकि सभी कार्यों के लिए प्रान्तीय खण्ड को 755.00 मी0 टन निर्माण खण्ड को 804.00 मी0 टन तथा अस्थायी खण्ड नम्बर-2 को 1046.00 मी0 टन अर्थात कुल 2605.00 मी0 टन तारकोल की आवश्यकता थी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

तारकोल की व्यवस्था की जा चुकी है । सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

आजमगढ़ जनपद के सा0 नि0 वि0 में वर्क लोड के अनुसार रोलरों की समुचित व्यवस्था

34—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में सा0 नि0 विभाग का वर्क लोड कितना है तथा उसमें कुटाई एवं पैंटिंग हेतु वर्क लोड के अनुसार कितने रोलर की आवश्यकता है ? क्या सरकार वर्क लोड के अनुसार रोलरों की समुचित व्यवस्था करके सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ में मांग के अनुसार कुल वर्क लोड 810·55 लाख रु0 का है तथा उसमें कुटाई एवं पैंटिंग हेतु वर्क लोड के अनुसार 25 रोड रोलरों की आवश्यकता है ।

इस समय जनपद आजमगढ़ में रोड रोलरों की समुचित व्यवस्था है । 26 रोड रोलर कार्यरत है । सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय कालोनी महानगर के 'बी' टाइप के कतिपय आवासों में अतिरिक्त किराया वसूल करने का औचित्य

35—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय कालोनी महानगर के 'बी' टाइप के कतिपय आवासों में खिड़कियों तथा बरामदों में लगाई गई जालियों तथा आंगन या छत पर बनाये गये अतिरिक्त कमरों का अतिरिक्त किराया वसूला जाता था जो वर्ष 1980 में पुलिंग आफ रेण्ट के बाद बन्द कर दिया गया और पुलिंग आफ रेण्ट के बाद जिन आवासों की खिड़कियों तथा बरामदों में जालियां लगाई गयी है या आंगन तथा छत पर अतिरिक्त कमरे बनवाये गये है उनसे अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय कालोनी महानगर के 'टाइप तीन' के आवासों में जो टाइप बी की श्रेणी में आते है, खिड़कियों तथा बरामदों में निःशुल्क जाली लगाई गयी है ? एक ही प्रकार के एक आवास में कतिपय सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा दूसरे आवास में इसी प्रकार की सुविधा के लिए अतिरिक्त किराया वसूल करने का क्या औचित्य है ? क्या मुख्य मंत्री जी इस भेदभाव को समाप्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, पुलिंग आफ रेन्ट के उपरान्त जिन आवासों में कतिपय कार्य कराये गये इसके लिए अध्यासियों से अतिरिक्त किराया लिया जा रहा है । यह अतिरिक्त कार्य अध्यासियों के अनुरोध पर तथा उनके द्वारा अतिरिक्त किराया वहन करने की सहमति देने पर ही कराये गये है ।

टाइप-3 के आवासों में निर्माण के समय से ही खिड़कियों/बरामदों में जाली लगी है ।

आवासों का निर्माण कराते समय यथा संभव लागू विशिष्टियों के अनुसार ही सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं तथा बाद में अध्यासियों के अनुरोध पर तथा अतिरिक्त किराया वहन करने की सहमति देने पर अतिरिक्त मूल निर्माण कार्य कराये जाते हैं। अतः भेदभाव होने का प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में पाठ्यक्रम का निर्धारण

36—श्री काशी सिंह ऐरी—

प्रथम सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 174 के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहां के लिए वन विज्ञान पर्यटन, भूगर्भ विज्ञान, माइनिंग विज्ञान की अत्यन्त उपयोगिता को देखते हुए इन विषयों के लिए उचित पाठ्यक्रम तैयार कराकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हाईस्कूल इण्टर स्तर पर लागू करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम किसी विशेष क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं किये जाते हैं। वर्तमान में इण्टरमीडिएट स्तर पर भूगर्भ विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में परिषद् द्वारा निर्धारित है और पर्वतीय क्षेत्र के बहुत से विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। परिषद् द्वारा वन विज्ञान, पर्यटन तथा माइनिंग विज्ञान विषय वर्तमान में निर्धारित नहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद् को उक्त विषयों को परिषद् के पाठ्यक्रम में निर्धारित किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं और परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किये जाने के बाद उक्त विषयों को लागू किये जाने के बारे में विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

37—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

38—39—हर्षवर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

श्री हरपाल सिंह, तत्कालीन कामदार व पर्यवेक्षक सिंभावली गन्ना समिति जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायत पर कृत कार्यवाही

40—श्री किरन पाल सिंह—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंभावली गन्ना समिति जनपद गाजियाबाद के तत्कालीन कामदार व पर्यवेक्षक ने श्री हरपाल सिंह पुत्री श्री लहरी सिंह निवासी लाडपुर जनपद बुलन्दशहर के नाम से सन् 83 में फर्जी तरीके से दो हजार रुपये का यूरिया निकाल कर बेच खाया था? यदि हां, तो उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

41—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद गाजीपुर में वन विभाग के अन्तर्गत अधिकारियों की संख्या तथा कार्यरत माली की दैनिक मजदूरी तथा रिक्त चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्ति

42—श्री अफजाल अंसारी—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर में वन विभाग के अन्तर्गत कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं तथा इसी जनपद की तहसील मुहम्मदाबाद में वन विभाग में माली पद के मजदूरों को क्या तनख्वाह दी जाती है तथा कितने मजदूर दैनिक वेतन पर दो वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुहम्मदाबाद में इस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं और इन पदों पर नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं?

श्री जफर अली नकवी—

जनपद गाजीपुर में वन विभाग के अन्तर्गत केवल एक राजपत्रित अधिकारी कार्यरत है। तहसील मुहम्मदाबाद में माली पद के मजदूरों को रु0 275/- प्रतिमाह पारिश्रमिक मिलता है। दो वर्षों से अधिक अवधि से सीजनल रूप में कार्यरत मजदूरों की संख्या 20 है। तहसील मुहम्मदाबाद में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है अतः इन पदों पर नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

43—श्री अफजाल अंसारी—

[4थे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में कतिपय पंजीकृत फर्म्स की पत्रावलियों में हेरा-फेरी करने के मामलों की जांच

44—श्री मो0 अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के बिक्रीकर कार्यालय में पंजीकृत फर्म्स मेसर्स राधेश्याम इन्द्रनारायन भट्टा इस्माइलपुर वर्ष 75-76, मेसर्स राम निवास ओम बाबू आढ़ती वित्तीय वर्ष 75-76, 76-77, 77-78 एवं मेसर्स गेंदन लाल एण्ड कं0 आ0 बबराला की वर्ष 75-76, 76-77 की पत्रावलियों में हेराफेरी करने के मामलों में वर्ष 1979 से जांच चल रही है? यदि हां, तो जांच से अब तक कौन-कौन से परिणाम निकले हैं तथा कौन-कौन जांच अधिकारी नियुक्त किये गये हैं? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मेसर्स गेंदन लाल एण्ड कं0 आ0 बबराला के वर्ष 75-76 एवं 76-77 के रिमाण्ड वाद कालवाधित हो गये हैं? यदि हां, तो इन वादों के कालवाधित होने के फलस्वरूप विभाग को कितने राजस्व की हानि हुई तथा रिमाण्ड वाद किस अधिकारी/कर्मचारी की अवधि में कालवाधित हुआ है? क्या सरकार इस मामले में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सर्वश्री राधेश्याम इन्द्र नरायण, भट्ठा इस्माईलपुर के वर्ष 75-76 की पत्रावली में हेराफेरी करने के आरोप के सम्बन्ध में सहायक आयुक्त (शा) बिक्रीकर, बरेली क्षेत्र, बरेली द्वारा जांच की गई तथा तत्कालीन खातापालक श्री महेन्द्र पाल सिंह की तीन वेतन वृद्धियां अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। जिसका आदेश तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी (ए) बदायूं श्री ए0 डी0 शर्मा द्वारा दिनांक 10-7-80 को

पारित किया गया इसके उपरान्त श्री महेन्द्र पाल सिंह को इस बिन्दु पर आरोप-पत्र भी दिया गया। जिसके लिए बिक्रीकर अधिकारी (ए) बरेली को सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, बरेली क्षेत्र, बरेली द्वारा अपने आदेश संख्या–3523 दिनांक 31-3-81 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया जांच अधिकारी के द्वारा लगाया गया आरोप सही पाया गया तथा उक्त दिया गया दण्ड भी उचित माना गया ।

2–सर्वश्री राम निवास ओम बाबू आढ़ती, वित्तीय वर्ष 75-76, 76-77 एवं 77-78 की पत्रावलियों में हेराफेरी के संबंध में श्री महेन्द्रपाल सिंह लिपिक को आरोपित किया गया और सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, बरेली क्षेत्र, बरेली के आदेश संख्या–3579 दिनांक 6-2-82 द्वारा बिक्रीकर अधिकारी (ए) बरेली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांचोपरान्त श्री महेन्द्र पाल सिंह तत्कालीन लिपिक को दोषी पाया गया तथा उन्हें निम्न दण्ड दिया गया है:–

(क) तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां सदैव के लिए रोकी गयीं ।

(ख) प्रश्नगत व्यापारी को वर्ष 75-76, 76-77 व 77-78 की कर-निर्धारण पत्रावली में हेरा-फेरी करने के सम्बन्ध में सत्यनिष्ठा संदिग्ध कर दी गयी है श्री महेन्द्र पाल सिंह द्वारा दिये गये दण्ड आदेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसे उपायुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, बरेली परिक्षेत्र, बरेली द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

3–श्री गेंदन एण्ड कम्पनी, आढ़ती बबराला की वर्ष 75-76 एवं 76-77 की पत्रावलियों में जांच सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर बरेली क्षेत्र, बरेली द्वारा जांच की गयी है। श्री महेन्द्र पाल सिंह तत्कालीन खातापालक को इसके लिए दोषी पाया गया है। दण्ड के लिए संबंधित कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगकर कार्यवाही की जा रही है।

4–सर्वश्री गेंदन लाल एण्ड कम्पनी, आढ़ती बबराला का वर्ष 76–77 का वाद पत्रावली के अनुसार प्रतिप्रेषित या कालवाधित नहीं है।

यह सही है कि सर्वश्री गेंदन लाल एण्ड कम्पनी आढ़ती बबराला का वर्ष 75-76 का प्रतिप्रेषित वाद कालवाधित हो गया है। इस वाद के कालवाधित होने के सम्बन्ध में जांच कार्य सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर बरेली क्षेत्र, बरेली द्वारा किया जा रहा है तथा जांच के उपरान्त ही यह सुनिश्चित हो पाना सम्भव होगा कि इस वाद में राजस्व की हानि हुई है अथवा नहीं। प्रतिप्रेषित वाद कालवाधित होने के अवधि में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे :–

1–श्री आर0 एम0 शर्मा, बिक्रीकर अधिकारी, बदायूं।
2–श्री सैयद साजिद अली, आशुलिपिक ।
3–श्री ओ0 पी0 गुप्ता, आलेखक-प्रालेखक ।
4–श्री ए0 के0 सिन्हा, खातापालक ।
5–श्री ज्ञान सिंह, संदर्भ लिपिक ।

दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

बिक्री-कर विभाग में जनपद बदायूं में पंजीकृत फर्म मेसर्स गेंदन लाल एण्ड कं0, आढ़ती, बबराला, के रिमाण्ड वादों का अनिस्तारण

45—श्री मो0 अबरार अहमद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर विभाग में जनपद बदायूं में पंजीकृत फर्म मेसर्स गेंदन लाल एण्ड कं0 आढ़ती बबराला के वर्ष 75-76 एवं 76-77 के रिमाण्ड बाद वर्ष 1983-84 में सदस्य बिक्रीकर अधिकरण, बरेली द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु द्वितीय अपील के निर्णय तक रोके गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि सदस्य बिक्री कर अधिकरण बरेली ने द्वितीय अपीलीय निर्णय किस दिनांक को पारित किया? क्या यह सही है कि सदस्य बिक्री कर अधिकरण बरेली में वर्ष 1984-1985 में बिक्रीकर अधिकारी बदायूं को फर्म के उक्त दोनों वर्षों के बाद द्वितीय अपीलीय निर्णय द्वारा कर निर्धारण हेतु रिमाण्ड किये हैं यदि हां तो फर्म के दोनों वर्षों के आदेश किस दिनांक को एवं किस अधिकारी द्वारा निस्तारित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूरी सूचना सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

दिनांक 27-9-84 को।

जी हां।

वर्ष 75-76 के रिमांड वादों का निस्तारण नही किया जा सका और वाद कालबाधित हो गये। दोषी कर्मचारियों/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं। वर्ष 76-77 का वाद कालबाधित नहीं हुआ।

विभिन्न कैबिनेट राज्य मंत्रियों को उपलब्ध कराये गये टेलीफोन का भुगतान

46—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभिन्न कैबिनेट राज्य मंत्रियों को उपलब्ध कराये गये सरकारी फोन के बिलों का भुगतान वर्ष 85-86 व 1986-87 में कितना-कितना किया गया? क्या मुख्य मंत्री इसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विभिन्न कैबिनेट राज्य मंत्रियों को उपलब्ध कराये सरकारी फोन का भुगतान वर्ष 85-86 व 1986-87 में निम्नवत् किया गया:—

वर्ष 85-86 में :— 13,07,341=30

वर्ष 86-87 में :— 16,90,569=30

विभिन्न मंत्रियों के टेलीफोन्स पर व्यय की सूची संलग्न प्रस्तुत है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 168-170 पर)

उ0 प्र0 शासन के सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति तथा ज्येष्ठता सूची

47–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन के सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनु-5 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्ष 1986 में तृतीय श्रेणी के पद पर प्रोन्नत किया गया था ? यदि हां, तो क्या इनको निर्धारित कोटे (पूर्व वर्षों की रिक्त सीटों) के अनुसार वर्ष 1985 के तथा उसके बाद के सीधी भर्ती वाले टंककों से सीनियर माना जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। इनको वर्ष 1985 के तथा उसके बाद के सीधी भर्ती वाले टंककों से सीनियर नहीं माना जा सकता क्योंकि इनका चयन अग्रेनीत रिक्तियों के विरुद्ध बाद में हुआ है।

सचिवालय में टंकक पद समाप्ति की कार्यवाही

48–श्री शारदा प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 शासन के सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-5 द्वारा टंकक के पद को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो इसको कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

कार्यान्वयन की सीमा के विषय में विचार पूर्ण नहीं हुआ।

49–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

राम नगर मार्ग में पकड़ी गई किल्मोड़ा जड़ से लदी ट्रकों की जांच एवं कृत कार्यवाही

50–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री प्रश्नकर्ता द्वारा प्रथम सत्र 1985 के चौथे मंगलवार को पूछे गये अता0 प्रश्न सं0 183 के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि कथित सात ठेकेदारों में से क्या कोई ठेकेदार, किल्मोड़ा की जड़ों का वन विभाग से उचित रमन्ना/परमिट न होने के कारण रामनगर मार्ग में पकड़ा गया था ? यदि हां, तो वह कौन थे ?शासन ने इस संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी–

कथित सात ठेकेदारों में से श्री किशन सिंह, कुमातेश्वर मल्ला चौकोट, तहसील रानीखेत तथा श्री रघुवर दत्त तेवाड़ी, ग्राम धंगाली क्षेत्र नौगांव के किल्मोड़ा जड़ों की एक एक ट्रक दिनांक 28-1-85 को रामनगर में जांच हेतु रोकी गई थी । इन ट्रकों में नाप भूमि से निकाली गई किल्मोड़ा जड़ों के लिए पट्टी पटवारी द्वारा जारी किये गये रवन्नों में अंकित मात्रा से अधिक किल्मोड़ा की जड़ पाई गई जिसे प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग द्वारा जब्त करके नीलाम कर दिया गया ।

डिप्टी कलेक्टर बिक्रीकर के विरुद्ध राजस्व के गबन की शिकायत

51—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 942 वित्त राज्य मंत्री को तारीख 23-6-86 को व पत्र सं0 2102 मुख्य सचिव को तारीख 18-9-86 को मिला है ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई, कानपुर की जांच रिपोर्ट

52—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 96 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 4090 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 20-12-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तब पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच का क्या परिणाम रहा एवं किस-किस को अपराधी पाया गया एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य का प्रश्न में सन्दर्भित पत्र तो नहीं किन्तु पत्र संख्या-4090 दि0 17-12-86 प्राप्त हुआ था । जैसा कि प्रश्न में सन्दर्भित पूर्व प्रश्न संख्या-96 के उत्तर में बताया गया था, मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा जांच की जा रही है, किन्तु उसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । व्यापारी की कर-निर्धारण पत्रावलियों, दैनिक वसूली रजिस्टर, सी0 डी0 आर0 ट्रेजरी शिडयूल तथा बैंक स्काल पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई, कानपुर द्वारा काफी समय पूर्व अधिग्रहीत कर दिये गये थे और अभी वापस प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि जिन चालानों का लाभ दिया गया, वे कहां से प्राप्त हुए थे । फलतः इस समय दायित्व निर्धारण भी सम्भव नहीं है । उल्लेखनीय है कि फर्जी चालानों के लिए धारा-22 में किये गये संशोधन तथा निकाली गयी मांग के प्रति व्यापारी ने अपील की थी, जिसमें वाद प्रति-प्रेषित कर दिये गये थे । प्रति-प्रेषित वादों का निस्तारण बिक्रीकर अधिकरण द्वारा स्थगित है । प्रति-प्रेषित वाद के निस्तारण के समय ही अर्थदण्ड और ब्याज के सम्बन्ध में भी कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

राजस्व हानि के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

53—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के द्वितीय मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 167 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 2154 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 22-9-86 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । संदर्भित पत्र का उत्तर दे दिया गया है ।

आयुक्त बिक्री-कर बनाम फर्म डूंगमेटिक केमिकल्स के निर्णय विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

54—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 39 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 2100 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 12-9-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उक्त पत्र में कई बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी । इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि विधि के अनुसार कर-निर्धारण सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 4 वर्ष के भीतर ही किया जा सकता है । आदर्श स्थिति यह अवश्य है कि सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जितना शीघ्र हो सके, कर निर्धारण आदेश शीघ्र पारित कर दिया जाय । तथापि अधिकारियों की कमी के कारण ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं कि कर-निर्धारण कार्य को यथा-सम्भव अध्यावधिक कर दिया जाय किन्तु इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। इसी कारण कर-निर्धारण आदेश सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के 2-3 वर्ष बाद ही पारित हो पाते हैं और यही कारण है कि इस मामले में भी आदेश काफी समय बाद पारित हुआ। धारा 10 बी में वही मामले सुने जा सकते हैं, जिनमें अपील नहीं की गयी हो और चूंकि इस मामले में अपील की गयी थी, अपील के निर्णय के पश्चात् धारा 10 बी में कार्यवाही सम्भव ही नहीं थी । रिवीजन के निर्णय के पश्चात विवादित कर की धनराशि को देखते हुए उच्च न्यायालय में रिवीजन राजस्व हित में दायर किया गया। इस बात का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि यदि किसी बिन्दु पर उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है तो उसे दूसरे किसी मामले में नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि उच्च न्यायालय बाद में भिन्न मत व्यक्त कर सकता है । प्रस्तुत मामले में व्यापारी द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि में से 34,179.86 रु0 की वापसी योग्य धनराशि को वर्ष 1977-78 से मुजरा किया गया, तथा 1,623.25 रु0 वर्ष 79-80 में और 5,614,75 रु0 वर्ष 1974-75 के बकाया में समायोजित कर लिया गया । व्यापारी को कोई ब्याज अनुमन्य नहीं था। यह समस्त कार्यवाही राजस्व के हित में की गयी और मात्र इस कारण कि उच्च न्यायालय ने इसे छोड़ दिया, यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई राजस्व हानि हुई या उसके लिए कोई जिम्मेदार है।

बिक्री-कर विभाग में तर पदों की खरीद फरोक्त विषयक पत्र पर जांच

55—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 178 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 623 में मांगे गए बिन्दुओं पर जानकारी न दिए जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि तीन सचिवों की समिति ने इस शिकायती-पत्रों का परीक्षण किया था ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कैबिनेट गंज बंदरियाबाग में चतुर्थ श्रेणी के क्वाटर्स

56–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैबिनेट गंज बंदरिया बाग, लखनऊ में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टर्स बने हैं उनमें एक कमरा एक बरामदा है जबकि अन्य कालोनियों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर्स में एक कमरा एक किचन एक स्नान गृह तथा एक शौचालय बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसी तरह की सुविधा कैबिनट गंज बंदरिया बाग वाले क्वार्टर्स में भी देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कैबिनेट गंज बंदरियाबाग में चतुर्थ श्रेणी क्वार्टर्स में एक कमरा, एक बरामदा, एक किचेन तथा एक आंगन है । इन क्वार्टर्स में पृथक-पृथक शौचालय एवं स्नानगृह का निर्माण किये जाने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है ।

फर्रुखाबाद के छिबरामऊ में मुंसिफ एवं जुडीशियल न्यायालयों की स्थापना

57–श्री संतोष चतुर्वेदी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में मुंसिफ एवं जूडीशियल मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जायेगा और उक्त न्यायालय की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

तहसील छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने के लिये न्यायालय कक्ष एवं आवासिक भवन का निर्माण हो चुका है, परन्तु उनमें अभी चहारदीवारी, पहुंच मार्ग का निर्माण एवं जल तथा विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है । इन व्यवस्थाओं के पूर्ण होने पर ही उक्त न्यायालय की स्थापना के संबंध में समुचित निर्णय लेना सम्भव हो सकेगा ।

''मुरादाबाद–फर्रुखाबाद'' राज्य मार्ग संख्या 43 को चौड़ा करने पर व्यय धनराशि

58–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के मुख्य मार्गों को चौड़ा किये जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 85-86 में कोई धन आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो जनपद बरेली, जनपद मुरादाबाद, जनपद एटा, जनपद बुलन्दशहर, जनपद अलीगढ़ एवं जनपद फर्रुखाबाद के मुख्य मार्गों को चौड़ा करने के लिए कितना-कितना धन आवंटित किया गया जब कि यह समस्त मार्ग जनपद बदायूं से ही गुजरते हैं ? क्या सरकार इसका पूर्ण विवरण विधान सभा के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, नहीं । जनपद बदायूं के मुख्य मार्ग "मुरादाबाद-फर्रुखाबाद" राज्य मार्ग संख्या 43 के शहरी क्षेत्र के कि0मी0 103 को चौड़ा किये जाने एवं कि0मी0 104 के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रश्नगत वित्तीय वर्ष 1985-86 में 7.70 लाख रुपये का अनुदान विशेष मरम्मत की मद से आवंटित किया गया था ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 171-172 पर)

किसान सहकारी चीनी मिल बदायूं में दुरुपयोग की जांच

59–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 1985 जो कि किसान सहकारी चीनी मिल, बदायूं में वाहनों के कथित दुरुपयोग की शिकायत के संबंध में था, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो इस शिकायती-पत्र के आधार पर किस अधिकारी से जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-11-85 प्राप्त हुआ । शिकायतों पर जांच किसान सहकारी चीनी मिल, बदायूं के वर्तमान प्रधान प्रबन्धक से करायी गयी । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

60–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बस्ती में, अन्तर्ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की लम्बाई

61–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 से अब तक गन्ना विकास विभाग द्वारा जनपद बस्ती में अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत कुल कितना कि0मी0 लम्बी कच्ची तथा पक्की सड़कों का निर्माण किया गया ? क्या मंत्री जी इस योजना के अन्तर्गत जनपद के अन्दर बनाई गयी सड़कों की सूची लम्बाई के सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे और क्या यह भी बतायेंगे कि इनमें से कौन-कौन सी सड़कें कच्ची (मिट्टी का कार्य) सोलिंग अथवा पेन्टेड हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत सड़कों का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 173-174 पर)

गोरखपुर के पिपराईच एवं सरदार नगर में गन्ना विकास परिषद् द्वारा सड़कों का निर्माण

62–श्री सैयद जावेद अली–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के पिपराईच विधान सभा क्षेत्र जहां से दो मिलों में गन्ना जाता है एवं पिपराईच चीनी क्षेत्र के अन्दर है, में गन्ना विभाग द्वारा 1985-86 में कोई सड़क निर्माण एवं मरम्मत का कार्य नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या 1986-87 में गन्ना विभाग द्वारा सड़क निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद गोरखपुर के पिपराईच विधान सभा क्षेत्र में गन्ना विभाग द्वारा गन्ना विकास परिषद् पिपराईच एवं सरदारनगर में वर्ष 1985-86 में धन उपलब्ध न होने के कारण सड़क निर्माण एवं मरम्मत का कोई कार्य नहीं कराया गया । वर्ष 1986-87 में भी परिषदों के बजट में धन उपलब्ध न होने के कारण सड़क निर्माण एवं मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका ।

साप्ताहिक पत्रों को विज्ञापन संबंधी मान्यता

63–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि साप्ताहिक पत्रों के विज्ञापन संबंधी मान्यता के सिलसिले में अनेक प्रार्थना-पत्र निदेशालय स्तर पर विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उन पर निर्णय कब तक हो जायेगा ? क्या यह सही है कि जनपद गोरखपुर के सभी पत्रों को मान्यता जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो प्रदेश के अन्य सभी जिलों को नकारने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती दीपा–

जी हां ।

विज्ञापन मान्यता नियमों के अन्तर्गत उनकी पात्रता सिद्ध हो जाने पर मान्यता दी जा सकेगी ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई में बिलग्राम से मल्लावां तक के मार्ग को चौड़ा कराने की मांग

64–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सा0नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बिलग्राम शाहाबाद रोड पर बिलग्राम से मल्लावां तक कुछ कि0मी0 सड़क चौड़ा करने से छूट गई है ? यदि हां, तो क्या उस छूटे हुए मार्ग को भी चौड़ा कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

65–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

पन्नी जी शुगर मिल, बदायूं में फैक्ट्री मैनेजर की अनियमित नियुक्ति

66–श्री किरन पाल सिंह–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर की चीनी निगम की चीनी मिल (पन्नी जी शुगर मिल) में एक ही पद पर दो व्यक्ति फैक्ट्री मैनेजर तथा एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर के रूप में कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि चीनी निगम में फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट को गत वर्ष समाप्त कर दिया गया था? यदि हां, तो अब तक फैक्ट्री मैनेजर

किन परिस्थितियों में नियुक्ति पाये हुए हैं? क्या यह सही है कि वर्तमान जनरल मैनेजर ने फैक्ट्री मैनेजर की 500/- प्रति माहवार अक्टूबर, 85 से (भूतकालिक प्रभाव) वेतन वृद्धि कर दी गई है? यदि हां, तो क्या जनरल मैनेजर को इस बात का अधिकार था? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अधिग्रहण) (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संशोधन मूल उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम (1971) की धारा 16 के अन्तर्गत निगम द्वारा अधिगृहीत उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था है। यह कार्यवाही तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण हो जानी चाहिये। प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यवाही के पूर्ण होने के पूर्व ही बुलन्दशहर इकाई के सामान्य प्रबन्धक ने फैक्ट्री मैनेजर को अधिग्रहण के समय उन्हें दिये जा रहे वेतनमान पर निगम में उक्त वेतनमान पर अनुमन्य भत्ता प्रदान कर दिया जो अनियमित था। सामान्य प्रबन्धक द्वारा की गयी त्रुटि के लिये उन्हें चेतावनी दे दी गई है और इस मामले में अन्तिम निर्णय तक फैक्ट्री मैनेजर को प्रदान किये गये अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के भुगतान को रोकने के आदेश दे दिये गये हैं।

67–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश कार्य (बंटवारा) नियमावली का मुद्रण

68–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कार्य (बंटवारा) नियमावली, 1972 तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय के अनुभागों/विभागों के बीच कार्य का बंटवारा नियमावली (1-4-78 तक संशोधित के बाद) अब तक क्यों नहीं छापी गयी तथा क्या मंत्री जी इसे यथाशीघ्र छपवाने की कृपा करेंगे जिससे सरकारी कार्य निपटाने में सुविधा हो सके?

श्री वीर बहादुर सिंह–

1978 के पश्चात् से सचिवालय के विभागों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई तथा उनके मध्य युक्तिसंगत रूप से कार्य बंटवारा करने के पश्चात् नियमावली को अद्यावधिक करने में समय लगा। अब अद्यावधिक नियमावली छपने हेतु प्रेस भेजी जा चुकी है।

69-71–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

72–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

गोरखपुर जिला योजना में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत धन

73—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 से 1987-88 अप्रैल तक गोरखपुर जिला योजना में किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी? क्या यह सच है कि प्रत्येक विधान सभा के विकास कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि में भारी विषमता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत "जिला" को नियोजन की इकाई माना गया है और परिव्यय का आवंटन जिलावार होता है न कि विधान सभा क्षेत्रवार। अतः विधान सभा क्षेत्रवार परिव्यय आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए विधान सभा क्षेत्रवार विकास कार्यों के लिए धनराशि का आंकलन संभव नहीं है।

74—श्री मित्रसेन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

75—76—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

77-80—श्री राम सजीवन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

81—श्री राज किशोर सिंह—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

गाजियाबाद शहर में पालिटेकनिक कालेज की स्थापना

82—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद शहर में पालिटेकनिक कालेज खोलने पर क्या शासन द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गाजियाबाद में वर्ष 1981-82 में एक राजकीय पालीटेकनिक की स्थापना की जा चुकी है।

83—श्री जयदीप सिंह बरार—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को श्री घुरमारी सिंह, निवासी ग्राम सुहरपुर, आजमगढ़ द्वारा की गई ईंटों की आपूर्ति का भुगतान

84—श्री राम नरेश यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री घुरमारी सिंह, निवासी ग्राम सुहरपुर, जनपद आजमगढ़ को उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा सन् 81 में ईंट का भट्ठा लगाने एवं ईंट सप्लाई करने का ठेका दिया गया था? यदि हां, तो उनका लगभग 2 लाख रुपये बकाये का भुगतान बार-बार उनके द्वारा लिखे जाने पर भी क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । श्री घुरमारी सिंह द्वारा निर्माण निगम से रु0 1,08,196.06 के भुगतान की मांग की गई है जबकि निर्माण निगम को उनके द्वारा किये गये कार्यों का मात्र रु0 33,258 का क्लेम ही मान्य है । अब श्री सिंह ने अपने कथित क्लेम के संबंध में सिविल जज, लखनऊ के न्यायालय में एक वाद दायर कर दिया है जिसका निगम द्वारा विरोध किया जा रहा है ।

देहरादून क्षेत्र स्थित सहस्त्र धारा-क्यारा मार्ग के निर्माण की मांग

85–श्री किशोरी लाल सकलानी–

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहस्त्र धारा-क्यारा मार्ग क्यों बन्द कराया गया है जबकि यह क्षेत्र देहरादून जनपद के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में है ? क्या इस मार्ग के निर्माण पर पुन: विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी–

इस मोटर मार्ग के निर्माण में 12.09 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण का मामला निहित था । वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण हेतु भारत सरकार की अनुमति न मिलने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य बन्द कराया गया ।

जी नहीं ।

उक्त मार्ग का निर्माण देहरादून को उन्मुख दक्षिणी क्षेत्र की अत्यधिक ढालू एवं अस्थिर चट्टानों पर प्रस्तावित है, जिससे भूस्खलन होने के खतरे की सम्भावना होने के कारण मार्ग के निर्माण की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है ।

श्री अमर नाथ सिंह, डी0 एम0 गोण्डा के लखनऊ स्थित भवन लागत की जांच

86–श्री फजलुल बारी–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या श्री अमरनाथ सिंह, जिलाधिकारी, गोण्डा को उनके पूर्व सेवाकाल में कोई गृह निर्माण अग्रिम स्वीकार किया गया है? यदि हां, तो कब और कितना ? क्या यह सही है कि श्री अमरनाथ सिंह ने लखनऊ में अपना जो भवन बनवाया है उसकी लागत 7 लाख रुपये से अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । श्री अमरनाथ सिंह को 48,300 रुपये का भवन निर्माण अग्रिम उनके पूर्व सेवा काल में दिनांक 24 मार्च, 1978 को स्वीकृत किया गया था।

भवन की कुल लागत 7 लाख रुपये से अधिक होने की सूचना शासन में उपलब्ध नहीं है ।

87–श्री शारदा नन्द अंचल–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बुलन्दशहर में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की स्थायी नियुक्ति की मांग

88—इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की स्थायी नियुक्ति किन परिस्थितियों में अब तक नहीं की गयी है और इस पद पर नियुक्ति, एल0आर0 मैनुअल के अनुसार एडहाक के आधार पर कितने दिन के लिये की जा सकती है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जनपद बुलन्दशहर में जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर अभी तक नियुक्ति का निर्णय इसलिये नहीं लिया जा सका है कि नियुक्ति का निर्णय लेने में अभी तक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं हो पायी है जो की जा रही है । एडहाक नियुक्ति करने का विधि परामर्शी निर्देशिका में कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम बंशीनगर को वन विभाग की भूमि का हस्तान्तरण

89—श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री के निर्देश एम 4/85-32 सी0 एम0 2/85 दिनांक 6-9-85 के अनुसार बंशीनगर ग्राम जनपद बुलन्दशहर के 2400 बीघा वन विभाग भूमि का ग्राम समाज को हस्तान्तरण के संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जफर अली नकवी—

प्रश्नकर्ता के दिनांक रहित पत्र पर मुख्य मंत्री जी ने वन राज्य मंत्री के स्तर पर एक बैठक बुलाकर आवश्यक निर्णय लेने के सम्बन्ध में दिनांक 6-9-85 को निर्देश दिए थे। बैठक आयोजित करने से पूर्व वन विभाग के अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आख्या भेजने के निर्देश दिये गये । अपेक्षित आख्या अब प्राप्त हो गयी है जिस पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद झांसी में गरौठा मारकुआं मार्ग पर लखेरी नदी पर पुल निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

90—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र श्री ओम प्रकाश खरे, निवासी गरौठा (झांसी) के संलग्न प्रार्थना-पत्र सहित गरौठा मारकुआं मार्ग पर बने लखेरी नदी के पुल के पहुंच मार्ग हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के मुआवजा के संबंध में 7 नवम्बर, 86 का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई और मुआवजा कब तक वितरित कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी, झांसी तथा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, झांसी को मुआवजे के तुरन्त भुगतान करने की कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये है ।

2—प्रश्नगत भूमि के अर्जन हेतु धारा 4 व 6 की अधिसूचनायें जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है । अधिसूचनाओं के गजट में प्रकाशन तथा अभिनिर्णय घोषित होने के पश्चात् प्रतिकर का भुगतान किया जाना सम्भव होगा ।

91–श्री राजेन्द्र सिंह–

[दिनांक 30.6.87 को अता0 प्र0 सं0 32 द्वारा उत्तरित]

92–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

भरथाना जनपद इटावा में फर्जी चालानों द्वारा बिक्री-कर जमा करने के विरुद्ध कार्यवाही

93–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में बिक्री-कर कार्यालय, जनपद इटावा में बिक्री-कर फर्जी चालानों के द्वारा जमा करने के लिये कितनी फर्में दोषी पाई गयी थीं और उनमें कितनी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी तथा जिनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी, उनके लिये कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

भरथना जनपद इटावा के बिक्री-कर कार्यालय से संबंधित 22 फर्में दोषी पाई गई थीं। इनमें से 3 फर्मों के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी तथा 5 फर्मों के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई । शेष 14 फर्मों के व्यापारियों से पंजीयन शुल्क की धनराशि को विलम्ब शुल्क सहित जमा करा लिया गया था । धनराशि छोटी होने के कारण इन व्यापारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गई । फर्जी चालानों के लिए 3 लिपिक सर्वश्री राधा रमण तिवारी, आशु-लिपिक, सुरेश चन्द्र खाता-पालक तथा डी0 बी0 दीक्षित आलेखक प्रालेखक दोषी पाए गए थे । जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

गाजीपुर की तहसील सैदपुर के भूतपूर्व मुंसिफ मजिस्ट्रेट, श्री कृष्ण आशीष भट्टाचार्य के त्याग-पत्र की जांच

94–श्री अफजाल अंसारी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के मुंसिफ मजिस्ट्रेट, श्री कृष्ण आशीष भट्टाचार्य ने जनवरी, 1987 में अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था? यदि हां, तो किन कारणों से उनका त्याग-पत्र अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है ? क्या इस विषय पर कोई जांच की गई ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राज्य सरकार को श्री कृष्ण आशीष भट्टाचार्य, भूतपूर्व मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सैदपुर, जनपद गाजीपुर (सम्प्रति जुडीशियल मजिस्ट्रेट) रेलवे, (पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी) का सेवा से त्याग-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से जानकारी प्राप्त की गई । उन्होंने जिला जज, गाजीपुर से तथ्यात्मक आख्या भेजने को कहा है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

95–96–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

फैजाबाद की दरवन झील को पक्षी बिहार केन्द्र के रूप में विकसित करने की मांग

97—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में स्थित दरवन झील को पक्षी बिहार केन्द्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी—

जी नहीं ।

प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों को पक्षी बिहार के रूप में विकसित करने की नई योजना 1987-88 से आरम्भ की जा रही है । सीमित संसाधनों आदि के कारण यह कार्य चरणों में किया जायेगा । पहले चरण में प्रदेश की 15 अधिक महत्वपूर्ण झीलों को लिया जा रहा है, जिसमें दरवन झील सम्मिलित नहीं है ।

श्री विष्णु देव मिश्र, ए0 डी0 जी0, क्रिमिनल, आजमगढ़ के विरुद्ध श्री राधेश्याम पाठक द्वारा दिया गया आरोप-पत्र

98—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ निवासी, श्री राधे श्याम पाठक का श्री विष्णु देव मिश्र, ए0 डी0 जी0 क्रिमिनल आजमगढ़ के विरुद्ध आरोप सम्बन्धी कोई पत्र दिनांक 18-3-86 उनको मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जी नहीं ।

कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कर्मचारियों हेतु विभिन्न सुविधाओं तथा पारिवारिक पेंशन आदि प्रदान करने की मांग

99—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ जिसके माननीय मुख्य मंत्री पदेन अध्यक्ष हैं, के कर्मचारियों को स्थायीकरण, नकदीकरण, बोनस, भवन अग्रिम पदोन्नति, अनिवार्य जमा कटौतियां, (जी0 पी0 एफ0/सी0 पी0 एफ0) संयुक्त बीमा योजना, चिकित्सा भत्ता, प्रतिकर अवकाश, अग्रिम ऋण, वाहन अग्रिम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी आदि की सुविधाएं उन्हें वर्ष 1979 जब से संस्थान पुनर्गठित हुआ है, मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । मामला शासन के विचाराधीन है ।

100—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान, लखनऊ के कर्मचारियों को संस्थान भंग होने की दशा में अन्य विभागों में विलीन करने तथा यदि किसी कर्मचारी की आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को शासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने का कोई शासकीय नियम है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

संस्थान को भंग करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । अतः संस्थान के कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आकस्मिक दुर्घटना होने पर संस्थान के कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

तत्कालीन सूचना राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) का सूचना निदेशक के नाम पत्र

101—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सूचना मंत्री द्वितीय सत्र 86 के 2रे मंगलवार के लिये अता0 प्र0 सं0 7 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कथित पत्र के कार्यालय में प्राप्त न होने तथा उल्लिखित वांछित सूचना लम्बे समय बीतने पर भी 15 अप्रैल, 1987 तक उपलब्ध न कराये जाने के लिये कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी थे ? प्रश्नगत पत्र में वांछित सूचना प्रश्नकर्ता को कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्रीमती दीपा—

पत्र उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि माननीय सदस्य ने क्या जानकारी चाही थी । इसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है ।

माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने पर उनको वांछित जानकारी दी जा सकेगी ।

सा0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत भूमि अध्याप्ति अमीनों के स्थायीकरण की मांग

102—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या 5004 (2) आई0 जी0-23 सा0 नि0 वि0-अनु0 5-133 आई0 जी0-72 दिनांक 23-10-72 द्वारा स्वीकृत सा0 नि0 वि0 पिथौरागढ़ के अधिष्ठान के अन्तर्गत भूमि अध्यापित के अमीनों को अन्य जिलों से कम वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषमता को दूर करने की कृपा करेगी ? साथ ही क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1972 में स्वीकृत ऐसे अमीनों के पदों का स्थायीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन पदों के इतने लम्बे अंतराल तक अस्थायी रहने का क्या औचित्य है ? इस हेतु 15 अप्रैल, 87 तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनपद पिथौरागढ़ के अधिष्ठान अंतर्गत स्थापित भूमि अध्याप्ति दल में कार्यरत अमीनों को स्वीकृत रु0 330–495 का वेतनमान ठीक है। अन्य जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के वृत्तों, जिनमें भूमि अध्याप्ति दल स्थापित हैं, के अमीनों को उच्च वेतनमान त्रुटिवश मिल रहे थे। शासन ने शासनादेश दिनांक 15-2-86 द्वारा इस त्रुटि के निराकरण के लिए उक्त वृत्तों में कार्यरत अमीनों का मूल वेतन रु0 330–495 के वेतनमान में सुरक्षित करने के आदेश जारी कर दिये हैं। अतः अब सार्वजनिक निर्माण विभाग के जनपद पिथौरागढ़ एवं अन्य जनपदों के वृत्तों में तैनात अमीनों के वेतनमान में विषमता नहीं है।

प्रश्नगत अस्थाई पदों की वर्षानुवर्ष निरन्तरता के अभाव में इनके स्थाईकरण के बारे में कार्यवाही नहीं की जा सकी। इनकी निरन्तरता जारी करने के लिए प्रमुख अभियंता से प्रस्ताव मांगा गया है जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

कुमाऊं विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री जगदीश चन्द्र बेलवाल की पैतृक विभाग में प्राप्त वेतन सुविधाएं

103–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या पर्वतीय विकास मंत्री प्रश्नकर्ता द्वारा प्रथम सत्र 86 के 6ठे मंगलवार को पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश चन्द्र बेलवाल को प्रतिनियुक्ति से पूर्व पैतृक विभाग में कौन सा वेतनमान व सुविधाएं प्रदत्त थीं तथा कुमाऊं विकास निगम में इनकी प्रतिनियुक्ति के बाद से इन्हें किस वेतनमान में किन-किन सुविधाओं के साथ रखा गया है? श्री बेलवाल ने प्रतिनियुक्ति के बाद से 15 अप्रैल, 87 तक वर्षवार कितना यात्रा भत्ता तथा अन्य मानदेय प्राप्त किये? शासनादेशों व शासननीतियों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने की अधिकतम अवधि क्या है? क्या वह इस अवधि को पूर्व में ही पूरा कर चुके हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री जगदीश चन्द्र बेलवाल इस निगम में प्रतिनियुक्ति से पूर्व पैतृक विभाग में रुपये 550–1200 रु0 (पुराना वेतनमान) नया वेतनमान रु0 850–1720 प्राप्त कर रहे थे। इन्हें इस निगम में इसी वेतनमान में 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ते की सुविधा सहित मूल वेतन पर नियुक्त किया गया था। इन्हें 1-7-82 से उच्चतर वेतनमान रु0 1250-2050 रु0 प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की गयी। श्री बेलवाल ने प्रतिनियुक्ति के बाद 13-4-87 तक (इसके उपरान्त उन्हें उनके मूल विभाग में वापस कर दिया गया) वर्षवार निम्न प्रकार यात्रा भत्ता/बोनस प्राप्त किया।

यात्रा भत्ता वित्तीय वर्ष	धनराशि रु0
1980-81 (19-7-80 से 31-3-81 तक)	971·35
1981-82	5675·00
1982-83	3874·40
1983-84	13059·20
1984-85	8895·60
1985-86	11914·25
1986-87 (1-4-86 से 1-7-86 तक) (1-8-86 से 13-4-87 अपराह्न तक)	4603·30
	54620·50

बोनस वित्तीय वर्ष	
1980-81	450·80
1981-82	750·00
1982-83	—
1983-84	—
1984-85	—
1985-86	—
1986-87	—
1986-87 (13-4-87 तक)	
	1200·80

इन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है । शासनादेश संख्या जी-1-3033/दस-534 (46)/76 दिनांक 14-12-82 के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक अधिकतम 5 वर्ष तक प्रनियुक्ति पर बने रह सकता है । श्री बेलवाल प्रतिनियुक्ति की इस अवधि को दिनांक 18-7-85 को पूर्व कर चुके थे परन्तु शासनादेश संख्या-यू0 ओ0/281/ई जी 23/सा0 नि0 अनु-5 दिनांक 23-9-85 द्वारा पुनः पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार एक वर्ष के लिये अर्थात 18-7-86 तक बढ़ाया गया था ।

जी हां, वह इस अवधि को पूर्व में ही पूरा कर चुके थे ।

104—श्री पारस नाथ यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

जनपद आगरा के बरहन आवल्यखेड़ा मार्ग के निर्माण में घोटाले की जांच

105—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा जिले में बरहन आवल्यखेड़ा मार्ग से बैनई कलां मार्ग वर्ष 1985-86 में खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत हुआ था? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस मार्ग पर अभी

तक अर्थ वर्क व पुलियों का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है और इसमें भारी घोटाला पुलियों के निर्माण में सीमेन्ट की बहुत कम मात्रा के आधार पर किया गया है और मार्ग पर गिट्टी पत्थर भी निर्धारित मात्रा से बहुत कम डाला गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त मार्ग की मौके पर प्रश्नकर्ता की मौजूदगी में जांच कराने की कृपा करेंगे तथा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की भी कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मार्ग (लम्बाई 2 कि0 मी0) दिसम्बर, 1985 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत खड़ंजा स्तर तक निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था।

इस मार्ग के प्रथम 1 किमी0 का भाग खड़ंजा स्तर तक पूर्ण है। शेष 1 किमी0 में (150 मी0 लम्बाई को छोड़कर) पूरी लम्बाई में मिट्टी पुलिया स्तर तक कार्य पूर्ण है और खड़ंजा स्तर का कार्य प्रगति पर है। उक्त 150 मी0 लम्बाई में न्यायालय के स्थगनादेश के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार पुलियों तथा मार्ग के निर्माण में क्रमशः सीमेन्ट एवं पत्थर गिट्टी आदि का प्रयोग सा0 नि0 विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप ही किया गया है।

आगरा जलेसर मार्ग पर निर्मित पुलियों में घटिया सामग्री का प्रयोग

106–श्री चन्द्रभान मौर्य–

क्या सा0 निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र आगरा जनपद में आगरा जलेसर मार्ग पर बासमोहन सहाय से गढ़ी सहजा मार्ग बाया अरेला 1985-86 की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत हुआ था और इसी योजना में चावली से बुर्जकृपा मिट्टी पुलिया स्तर तक वर्ष 1986-87 में स्वीकृत हुआ था? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि प्रथम मार्ग के निर्माण में गिट्टी पत्थर निर्धारित मात्रा से बहुत ही कम मात्रा में लगाया गया है और दूसरे मार्ग में पुलियों के निर्माण में घटिया किस्म की ईंट तथा सीमेन्ट का प्रयोग कम और बालू की मात्रा अधिक लगाकर सरकारी धन का घोटाला किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त मार्गों की मौके की जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत प्रथम मार्ग के निर्माण में गिट्टी पत्थर का प्रयोग निर्धारित मात्रा में तथा दूसरे मार्ग की पुलियों का निर्माण सा0 नि0 विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप ही किया गया है। अतएव जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के क्षेत्र उसमानपुर से शेरखां मार्ग पर निर्मित पुलियों में घटिया सामग्री का प्रयोग तथा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

107–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सा0 नि0 वि0 मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र उसमानपुर से शेरखां मार्ग व टेढ़ी बगिया जलेसर मार्ग से रूपधयू की पुलिया होते हुए बाधनू ग्राम तक वर्ष 1986-87 में मिट्टी पुलिया स्तर तक कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में स्वीकृत

हुए थे? यदि हां, तो इन मार्गों के निर्माण में मजदूरों को गेहूं न दिये जाने और अर्थवर्क अब तक न हो पाने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि पुलियों के निर्माण में पीली ईंट तथा सीमेन्ट कम और अधिक बालू से चुनाई की गई है जिसे पुलियों का टूटना भी निर्माण के साथ ही शुरू हो गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

मजदूरों को गेहूं वितरित किया जा चुका है और स्वीकृति के अनुसार मिट्टी पुलिया स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण है।

कोई पुलिया टूटी नहीं है।

जनपद आगरा अन्तर्गत कुबेरपुर से रामपुर रहनकलां अपूर्ण मार्ग को पूरा कराने की मांग

108–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में आगरा जिले में कुबेरपुर से रामपुर रहनकलां मार्ग वर्ष 1984-85 में राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत खड़ंजा स्तर तक स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो इस मार्ग का शेष 2.1 कि0मी0 का निर्माण अभी तक पूरा न होने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि मार्ग में पुलियों के निर्माण में सीमेन्ट के नाम पर बालू से चिनाई की गई है तथा अवर अभियन्ता ने इस मार्ग के निर्माण के लिए निर्धारित सीमेन्ट को अपने आगरा में बन रहे मकान के निर्माण में लगाकर सरकारी धन की खुली लूट की है? क्या मा0 मंत्री जी इस घोटाले की जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

100 मी0 लम्बाई को छोड़कर शेष में कार्य स्वीकृति के अनुसार पूर्ण है।

मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित मात्रा के अनुसार सीमेन्ट और बालू का प्रयोग निर्माण कार्य में किया गया है। अन्वेषणालय से भी जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद आगरा के उसमानपुर से चिरहुली तथा बरहन से मुखवार मार्ग निर्माण में धन का दुरुपयोग

109–श्री चन्द्र भान मौर्य–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उसमानपुर से चिरहुली होते हुए चावली मार्ग खड़ंजा स्तर तक 1984-85 में तथा बरहन से मुखवार चावली मार्ग वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना में स्वीकृत हुए थे? यदि हां, तो प्रथम मार्ग पर पत्थर का काम अभी तक पूरा न होने और दूसरे मार्ग पर मिट्टी पत्थर निर्धारित मात्रा से बहुत कम तादात में डालने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि इन मार्गों के निर्माण में निर्धारित मानकों का प्रयोग न करके बड़े रूप में धन का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के (किमी0 1 में 150 मी0 लम्बाई को छोड़कर) शेष पूरी लम्बाई में कार्य प्रगति पर है तथा दूसरे बरहन से मुख्यवर मार्ग पर गिट्टी पत्थर का प्रयोग निर्धारित मात्रा में ही किया गया है।

उक्त किमी0 1 में 150 मी0 लम्बाई में न्यायालय के स्थगनादेश के कारण कार्य नहीं कराया जा सका। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया किया गया है। अतएव सरकारी धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

110–111–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

112–श्री भगौती सिंह–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

जनपद मथुरा में रिक्त डी0 जी0 सी0 के पद पर नियुक्ति की मांग

113–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या न्याय मंत्री की जानकारी में है कि मथुरा जनपद में डी0 जी0 सी0 का पद रिक्त पड़ा है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार अविलम्ब डी0 जी0 सी0 की नियुक्ति पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जी हां।

जून, 1985 से डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल) का पद रिक्त पड़ा है। जिला मजिस्ट्रेट से उक्त पद पर प्रस्ताव शासन को 18 फरवरी, 1986 को प्राप्त हुआ है। शासन द्वारा उक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

जनपद मथुरा के क्षेत्र मांट में चीनी मिल खोलने की मांग

114–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद जो गन्ना उत्पादन का बड़ा केन्द्र है, में केवल एक छाता शुगर मिल है जो सिर्फ छाता तहसील का ही गन्ना ले पाती है मांट तहसील का गन्ना साथा सहकारी चीनी मिल, अलीगढ़ को एलाट कर दिया जाता है जो कभी भी किसानों को गन्ना नहीं लेती है? यदि हां, तो क्या सरकार मांट क्षेत्र में जहां गन्ना का उत्पादन काफी अधिक है तथा गन्ने में रिकवरी प्रतिशत भी काफी अधिक है, में गन्ना शुगर मिल खोलने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मथुरा जनपद में केवल एक छाता शुगर मिल है जो छाता तथा मथुरा तहसीलों का गन्ना पेरती है। मांट तहसील का गन्ना सहकारी चीनी मिल साथा को अभ्यर्पित किया जाता है जो अपनी आवश्यकतानुसार किसानों का गन्ना खरीदती है।

जनपद मथुरा की तहसील मांट में चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस की स्वीकृति का प्रस्ताव वर्ष 1980 में भारत सरकार को भेजा गया था किन्तु भारत सरकार ने गन्ने की कम उपलब्धता के आधार पर पत्र दिनांक 17-11-1981 द्वारा प्रस्ताव को अन्तिम रूप से निरस्त कर दिया। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चीनी मिलों की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन्स के अनुसार नई स्थापित होने वाली चीनी मिल 2500 टी सी0 डी0 से कम क्षमता की नहीं होगी तथा प्रस्तावित चीनी मिल क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होना चाहिए और उक्त स्थल किसी वर्तमान चीनी मिल से 40 किलोमीटर की परिधि में नहीं होना चाहिए। मांट क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत न आने से वहां चीनी मिल की स्थापना का औचित्य नहीं बनता ।

115–श्री यदुनाथ सिंह–

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

बुन्देलखण्ड के जनपदों से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की प्रसार संख्या

116–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड (झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर जिले) में किस-किस स्थान से कौन-कौन सा दैनिक समाचार पत्र निकल रहा है और वर्ष 86 में किस-किस दैनिक की औसत प्रसार संख्या क्या रही? किस पत्र को किस दर पर सूचना निदेशालय से विज्ञापन मान्यता दी गयी है और किस-किस पत्र को कितना कागज का कोटा दिया जा रहा है?

श्रीमती दीपा–

उत्तर से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 175-176 पर)

बुन्देलखण्ड मण्डल से विज्ञापन हेतु प्रकाशित साप्ताहिक पत्र

117–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड से प्रकाशित होने वाले किस-किस साप्ताहिक पत्र को किस-किस दर पर विज्ञापन स्वीकृति प्राप्त है और इसमें से प्रत्येक की प्रसार संख्या कितनी है?

श्रीमती दीपा–

बुन्देलखण्ड मण्डल के 22 साप्ताहिक पत्र प्रदेश शासन के विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त हैं। इनको अनुमन्य दर तथा इनकी प्रसार संख्या से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 177-178 पर)

बुन्देलखण्ड से प्रकाशित सान्ध्य दैनिक पत्र

118–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कहां-कहां से कौन-कौन से सान्ध्य दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं? किस सान्ध्य दैनिक का प्रकाशन कब से हो रहा है और प्रत्येक की प्रसार संख्या क्या-क्या है?

श्रीमती दीपा–

इस समय बुन्देलखण्ड क्षेत्र से कोई सान्ध्य दैनिक का प्रकाशन नहीं हो रहा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगत सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त मेरठ के विरुद्ध जांच

119–श्री कनक सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगत सिंह संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ की मेरठ मण्डल आयुक्त द्वारा की जा रही जांच पूर्ण हो गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी तथा विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगत सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त मेरठ के विरुद्ध जांच

120–श्री कनक सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 44 के सन्दर्भ में क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रोवेशन एण्ड कन्ट्रोल आफ पाल्युशन एक्ट, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत मिल कि अब भी चीनी मिल सिंभावली द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है और प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने में सरकार कब तक कामयाबी हासिल कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंभावली सुगर मिल सिंभावली, जनपद गाजियाबाद को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत 19/20 अगस्त, 1986 को नोटिस दिया गया था । इसके प्रत्युत्तर में उद्योग ने दिनांक 30-8-1986 को बोर्ड से सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भेजा । उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पर्याप्त व्यवस्था न किए जाने के कारण उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग की सहमति प्रदान नहीं की गयी । इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस उद्योग को न चलाने तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत जानकारी बोर्ड को देने हेतु दिनांक 19-1-1987 को नोटिस दिया गया था । यह सही है कि अभी तक चीनी मिल सिंभावली द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गयी है और बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है । उद्योग द्वारा यह सूचित किया गया है कि वे अगले पेराई सीजन के पूर्व शुद्धिकरण की आवश्यक व्यवस्था अवश्य करेंगे । उद्योग को पूर्ण शुद्धिकरण व्यवस्था कर चलाने की नोटिस दिनांक 24-6-1987 को पुनः जारी की गयी है । यह निश्चित रूप से बता पाना कठिन है कि इस प्रदूषण को रोकने में सरकार कब तक कामयाबी हासिल करेगी लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

गन्ना आयुक्त के आदेशों का चीनी निगम में अनुपालन

121—श्री कनक सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के 2रे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 40 के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना आयुक्त के निर्देशों का कितना पालन मिलों द्वारा किया गया था तथा कितनी प्रगति अब तक हो पाई है ? यदि पालन नहीं हुआ, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गन्ना आयुक्त, उ0 प्र0 के परिपत्र संख्या—2/सी/क्रय/प्रशमन, दिनांक 21 अप्रैल, 1986 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों में एक तथा सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत चीनी मिलों में 17 आटोमेटिक वेविज स्थापित किए जा चुके हैं। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

122—श्री हर्ष वर्धन—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

उ0 प्र0 चलचित्र निगम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों द्वारा भूख हड़ताल

123—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 चलचित्र निगम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों पर बल प्रदान करने के लिए निगम के मुख्यालय लखनऊ में दिनांक 15 जून, 86 के आस-पास किसी दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती दीपा—

जी हां।

उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित थीं:—

1—उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम कर्मचारी संघ को निगम के निदेशक मण्डल में प्रतिनिधित्व प्राप्त कराया जाये।

2—कर्मचारियों के हितार्थ सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाय।

3—संघ के कार्यालय हेतु कक्ष उपलब्ध कराया जाए।

4—कार्यालय परिसर में साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड हेतु छाया की व्यवस्था की जाए।

5—उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम कर्मचारी संघ को विभागीय मान्यता प्रदान की जाए।

मांग सं0—1 व 5 के बारे में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का परामर्श प्रतीक्षित है।

मांग सं0—2 व 4 पर चलचित्र निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मांग सं0—3 पर संघ को मान्यता प्रदान किए जाने के निर्णय के बाद ही विचार करना सम्भव होगा।

सा0 नि0 वि0 में वृत्तीय कार्यालय के लिपिकों को खण्डीय वर्ग के लिपिकों की भांति उच्चीकृत वेतन

124—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सार्व0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में वृत्तीय कार्यालय के लिपिकों को खण्डीय वर्ग के लिपिकों की भांति उच्चीकृत वेतनमान की सुविधा प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर लिये गए निर्णयानुसार जिला/तहसील/खण्ड स्तर के कार्यालयों में लिपिकीय पदों पर स्टाफिंग पैटर्न के अधीन उच्च वेतनमान प्रदान किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के वृत्तीय कार्यालय उक्त श्रेणी के कार्यालयों में नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग के वृत्तीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों पर पहले से ही उच्च वेतनमान स्वीकृत हैं और वृत्तीय कार्यालयों के लिपिकीय कर्मचारियों को प्रमुख/मुख्य अभियन्ता के कार्यालयों में पदोन्नति के अवसर भी सुलभ हैं। अतः उन कार्यालयों में उच्चीकृत वेतनमानों की सुविधा प्रदान नहीं की गई है ।

लखनऊ विधायक आवासों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों की भांति अन्य दैनिक वेतन भोगियों को बोनस

125—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विधायक आवासों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी नियमित कर्मचारियों को वर्ष 85 का बोनस (23 दिन का) दे दिया गया है, परन्तु इसी स्तर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस न दिए जाने का क्या कारण है? क्या उन्हें बोनस अनुमन्य नहीं है ? यदि हां, तो भेद का कारण क्या है ? यदि अनुमन्य है, तो उन्हें बोनस का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

वर्ष 1985 के सभी पात्र दैनिक दर कर्मचारियों को भी बोनस दिया जा चुका है । प्रश्न नहीं उठता ।

आयुक्त, बिक्रीकर बनाम देव लाल मुन्ना लाल में हुए निर्णय के विषय में कृत कार्यवाही पर जानकारी की मांग

126—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 111 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 74-75 के लिए कर निर्धारण आदेश किस तिथि को पारित किया गया, कितना कर लगाया गया, कितना कर वसूला गया तथा कितना ब्याज वसूला गया ? क्या कर निर्धारण आदेश पारित करने के बाद धारा 15-क (1) (ए) तथा (एफ) के अंतर्गत अर्थदण्ड आदेश पारित किए गए ? यदि हां, तो किस तिथि को आदेश पारित किए गए और कितना अर्थ-दण्ड लगाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत मामले में 1974-75 के लिए कर निर्धारण आदेश 31-3-76 को पारित करके रु0 3,740/- कर आरोपित किया गया जो अपीलीय निर्णय दिनांक 27-2-86 द्वारा घटकर रु0 2100/- रह गया । यह धनराशि व्यापारी द्वारा 18-6-76 और 10-3-77 को जमा कर दी गई । व्यापारी के विरुद्ध रु0 186.57 ब्याज की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है । कर-निर्धारण आदेश पारित करने के बाद धारा 15-क (1) (ए) तथा (एफ) के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड आदेश पारित नहीं किया गया, चूंकि फर्म बन्द हो चुकी है और 10 वर्ष की अवधि के बाद अर्थदण्ड लगाया जाना उचित नहीं प्रतीत होता ।

कतिपय वर्षों के बिक्रीकर का निर्धारण संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही

127–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 145 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 937 वित्त राज्य मंत्री को तारीख 23-6-86 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में सन्दर्भित मा0 सदस्य का पत्र सं0 937 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । पत्र की प्रति उपलब्ध कराये जाने पर उत्तर दिया जायेगा ।

128–श्री विष्णु देव–

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

129–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[3रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 117 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सेवानिवृत्त स्व0 श्री बलवीर प्रसाद पाराशरी की उनके जीवन काल में पेंशन आदि न मिलना

130–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री बलवीर प्रसाद पाराशरी उप चीनी आयुक्त बरेली से दिनांक 30-11-81 को सेवा निवृत्त हुए एवं दिनांक 2 अगस्त, 84 को देहान्त हो गया ? यदि हां, तो उनके जीवन काल में उनकी पेंशन न मिलने एवं ग्रेच्युटी फण्ड एवं मृत्यु के उपरान्त पारिवारिक पेंशन अभी तक न मिलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त भुगतान तुरन्त उनके उत्तराधिकारियों को दिलवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री बलवीर प्रसाद पाराशरी, उप चीनी आयुक्त, बरेली दिनांक 30-11-80 को सेवा निवृत्त हुए एवं दिनांक 2 अगस्त, 1984 को उनका देहान्त हो गया । श्री पाराशरी को उनके जीवन काल में जी0 पी0 एफ0 की धनराशि का भुगतान दिनांक 6-11-81 को कर दिया गया था तथा अनन्तिम पेन्शन रु0 643/- प्रति माह की दर से दिनांक 1-12-80 से 31-5-81 तक का भुगतान भी कर दिया गया था । श्री पाराशरी के विरुद्ध कुछ आदेशिकावाहकों ने न्यायाधिकरण में निर्देश याचिका दायर कर दी थी तथा उक्त याचिका में न्यायालय का निर्णय आदेशिकावाहकों के पक्ष में हो जाने के फल-

स्वरूप अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। अतः जीवनकाल में ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सका । अब समस्त ग्रेच्युटी का भुगतान उनके परिवार को किया जा चुका है और नियमानुसार देय पारिवारिक पेन्शन का भुगतान भी किया जा रहा है ।

131—श्री राम सागर—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

बस्ती जिले की बांसी तहसील में नील गायों से खड़ी फसल को क्षति

132—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की बांसी तहसील के तप्पा हाटा एवं पचहर में नील गायों से खड़ी फसल को होने वाली क्षति संबंधित पत्र दिनांक 30-1-86 उन्हें मिला है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जफर अली नकवी—

जी हां । बस्ती जिले की बांसी तहसील के तप्पाहाट एवं पचहर में नीलगायों से खड़ी फसल को होने वाली क्षति संबंधी पत्र दिनांक 30-1-86 शासन में प्राप्त हुआ है । इस पत्र में नील गायों को पकड़वा कर जंगल में भेजने का सुझाव दिया गया था । इस प्रस्ताव के बारे में स्थिति यह है कि नीलगायों को इतनी बड़ी संख्या में पकड़ कर जंगल में भिजवाना और फिर उनको वहीं रोके रखना न तो वर्तमान संसाधनों से सम्भव है और न ही ऐसा करना व्यवहारिक होगा । नीलगायों की बढ़ती हुई संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए जिन क्षेत्रों में नीलगायों द्वारा फसलों को क्षति पहुंचाई जा रही है वहां के जिलाधिकारी इनको नष्ट करने की अनुमति देने हेतु सक्षम है ।

खन्दौली से सौरई व खन्दौली से गिजौली व आगरा सादाबाद मार्ग पर खन्दौली से थाना खन्दौली तक के मार्गों के निर्माण में विलम्ब

133—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सा0 निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के सर्वाधिक जनोपयोगी मार्गों-खन्दौली से सौरई व खन्दौली से गिजौली व आगरा सादाबाद मार्ग पर खन्दौली से थाना खन्दौली तक, अब तक निर्मित न होने के क्या कारण है? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त मार्गों के निर्माण में विलम्ब का कारण मार्गों के लिए निर्धारित धनराशि में अधिकारियों द्वारा धन का दुरुपयोग किया जाना है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त मार्गों को मौके पर किए गए कार्यों का सत्यापन कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत तीन मार्गों में से केवल दो ही मार्ग—खन्दौली सौरई मार्ग (लम्बाई 5.50 कि0मी0) तथा खंदोली से खंदोली थाना मार्ग (लम्बाई 600 मी0) सा0 नि0 विभाग के मार्ग हैं जिनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

खंदोली सौरई मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

खंदोली से खंदोली थाना मार्ग मिट्टी स्तर तक पूर्ण है ।

मिट्टी स्तर से ऊपर कार्य कराने की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं है।

शेष एक मार्ग खंदोली से गिजोली मार्ग (लम्बाई 10 कि0मी0) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अधीन है। यह सा0 नि0 विभाग का मार्ग नहीं है। इस मार्ग के आखिरी 4 किमी0 के भाग जो किसी भी योजना में निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं है, को छोड़कर शेष प्रथम 6 किमी0 के भाग में कार्य प्रगति पर है।

मार्गों के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग उनके निर्माण कार्य में ही किया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्रों में नष्ट हो रहे मौनवंशों की पृष्ठभूमि में योजना के तहत उपलब्धियां

134—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि भारतीय कृषि शोध परिषद् के सहयोग में (पर्वतीय क्षेत्र में) मौन पालन पर शोधन की समन्वित योजना बनाई गई है? यदि हां, तो यह योजना कब से चालू है? इसमें विगत 5 वर्षों से वर्षवार कितना खर्च आ चुका है? पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार नष्ट हो रहे मौनवंशों की पृष्ठभूमि में इस योजना के तहत अब तक क्या-क्या मुख्य उपलब्धियां रही हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

योजना वर्ष 17-3-1982 से चालू है।

वर्षवार खर्चा निम्नानुसार है:—

1982-83	रु0—81,900/-
1983-84	रु0—82,500/-
1984-85	रु0—1,00,448/-
1985-86	रु0—1,63,000/-
1986-87	रु0—1,70,400/-

यह विषाणुजनित व्याधि केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में फैली है, जिसका उपचार अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। लगातार सर्वेक्षण से इस व्याधि से केवल 10 प्रतिशत मौनवंश ही प्रभावित रह गये हैं तथा पिछले वर्षों की अपेक्षा मौनवंशी की संख्या में इस समय वृद्धि भी हुई है। इस व्याधि के लिये एक अन्य अवरोधी मौन प्रजाति "एपिस मैलीफेरा" (इटैलियन प्रजाति) को इन्ट्रोड्यूज किया गया है, जो अच्छे परिणाम दे रही है।

विषाणुमुक्त फल के पौधों के विकास पर रानीखेत चौबटिया में शोध केन्द्र

135—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में विषाणुमुक्त फल के पौधों के विकास पर रानीखेत में चौबटिया स्थित शोध केन्द्र में शोध कार्य हो रहा है? यदि हां, तो अब तक क्या सफलता मिली है तथा किन विषाणुमुक्त फल के पौधों को बाजार में किस दर से विक्रय हेतु लाया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

सेब के मोजेक विषाणु रबरी बुड विषाणु स्टार क्रेक विषाणु एवं प्लम के लाइन पेटर्न विषाणु की पहचान की जा चुकी है।

सेब तथा पुलम के विषाणुमुक्त पौधें उद्यानपतियों को विभागीय अनुमोदित दरों (2·50 रु0 प्रति पौध) पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

136–श्री राज किशोर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

137–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

138–श्री अफजाल अंसारी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जिला कोषागार फैजाबाद के कैश अनुभाग में कर्मचारियों से शासकीय कार्य

139–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोषागार फैजाबाद के कैश अनुभाग में तैनात समस्त वेतन भोगी मनीटेस्टरों/एक्स आफिसियों स्टाम्प वेण्डरों से शासकीय कार्य लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, केवल निम्नलिखित एक अपवाद है।

श्री राम कुमार भूतपूर्व मनीटेस्टर (जिनकी नियुक्ति अवकाश प्रबन्ध में थी) की सेवायें जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर तत्कालीन राजकीय कोषाध्यक्ष द्वारा दि0 1-8-82 से समाप्त की जा चुकी है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बैंच, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में उन्हें दिनांक 1-8-83 से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। कोषागार के कैश अनुभाग में रुपये तथा स्टैम्पों का लेनदेन होता है और श्री राम कुमार को जांच में दोषी पाया गया था, अतः उनसे कार्य लिया जाना उचित नहीं समझा गया है।

दस्यु-पीड़ित सड़क किशनी (जनपद-मैनपुरी) से छिबरामऊ वाया नगथरा विशुनगढ़ को पक्का मार्ग बनाना

140–श्री शिव बख्श सिंह राठौर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियंता सप्तम प्लानिंग ने शासन को अपने पत्रांक 142 पी0 एल0 ए0 जी0 10581 दिनांक 5-12-81 तथा पत्रांक 147 पी0 एल0 ए0 जी0 100 पी0 एल0 सी0 1067/81 दिनांक 10-12-81 भेजे थे जिसमें दस्यु-पीड़ित सड़क किशनी (जनपद मैनपुरी) से छिबरामऊ वाया नगथरा विशुनगढ़ को पक्का मार्ग बनाने तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले पुलों के निर्माण के आगणन भेजे गये थे? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की? यह मार्ग और पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 5-12-81 के पत्र में शासन को कोई आगणन नहीं भेजा गया है। दिनांक 10-12-81 के अधीक्षण अभियंता (नियोजन) के पत्र में केवल मार्ग निर्माण का आगणन शासन को भेजा गया था। मार्ग जिला योजना से सम्बन्धित होने के कारण जिला योजना के अन्तर्गत विचार करने हेतु प्रस्ताव वापिस कर दिया गया।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

141-142–श्री हर्ष वर्धन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये]

दि किसान सहकारी चीनी मिल बदायूं में अवैध ठेकेदारी एवं सामग्री के संबंध में शिकायती पत्र

143–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक शिकायती पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 85 जो कि किसान सहकारी चीनी मिल बदायूं में कथित अवैध ठेकेदारी एवं सामग्री के संबंध में था, उन्हें मिला है? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस शिकायती पत्र के आधार पर किसी अधिकारी से जांच कराई? यदि हां, तो क्या सरकार जांच का विवरण एवं पूर्ण जानकारी विधान सभा पटल पर रखने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-11-85 प्राप्त हुआ।

शिकायती पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ को जांच कराने हेतु भेजा गया। संघ ने प्रधान प्रबन्धक बदायूं चीनी मिल से जांच कराई। जांच से शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई। प्रधान प्रबन्धक से प्राप्त रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1984-85 तक के लिये उक्त मिल के सभी लेखे, बैलेन्स शीट इत्यादि का आडिट कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा पूरा किया जा चुका है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा भी उक्त प्रकार की शिकायतों विषयक कोई आपत्ति नहीं उठाई गयी है।

फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के बीच के मार्ग की मरम्मत में फुटपाथ ठीक कराने की मांग

144–श्री महरम सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के बीच के एक मात्र मार्ग की मरम्मत अप्रैल, 1986 से 31-3-87 तक जो करायी गयी है, क्या उसके साथ फुटपाथ ठीक नहीं कराये गये? क्या यह भी सही है कि उसमें जितनी धनराशि लगाने को राज्य सरकार ने दी है वह मय फुटपाथ आदि को ठीक करने के लिए पर्याप्त थी? यदि हां, तो क्या सरकार इनका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

फुटपाथ ठीक कराने के लिए कोई धनराशि नहीं दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जनपद के डाक बंगलों की व्यवस्था

145–श्री महरम सिंह–

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद में विभाग के कितने डाक बंगले हैं ? क्या उनकी स्थिति बहुत दयनीय है ? क्या सरकार इसके लिए प्रभावी आदेश देकर सही व्यवस्था कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

फर्रुखाबाद जनपद में सा0 नि0 विभाग के सात डाक बंगले हैं जिनमें से पांच, जो फतेहगढ़, संकिया, गुरसहायगंज, कम्पिल तथा कायमगंज में स्थित हैं, अच्छी हालत में हैं। राजेपुर स्थित डाक बंगले के विशेष मरम्मत का आगणन बनाया जा रहा है। मदनपुर स्थित मात्र एक डाक बंगला, जो बहुत ही जर्जर अवस्था में है एवं जिसका कुछ भाग क्षतिग्रस्त भी हो चुका है, की अब आवश्यकता न समझे जाने के कारण निष्प्रयोजन किया जाना है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

146-147–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाये गये।]

शहीद स्मारक चौरी-चौरा में श्री राय द्वारा फर्जी भुगतान के विरुद्ध कृत कार्यवाही

148–श्रीमती शारदा देवी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-गोरखपुर के विकास क्षेत्र सरदार नगर में कार्यरत सामाजिक वानिकी उद्यान निरीक्षक श्री राय द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 86 से 25 फरवरी, 87 तक शहीद स्मारक चौरी-चौरा में करीब 26 हजार रुपये का फर्जी भुगतान 20 हजार पेड़ लगाने को दिखाकर 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर व जिला उद्यान अधिकारी गोरखपुर ने निकाल लिया है? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कठोर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जफर अली नकवी–

जी नहीं। श्री राय द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 1986 से 25 फरवरी, 1987 तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

वास्तव में विकास खण्ड सरदार नगर में चौरी-चौरा रेलवे स्टेशन के परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्य दिनांक 28-8-86 से 29-9-86 की अवधि में हुआ जिसमें कुल 20,64,800 रु0 व्यय करके 20,000 पौधों का रोपण किया गया।

149–श्री मित्रसेन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

150–श्री राम सजीवन–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

151–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

152–श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

[4थे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों तथा ऊर्जा बचत कार्यक्रमों के लिए किए गए कार्य

153—श्री काशी सिंह ऐरी—

प्रथम सत्र 1986 के छठें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों तथा ऊर्जा बचत कार्यक्रमों के लिए उल्लिखित सौर चूल्हे, और जल तापक फोटो वोल्टाइक चालित प्रकाश, उन्नतिशील चूल्हा का कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ की तहसील मुनस्यारी, धारचूला व डीडीहाट में विगत चार वर्षों में वर्षवार क्या-क्या कार्य किये गये हैं तथा क्या योजनायें किस-किस स्थान पर विचाराधीन हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील	1983—84	1984—85	1985—86	1986—87
1	2	3	4	5
मुनस्यारी	..	..	..	लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए दो ग्राम—सिरताला एवं गोलफा का सर्वेक्षण किया जा रहा है।
धारचूला	..	10 सोलर लाइटिंग पोल।	एक सोलर स्टिल	एक सोलरड्रायर, दो वुड स्टोव तथा ग्राम जारा, खेत एवं वरम जल विद्युत परियोजना के लिए चयनित किए गए हैं एवं सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है, इनमें से दो ग्राम खेत एवं वरम ऊर्जा ग्राम के लिए भी चयनित हैं।
डीडीहाट	..	..	..	सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कार्यक्रम बनाना प्रस्तावित है।

श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, विशेष सचिव, संस्थागत वित्त के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

154—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 7वें मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 111 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 754 मुख्य मंत्री को ता0 20-5-86 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। मा0 विधायक के पत्र दिनांक 20-5-86 में उठाये गये कतिपय नये बिन्दु, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने पत्र सं0—1401 दिनांक 29-10-84 में नहीं किया था, पर छान-बीन की जा रही है।

जनपद मेरठ में बागपत-मुरादानगर मार्ग पर हिण्डन नदी पर पुल बनाने की योजना

155–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में बागपत-मुरादानगर मार्ग पर खुराना गांव के पास हिण्डन नदी पर पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण ।

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल नामक स्थान पर मोटर मार्ग का निर्माण

156–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जनपद पिथौरागढ़ में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल नामक स्थान पर नरेड़गाड़ थल स्टेशन मोटर मार्ग के मूल निर्माण (1960-61) और उसके (1984 तक) लगातार रख-रखाव करते रहने के लिए इसके निर्माता, श्री गोपाल दत्त पाठक, निवासी थल जनपद पिथौरागढ़ के नाम से संबंधित अभिलेखों में शुद्धिकरण करने व शासन के नवीनतम मानकों के अनुसार, श्री गोपाल दत्त पाठक को निर्माण व रखरखाव का भुगतान अतिशीघ्र करने हेतु, प्रश्नकर्ता का पत्रांक सार्व0/76-3/87, दि0 2-3-87 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित चार बिन्दुओं पर क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की आख्या प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही की जायगी ।

कुमाऊं व गढ़वाल मण्डल में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

157–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्कचार्ज में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं जिनको लगातार सेवारत रहते हुए आठ वर्ष या इससे अधिक हो गया है, परन्तु अभी तक उन्हें नियमित/स्थाई घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गढ़वाल क्षेत्र की सूचना एकत्रित की जा रही है। कुमायूं क्षेत्र के अन्तर्गत वृत्तीय खण्डों में वर्कचार्ज में कार्यरत तृतीय श्रेणी के 25 तथा चतुर्थ श्रेणी के 602 कर्मचारी हैं, जो आठ वर्ष या उससे अधिक अवधि से कार्यरत हैं परन्तु उन्हें अभी तक नियमित/स्थाई घोषित नहीं किया गया है।

उक्त मामले में स्थिति यह है कि उपर्युक्त कर्मचारीगण वर्ष 1977 के बाद से कार्यरत हैं। शासन द्वारा वर्ष 1977 से पहले से कार्यरत कर्मचारियों को ही नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

158–श्री अशोक बाजपेयी–

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

स्टेट एवार्ड के लिए निकाले गये रुपये की जांच

159–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि 1982-83 में स्टेट एवार्ड के लिए आयुक्त बिक्री-कर द्वारा मार्च, 84 में रुपया निकालने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 77 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 10-9-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? इस मामले की जांच किस अधिकारी ने की थी एवं जांच में क्या पाया गया? वर्ष 1982-83 का स्टेट एवार्ड किस-किस अधिकारी को दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्म यू0 पी0 ग्लास वर्क्स (पब्लिक) लि0 बहजोई, मुरादाबाद बनाम आयुक्त बिक्री-कर में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

160–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 2-4-85 सिविल मिस रिट याचिका सं0 1017 आफ 1984 फर्म यू0 पी0 ग्लास वर्क्स (पब्लिक) लि0 बहजोई मुरादाबाद बनाम आयुक्त बिक्री-कर में निर्णय किया है और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 352 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 1-4-86 को मिला है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह सही है कि करदाता को नोटिस दिनांक 20-9-84 को बिक्री-कर की बकाया 117,319.67 रुपया के लिए दी गयी थी ? यदि हां, तो यह बकाया किन-किन वर्षों की थी? क्या यह सही है कि ता0 20-9-84 को कर-दाता के प्रार्थना-पत्र वास्ते हिसाब को ठीक करने व पुराने रिफन्ड को मुजरा करने के बारे में पेन्डिंग पड़े थे? यदि हां, तो यह प्रार्थना-पत्र किस तिथि को दिए गए थे? पेन्डिंग पड़े रहने का क्या कारण था? इन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के बाद प्रत्येक वर्ष में अंतिम स्थिति क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस रिट पिटीशन से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए सहायक आयुक्त (उच्च न्यायालय कार्य) इलाहाबाद से जानकारी की जा रही है।

जी हां। पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच करायी गयी।

दिनांक 20-9-84 को करदाता को बिक्रीकर की बकाया एवं ब्याज जमा करने के लिए नायब तहसीलदार बिक्रीकर, चन्दौसी द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसके अनुसार विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित बकाया धनराशि दिखायी गयी थी :–

वर्ष	बकाया धनराशि
1972-73	209·75
1972-73	5,087·05
1973-74	750·00
1973-74	4,885·51
1975-76	47,010·00
1975-76	8,318·91
1975-76	1,137·00
1975-76	7,428·00
1976-77	2,488·00
1976-77	111·90
1976-77	1,158·40
1980-81	12,100·00
1980-81	10,000·00
1981-82	8,393·00
1981-82	7,642·15

दिनांक 20-9-84 को करदाता के अन्तिस्तारित वापसी/समायोजन के प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में अभिलेखानुसार व्यापारी के निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र बिक्री-कर कार्यालय, चन्दौसी में उपलब्ध हैं।

वर्ष	रिफण्ड/समायोजन/हिसाब सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों की तिथि
71-72 प्रा0	21-7-83 (रिफण्ड)
71-73 के0	11-7-83 (रिफण्ड)
72-73 प्रा0	11-7-83 (रिफण्ड)
	29-10-83 (रिफण्ड)
73-74	11-7-83 (रिफण्ड)

चूंकि वर्ष 71-72 से 73-74 तक की कर निर्धारण पत्रावलियां एवं संबंधित कार्यालय अभिलेख दिसम्बर, 1981 के भीषण अग्निकाण्ड में नष्ट हो चुके हैं, मण्डल कार्यालय, चन्दौसी के अभिलेखानुसार करदाता द्वारा वापसी आदि के प्रार्थना-पत्रों में वांछित रिफण्ड के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने में सहयोग न देने के कारण प्रार्थना-पत्र फाइल कर दिये गये ।

161—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

162—श्री राम जनम यादव—

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

अलीगढ़ बिक्री-कर कार्यालय में फर्जी चालानों का लाभ

163—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 317 व पत्र सं0 735 मुख्य मंत्री को ता0 8-11-86 व 17-5-86 को अलीगढ़ बिक्री-कर कार्यालय में वर्ष 78-79 से 83-84 तक फर्जी चालानों का लाभ लेने के बारे में मिले हैं? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। किन्तु प्रश्न में उल्लिखित संख्यांकित पत्र दिनांक 5-11-85 तथा 16-5-86 प्राप्त हुए थे।

पत्र दिनांक 5-11-85 का उत्तर मा0 विधायक को पत्र संख्या-एस0 टी-2 2487/दस-9 (234)/85 दिनांक 30-4-86 द्वारा दे दिया गया था। इसी के सन्दर्भ में मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 16-5-86 प्राप्त हुआ था, जिसमें अनेक बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है। यह सूचना 6 वर्षों से संबंधित है, जिसे एकत्र करने के लिए सभी वर्षों की कर-निर्धारण पत्रावलियों का अवलोकन करना होगा और उनमें से यह सूचना एकत्र करनी होगी कि किस-किस करदाता को किन-किन वर्षों में कितने-कितने रुपयों के फर्जी चालानों का लाभ मिल गया है, जो नहीं मिलना चाहिए था। उसकी कुल धनराशि कितनी है, उनमें से कितने मामलों में अंतिम कर-निर्धारण आदेश किस-किस तिथि को किस अधिकारी ने पारित किये थे और उनमें अलग-अलग प्रत्येक मामले में कितने फर्जी चालानों का लाभ दिया गया, कर-निर्धारण के बाद भी कितने मामलों में ऐसा लाभ दिया गया, पुलिस में रिपोर्ट कब लिखायी गयी, बार काउन्सिल में शिकायत कब दर्ज करायी गयी, करदाताओं के विरुद्ध अर्थ-दण्ड की कार्यवाही और फौजदारी कार्यवाही की जायेगी या नहीं आदि आदि। यह सूचना एकत्र करने में जो श्रम और समय लगेगा, उसकी जनहित में उपादेयता नहीं प्रतीत होती ।

टिहरी गढ़वाल में वन विभाग द्वारा भूजगढ़-हिन्दाव मोटर मार्ग के निर्माणाधीन भाग में वन कटाव से भू-स्खलन तथा क्षतिपूर्ति

164–श्री शूरबीर सिंह सजवाण–

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1978-79 में ग्राम ताणखंड विकास खण्ड जखोला/नरेन्द्रनगर के लोगों द्वारा प्रचन्ड विरोधों के बाद भी वन विभाग द्वारा भूजगढ़-हिन्दाव मोटर मार्ग के निर्माणाधीन भाग के आस पास बहुत मात्रा में वन कटाव करने से जुलाई 1979 में, प्रथम वर्षा से ही उल्लिखित ग्राम व इससे लगे क्षेत्र में अत्यन्त भयंकर भूस्खलन हुआ था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्षतिपूर्ति करने और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियों को रोकने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जफर अली नकवी–

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1978-79 में ग्राम ताणखण्ड, विकास खण्ड जखोला नरेन्द्रनगर के पास निर्माणाधीन भुनगढ़-हिन्दाव के आस पास उ0 प्र0 वन निगम द्वारा 5 पातन लाटों में 3346 वृक्षों का विदोहन किया गया । यह विदोहन कार्य योजना के अनुसार किया गया था जिसे बहुत मात्रा में वन कटान की संज्ञा नहीं दी जा सकती । उक्त 5 लाटों में से केवल एक लाट में स्थानीय लोगों द्वारा कुछ समय के लिए वन निगम के कार्य में व्यवधान किया गया परन्तु बाद में स्थिति सामान्य हो गयी और वन निगम ने विदोहन कार्य वर्ष 1978-79 में ही पूरा कर लिया । ताणखण्ड ग्राम में क्षति वृक्षों के कटान के कारण नहीं हुई बल्कि उक्त क्षेत्र में दिनांक 30-7-79 को अति-वृष्टि होने के कारण हुई है जिसका संबंध वृक्ष कटान से नहीं था । बाढ़ की यह घटना एक दैवी आपदा थी । अतः इस संबंध में क्षति पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता है । फिर भी सद्भावना स्वरूप उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा प्रभावित ग्रामवासियों के सहाय-तार्थ रु0 10,000 जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल को दिया गया ।

165–श्री विष्णु देव–

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

आज वितरित बजट साहित्य में त्रुटिपूर्ण छपाई के संबंध में ध्यानाकर्षण

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, आज विधायकों के पीजन होल में एक सरकुलर बांटा गया है, उसमें लिखा है "रानीखेत से बचाओ" । इस संबंध में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । रानी-खेत जैसी एक सुन्दर पर्यटन नगरी के लिये इस तरह के सरकुलर बांटना कहां तक उचित है । विभाग के अधिकारियों को कौन सी आफत आ गई थी कि उन्हें इस तरह का पैम्फलेट बांटना पड़ा । मान्यवर, मैं इसे आपके पास भेज रहा हूं। इसे आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे दिखवा लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 21 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री रिजवानुल हक, श्री समरपाल सिंह, श्री अमिताभ अनिल दुबे, श्री नेक चन्द पांडे,

श्री कुशल पाल सिंह तथा श्री डाक्टर बंगाली सिंह की सूचनायें स्वीकृत हुईं। बाकी सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

ग्राम बिलसड़ी, जिला फर्रुखाबाद में भीषण अग्निकाण्ड एवं राहत की मांग होने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, दिनांक 26-6-87 को सायंकाल 3 बजे के लगभग ग्राम बिलसड़ी, थाना कम्पिल जिला फर्रुखाबाद में भीषण अग्निकांड में 71 परिवारों के आवास जलकर राख हो गये तथा कई जानवर भी जलकर मर गये। अग्निकांड की प्रचंडता इतनी थी कि गांव वालों के अथक परिश्रम करने पर भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते सारा गांव स्वाहा हो गया। अग्निशामक दल आग बुझ जाने के बाद भी गांव में दिखाई नहीं दिया। जहां हजारों मन गल्ला अग्नि की लपटों में भस्म हो गया है वहीं लोगों के पास सिर छिपाने को छप्पर और तन ढकने को कपड़ा भी नहीं बचे हैं। सारे परिवार एक-एक दाने को मारे-मारे घूम रहे हैं। कुल क्षति कम से कम 20 लाख रुपये की अनुमानित की जा रही है किन्तु शासन की ओर से अभी सहायता के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा सका है। इस भीषण गर्मी में पीड़ित बालक महिलायें व पुरुष पेड़ों के नीचे गुजारा कर रहे हैं। उन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मैं मांग करता हूं कि जिनके पूर्ण आवास जलकर राख हो गये हैं और कपड़े और अनाज भी जलकर नष्ट हो गये हैं उन्हें शासन की ओर से कम से कम तीन माह के लिये भोजन एवं पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के गंगोत्री प्रदर्शन कक्ष में भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं प्रदेश का ध्यान निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करते हुये मामले की जांच कराने एवं जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित कराये जाने की मांग करता हूं।

हजरतगंज, लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के गंगोत्री शो रूम जिसका उद्घाटन माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1987 को किया गया था, में वित्तीय अनियमिततायें की जा रही हैं जिसके प्रमाण में यह उल्लिखित है कि निगम ने उद्घाटन से पूर्व ही (दिनांक 28-1-87 से 4-2-87 तक) निम्नांकित फर्जी एवं रिबेट सेल दिखाई है :–

1–टोटल ग्रास सेल	664,530.50 रु0
2–रिबेट	130,919.70 रु0
3–नेट आफ्टर रिबेट	533,610.80 रु0

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रत्यक्ष रूप में श्री मधुकर द्विवेदी, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रश्नगत आंकड़े प्रस्तुत कर लाखों रुपये का गोलमाल किया गया है ।

मुरादाबाद दिल्ली सीमा पर आम की पेटियों के निरीक्षण से आम विक्रेताओं को हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की एक सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

जनपद मुरादाबाद के नगर अमरोहा के चारों ओर हजारों एकड़ आम के बाग हैं । आम की फसल उस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है । इस समय आम की फसल पक चुकी है । आम इतना अधिक होता है कि स्थानीय मण्डी में उसकी खपत नहीं हो सकती ।

दुर्भाग्य से दिल्ली में पिछले दिनों दंगे हो गये । इस कारण जो भी आम दिल्ली भेजा जाता है, उसकी पेटियां दिल्ली सीमा पर पुलिस के द्वारा खोल-खोल कर देखी जाती हैं और ट्रकों को अपेक्षा से अधिक समय आम दिल्ली की मण्डी तक पहुंचाने में लग जाता है । अमरोहा में आम के भाव बहुत गिर गये हैं । उद्यानपतियों का आम तुड़ाई और पेटी की लागत भी नहीं वसूल हो पा रही है । एक से डेढ़ रुपये के भाव पर आम बिक रहा है ।

अतः शासन से अनुरोध है कि अमरोहा के उद्यानपतियों की इस समस्या का समाधान किया जाय । आम की पेटियों का निरीक्षण सीमा पर मैटल डिटेक्टर से अथवा अन्य किसी विधि से शीघ्रता के साथ कराने की व्यवस्था की जाय ।

नगरपालिका, गाजीपुर में गन्दे पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ अनिल दूबे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान गाजीपुर शहर नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के लगभग एक दर्जन से अधिक मोहल्लों को गंदा पानी पिलाने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । नगरवासियों को पानी की आपूर्ति हेतु एक प्रमुख टंकी टाउन हाल है। इस टंकी से लंगाह, सट्टी मस्जिद, तिरन गंज, सराय निगाही बेग, चितनाथ, स्टीमरघाट, काजीटोला नखास, गोलाघाट, बरबरहना, बड़ापुरा, रायगंज, जूड़न शहीद, चन्दन शहीद आदि मोहल्लों में इस टंकी से मुख्य रूप से पानी आपूर्ति शहर के अन्य क्षेत्रों में यहां से पानी आपूर्ति की व्यवस्था है। इस टंकी की मेन लाइन खोलने के लिए जो चैम्बर बना है वहां निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। चैम्बर में बराबर पानी रहता है, इस पानी का उपयोग पाखाना साफ करने के लिए किया जाता है। जिसकी कभी सफाई नहीं होती है, या गन्दगी पानी आपूर्ति के समय सम्पूर्ण पानी में मिल जाती है। जिस पर जिला प्रशासन ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया, नागरिकों को आक्रोश है। मैं आपके द्वारा शासन से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

(श्री नंक चन्द्र पाण्डेय का नाम पुकारने पर)

श्री मैनेजर सिंह–

क्या आज सभी सूचनाएं आपने उधर की ही स्वीकार की हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, ऐसा नहीं है, वह तो शलाका पड़ती है, जिसकी भी सूचना आ गयी ।

कानपुर देहात में राम गंगा कमाण्ड विभाग द्वारा खेतों की सिंचाई हेतु नालियों के निर्माण कार्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद कानपुर देहात में रामगंगा कमाण्ड विभाग द्वारा खेती की सिंचाई हेतु नालियों का निर्माण कराया गया है, उक्त निर्माण में निम्न कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया है। बम्बे के पानी की सतह से ऊपर नाली का स्तर होने से असिंचन की स्थिति से किसानों को भारी असुविधा हो रही है। अनुपजाऊ भूमि में नाली के निर्माण से किसानों पर अनुपयोगी व्यय भार डाला जा रहा है किसानों की आपत्तियों के बिना मांग किये देय व्यय भार की नोटिस देने से किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कानपुर देहात जनपद के किसानों से अपेक्षित धन वसूली को स्थगित करके उक्त निर्माण कार्यों की व्यापक रूप से जांच कराकर कार्यवाही की जाय ।

मथुरा जनपद के मांट क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, मथुरा जनपद के मांट क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट है। जमुना के किनारे के छाता व मांट तहसील के सभी गांवों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण कुंये सूखे पड़े हैं, उनकी मरम्मत की आज तक कोई व्यवस्था नहीं कराई गयी है । गांवों में पेयजल योजना बगैर बिजली बन्द पड़े हैं। शेरगढ़ कस्बे में 8 दिन से पेयजल नहीं मिल रहा है। जनता कई कई मील से पेयजल लाकर गुजर कर रही है। क्षेत्र में पेयजल का घोर संकट है जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आपका व माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब, खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत की व्यवस्था कराने तथा गांवों में पेयजल योजनाओं को विद्युत नियमित रूप से दिलाने की मांग करता हूं।

ग्राम लाड़पुर, विकास खण्ड हाथरस, अलीगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

डा0 बंगाली सिंह–

मान्यवर, अलीगढ़ जनपद के विकास खण्ड हाथरस के ग्राम लाड़पुर में शासन द्वारा एक अतिरिक्त प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र सन् 1986 में स्वीकृत सरकार ने किया है। यह अस्पताल 31 मार्च, 1987 तक खुल जाना चाहिए था। परन्तु अलीगढ़ के सी0 एम0 ओ0 साहब से बार-बार कहने पर भी नहीं खोला गया है जब कि गांव प्रधान तथा क्षेत्रीय विधायक ने ग्राम पंचायत भवन निःशुल्क देने के लिए लिख कर दे दिया है।

गांव लाड़पुर के आठ-आठ किलोमीटर तक कोई चिकित्सालय न होने से ऐसी भीषण गर्मी में ग्रामवासियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इस चिकित्सालय के नाम से सारा सामान सी0 एम0 ओ0 साहब ने खरीद लिया है तथा इसी चिकित्सालय के नाम से कम्पाउंडर की पोस्टिंग भी कर दी गयी है, परन्तु आज तक चिकित्सालय न खुलने से वहां की जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अविलम्ब चिकित्सालय खोलने की मांग करता हूं।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं–श्री राम आसरे वर्मा, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम नरेश यादव, श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री जयदीप सिंह बरार।

श्री राम आसरे वर्मा–

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी, आपकी सूचना सुनने लायक नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने मेरा नाम पुकार लिया है, इसलिए मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिसको सुना जा सके।

श्री राम आसरे वर्मा–

जब तक हम यहां विषय नहीं रखेंगे तब तक सदन कैसे जानेगा। इसलिये मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि इस सदन में एक सदन की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया और समिति का काम मात्र विवाद की जांच करने का था, जो उस समय घोषित किया गया था। मेरा एक सुझाव है कि भिन्न भिन्न मसलों पर भिन्न भिन्न समय पर समिति गठित करने की मांग की जाती रही है। मिसाल के तौर पर सत्ता पक्ष से या विपक्ष के माननीय सदस्यों के आचरणों की बात आती रही है। आचरणों के सिलसिले में इस समिति को एक आचार संहिता बनाने का भी अधिकार

दिया जाये। शासन और प्रशासन स्तर पर जो विधायकों की अवहेलना, उपेक्षा और उनके प्रति असम्मान व्यक्त किया जा रहा है इस पर समय समय पर सदन में बातें उठती रही हैं। प्रोटोकाल में जो स्थिति विधायकों को दी गयी है उसके हिसाब से उनको सम्मान मिले शासन और प्रशासन स्तर पर, इसलिये इस समिति को अधिकार दिया जाये कि वह इस पर भी अपनी संस्तुति करें। इससे इस समिति का क्षेत्र व्यापक हो जायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं अपेक्षा करता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वह इस समिति के व्यापक रूप को सदन के सामने यदि स्वीकार कर लें और प्रस्ताव लायें तो अच्छा रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष महोदय, मा0 वर्मा जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है और कहा है कि वह चाहते हैं कि जो कमेटी का उस दिन प्रस्ताव हुआ है और जो उसका स्कोप है, उसको वह चाहते हैं कि बढ़ा दिया जाये। मान्यवर, जैसा कि आपको जानकारी है, जहां तक शिष्टाचार और आचरण माननीय सदस्य का, अधिकारियों का होना चाहिए इसके संबंध में पहले से प्राविधान है-उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के लिये जो हस्त पुस्तिका, चतुर्थ संस्करण, के पृष्ठ 39 देखें जिसमें बहुत डिटेल्ड चीजें दी गयी है। मान्यवर, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसमें निवेदन किया था कि सदन में इसकी चर्चा न करें, बात न करें, लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि यहां चर्चा हुई। इसमें श्री वर्मा जी का सक्रिय सहयोग रहा है कि और उस आग को भड़काया जबकि उसको बुझाना चाहिए था। इसलिए मजबूर होकर प्रस्ताव रखना पड़ा था। अतः स्कोप बढ़ा दें और सारी चीजें आ जायं, तो जब पहले से प्राविधान मौजूद है तो इसकी जरूरत नहीं है। वह कमेटी जिस कार्य के लिये, जिस विषय के लिये उसका प्रस्ताव हुआ है उसी तक सीमित रखना उचित होगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि जब, सदन में किसी कार्य को लेकर समिति बन जाये और वह अपना फैसला देगी, लेकिन इसी बीच में पता चला है कि श्री यदुनाथ सिंह और श्री भोला शंकर मौर्य, दोनों के विवाद में एक कमेटी बनाई जाये जो एक अवर अभियंता के ट्रान्सफर के कारण हुआ, उस अभियंता को शासन ने सस्पेंड कर दिया है, इससे बात और बढ़ेगी क्योंकि जब कमेटी यहां विचार कर रही है, तो शासन को क्या अख्तियार है कि वह कुछ करें लेकिन ऐसा एक मामला है, जिसके बारे में सदन विचार कर रहा है, सदन की कमेटी विचार कर रही है, उसको राज्य मंत्री जी इसलिये सस्पेंड कर दें कि यदुनाथ सिंह ने उनके बारे में कहा था, तो यह बिलकुल औचित्यपूर्ण नहीं है . . .।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रशासनिक मामला है। सदन के सामने मामला यदुनाथ सिंह मौर्य जी का है। उससे इनका कोई वास्ता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

संसदीय कार्य मंत्री ने इस सन्दर्भ में मेरे ऊपर एक आरोप लगा दिया है कि उस झगड़े को तूल देने का मैंने कार्य किया है . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन के प्रस्ताव से समिति गठित हुई अब वही इस संबंध में विचार कर कोई निर्णय दे (व्यवधान) तभी उसके अधिकार क्षेत्र को व्यापक बनाया जा सकता है (व्यवधान) मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मुझे यह मालूम होना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री के यह कहने का औचित्य क्या है ? (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, उसके बारे में मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं मैंने कोई उन पर आरोप नहीं लगाया । जो उस दिन उनका सक्रिय योगदान रहा है, केवल उसके बारे में मैंने कहा है । . . .

श्री यदुनाथ सिंह–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जब तीन तारीख को . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

जब सदन की समिति द्वारा उस पर विचार हो रहा था, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर देना किसी तरह उचित नहीं है, क्या हम किसी के बारे में पत्र नहीं लिखे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें । इस पर मैंने कह दिया । इस तरह से नहीं ।

श्री यदुनाथ सिंह–

इससे अच्छा है कि आप हमें निलम्बित कर दें । अब वही इससे अच्छा होगा । इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं होगी, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड करने का क्या औचित्य है ?

उपरोक्त कहते हुए श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर में आ गये ।)

श्री उपाध्यक्ष–

वह प्रशासनिक मामला है । आप आसन ग्रहण करें नियमों से सदन चलेगा ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर में आकर बैठ गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा–

जब तक संसदीय कमेटी कार्य कर रही है तब तक यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए थी, उसको सस्पेंन्ड करके मामले का तूल दिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र प्रकाश जी, आप यदुनाथ सिंह को समझायें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जब सदन में किसी विषय पर चर्चा जारी है और समिति बन गई तो दोनों पक्षों के द्वारा कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी कि जिससे स्थिति और खराब हो । यह ठीक है कि इस पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, किन्तु वह तो हो गई अब (व्यवधान) प्रशासनिक मामला तब होता जब सदन में यह विषय उपस्थित न हो पाता । जब उस मामले में कमेटी आ गई और सारा मामला उसमें है तो जे0 ई0 को सस्पेंड कर देना उचित नहीं है । इसमें तो यथास्थिति कायम रहनी चाहिए थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

यदुनाथ सिंह जी, मैं आपसे निवेदन चाहता हूं कि आप आसन ग्रहण करें ।

श्री मनोहर लाल–

यदुनाथ सिंह जी फ्लोर में गये हैं, मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूं । फिर भी यदुनाथ मौर्या जी के पास गये थे, वह भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं था, न उस जूनियर इंजीनियर के खिलाफ एक भी आरोप था . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इस मामले में न आपको कुछ पता है, न मुझे पता है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह तबादले के लिये गये थे, उसको निलम्बित कर दिया गया जब एक कमेटी बन गई फिर उसको निलम्बित कैसे कर दिया गया? ऐसा लगता है जैसे बदले की भावना से उसको निलम्बित किया गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसे कैसे कार्यवाही चलेगी। यदुनाथ जी, आसन ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जब यह सदन के फ्लोर पर बैठे हैं तो भी सदन की कार्यवाही चलाइये । जब सदन के फ्लोर पर 52 सदस्य बैठे थे तब क्या सदन व्यवस्थित था? तब भी कार्यवाही चली और सदन को व्यवस्थित माना गया।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मेरी बात यदुनाथ सिंह जी से हुई थी और मैंने कहा था कि शून्य प्रहर के बाद उनसे बात करूंगा । मेरा इस संबंध में माननीय यदुनाथ जी से अनुरोध है कि हम इसमें बात करके विचार कर लेंगे। आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(संसदीय कार्यमंत्री के आश्वासन दिये जाने के उपरान्त श्री यदुनाथ सिंह जी वापस अपने स्थान पर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

शतरुद्र प्रकाश जी, आप अपनी बात कहें।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर पहले मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने एक कर्मचारी के ट्रांसफर के मामले में लिखा है। यह किसी नियम के अंदर नहीं आता है।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, यह ट्रांसफर का मामला नहीं है। मान्यवर, यह ऐसा मामला है जैसे किसी पुलिस कर्मचारी या दरोगा के खिलाफ शिकायत की जाए तो उसी को जाँच अधिकारी बना दिया जाता है। मान्यवर, मेरा आरोप है कि ग्राम्य विकास में जो अधिकारी हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियमावली के अन्तर्गत नहीं आता है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, जिस अधिकारी के खिलाफ आरोप है उसी को जांच अधिकारी बना दिया गया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, 30 जून को डिप्टी कलेक्टर सेवा निवृत्त हो गये उनके खिलाफ गबन का मामला है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, जो सरकारी कर्मचारी 30 जून को सेवा निवृत्त हो गया वह आदेश कैसे कर सकता है। मान्यवर, जिसके खिलाफ मेरा आरोप है उसी को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर कैसे व्यवस्था दे सकता हूं, मैं हाउस के बारे में व्यवस्था दे सकता हूं इस बारे में व्यवस्था नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, अतारांकित प्रश्न में दिया गया है . . .

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न की बात कक्ष में करें।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा। कल विधान सभा में इसका उत्तर आया है। नियमों की अवहेलना उस पीठ से हो रही है। कल इसका उत्तर आया है शासन के उत्तर के संबंध में प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

आभा जी, यह और किसी नियम में आ सकता है औचित्य के प्रश्न में नहीं आता है।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, यह विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित है विधान सभा में औचित्य का प्रश्न नहीं उठेगा तो कहां उठेगा।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मुझे आप मौका दे दें, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, आभा जी ने इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है। मान्यवर, आभा जी के प्रश्न का उत्तर सदन में आ चुका है। तो या तो मान्यवर, आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें या आभा जी को कक्ष में बुला लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा है कि अध्यक्ष जी के कक्ष में आ जायं।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

हम कक्ष में नहीं आयेंगे। यही हमारा कक्ष है। आप हमारे मुदर्रिश हैं। वैसे पेशे से मैं मुदर्रिश हूं लेकिन इस कक्ष का मुदर्रिश मैं आपको मानता हूं मैं यह विषय आपके संज्ञान में लाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के खिलाफ आरोप हैं और उसी आरोपित व्यक्ति की जांच रिपोर्ट भेजने के लिये अधिकृत किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो सदन को व्यवस्थित करने के लिये व्यवस्था दे सकता हूं अधिकारियों के बारे में नहीं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो बयान सदन के बाहर दिया है, उसके बारे में मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है। मेरा निवेदन है कि जिस समय नेता सदन यहां उपस्थित हों उस समय यह प्रश्न लिया जाय क्योंकि मंत्रि परिषद् के बारे में तो संयुक्त दायित्व है लेकिन नेता सदन के बारे में तो संयुक्त दायित्व है नहीं। कल उन्होंने सदन के बाहर कहा कि सदन 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जायगा। तो मान्यवर, माननीय नेता सदन इसके बारे में बतायें, माननीय नेता सदन उपस्थित नहीं हैं इसलिए इसको उस समय

लें जब नेता सदन उपस्थित हों वरना अम्मार साहब जवाब दे देंगे। क्योंकि मेरठ में यही हो रहा कि पहले अधिकारों को सहायता के लिये भेजा जाता है। फिर पहले वाले अधिकारी को हटाकर उसको उसकी जगह पर बैठा दिया जाता है। मुख्य मंत्री जी यहां हैं नहीं, अम्मार रिजवी साहब को मुख्य मंत्री जी की जगह बैठाने के लिये भेजा गया है या नहीं, यह मैं नहीं जानता। 2अक्तूबर, तक सदन चलेगा या नहीं, इसके बारे में कल माननीय नेता सदन ने सदन के बाहर घोषणा की जबकि सदन चल रहा था। उनकी यह घोषणा समाचार पत्रों में भी आ गयी है। मान्यवर, नियम-22 में व्यवस्था है कि जो कार्यसूची है, उसकी सूचना 15 दिन पहले सप्ताह के आखिर में रखा जायगी।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

सदन तो कांटीन्यू कर रहा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं दीक्षित जी से कहना चाहूंगा कि नियम 22 देख लें। होता यह है कि सदन कैसे चलेगा यह माननीय नेता सदन माननीय अध्यक्ष जी से परामर्श करके सदन में रख देते हैं। तो मान्यवर, कल तो सदन चल रहा था, माननीय मुख्य मंत्री यहां थे, बीच में आये थे चले गये। उन्होंने घोषणा कर दिया कि 2 अक्तूबर तक सदन चलेगा तो उसमें क्या-क्या विषय है, क्या क्या कार्यसूची है। और जब इतने दिन सदन चलेगा तो एक ही दिन में 2-2 कटौतियां रखने की क्या जरूरत है? जब 2 अक्टूबर तक सदन चलेगा तो एक ही दिन में दो कटौतियों को रखने की क्या जरूरत है? नेता सदन ने यह घोषणा की है तो इसको सदन में करते। इसके बारे में इनको बुला लेंगे तो यह मंत्री जी जवाब दे नहीं पायेंगे। नेता सदन के दायित्व का निर्वाह मंत्रिपरिषद् का कोई भी मंत्री नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में नेता सदन ही मुख्य मंत्री है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि नेता सदन और मुख्य मंत्री एक ही हों, जवाब एक ही हो।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरा नाम इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह जरूरी कहां है कि सबका नाम हो तो सब लोग बोलेंगे।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, डाक्टर कौशल जी बैठे हैं, जैसा होता रहा है इस विधान सभा में वैसा होगा या नहीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, कैन्टीन में नेता सदन ने बताया है कि 2 अक्तूबर तक सदन चलेगा। डाक्टर साहब से पूंछ लीजिए जैसा होता रहा है वैसा होगा या नहीं।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नेता सदन को आने दीजिए वही जवाब देंगे। यह क्या जवाब देंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

इनको पता होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या पता होगा। (व्यवधान) नेता सदन ने घोषणा की है इसकी। नेता सदन का दायित्व नेता सदन ही निर्वाह करेगा, उसको मंत्री परिषद् का कोई सदस्य नहीं कर सकता है।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शतरुद्र प्रकाश जी तो कांस्टीट्यूशन, और संविधान के बड़े ज्ञाता हैं। इन्होंने 2 चीजों को अलग करके कर दिया। पहला तो यह था कि नेता सदन जवाब दें तो जब नेता सदन यहां होते उस वक्त यह कहते । बात तो इन्होंने आज रख दी और कहा कि नेता सदन जब आयें। नेता सदन की जो हैसियत है, वही उनकी यहां भी हैसियत है, और चीफ मिनिस्टर की भी हैसियत है। वह 2 हैसियत है उनकी जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति, मंत्री परिषद् का कोई सदस्य, मंत्रिमंडल का कोई सदस्य जवाब दे सकता है उसमें किसी प्रकार की न तो रोक है और न इस जुरिस्डिक्शन को आप बरत सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि बातों को कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। इस कन्फ्यूशन से कांस्टीट्यूशन में जो साफ-साफ प्राविधान है, साफ-साफ पावर्स हैं उन पर किसी प्रकार की कोई एम्बीग्यूटी पैदा नहीं की जा सकती । जैसा माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि माननीय नेता सदन ने कहा कि 2 अक्टूबर तक सदन चलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब नेताओं की बैठक हुई थी उस वक्त भी यह प्रश्न आया था उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अगर सब लोग चाहेंगे तो 2 अक्टूबर तक सदन चल सकता है इसमें कोई बाधा नहीं है। अगर एजेन्डा है, बिसनेस है, सब लोग चाहते हैं तो 2 अक्टूबर क्या इससे आगे भी जरूरत होगी तो सदन चल सकता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शान्त रहें।

श्री अम्मार रिजवी–

अब यह है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा परसों क्या होगा इसके लिए कार्य-मंत्रणा समिति है, उसके अन्दर सारी चीजें आ जाती हैं वही सदन में आती है। उसके बाद यहां पर अगर कोई यह बात कहे कि इतने दिन तक सदन चलना चाहिए तो यह कहां की नीति विषयक बात हो गयी कि इस सदन के बाहर हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि नेता सदन ने वही बात कही जो विभिन्न दलों के नेताओं के साथ माननीय अध्यक्ष के कक्ष में इससे पहले कई बार इस पर वार्ता हो चुकी है वही तो इन्होंने कहा कोई नई बात नहीं कही।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

नेता सदन जो यह कार्य-सूची पेश करते हैं, माननीय अध्यक्ष जी के सामने और सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, इसकी प्रक्रिया सदन के बाहर नहीं है। अगर सदन के

बाहर कोई बात कहते हैं, तो उसकी घोषणा सदन के अन्दर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, माननीय नेता सदन, सदन के बाहर सूबे की बात किया करते हैं, अगर यह उनके अभ्यास की बात है, जैसे वह सूबे की बात दिल्ली में कर रहे हैं, तो इनको उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाय। मेरा निवेदन है कि सदन के अन्दर इसकी घोषणा होनी चाहिए कि सदन 2 अक्टूबर तक चलेगा। मान्यवर, 2 अक्टूबर तक सदन चलाने की घोषणा नेता सदन श्री वीर बहादुर सिंह ने की है। यह घोषणा सदन के अन्दर होनी चाहिए। अगर उन्होंने मजाक में, हंसी के रूप में घोषणा किया है, तो इसी गैर गम्भीर तरीके और मजाक के कारण मेरठ का मान्यवर, दंगा हुआ है। मान्यवर, नेता सदन ने ऐसा करके सदन का अवमान किया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री जयदीप सिंह बरार के प्रश्न पर शासन ने पहले यह उत्तर दिया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। तदुपरान्त उन्होंने इस आधार पर प्रश्न को निरस्त करने का अनुरोध किया कि श्री बरार का प्रश्न नियोजन विभाग के अतिरिक्त कृषि विभाग, खाद्य तथा रसद विभाग और श्रम विभाग से भी संबंधित है, इस आधार पर प्रश्न निरस्त कर दिया जाय। प्रश्न को निरस्त करने के मामलों में माननीय अध्यक्ष का आदेश अन्तिम होता है, उसे औचित्य के प्रश्न के माध्यम से सदन में नहीं उठाया जा सकता।

यदि माननीय सदस्य सहमत हों, तो अध्यक्ष जी के कक्ष में उनसे मिल लें और उनसे पुनः विचार करने हेतु अनुरोध करें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न इस प्रश्न को निरस्त करने के संबंध में नहीं है, बल्कि प्रश्नों को शासन द्वारा निरस्त कराने, स्थगित कराने इत्यादि के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी के निर्णय को मैं चुनौती नहीं देता हूं, परन्तु नियमावली जिससे इस विधान सभा की प्रक्रिया नियमित होती है, तथा इस नियमावली को लागू करने के लिए अध्यक्ष पीठ से दिये गये कारणों के उल्लंघन के संबंध में कहना है। श्रीमन् नियम 45 में माननीय अध्यक्ष को शक्ति है कि वह किसी भी प्रश्न को स्वीकार कर लें अथवा, उसमें कोई सुधार करवा लें अथवा उसे निरस्त कर दें। परन्तु शासन को किसी प्रश्न के नियम के प्रतिकूल होने के संबंध में सूचना देने का अधिकार करण सं0 27 प्रश्नों का सुधार के अन्तर्गत ही करना चाहिए। करण 27 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि शासन किसी प्रश्न के नियमों के प्रतिकूल होने पर प्रश्न प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर ही आपत्ति कर सकता है। इस प्रश्न की सूचना 29-4-87 को शासन को भेजी गयी थी, तथा वह 13-5-87 तक इस प्रश्न पर आपत्ति कर सकते थे। लेकिन शासन ने 13 जून, 1987 को इस प्रश्न का स्थगन मांगा इस आधार पर कि शासन सूचना एकत्र कर रहा है अर्थात् उन्हें इसकी ग्राह्यता पर कोई एतराज नहीं था। अब अचानक उन्होंने इस प्रश्न को निरस्त करने की मांग कर दी। शासन ने जानबूझ कर गलत प्रक्रिया अपनाया कि प्रश्न का उत्तर न देना पड़े। ऐसा ही कई प्रश्नों के बारे में रोजाना शासन द्वारा किया जाता है, क्योंकि मामला नियमों और करणों, जिनसे विधान सभा की कार्यवाही नियमित होती है, के लागू करने का है, इसलिए मैंने औचित्य

का प्रश्न उठाया। आप कृपया शासन को निर्देश दें कि इस प्रकार विधान सभा की नियमावली और करणों का उल्लंघन वे न करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी आपने इस औचित्य के प्रश्न पर अपना निर्णय दे दिया और उस निर्णय देने के बाद आप माननीय सदस्य को पूरी तरह से सुनते रहे। तो क्या आप अपना निर्णय देने के बाद भी इस तरह से हम लोगों को सुनते रहेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं सुनेंगे।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

तो मान्यवर, इसे आप कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने उनको इजाजत नहीं दिया था, वह बोलते रहे।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं जिस औचित्य के प्रश्न को उठा रहा हूं, वह सदन के संज्ञान में है, आपके संज्ञान में है। इसी तीन तारीख को इसी सदन में माननीय ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की थी कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दी जाने वाली बिजली की कटौती करके किसानों के ट्यूबवेलों को शत-प्रतिशत बिजली दी जायगी लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि कहीं भी किसानों के ट्यूबवेलों के लिए बिजली नहीं दी जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह 300 में नहीं आता। अगर घोषणा की है तो उसके लिए नियम दूसरा है।

श्री राम नरेश यादव–

मैं कहना चाहता हूं कि घोषणा करने का औचित्य क्या है? क्या केवल कागजों पर सरकार चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम दूसरा होना चाहिए। मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987

सचिव, विधान सभा–

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जून, 1987 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 30 जून, 1987 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 जून, 1987 को प्राप्त हो गयी और सन् 1987 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

एक व्यवस्था का प्रश्न है अगर आप अनुमति दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा। यह मद ले लें उसके बाद। पहली सूचना श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी की प्रदेश के 15 हजार तदर्थ अध्यापकों की सेवा समाप्त करने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सत्य प्रकाश विकल की हाईस्कूल तथा इण्टर परीक्षा परिणामों में घपला के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री जगवीर सिंह, श्री कनक सिंह और श्री प्रभुदयाल की प्रदेश के पश्चिमी जिले अलीगढ़, गाजियाबाद आदि में गन्ने की फसल में पायरिला का प्रकोप के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री मनोहर लाल थाना औरास जिला उन्नाव की पुलिस को हिरासत में कैदी की मृत्यु के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मूल चन्द्र तथा श्री राम नरेश यादव की वाराणसी में पेयजल के अभाव में मौतों के सम्बन्ध में है।

छठीं सूचना श्री विजय सिंह राणा तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा की आगरा शहर व जिले में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्रीमती सरोज वर्मा की पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में अव्यवस्था के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री रामपाल वर्मा, डा0 अच्युतानन्द तिवारी तथा श्री कामेश्वर उपाध्याय की शाहजहांपुर में भूकम्प के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री रिजवानुल हक तथा श्री शफीकुर्रहमान बर्क की जनपद मुरादाबाद के थानाध्यक्ष भोजपुर द्वारा विधायक तथा उनके साथियों पर लाठी चार्ज के संबंध में है।

दसवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की राज्य विद्युत परिषद् के लेखा कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री गोपाल दास यादव की प्रदेश में राजनैतिक हस्तक्षेप से प्रशासन का मनोबल गिरने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की मिर्जापुर की सीमेन्ट फैक्टरियों द्वारा प्रदूषण के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री रिछपाल सिंह बंसल की जनपद मेरठ में सामाजिक वानिकी में घपला के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री सरदार सिंह की रामगंगा कमाण्ड प्राधिकरण कानपुर द्वारा किसानों से अनियमित वसूली के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना डा0 बंगाली सिंह की हाथरस में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में है।

श्री उपाध्यक्ष–

द्विवेदी जी, समय का विशेष ध्यान रखें।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कल उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 15 हजार अध्यापक बहुत चिन्तित हैं और मान्यवर, उसका कारण यह है कि शिक्षा सेवा आयोग ने अपनी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है और तदर्थ नियुक्ति वाले जो शिक्षक हैं, उनको नोटिस देना प्रारम्भ कर दिया है। मान्यवर, उस समय कठिनाई निवारण अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियां हुई थीं। उसमें भी योग्यता के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षकों की सिफारिश पर उनको नियुक्त किया गया था और ऐसा नहीं है कि वह योग्यता न रखते हों और उन्हें किसी प्रकार से नियुक्त कर लिया गया हो और दूसरी बात जब विद्यालय को आवश्यकता थी, तब नियुक्त किया गया है और इसमें कुछ ऐसे अध्यापकगण भी हैं जो 10-10 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनकी आयु भी निर्धारित सीमा से अधिक हो गयी है, अब वे किसी दूसरी जगह जाकर सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। तो मान्यवर, इस प्रकार 15 हजार परिवारों का मामला है, और यह दर-दर भटक रहे हैं दाने-दाने के लिए, ऐसी परेशानी मान्यवर, इनके ऊपर आ गयी है, जिस प्रकार से बिहार में ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित और रेगुलराईज कर दिया गया है, इसी प्रकार से इस प्रदेश को भी निर्णय ले लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा करने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। मान्यवर, दूसरे प्रदेश जिस प्रकार से इस वर्ग को, शिक्षकों को सुविधाएं दे रहे हैं, इसी कारण उनका शिक्षा का स्तर भी ऊपर उठ रहा है परन्तु यह सरकार बजाए अधिक सुविधाएं इनको देने के और इन्हें परेशान करने पर तुली हुई है। दूसरे मान्यवर, यह शिक्षकगण को बैठाकर बात भी नहीं करना चाहते हैं यह सरकार ताकि उनको साक्षात्कार के लिए बुलाए और उनकी समस्याओं को सुनकर कुछ समाधान पर विचार करें ऐसा मान्यवर, सरकार की ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। इसलिए मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 हजार शिक्षकों के जीवन का मामला जो भुखमरी की कगार पर आ खड़ी हुई है, इसलिए मान्यवर, आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दी जाए और जिस प्रकार से बिहार में शिक्षकों का नियमितीकरण, रेगुलाराईजेशन कर दिया गया है, इसी प्रकार से यहां पर करके शिक्षकों को मौजूदा परेशानी से बहाल कर दिया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न किसी प्रकार से नहीं बनता है क्योंकि सन् 1985 में शिक्षा सेवा आयोग संशोधन इसी माननीय सदन में प्रस्ताव के रूप में आया था, उस समय भी इस पर चर्चा हुयी थी और इसी के तहत एक अध्यादेश तदर्थ नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए आया था और उसके तहत तमाम तदर्थ शिक्षकों को समायोजित कर दिया गया है। इसलिए मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं बनता है, जितनी भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

मूल पद पर तदर्थ नियुक्तियां थीं, उन सबको समायोजित किया जा चुका है और बिहार में क्या हुआ है और वहां पर शिक्षा की स्थिति क्या है, इस सिलसिले में यहां कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने किसी आधार पर और किन परिस्थितियों में किया है। इसलिए कार्य-स्थगन का प्रस्ताव करने का औचित्य नहीं बनता है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से दो-तीन बातें कहकर इसकी ग्राह्यता पर आऊंगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् द्वारा जो समय पर परीक्षाफल घोषित करने का नाटक किया गया इससे मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री व अन्य लोग चाहे जितनी वाह-वाह लूट लें लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है छात्रों के जीवन के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, जिससे चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुयी है। मार्क्स-शीट में बड़ी गड़बड़ियां मान्यवर, हो रही हैं। यह कम्प्यूटर की देन है किसी छात्र के अंक छूट गये और कोई एब्सेन्ट नहीं था, उसे एब्सेन्ट दिखा दिया गया, कोई पास था उसको फेल कर दिया गया और जो छात्र फेल थे, उनको पास कर दिया गया।

मान्यवर, एक उदाहरण नेशनल इण्टर कालेज, महोबा, हमीरपुर के छात्र हैं, जिनके 321 नम्बर हैं, उनकी मार्क-शीट पर 229 अंक चढ़ा दिए गये, मैंने ऐसे बच्चों की स्वयं मार्कशीट देखी है कि उनके परिश्रम व उनकी योग्यता के अनुसार अलग-अलग नम्बर मिलने चाहिए, पर ऐसा न कर न जाने कितने विद्यार्थियों को रोक दिया गया है। रोकने का परिणाम यह होगा कि उनका पूरा वर्ष बर्बाद हो जायगा। कार्य-स्थगन प्रस्ताव के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो ऐसी घटना होनी चाहिए, जो थोड़े दिन पहले घटित हुई हो, तो परीक्षाफल अभी प्रकाशित हुए हैं, दूसरे वह विषय व्यापक और अविलम्बनीय लोक महत्व का होना चाहिए, किसी एक जिले या एक विद्यालय का नहीं होना चाहिए।

तो यह मामला केवल एक मेरे जनपद का नहीं, पूरे प्रदेश के लाखों छात्रों से सम्बन्धित है। मेरे जनपद का एक हास्यास्पद मामला है। एक विद्यार्थी ने हाई स्कूल में संस्कृत विषय लिया था, लेकिन परिणाम में लिखकर आया है मलयालम। मलयालम तो उसने देखा सुना ही नहीं है। इस तरह से सम्पूर्ण प्रदेश इससे प्रभावित है और लाखों विद्यार्थियों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, जब अभिभावक लोग इलाहाबाद जाते हैं या अध्यापक इलाहाबाद जाते हैं तो बोर्ड में व्यापक भ्रष्टाचार फैला है। मनमाना पैसा मांगा जाता है और परेशान किया जाता है। इस तरह से मैंने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में विषय रखा है, वह अविलम्बनीय लोक महत्व का है और हाल ही की घटना है और यह समस्या सम्पूर्ण प्रदेश में व्याप्त है अतः मेरी मांग है कि, सदन का कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। इससे हम भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे और सरकार की बात सुनेंगे, जिससे प्रदेश के लाखों बच्चों के साथ हो रहे खिलवाड़ से उनको बचाया जा सकेगा। अतः कृपया इस पर चर्चा करावें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, हाई स्कूल और इण्टर के जो परीक्षाफल घोषित हुए हैं, और जिस प्रकार से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया है, इससे पूरे प्रदेश के बच्चों पर प्रभाव पड़ा है। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने 1986-87 का परीक्षा परिणाम घोषित करके जिस आपा-धापी, मनमानी, घपले और गम्भीर गलतियों का परिचय दिया है, उससे केवल परिषद् ही नहीं पूरे शिक्षा विभाग की जो ईमानदारी की प्रतिष्ठा थी, विश्वसनीयता थी, साख थी, उसको जबर्दस्त धक्का लगा है। मान्यवर, आज ऐसे हजारों छात्र अंधकार में भटक रहे हैं, जिनके परीक्षा परिणाम रोक कर उनका भविष्य अंधकार में कर दिया गया है . . .

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, ये कांग्रेसी सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। बातचीत कर रहे हैं जिससे व्यवधान हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

वे कांग्रेसी तो हैं ही।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मैं एक महिला सदस्य से बात कर रहा हूं, तो यादव जी को क्या एतराज है।

(हंसी)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, सूखे पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता चल।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, चोर की दाढ़ी में तिनका। बात कहीं और हो रही है, हर चीज अपने से क्यों जोड़ते हैं।

(हंसी)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मैं इस गम्भीर विषय पर चर्चा करते हुए कह रहा था कि लाखों ऐसे छात्र हैं, जिनके अंकों में हेरफेर करके, गड़बड़ी करके, परीक्षाफल में गड़बड़ी की गयी है। छात्र, अभिभावक, आचार्य, प्राचार्य इलाहाबाद के चक्कर काट रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनसे इलाहाबाद जाने पर पैसा मांगा जा रहा है, मनमानी की जा रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है। मान्यवर, इसके ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का दूसरा विषय नहीं हो सकता है, इस समय लाखों छात्रों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में हो गया है, यह पूरे प्रदेश का मामला है। इसलिये मान्यवर, इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री सिब्ते रजी–

मान्यवर, इण्टर की परीक्षाफल 8 जून को और हाई स्कूल का परीक्षाफल 22 जून को घोषित किया गया था। इस प्रकार से यह कहना कि यह बिलकुल आज का ही मामला है, यह सही नहीं है। मान्यवर, जहां माननीय राजेन्द्र गुप्त ने कहा कि लाखों छात्रों का मामला है, विकल जी हजारों पर उतर आए। लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं है, राजेन्द्र गुप्त जी तो शिक्षा के क्षेत्र के अच्छे ज्ञाता हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि इस समय परीक्षाओं में नकल की प्रक्रिया काफी खराब हो गयी है और इस

कारण से काफी मास कापीं ग के केसेज पकड़े गये । इस बार जो इम्तहान कराए गये परिषद् द्वारा, उसमें 18 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया । उसका परसेंट भी ले लें, किसी भी कारण से हो सकता है, अंक-पत्र गलत भरे हो सकते हैं और भी कोई कारण हो सकता है, किसी भी कारण से ऐसे तमाम परिणामों को रोका जाता है । बहुत जोरों के साथ सारे रोके गये प्रकरणों को निस्तारित किया जा रहा है। यह संख्या लाखों में नहीं है । कोई भी भयावह स्थिति नहीं है । पिछले वर्षों के मुकाबले समय से रिजल्ट डिक्लेयर किये गये हैं इस बार । कोई वाह वाही लूटने का प्रयास नहीं किया गया है । मान्यवर, प्रदेश के विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा का प्रयास किया गया है। पहले आपने देखा होगा जुलाई के अन्त में तथा कभी-कभी अगस्त के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट आते थे । इस कारण हमारे इंटर के विद्यार्थी परीक्षा परिणामों के अभाव में समय से उच्च कक्षा में प्रवेश पाने में विफल हो जाया करते थे कम्पटीशन आदि में भी नहीं बैठ पाते थे । यह प्रयास किया गया कि रिजल्ट समय से निकाला जाय । मान्यवर, किसी तरह की भयावह स्थिति नहीं है ।

मान्यवर, आपको विदित ही होगा कि इन परीक्षाओं के संचालन से पूर्व कितनी चुनौतियां सामने थी । अध्यापकों का एक दल लगातार यह कहता रहा कि परीक्षाओं में योगदान नहीं देंगे, राज्य कर्मचारी भी लम्बे समय तक हड़ताल पर रहे । इन सबके बावजूद सारी व्यवस्थायें कराकर समय से परीक्षा कराने का प्रयास किया गया और समय से रिजल्ट निकलवाये गये । मान्यवर, भ्रम टालकर हतोत्साहित नहीं करना चाहिये । कोई भी अविलम्बनीय स्थिति नहीं है, इसलिए यह कार्य स्थगन का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री कनक सिंह–

मान्यवर, उ0 प्र0 के पश्चिमी जिलों में पायरिला की समस्या इस समय व्याप्त है । पिछले 10 सालों से इस का बराबर प्रकोप रहा है । विभाग से आज तक इस पर कंट्रोल का कोई प्रयास नहीं किया गया । इस वर्ष फिर पायरिला-मुजफ्फरनगर, मेरठ बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, ने भयंकर रूप से बीमारी का रूप धारण कर लिया है । इसके अतिरिक्त सूखा भी पड़ रहा है । सूखे की वजह से वैसे ही तबाही थी और गन्ने में पायरिला लगने की वजह से गन्ने की फसल प्राय नष्ट होती जा रही है । पश्चिमी उ0 प्र0 का किसान, जो गन्ने की फसल पर आधारित है, इस रोग से उसकी रीढ़ टूट जायेगी । इसके अतिरिक्त गन्ने में टोप बोरर, रूट बोरर और ब्लैक बक जैसी बीमारियां भी लग रही हैं । विभाग इस तरफ से बिल्कुल आंख मूंदे बैठा हुआ है । गन्ना समितियों के पास से इनसेक्टिसाइड दवा जैसी चीज भी किसानों को नहीं मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोले ।

श्री कनक सिंह–

दवाइयां जो मार्केट से मिलती हैं, मिलावटी मिलती हैं। सरकार ने कोई दवा का प्रबन्ध नहीं किया है । गन्ने की फसल प्राय नष्ट हो गयी है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है, इस पर शेष कार्यवाही रोककर 2 घंटे तुरन्त चर्चा स्वीकार की जाय ।

*प्रधान प्रभुदयाल–

मान्यवर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्दशहर-यह गन्ने की मुख्य खेती से संबंधित जिले हैं । पिछले कई कई वर्ष से पायरिला रोग ने वहां तबाही मचा रखी है । मान्यवर, मैंने शुरू में ही विभाग को लिखा था, गन्ने की फसल पर पायरिला का रोग नजर आने लगा है इसके तुरन्त निदान की आवश्यकता है । लेकिन, सरकार का उस ओर ध्यान नहीं गया । आज उसके रोकथाम के लिए उचित दवा कहीं उपलब्ध नहीं है । सरकार इस गंभीर विषय पर समुचित ध्यान नहीं दे रही है । गन्ने की फसल पर इस वर्ष इस रोग का भयंकर रूप से प्रकोप हुआ है, गन्ने की फसल काफी खराब हो रही है । चारे पर भी तथा अन्य फसलों पर भी यह रोग फैलने लगा है । अगर समय रहते इसके निदान के लिए सरकार द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो यह तबाही का कारण बन जायेगा ।मेरा अनुरोध है कि इन प्रभावित जनपदों में किसानों को दवाइयां आदि समुचित रूप से उपलब्ध करायी जाय ताकि वह बरबादी से बच सकें । मेरा यह भी अनुरोध है कि इससे दूसरा कोई अति लोक महत्व का विषय नहीं हो सकता, इस पर तुरन्त. शेष कार्यवाही रोककर सदन में चर्चा करायी जाय ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

गन्ने की फसल पर इस समय पायरिला का रोग भयंकर रूप से लगा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका नाम नहीं है । आप बैठें ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, गन्ने में सबसे ज्यादा पायरिला इस समय हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में लगा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष–

हरेन्द्र सिंह जी, आप बैठें । मैंने जगबीर सिंह को बुलाया है ।

श्री जगबीर सिंह–

मान्यवर, उ0 प्र0 के पश्चिमी जनपदों-मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर में पायरिला रोग का काफी जोर है । पारसाल भी इसका प्रकोप रहा । सरकार ने उस दिशा में कुछ काम नहीं किया है । किसानों की फसल का बहुत नुकसान हो रहा है, किसानों का करोड़ों रु0 का नुकसान हो रहा है । सरकार इस रोग के रोकथाम के लिए निरन्तर सूचना होने के बावजूद भी समुचित ध्यान नहीं दे रही है । गन्ने की फसल प्रायः नष्ट सी हो गयी है या हो रही है। दवा आदि का उचित प्रबन्ध नहीं सरकार की तरफ से किया जा रहा है । मान्यवर, यह स्थिति इस वर्ष किसानों के लिए अत्यन्त भयावह है । मैं मांग करूंगा कि इस अति लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सारा कार्य रोककर, तुरन्त चर्चा करायी जाय ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, गन्ने पर पायरिला रोग के संबंध में मेरा भी नोटिस था । मान्यवर, सबसे ज्यादा नुकसान मुजफ्फरनगर में हुआ है । सूखे की स्थिति अलग है । पिछली बार किसान भाव की वजह से रोया, इस बार गन्ने पर लगा पाइरिला रोग उसे चिंतित कर रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें । कनाक सिंह और जगबीर सिंह जी की सूचना थी, वह बोल चुके ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

गन्ना विभाग किसानों को आवश्यक दवायें इस रोग के निदान के लिये नहीं उपलब्ध करा रहा है । करोड़ों रु0 की फसल का नुकसान हो गया है और समय रहते आवश्यक समुचित व्यवस्था नहीं की गयी तो नुकसान होने जा रहा है । यह सरकार एयरकंडीशंड में बैठकर अपनी सरकार चला रही है और दूसरी ओर किसान तबाह हो रहा है । उसकी गन्ने की फसल पूरी तरह से इस पायरिला रोग की वजह से चौपट हो रही है । चारे की समस्या भी इस बार पैदा हो गयी है । मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित करें कि वहां तुरन्त आवश्यक दवायें उपलब्ध करायें । मुजफ्फरनगर इस पायरिला रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित इस समय जिला है । सारी कार्यवाही रोककर, विषय पर तत्काल चर्चा करायी जाय ।

आबकारी राज्य मंत्री (श्री रामनाथ मुंशी)–

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने सदन को पाईरिला प्रकोप से सूचित करवाया । हमारा विभाग सतर्कता से पाईरिला के विनाश में लगा हुआ है उसका परीक्षण और सर्वे कराया जा रहा है । जहां पैरासाइड्स हैं, वहां पर दवाईयां छिड़कने का कोई उपयोग नहीं है और जहां ऐसी स्थिति नहीं है, वहां पर दवाईयां छिड़काई जा रही हैं और भविष्य में भी छिड़कते रहेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस मंत्री को यह नहीं मालूम कि पाईरिला रोग से फसल चौपट हो गई है । ऐसे मंत्री का इस्तीफा दिलवाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने पाईरिला रोग से मुझे अवगत कराया । इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री जी के विभाग को यह नहीं मालूम था कि पाईरिला रोग लगा हुआ है । माननीय मंत्री जी ने आगे यह भी कहा कि छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए मान्यवर, आप मंत्री जी को निर्देश दें जिन अधिकारियों ने इस पर कार्यवाही नहीं की, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाय ।

(व्यवधान)

श्री रामनाथ मुंशी–

मान्यवर, मैंने कहा था कि आपने मुझे सूचित किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । पैरासाईट जहां है, वहां दवाई छिड़कने का कोई उपयोग नहीं है, हां जहां पैरासाईट नहीं है, दवाई छिड़की जा रही है । जहां कहीं भी इसकी सूचना मिलेगी, वहां दवाई छिड़की जायेगी ।

(श्री हरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है, इसलिए आप कृपा करके बैठ जायं ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने से व्यवधान)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैं कुछ निवेदन कर दूं इसी संबंध में ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, आप बैठें ।

*श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, इससे पहले कि माननीय गृह मंत्री जी काम रोको प्रस्ताव पर घोषणा करें, मैं चाहता हूं कि मैं और माननीय गृह मंत्री दोनों घोषणा कर दें कि हम दोनों त्याग-पत्र देते हैं । यही मेरा आपसे निवेदन है । मेरठ से लौट कर गृह मंत्री जी आये हैं, शान्ति कायम करके आये होंगे । मैं उन्नाव जनपद की बात कर रहा हूं, नियम 56 की बात कर रहा हूं । मैंने आज भी नियम 56 में दिया था, लेकिन शलाका में नहीं आया । उन्नाव जनपद में पिछले दो महीने के अन्दर पुलिस की पिटाई से थाने में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है । आज जो नियम 56 में दिया है भवन खेड़ा, थाना आसीवन, जिला-उन्नाव के रहने वाले छोटे सिंह के दो लड़के कल्लू सिंह व राज सिंह अपनी बहन, जो पन्नापुरवा थाना औरात में रहती है, के यहां जा रहे थे, जिन्हें रास्ते में नेवराघाट के पास नवाब सिंह एवं चन्द्रपाल आदि लोगों ने दोनों को पकड़ कर मारना शुरू कर दिया और थाना औरास से दो सिपाहियों को लिवा लाये, जिन्होंने उन दोनों को मारना पीटना शुरू किया और फिर थाने ले गये । छोटे सिंह जब रात में गया तो दोनों आदमी जिन्दा मिले । रात में थाने से बाहर निकालकर कल्लू सिंह राजू सिंह की फिर पिटाई की गयी, जिससे कल्लू सिंह मर गया, उसके बाप का पता तक नहीं चला । बाद में लाश को उन्नाव भेज दिया, किसी को पता नहीं चला । राजू के खिलाफ औरास पुलिस ने झूठा मुकदमा धारा 307 ता0 हि0, धारा 7 क्रिमिनल अमेण्डमेंट एक्ट तथा आर्म्स एक्ट में कायम करके उसे बन्द कर दिया । इससे पूरे उन्नाव जनपद में आतंक फैला हुआ है । पांच लोगों को थाने में पुलिस मार चुकी है। पता नहीं माननीय गृह मंत्री अपने चुनाव का बदला ले रहे हैं, इशारा करके लोगों को मरवा रहे हैं । इन्हीं के क्षेत्र का मामला है, एक हरिजन महिला, जो कि गर्भवती थी, 28 जून को पुलिस ने उसे मारा, 29 जून को मर गयी। मैंने इसकी सूचना नियम 301 में दी थी, लेकिन वह शलाका में नहीं आ पाया । यह महिला जनपद उन्नाव के अन्तर्गत थाना फतेहपुर चौरासी के ग्राम हूसेपुर की रहने वाली थी । माननीय गृहमंत्री जी के जनपद में जैसी ज्यादती है, मैं चाहता हूं कि वह और मैं इस्तीफा दे दें ।

गृह मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

हमारे साथी ने उन्नाव जनपद की जिन घटनाओं की चर्चा की है, उसके साथ ही इलाज बताया है अपने और मेरे इस्तीफे का, यह बात समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या इससे इलाज हो जायगा । सम्मानित सदस्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता की जो समस्यायें हैं, उनको इस सदन में रखते हैं, इनके त्याग-पत्र देने से समस्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हल नहीं होगी, जिस घटना की उन्होंने सूचना दी है, उस संबंध में कहना चाहूंगा कि जो सूचना डी0आई0जी0 के माध्यम से आयी है, जो इसकी जांच कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि जिस व्यक्ति के बारे में उन्होंने कहा है, वह अत्यन्त अपराधी प्रवृत्ति का था और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो उसका पीछा करने के लिये पुलिस की टुकड़ी जा रही थी, भगने पर उसने फायर किया था और शोर भी मचाया था गांव वालों ने भी पकड़ने की कोशिश की, और जब उसको थाना में पकड़ कर ले जाये जा रहे थे तो बीच में उसकी मृत्यु हो गयी। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सम्मानित सदस्य, श्री मनोहर लाल जी ने जो सूचना दी है, उस सूचना का जवाब डी0आई0जी0 से मंगाया था और उन्होंने जवाब दिया है उसके बाद सी0आई0डी0 को जांच के आदेश दिये गये हैं। उन्नाव जिले के एस0पी0 का भी ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, बनारस में इस समय पानी की बहुत दिक्कत है।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आज बारिश हो रही है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि बनारस में 2 जुलाई को जल संस्थान के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया जिसके कारण बनारस के निवासियों को पीने का पानी नहीं मिल सका। सुबह 8 बजे से लेकर दिन भर पानी की आपूर्ति बन्द रही जिसकी वजह से बच्चे नहा कर स्कूल नहीं जा सके, लोग अपनी दिनचर्य्या नहीं कर सके। 2 जुलाई को बनारस में पेय जल की आपूर्ति नहीं हो पायी। 2 जुलाई को बनारस का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस था। वहां पर सार्वजनिक कार्यकर्ता राजनीतिक दल के लोग जल संस्थान के महाप्रबन्धक के पास उनके निवास स्थान पर गये तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और फर्जी मुकदमा दर्ज करा कर उन्हें पिटवाया तथा गिरफ्तार कराया। उस दिन बनारस में पानी की आपूर्ति अभाव में 5 लोगों की मृत्यु हो गयी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोतवाली थानान्तर्गत 28 वर्षीय मन्ना यादव, बिहार में आये मोहनिया निवासी 45 वर्षीय रामभरत, दशाश्वमेध थाना क्षेत्र निवासी 30 वर्षीया श्रीमती रंजना देवी, चेतगंज निवासी देवतवां 45 वर्षीय की मृत्यु हो गयी। ये सभी व्यक्ति श्री शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल ले जाये गये किन्तु उन्हें बचाया नहीं जा सका।

पेय जल के अभाव में वाराणसी के नागरिकों में सामूहिक असन्तोष उत्पन्न हो गया है। वहां लोगों की मृत्यु हो रही है लेकिन पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। बनारस में पानी की आपूर्ति को लेकर स्थिति बहुत खराब हो गयी है। यदि यही स्थिति वहां पर रही तो किसी समय भी दंगा हो सकता है। इस सार्वजनिक लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि चर्चा करा दीजिये और यदि चर्चा न हो सके तो सरकार को आप निर्देश दें कि इस पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय क्योंकि इस समय पानी की समस्या बहुत ही गम्भीर हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मूल चन्द्र–

वाराणसी के संबंध में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मैं भी आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वाराणसी में पेय जल का संकट वहां प्रचण्ड रूप धारण किये हुए है ।

(डा0 रजनीकान्त दत्त अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप उनकी अपनी बात कह लेने दीजिए । आप अपना आसन ग्रहण करें क्योंकि मैंने माननीय मूल चन्द्र जी को बोलने का अवसर दिया है ।

श्री मूल चन्द्र–

पेय जल के संकट से वहां की जनता परेशान है । गरीब व्यक्ति अपनी बात को कह नहीं पाता है क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह स्वतः अपनी बात को अधिकारियों से कह ले । इसलिए वहां के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे वे वहां के अधिकारियों के पास पेय जल के संकट की समस्या को लेकर उससे उन्हें अवगत कराने के लिए गये, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अधिकारी ने उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 लाज कराया ।

मान्यवर, यही नहीं, उन कार्य कर्ताओं को बन्द कराया गया और उनको पिटवाया गया, क्या यही होगा । अगर इस प्रकार से होगा तो संघर्ष होगा । कार्यकर्ता किसी भी दल के हों, अगर वह किसी अधिकारी के पास जनता की फरियाद लेकर जाते हैं और वह अधिकारी उनसे अशोभनीय व्यवहार करता है, तो इससे जनता में असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है । अगर वह अधिकारी उन कार्य कर्ताओं को पिटवायेगा और रिपोर्ट लिखायेगा तथा जेल में बन्द करवायेगा, तो यह चीज कहां तक ठीक है । इसलिए मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप विचार करें और सदन की कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें ।

(डा0 रजनीकान्त दत्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है, दत्ता जी । आप बैठें ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, वाराणसी जैसे शहर में इस प्रकार का पानी का संकट उत्पन्न हो गया है जिसके कारण अधिकारियों के घेराव की स्थिति आ गयी है और अधिकारी उन लोगों को परेशान करने पर तुले हुए हैं, इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती है । प्रदेश की जनता की बात जब उठायी जाती है, तो उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। मान्यवर, जिस प्रकार से शामली में हुआ है और प्रदेश के सामने स्थिति आई है, वही हालत वाराणसी में भी हो सकती है और भीषण स्थिति पैदा हो जायेगी और मारकाट जैसी हिंसक स्थिति उत्पन्न हो सकती है । सरकार ने अगर समय रहते इस पर विचार नहीं किया, तो स्थिति गम्भीर हो सकती है । इसलिए मान्यवर, इस अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप सदन का कार्य स्थगित कराकर चर्चा करा दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, यह मामला वाराणसी का है, मेरे क्षेत्र की समस्या है । जल संस्थान मेरे क्षेत्र में है । यह घटना मेरे क्षेत्र में घटी है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, दत्ता जी को नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि उनके क्षेत्र का मामला है, इसलिए दो शब्द कह दें तो कोई हर्ज नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब चर्चा हो, और स्वीकार हो जाये, तो आप बोल लें।

श्री अम्मार रिजवी–

ठीक है, जो कह दिया है, उसको मान लेता हूं । आपने जो आदेश दिया है वह शिरोधार्य है । श्री शतरुद्र प्रकाश जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जिनके इस पर हस्ताक्षर हैं, जिस घटना की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, उसके बारे में सबेरे नोटिस मिली, तो मैंने इसकी पूरी जानकारी मांगी है और सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि वाराणसी में जहां तक पानी की आपूर्ति का सवाल है, पानी की आपूर्ति पूरी तरह से होनी चाहिए । लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे आप वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लें क्योंकि उस समय तक सारे तथ्य भी आ जायेंगे और माननीय सदस्य दत्ता साहब भी इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे तो वे भी कह सकेंगे । सारी बातें सदन के सामने आ जायेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है ।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा । आगरा नहर की आबादी इस समय 15 लाख है । इस आबादी को देखते हुए वहां पर 600 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वहां पर केवल 43 मिलियन लीटर ही पानी दिया जा रहा है । पूरा आगरा इस समय पानी के लिए तरस रहा है । माननीय मंत्री जी पिछली बार जब वहां पर गए थे तो उनके सामने हमने एक प्रस्ताव रखा था और यह तय हुआ था कि इस हेतु वहां पर एक बैराज बनाया जायेगा लेकिन अभी तक वह बैराज नहीं बनाया गया । इसके बनने के पूर्व ही उस पर साम्प्रदायिकता का विष घोला जा रहा है । यह 5 करोड़ रुपये की योजना है । वहां पर 600 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है जबकि केवल 43 मिलियन लीटर पानी दिया जा रहा है । इसलिए मान्यवर, इस पर आप कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें या वक्तव्य सरकार से दिला दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय राना जी ने आगरा के पानी के संकट के बारे में आपका ध्यान दिलाया है । वहां पर 15 लाख की आबादी है । जितना न्यूनतम पानी यानी 600 मिलियन लीटर पानी वहां की जनता के लिए चाहिए उतना पानी भी उन्हें नहीं मिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगरा में पानी कहां से मिलेगा ? जमुना के अलावा वहां पर पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है । यदि आप वहां पर नलकूप बनवाते हैं तो खारा पानी ही निकलेगा । मथुरा में बैराज बनने के बाद जमुना में पानी कहां से आयेगा क्योंकि जमुना का पानी रुक उठ जायेगा तथा आगरा को और संकट पैदा हो जायेगा । इसलिए वहां पर रेडियल वेल्स की स्थापना की जाय और जमुना नदी को रोक कर बादशाही महल के पास तत्काल एक बैराज बनाने की व्यवस्था की जाय ताकि आगरा को पानी के संकट से बचाया जा सके । मान्यवर, वहां के पानी के संकट का मूल कारण यह है कि जो जल निगम ने वहां के लिए योजना बनाई है उसमें करोड़ों रुपये का घपला है । 30 इंच मोटी पाइप लाइन ताजगंज कक्ष की तरफ डाली गयी थी । जिस दिना से वह बनी है उसी दिन से वह खराब पड़ी है । मैंने इस संबंध में एक अतारांकित प्रश्न किया था जिसके उत्तर में माननीय नगर विकास मंत्री ने स्वीकार किया है कि वह लाइन दोषपूर्ण थी । तो जांच करावें और दोषियों को दण्डित करें। इस प्रकार 3 मोटर पम्प साढ़े तीन-तीन सौ हार्स पावर के जिस दिन से लगाये गये हैं उसी दिन से वे बन्द पड़े हुए हैं जांच करके दोषी दण्डित हों । इसलिए आगरे की जनता के लिए बादशाही महल के पास एक बैराज बनाना बहुत आवश्यक है । इस विषय पर आप चर्चा करा दें ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

मान्यवर, मुरादाबाद के विधायक श्री रिजवानुल हक के सिलसिले में मैं एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। मसला यह है कि दिनांक 19-5-1987 को उन्होंने वहां के बिजली के संकट से तंग आकर अपने हल्के के बहुत से किसानों के साथ इस मसले को उठाया । वे सब लोग बस स्टैण्ड भोजपुर में धरना दे रहे थे । उनका कहना यह था कि संबंधित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां पर तशरीफ लाएं और आकर उन्हें यह यकीन दिलाएं कि उन्हें बिजली दी जायेगी लेकिन वे (पी0 एस0 गुप्ता) वहां पर नहीं पहुंचे और उसके बाद सी0 ओ0 सदर और एस0 डी0 एम0 सदर वहां पर आए और मसले को हल नहीं कर पाये । मुरादाबाद के एक विधायक श्री समरपाल सिंह वहां पर आये और उन्होंने कहा कि रास्ता खोल दिया जाय । आधे घण्टे के बाद रास्ता खुलवा दिया गया । लेकिन वहां पर जो एस0 ओ0 इंचार्ज श्री हरिश्चन्द्र राणा हैं उसने लाठीचार्ज कर दिया बगैर किसी मैजिस्ट्रेट की इजाजत लिए । तो इनके साथ बहुत ज्यादती की गयी जिससे श्री रिजवानुल हक की जान को खतरा पैदा हो गया है । इस बीच वहां एस0 पी0 आर0 ए0 पहुंचे उन्होंने तहरीरी फैसला किया । साढ़े 5 बजे धरना वापस लिया । इस संबंध में एक फर्जी मुकदमा नं0 89, 19-5-87 को दर्ज किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

झूठा मुकदमा इनके विरुद्ध दर्ज किया गया जो दफा 147, 352, 353, 341, 504, 506 आइ0 पी0 सी0 में दर्ज किया गया है । इससे पहले एक झूठा मुकदमा दफा 147, 332, 452 इनके खिलाफ और दर्ज किया है । जब इस तरह का सलूक विधायकों के साथ होगा तो फिर कैसे आम जनता का काम होगा? माननीय गृह मंत्री मौजूद हैं वह बतायें कि इसमें सी0 आई0 डी0 की जांच करायेंगे ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

इसकी हम उच्चस्तरीय जांच करा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांति से सुनें श्री जगवीर सिंह, श्री कनक सिंह तथा प्रधान प्रभुदयाल की गन्ने में पायरीला बीमारी के संबंध में है जिसको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं ।

इसी तरह श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री मूल चन्द्र, श्री राम नरेश यादव जी को जो बनारस में पेय जल संकट, तथा श्री विजय सिंह राणा और श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की आगरा में पेय जल संकट तथा डा0 बंगाली सिंह की हाथरस में पेयजल संकट के बारे में है सब को एक साथ कर वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं। शेष सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

अब हम भोजनावकाश के लिये उठते हैं पौने तीन बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर भोजनावकाश हेतु सदन स्थगित हुआ)

(भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुयी ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुयी ।)

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या 22-खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,72,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,25,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,02,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22-खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,46,51,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास इस प्रदेश और देश में हुआ । कृषकों ने आवश्यकता के अनुरूप अनाज के उत्पादन को बढ़ाया । बड़े-बड़े किसानों ने पशुओं को हटाकर मशीनें उनकी जगह लगाईं, तो कुछ लोगों को यह भ्रम हो चला था कि शायद मशीनें पशुओं का स्थान ले लेंगी लेकिन देखना मान्यवर, यह है कि खेती के उत्पादन की एक सीमा है, उसके बाद में कितना ही प्रयास हम करलें कि निर्धारित एक आय जो है उससे हम आगे नही बढ़ पाते हैं, इसलिये उसको बढ़ाने के लिये क्या हमारे सामने साधन हो सकते हैं जिनको माध्यम से सीमान्त, लघु या भूमिहीन कृषकों की आय को बढ़ा सकते हैं। छोटे उद्योग भी हो सकते हैं किन्तु साथ ही साथ जो सीधे खेती से जुड़ा हुआ है, वह पशुधन है, दुग्ध विकास है । इसलिय आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले करोड़ों किसानों के लिए गरीबी रेखा से नीचे हैं, हम इस बात का प्रयास करें कि पशुधन से वह अपने स्तर को ऊपर उठा सकें । इस प्रयास में पशुधन विभाग ने क्या भूमिका निभाई है, इस बारे में बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात करना चाहूंगा।

मुख्य रूप से पशुधन विभाग के ऊपर 3 जिम्मेदारियां हैं।एक, इस प्रदेश के लगभग 6 करोड़ पशुओं की चिकित्सा और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी, जिसके लिए हम ग्रामीण अंचलों, तहसीलों और शहरों में पशु चिकित्सालय और पशु सेवा केन्द्रों की सुविधा दे रहे हैं। दूसरे करोड़ों पशु ऐसे हैं, जिनके नस्ल सुधारने की आवश्यकता है, उनके नस्ल सुधार का कार्यक्रम। तीसरा कार्यक्रम हमारा वह है जो दुग्ध विभाग के माध्यम से चल रहा है।दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों की जो सदियों से शोषण हो रहा था, उसके विपणन की व्यवस्था की गई है।

माननीय सदस्यों को जानकर हर्ष होगा कि अभी तक इस पूरे प्रदेश में 1535 पशु चिकित्सालय हैं और 2770 पशु चिकित्सा या सेवा केन्द्र हैं।इनमें से लगभग 2700 पशु सेवा केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान की सेवा उपलब्ध है।मैं साथ साथ यह बताना चाहूंगा कि सेवा तो उपलब्ध कराई, लेकिन अभी तक तमाम पशु चिकित्सालय में हम डाक्टरों की व्यवस्था नहीं कर सके, इसका कारण हमारे पास पशु चिकित्सकों का अभाव रहा है।इसके लिए हमारा प्रयास था और लोक सेवा आयोग से बार बार प्रयास किया है और आशा है कि यह जो कमी थी आने वाले कुछ समय में यह कमी दूर हो जाएगी। पशु सेवा केन्द्रों में भी जो पद रिक्त हैं, उनकी पूर्ति का भी हमारा प्रयास है।इस वर्ष 75 नये चिकित्सालयों के बनाने का हमारा प्रस्ताव है और 71 सेवा केन्द्रों को बनाने का प्रस्ताव है । 18 बी श्रेणी के पशु चिकित्सालय हम बनाने जा रहे हैं ।

दवाओं का जहां तक प्रश्न है, माननीय सदस्यों को शिकायत रही है कि चिकित्सालय तो बहुत बना दिये, लेकिन उनमें दवाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि जितनी सुख सुविधा और दवा अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए, उतनी नहीं है। लेकिन उनका निष्कर्ष यह नहीं निकालना चाहिए कि दवा नहीं है तो अस्पतालों की कोई उपयोगिता नहीं रह गई। इतना तो किया डाक्टर को छोड़कर एक एक टेक्निकल आदमी रख दिया गया है जो उनके पशुओं के बारे में वैकसीन की जानकारी देने और उसके लगाने का कार्य करता है।

एक वह जमाना था कि जब हल में चलते हुए बैल जख्मी हो गया तो केवल झाड़-फूंक के जरिये उसका इलाज किया जाता था और वह कभी हो नहीं पाता था। हमने यह भी व्यवस्था की है बरसात से पहले या जब भी उनमें किसी रोग फैलने की शिकायत मिलती है, तो वैक्सीनेशन का हम समुचित प्रबन्ध करते हैं। दो करोड़ वैकसीन का उत्पादन हम यहां पर कर रहे हैं, यह हमारे लिए कम पड़ रहा था। इसलिए हमारे विभाग के लिए दूसरे पी0 पी सेक्शन का शिलान्यास गोरखपुर में माननीय मुख्य मंत्री ने अभी किया है। इसमें हमें विश्वास है कि जल्दी ही उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को जहां शिकायत रहती थी कि समय से दवा नहीं पहुंच पाती है, इसके निर्माण के बाद दवाओं की व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके बाद पाली क्लीनिक की बात है। आदमियों के लिए तो प्रदेश में कई पाली क्लीनिक्स थी, लेकिन पशुओं को इस प्रदेश में इसकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। हमने पाली क्लीनिक दो स्थापित की हैं और एक हम और स्थापित करने जा रहे हैं। जिससे जो बहुत गम्भीर किस्म के रोग हैं, उनकी चिकित्सा हो सके और उनका परीक्षण हो सके। जहां तक नस्ल सुधारने का प्रश्न है इस पर बहुत बल दिया गया है। हम यह मानकर चलते हैं कि करोड़ों की गाय भैंस इस देश में हैं, लेकिन उनका दुग्ध उत्पादन बहुत कम है, जिस हिसाब से गाय भैंसें इस देश में हैं उस हिसाब से दुग्ध उत्पादन नहीं है, जो परिव्यय इस विभाग का है उसको देखते हुए वह बहुत कम है। वह करीब आधा प्रतिशत पूरे टोटल का है जितना पशुधन हमें अंडे, मांस, हड्डी और इसके चमड़े से मिलेगा इसको देखा जाए तो वह 3 हजार 204 करोड़ के करीब बैठता है, तो मान्यवर, चाहे उसका दूध बेचें, चाहे मांस बेचे, चाहे चमड़ा बेचें इतना धन इससे मिल सकता है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। नस्ल सुधारने में जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें।

मान्यवर, इम्ब्रियो ट्रांसफर टैक्नोलौजी में कुछ देश पहुंच गये हैं। हम भी इस कोशिश में लगे हैं। मान्यवर, कभी ऐसा मौका आएगा जब इम्ब्रियो टेक्नोलौजी इस देश में आएगी और यह देश के लिए बड़ी सौगात सिद्ध होगी। हम एक मदर गाय चुनेंगे और वही गुण बेकार फिरने वाली सभी गायों में आना सम्भव हो सकेगा। मान्यवर, बरेली में आई0बी0आर0आई0 अधिष्ठान है, उन्होंने यह प्रशिक्षण शुरू किया है। मान्यवर, करीब 2 हजार 700 अतिहिमीकृत केन्द्र कृत्रिम गर्भाधान के सम्बन्ध में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, बुन्देलखण्ड के बारे में कहना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड में लोगों को जानवर बांधकर पालने की आदत नहीं है यहां गायों को छुट्टा छोड़ दिया जाता है तो इससे कार्यक्रम में कठिनाई आती है। मान्यवर, यह जो कार्यक्रम है इससे किसानों को सुविधा हो जाएगी। वैसे मान्यवर, किसानों ने इस कार्यक्रम को आहिस्ता आहिस्ता अपनाना भी शुरू कर दिया है। मान्यवर तरल नत्रजन संयम

आजमगढ़ जालौन, इलाहाबाद, गोरखपुर आदि जगहों पर लगाये गये हैं और बलिया में भी इसको लगाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों पर जो हमें निर्भर रहना पड़ता था वह नहीं रहना पड़ेगा । मान्यवर, इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से जो इनकी मूल नस्ल है वह बरबाद न हो जाय। क्योंकि जहां यह कार्यक्रम चलाया गया उससे मूल नस्ल नष्ट हो गई और जो नस्ल पैदा हुई वह उस जलवायु में अपने को जिन्दा नहीं रख सकी। इसलिये आवश्यकता समझी गयी कि मूल नस्ल को जिन्दा रखा जाय और उसका संरक्षण किया जाय। उसके लिये खीरी में एक केन्द्र बनाया गया है जहां पर मुर्रा नस्ल की भैंस का प्रजनन किया जायगा और उसकी नस्ल को आरक्षित रखा जायगा । इसी प्रकार से पश्चिमी जिलों, मेरठ में हस्तिनापुर में इस प्रकार का एक संस्थान बनाने का प्रस्ताव है जो ''बेफ'' संगठन है उसकी सहायता से यह लगाने की बात चल रही है । यहां पर मुर्रा नस्ल की भैंस के ऊपर खोज की जाएगी कि उसको कैसे आगे विकसित किया जाय। इस ओर हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, इसी के साथ साथ जो दूसरा कार्यक्रम है वह भी ''बेफ'' के माध्यम से 10 जनपदों में 62 केन्द्र संकर प्रजनन के चल रहे हैं। इस वर्ष सुल्तानपुर जनपद में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से एक अधिष्ठान कायम किया जा रहा है जो इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। इस विभाग के ऊपर जहां गाय, भैंस बैलों के सुधार की जिम्मेदारी है वहीं पर मुर्गी पालन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे प्रदेश में 68 लाख 58 हजार मुर्गियां हैं। जो मुर्गी खाने वाले हैं वह जानते हैं, माननीय मैनेजर सिंह बहुत शौकीन हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मुर्गी के या मुर्गे के।

श्री हुकुम सिंह–

मुर्गी और मुर्गा दोनों खाने के शौकीन हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आम चर्चा है कि हरदेव जी के बगल में कोई सुवर छोड़ दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 68 लाख 58 हजार मुर्गियां प्रदेश में हैं । 10 सघन कुक्कुट विकास क्षेत्रों के माध्यम से इनकी चिकित्सा, आहार आदि की सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं। आवश्यकता तो यह भी थी कि उत्तर प्रदेश में जितनी अंडों आदि की जरूरत है, उसकी पूर्ति यहां के उत्पादन से होती लेकिन आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से आकर उत्तर प्रदेश में कम्पटीटिव रेटस पर अंडे बिक रहे हैं । तो हमने इस कमी को पूरा करने के लिये यह सुनिश्चित किया है कि मुर्गी पालकों को सस्ती दरों पर पशु आहार मुर्गी आहार उपलब्ध करा सकें। इसके लिये राइस पालिश की आवश्यकता पड़ती है। यह मंहगा पड़ता है। इसकी लेवी थी, इसके मिलने में दिक्कत थी। तो हमने यह व्यवस्था की है कि हर मण्डल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वह राइस पालिश का परमिट काटने के लिये अधिकृत होंगे और अपने मण्डल के लिये आवश्यकता के अनुरूप राइस पालिस उपलब्ध करा सकेंगे । तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम मुर्गी दाना, मुर्गी आहार का उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा दुग्धशाला विकास के बारे में। इस दिशा में क्रांतिकारी कदम इस विभाग द्वारा उठाया गया है और इस प्रदेश के 20 जिले आपरेशन फ्लड-2 की योजना से आच्छादित हैं। हमें खुशी है कि हम जितने सोसाइटी स्तर के चुनाव थे, 20 जिलों के तो सोसायटी स्तर के चुनाव करा सके हैं। 20 में से 12 जिलों में संघ स्तर तक के चुनाव भी हो चुके हैं। चुने हुये संघ केवल दुग्ध उत्पादकों के द्वारा चलाये जा रहे हैं वहां पर कोई प्रशासक नहीं बैठे हैं।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में नगर में पी0सी0डी0एफ0 के माध्यम से पौने 2 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली, कलकत्ता, पटना को उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध पी0सी0डी0एफ0 के माध्यम से भेजा जा रहा है। वह दिन दूर नहीं है, पी0सी0डी0दफ0 एक न्यूक्लियस के रूप में उभार कर आया है, आनन्द का जो काम है, वह दिन दूर नहीं है जब पी0सी0डी0एफ0 का काम उससे आगे निकल जायेगा। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक प्रदेश स्तर का जो संगठन है उसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ बोर्ड आ सकेगा। मान्यवर, संक्षेप में मैंने पशुपालन के ऊपर यह बातें कहीं अब जो मत्स्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया है उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, दोनों बजट अलग-अलग हैं, पशुधन की कटौती आप रख रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह–

उसको बाद में ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

कटौती कौन प्रस्तुत कर रहा है यह आपने लिखकर नहीं भिजवाया।

श्री सत्यपाल सिंह–

कटौती का प्रस्ताव डाक्टर जौहरी प्रस्तुत करेंगे।

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, वैसे तो कटौती एक औपचारिकता मात्र है। इस विभाग का बजट इतना कम है और इसका महत्व ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष–

डा0 साहब मत्स्य वाले को भी इसी के साथ रख दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि कटौती करना एक औपचारिकता मात्र है । इस विभाग के महत्व को देखते हुए पहले इतना कम बजट दिया गया है और वह भी जो पिछले 2 वर्ष पहले एक कैबिनेट मंत्री प्रस्तुत किया करते थे एक राज्य मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं । मुझे कोई शिकायत नहीं है, हुकुम सिंह जी को राज्य मंत्री से हटाकर ऊंचा पद दे दिया जाय और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया जाय लेकिन इस विभाग का बजट एक कैबिनेट मंत्री प्रस्तुत करे।

मान्यवर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रह रहे हैं। कृषि पर सब कुछ निर्भर है उसके साथ ही पशुधन भी बहुत महत्व रखता है। हम एक ओर हरित क्रान्ति की बात करते हैं, श्वेत क्रान्ति भी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश का आर्थिक ढांचा गांव पर कृषि पर, पशुधन पर निर्भर करता है। हमारा देश तभी उठेगा जब गांव उठेगा, गांव तभी उठेगा जब किसान उठेगा, किसान तभी उठेगा जब कृषि उठेगी और पशुधन उठेगा। मान्यवर, किसानों को पशुधन के 3 मुख्य लाभ हैं। सबसे पहला पोषण, पशुधन से सबसे बड़ा प्रोटीन जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा का काम करता है, मिलता है चाहे वह दूध से हो, चाहे अंडों से हो, चाहे वह मुर्गी से हो या मुर्गे से हो। किसान की आय का सबसे बड़ा स्रोत है । अगर पशुधन का विकास किया जाय पशुपालन के माध्यम से, मुर्गी पालन के माध्यम से, गाय पालन के माध्यम से, बकरी पालन के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार मिलता है यह बढ़ता है और गरीबी घटती है। तीसरा मान्यवर, खेती में भी सहायक है। खेती के साथ-साथ यात्रा की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं, भैंसा है, बैल है, ऊंट है घोड़ा है । लेकिन मुझे अफसोस है कि पशुधन के विकास के लिए कोई ऐसी विशेष योजना नहीं बनायी गयी है । अच्छे जानवर कैसे हों, केवल आर्टिफिशियल पालूनेशन के ऊपर हमारा सारा प्रोग्राम निर्भर करता है। लेकिन आर्टिफिशियल पालूनेशन के लिए आप अच्छे जानवर नहीं विकसित कर पाये, जितना प्रदेश में होना चाहिए। अच्छे सांड केवल जिला मुख्यालय पर उपलब्ध हैं, यह ब्लाक स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि किसान को जिला मुख्यालय पर अपनी गायें, भैंसें ले करके आना बड़ा मुश्किल होता है। साथ-साथ जिला मुख्यालय पर जो सांड हैं, उनको जो चारा और दाना दिया जाता है, उसमें चोरी होती है, इसलिए उनमें उतनी पोटेंसी नहीं रह जाती, जितनी कि होनी चाहिए। आपके पास सीमन रखने के लिए फ्रीज नहीं है। अगर आपके पास जहां कहीं पर फ्रीज है भी, तो वह आधे से ज्यादा खराब है। थर्मस टूटे-फूटे पड़े हैं। बिजली मिलती ही नहीं है। जो आपके पास फ्रीज है भी, तो उसमें डाक्टर साहब ताला डाले हुए हैं । वह स्टोर के काम में नहीं आती है ।

अभी इम्ब्राय ट्रान्सफर टेक्नालाजी का विकास हो रहा है। आई0 बी0 आर0 आई0, बरेली उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केन्द्र है। पशुधन विकास के लिए वैज्ञानिक खोज हो रही है, लेकिन उन्हें आप प्रान्त में लागू नहीं कर पा रहे हैं। श्वेत क्रांति को सफल बनाने के लिये यहां अधिक दूध देने वाली गाय से अधिक से अधिक

एक वर्ष में तैयार किये जाने की विधि विकसित की जा रही है। बड़े गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केन्द्र है । लेकिन अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आई0 बी0 आर0 आई0 के सदस्य उसके

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर कौशल पीठासीन हुए ।)

आधार पर चले नहीं। अच्छा चारा उपलब्ध होना भी उतना आवश्यक है, जितना पशु। लेकिन वहां पर सब-स्टेंडर्ड चारा होता है। वहां पर भी भ्रष्टाचार है, चोरी है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने जानवरों के रोगों के बचाव व उपचार के लिए डाक्टर नियुक्त कर रखे हैं। लेकिन मान्यवर, जानवरों के रोगों के निदान व उपचार की आपके यहां उचित व्यवस्था नहीं है। ब्लाक में कम से कम दो अस्पताल होने चाहिए। जिला मुख्यालय पर एक पोलीक्लीनिक होनी चाहिए, जहां एक्सरे आपरेशन, पैथालाजी हो तथा अन्य स्पेशलाइज्ड उपचार की सुविधा होनी चाहिए। मान्यवर, प्रचुर मात्रा में जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन होनी चाहिए । लेकिन अस्पतालों में वैक्सीन पशुओं की संख्या से बहुत कम है। अगर आपको भयंकर रोगों से पशुओं को बचाना है, तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाने होंगे। भेड़ों को चेचक से, मुर्गा को बीमारी से चेचक से, जानवरों को खुरपका से, मुंह पका रोग से, लंगड़िया रोग से पोकनी रोग से बचाने के लिए वैक्सीन प्रचुर मात्रा में रखना होगा । आपके पास कुत्ते के काटने पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अगर मिलती है, तो वह बहुत महंगी मिलती है। मैं मांग करता हूं कि आज प्रचुर मात्रा में एंटी रैबिन वैक्सीन उपलब्ध कराई जाय।

मान्यवर, दवाइयों का बजट आपने बहुत कम रखा है । आपने तो कह दिया कि 15 वर्ष पूर्व झाड़-फूंक से इलाज होता था। आपने कह दिया कि डाक्टर उपलब्ध करा दिया है, उससे आपने सन्तोष ही नहीं, परम सन्तोष कर लिया । आपके अस्पतालों में किसान अपने जानवर, गाय, भैंस आदि ले करके आते हैं। न आपके पास पट्टी है, न इन्जेक्शन है, न गोली है और न मलहम है, केवल एक पर्चा है जिस पर आप दवा लिखवा देते हैं, कम से कम आप अपने अस्पताल का बजट तो बढ़वा देते। बजट नहीं बढ़ेगा तो गरीब मरीजों को दवा नहीं मिलेगी, गरीबों के गोरू को भी दवा नहीं मिलेगी, मान्यवर, दवा खरीद में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जिलों में जो दवायें आती हैं वे सब स्टैंडर्ड आती हैं और सब चोरी हो जाती है, आपके नये सचिव जब से आये हैं, तब से उन्होंने यह प्रथा शुरू की है कि केवल लखनऊ में ही सब दवायें उपलब्ध होंगी, जिलों में कोई दवा नहीं मिलेगी, इससे 25 प्रतिशत कमीशन यहां लखनऊ में देना पड़ता है और 25 प्रतिशत वहां जिलों में देना पड़ता है क्योंकि अगर वहां कमीशन नहीं देंगे तो वहां के डाक्टर रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा तो आपका यह बजट है, चाहें तो आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं उनसे पूछ लें। मान्यवर, आज एक बहुत बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। आज शहर में अवारा पशु इधर-उधर घूमते रहते हैं, सड़कों पर आवारा पशु बैठे रहते हैं जिससे रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है, वे रास्ता रोक लेते हैं इसके लिए कोई शरणालय बनवाना चाहिए। आपने देखा होगा कि लखनऊ में विधायक निवासों में भी आवारा पशु घूमते रहते हैं और आ0 सी0 आर0 में तो प्रथम तल तक चढ़ जाते हैं, इनकी रोकथाम के लिए शरणालय बनवाना बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, 1955 में गऊ रक्षा बिल पास हुआ था लेकिन अफसोस है कि इतने वर्षों के बाद भी गाय काटी जाती हैं, बेची जाती हैं। कृषि और डेरी का नाम लेकर उनके बहाने से उन्हें कलकत्ता भेजा जाता है। छोटे-छोटे स्टेशनों से चोरी छिपे पशु-धन अधिकारी और रेलवे के कर्मचारी मिलकर पूरी-पूरी ट्रेनें, पूरी-पूरी मालगाड़ियां भरवाकर कलकत्ता भेज देते हैं और वहां से करोड़ों टन गऊ मांस खाड़ी के देशों में निर्यात किया जाता है। मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारा देश दूसरे देशों में गऊ मांस सप्लाई करवा रहा है, गऊ हत्या करवा रहा है। मान्यवर, मैं पुरजोर शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि गऊ हत्या रोकी जानी चाहिए और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। दुग्ध विकास के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास बहुत मात्रा में दूध उपलब्ध है और हम कलकत्ता भेज रहे हैं, कहां-कहां भेज रहे हैं। मान्यवर, आप पानी तो प्रदेश को पिला नहीं पा रहे हैं दूध क्या पिलायेंगे। मान्यवर, 18वीं सदी में बच्चों को दूध से नहलाया जाता था, 19वीं सदी में बच्चों को दिखाया जाता है, 20वीं सदी में बच्चों को दूध के बोतलें दिखाई जाती हैं और राजीव गांधी की 21वीं सदी में दूध की चर्चा होगी, दूध की कहानी सुनाई जायेगी, दूध मिलेगा नहीं।

मान्यवर, आज दुग्ध विकास में इतना भ्रष्टाचार है कि आपकी सब दुग्धशालायें घाटे में चल रही हैं। इनके आफिसर व कर्मचारी दूध, मक्खन व पनीर आदि की चोरी कर रहे हैं, इसीलिए आपको वह लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो मिलना चाहिए और इसीलिए आपकी डेरियां घाटे में चल रही हैं, इस ओर भी आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, आज 250 मिली लीटर दूध हर व्यक्ति को मिलना चाहिए लेकिन आज आप 100 मि0 ली0 दूध भी आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और आप बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, जिस दिन आप माननीय मंत्री जी यहां के हर बच्चे को एक गिलास दूध उपलब्ध करा देंगे, उस दिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी लेकिन ऐसा कर पाने में न मालूम अभी आपको कितना समय और लगेगा और मान्यवर, इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि अगर आप अपने पशु का विकास पूर्णतया कर लें तो आप निश्चय ही न्यूजीलैण्ड, डेनमार्क और स्वीडेन आदि मुल्कों से मुकाबला कर लेंगे लेकिन इसके लिए आपको अपने पशुधन का विकास करना होगा। जबकि आपके दूसरे प्रदेश इस क्षेत्र में हरियाणा आदि आपको विफल करना चाहते हैं, इस ओर उनके बहुत प्रयास चल रहे हैं। मैं चाहूंगा आप चौकन्ना होकर हर ओर देखें कि कहां क्या हो रहा है, कहां चोरी हो रही है, कहां गिरह कटी हो रही है। आपरेशन कार्यक्रम के सिलसिले में आपने बताया कि 28 जिलों में आप यह कार्यक्रम चला रहे हैं, वाकई यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस ओर वैसे ही बहुत कमी है। अच्छा हो यदि आप जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक की सहायता से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी बड़ी-बड़ी योजनाएं चला रहे हैं, उसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी यह योजनायें चलाई जाएं, इसमें किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होना चाहिए अपने प्रदेश का चतुर्मुखी विकास होना चाहिए हम तो इस मत के हैं।

दूसरे मान्यवर, वर्ल्ड बैंक की मदद से हम कब तक काम चलायेंगे और कब तक इनकी सहायता के ऊपर योजनाएं बनाते रहेंगे। आखिर जब हमारे पास स्वयं अपने साधन हैं तो हम उनको क्यों न अपनाएं और अपने पैरों क्यों न खड़े हों और कटोरा लेकर कब

तक इस प्रकार दूसरों से मांगते रहेंगे । दूसरे मान्यवर, आपने बताया कि पशुओं के उपचार के लिए आपने पाली-क्लीनिक्स खोले हैं तो इन 2-3 पाली-क्लीनिक्स से इतने बड़े प्रदेश को कैसे पूरा फायदा पहुंचेगा, यह बहुत कम है, अगर रामपुर के किसी किसान को अपने पशु को दिखाना हो और क्लीनिक आपका लखनऊ में हो तो वह यहां नहीं आ सकता है और वह सुविधा उसे प्राप्त नहीं हो सकती है इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक पाली-क्लीनिक्स खोल दें, जिससे हर जगह यह सुविधा उपलब्ध हो जाय । मैं आशा करता हूं कि आप अतिशीघ्र ऐसी कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे और मान्यवर, हर ब्लाक व न्याय पंचायत में एक सेवा केन्द्र तो होना ही चाहिए । दूसरे मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मत्स्य विभाग का बजट तो अभी प्रस्तुत नहीं किया है, परन्तु मैं कटौती का प्रस्ताव ला चुका हूं । मान्यवर, मछली का एक ऐसा व्यवसाय है, जो सबसे ज्यादा आसान रोजगारप्रद है लेकिन इसकी उपलब्धता आज बहुत कम है । प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 3.75 के0 जी0 उपलब्ध होती है, जबकि 12.2 के0 जी0 होनी चाहिए । जापान में यही उपलब्धता 44 के0 जी0 है । मान्यवर, कहां 44 के0 जी0 और कहां 3 के0 जी0 भी नहीं उपलब्ध करा पाते । इसका बड़ा स्कोप है आगे ले जाने का, आगे बढ़ाने का । गांव में मछुवा समुदाय के लोग इससे रोजगार पा सकते हैं, अगर उनको ठीक से ऋण दिया जाय । लेकिन ऋण उन तक आधा ही पहुंच पाता है और बीच में आधा अधिकारी लोग खा जाते हैं । गांव का आदमी सारे पैसे का कर्जदार हो जाता है और बाद में उसका घर नीलाम हो जाता है । मान्यवर, ऋण लेने के बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसका घर नीलाम हो जाता है ।

मान्यवर, मछुवा समुदाय के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गयी हैं, लेकिन ये योजनाएं कागज तक ही सीमित हैं । इसलिए हकीकत यह है कि 10-10 वर्ष पट्टा दिए हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसे कब्जा नहीं मिल पाता है । अगर उसका विकास सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो कम से कम यह सुनिश्चित कर लें कि मछली पालने वालों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराएं, वे उन तक पहुंच जायं । अगर उनके बच्चों के लिए शिक्षा की, चिकित्सा की या और कोई व्यवस्था करते हैं तो उस तक पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपका जो कार्यक्रम है, उसमें सबसे बड़ा जल प्रदूषण का है । फैक्ट्रियों से और मिलों से जो जहरीला जल निकलता है, वह नालों से तालाबों में, नदियों में और नहरों में जाता है । आपने गत वर्ष देखा होगा कि गोमती में इतना जल प्रदूषण हो गया था कि सारी मछलियां मर गयी थीं । मान्यवर, बरेली, कुमाऊं और मुरादाबाद में 25 चीनी मिलें हैं, उनका सारा प्रदूषण गंगाजी में छोड़ा जाय तो हरिद्वार से इलाहाबाद तक सारी मछलियां मर जायेंगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आपको इस पर दोबारा समय मिलेगा । अभी खाद्य और रसद पर भी चर्चा होनी है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि समाप्त करें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं इन तीनों विभागों की कटौती का प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी –

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने आज मत्स्य विभाग और खाद्य विभाग दोनों का बजट पेश कर दिया है । हमारी मान्यता है कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पिया जाता है, चर्म रोग हो जाता है । तो कहीं सरकार को चर्म रोग न हो जाय ।

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी आज्ञा से मत्स्य विभाग का जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में मैं कुछ बताना चाहता हूं । मान्यवर, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन का कार्य कर रहा है । उनसे एक तरफ गरीब और जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको रोजगार मिल रहा है और दूसरी तरफ प्रोटीन युक्त अच्छा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है । माननीय डा0 जौहरी साहब ने अभी कटौती के प्रस्ताव में यह उल्लेख किया था कि जापान में प्रति व्यक्ति 40 के0 जी0 मछली उपलब्ध कराई जाती है और हमारे देश में केवल 3 के0 जी0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से अभी मछली उपलब्ध होती है । मान्यवर, यह बात सही है कि उस दिशा में हमारी सरकार का यह मत्स्य विभाग मछली के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है । उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष तक 80 हजार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था, लेकिन इस वर्ष में हमारे मत्स्य विभाग ने यह प्रयास किया है कि 85 हजार मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन किया जाय । उसके लिए विशेष योजनाएं मत्स्य विभाग की तरफ से बनायी गयी हैं । हमारे प्रदेश में जल क्षेत्र बहुत हैं, लेकिन विभिन्न विभागों में सम्बद्ध हैं, जिसकी वजह से उचित रख-रखाव मत्स्य पालन की दृष्टि से नहीं हो पाता है । कुछ जलाशय मत्स्य विभाग के प्रबन्धाधीन हैं, परन्तु अधिकांश जलाशय-सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग नगर विकास विभाग तथा अन्य विभागों के अन्तर्गत आते हैं । हमारी सरकार यह प्रयास कर रही है कि यह सारे विभागों के जो जलाशय हैं, वे एक जगह रहें, मत्स्य विभाग को हस्तांतरित कर दिए जायं । एक ही विभाग के द्वारा उनका प्रबन्ध हो । उससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जहां 11 लाख 65 हजार हेक्टेयर जल क्षेत्र हैं, नदियों और जलाशय सबको मिलाकर, मछली का उत्पादन बढ़ेगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 48 जिलों में मत्स्य पालक अभिकरण द्वारा मत्स्य उत्पादन का काम किया जा रहा है, जिसमें 24 जिले विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत आते हैं। शेष 24 जिलों में 2 जिले केन्द्र सरकार की सहायता से हैं, शेष जिलों में हमारी सरकार की सहायता से योजना पर काम हो रहा है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग से 2 मई, 1981 और 30 मई, 1981 को शासनादेश जारी करके मछुआ समुदाय की सहकारी समितियों को पट्टा दिलाने की व्यवस्था की गयी थी उसके अन्तर्गत अभी हमारे प्रदेश में जो पट्टे किये गये हैं । 1986-87 तक वह 28026 हेक्टेयर जल क्षेत्र के पट्टे किये गये हैं 1986-87 तक वह 24310 हेक्टेयर जल क्षेत्र के तालाबों के लिए बैंकों से ऋण भी स्वीकृत कराये गये हैं । मान्यवर, मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गयी है । 30176 मत्स्य पालकों को अभी तक प्रशिक्षण दिया गया है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज की आवश्यकता पड़ती है । 1986-87 में 13 करोड़ 50 लाख मत्स्य बीज उपलब्ध कराये गये हैं और आगे वर्ष में इस वित्तीय वर्ष 1987-88 में 16 करोड़ मत्स्य बीज उपलब्ध करायें जायेंगे ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन के विकास के लिए हैचरी का निर्माण कराया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो हैचरी का निर्माण किया गया है विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत लखनऊ, इलाहाबाद और फैजाबाद में हैचरी बनायी गयी है। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत सीतापुर, मथुरा और बस्ती में हैचरी का निर्माण किया गया है। केन्द्रीय सहायता से मेरठ मण्डल और बरेली मण्डल में एक करोड़ की लागत से-दोनों जगह, मत्स्य हैचरी बनाने के लिए 15 हेक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है। उनके लिए जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत सी ऐसी जमीनें हैं, जिन पर किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो पाता है, वहां पर फिशरीज इस्टेट बनाये जा रहे हैं। वहां बेकार हुई जमीन, वह सीपेज से हो या अन्य प्रकार से हो वहां तालाब बनाकर मत्स्य पालकों को बांटने की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार की सहायता से कल्याणकारी योजनायें हमारे प्रदेश में चलायी गयी हैं। दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत 1986-87 में 22,222 मछुओं को दुर्घटना से बचाने के लिए वह योजना चलायी गयी है। 1987-88 में 24222 मछवारों को बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षा करने की योजना बनाई गई है। भारत सरकार की सहायता से यहां पर आवासीय योजना भी लागू की जा रही है इस वित्तीय वर्ष में 100 आवासीय भवनों के निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जहां पर मछुआ बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर सामुदायिक भवन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रदेश में मछुआ सहकारी समितियों का गठन भी किया जा रहा है। इसके तहत मार्च, 1987 तक 580 मछुआ सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एन0 सी0 डी0 सी0, नाबार्ड और सहकारी बैंक से ऋण देने की भी व्यवस्था की जा रही है।

प्रधानमंत्री जी की इच्छानुसार उत्तर प्रदेश में मछुआ समुदाय के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का टैक्नीकल सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया था और वह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में किया जा चुका है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि नदियों में पौल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे मछलियों का नुकसान हो रहा है, इसलिए गंगा एक्शन प्लान के तहत नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए इलाहाबाद में एक सीवेज मत्स्य परिक्षेत्र की स्थापना की जा रही है जो केन्द्र सरकार द्वारा पोषित योजना है इसका एक फायदा यह होगा कि गन्दे पानी को साफ करके मत्स्य पालन किया जा सकेगा और दूसरी तरफ नदियों को प्रदूषण से दूर रखा जा सकेगा।

नये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य उत्पादन को भी शामिल किया है। मत्स्य विभाग प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को तेजी से बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मत्स्य विकास निगम की भी स्थापना की गई है। यह निगम 1979 में स्थापित किया गया था और 1980 से इसने कार्य करना आरम्भ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य पालक हैं, उन्हें आवश्यकतानुसार मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए उसकी सम्पूर्ति इस विभाग द्वारा की जा रही है। पहले हमें हावड़ा से मत्स्य बीज मंगाना पड़ता था लेकिन आज हम स्वयं हैचरीज का निर्माण कर मत्स्य बीज अपने यहां ही उपलब्ध कराने की स्थिति में आ गये हैं। लखनऊ में फिश पारलर की स्थापना करके यहां पर नागरिकों को शुद्ध मछली उपलब्ध कराने का कार्य भी हमारा यह विभाग कर रहा है ताकि मत्स्य विकास निगम

की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके । पट्टों के संबंध में माननीय सदस्य ने बात उठाई कि पट्टों के कब्जे मिलने में गड़बड़ी हो रही है, इस संबंध में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कड़े निर्देश दिये गये हैं सभी जिलाधिकारियों को कि वह एस0डी0 ओ0 और तहसीलदारों की बैठकों को करके और शासनादेशों के अनुसार तालाबों के पट्टों को देने और उसके अनुपालन में जो वरीयता निर्धारित की गई है, उसके अनुसार पट्टे दिये जायं और जहां कहीं भी शिकायतें मिलती हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा हैं इस तरह से ये संक्षेप में मत्स्य विभाग के क्रिया-कलाप हैं। ये योजनायें मा0 सदस्यों के सामने रखी हैं । मुझे उम्मीद है कि मा0 सदस्य इस संबंध में अपने अच्छे सुझाव देंगे जिससे इस प्रदेश मत्स्य पालन पर निर्भर रहने वाले गरीबों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान कर सकें । इन शब्दों के साथ मत्स्य विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मा0 अधिष्ठाता जी, कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए डा0 जौहरी ने कहा कि औपचारिकतावश कटौती का प्रस्ताव है, वास्तव में इस विभाग का बजट बढ़ना चाहिये । इस कृषि प्रधान देश में पशुधन के विकास की बहुत बड़ी सम्भावना है । इस विभाग के द्वारा इस प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है । मुझे खेद है पिछले 25-30 सालों में इस प्रदेश में पशुधन की बहुत उपेक्षा हुई है । यह विभाग एक तरह से तिरस्कृत रहा है । यह विभाग जिस मंत्री को दिया जाता रहा है, वही अपना नाक-मुंह सिकोड़ता रहा है, यह समझकर कि उसकी उपेक्षा हो रही है । इतना महत्वपूर्ण विभाग, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता की सेवा कर सकते हैं, उस विभाग की इतनी भयंकर उपेक्षा इस प्रदेश में हुई है । मैं इस राय का हूं कि मा0 मंत्री जी पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य का जो बजट पेश किया है, तीनों में मिलाकर 35 करोड़ रु0 की मांग है । इतना बड़ा उत्तर प्रदेश और पशुधन के तीन महत्वपूर्ण मदों की कुल राशि केवल रु0 35 करोड़ है, यही हमारे शासन के लिये कलंक की बात है । मैं तो कहना चाहूंगा कि खाद्य और रसद विभाग का भी बजट साथ ही पेश कर दीजिये । हमारे मा0 साथी रसद खाद्य पर कोई कटौती पेश करें तो उसको स्वीकार कर लीजिये । 4 अरब 46 लाख रु0 की मांग खाद्य रसद पेश करने वाले हैं खाद्य और रसद की, उसकी आधी कटौती स्वीकार कर लीजिये और 2 अरब 22 लाख रु0 पशुधन में जोड़ दीजिये, तो इस प्रदेश का कायाकल्प हो जाय, खाद की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाय । खाद के लिये कृषि मंत्री जी बेचैन रहते हैं, उसका भी समाधान हो जायगा, और कृषि का बोझ भी कम हो जायगा । पशुधन अगर बढ़ जाय तो रासायनिक खादों की खपत कम हो जाय । इसलिये कहना चाहता हूं कि इस विभाग की रकम बढ़ना चाहिये । इसीलिये मैंने कहा कि यदि सम्भव हो तो फिर से विचार कर लीजिये । खाद्य और रसद के प्रस्ताव को टलवा दीजिये, कल लाइए, उसमें 2 अरब 22 लाख रु0 की कटौती कराकर इसमें जुड़वा दीजिये ताकि यह पशुधन विभाग प्रदेश की ठीक से सेवा कर सके । इसीलिये मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस विभाग को बढ़ाइए । अपने मंत्रिपरिषद् में जाकर इस धन की मांग कीजिये तब इस प्रदेश की सेवा आप कर सकेंगे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूर्व में चले जायं, कहीं पर पशु प्रजनन फार्म नहीं है । बहुत पहले वाराणसी का आराजी लाइन फार्म खुला था, आराजी लाइन का फार्म था, कई बार उसकी भूमि काटकर दूसरे कार्यों को दे दी गयी।

जिस समय आराजी लाइन फार्म खोला गया था उस वक्त कहा गया था कि यह विकसित फार्म होगा, उत्तर प्रदेश का सर्वप्रमुख फार्म यह बनाया जायेगा, लेकिन अब उसकी उपेक्षा हो रही है । उपेक्षा करके उस फार्म में बढ़ोत्तरी के बजाय घटोत्तरी की गयी है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कोई दूसरा पशुधन फार्म नहीं खुला है । 1966 में गंगागिरी नस्ल के पशु सम्वर्धन फार्म खोलने की योजना श्री गेंदा सिंह जी मंत्री के कार्यकाल में स्वीकृत थी, उस समय इसको खोलने की योजना उक्त वर्ष 67 के बजट में प्राविधान हुआ । किन्तु जब संविद सरकार बनी तो उसके बाद वह आईटम बजट से काट दिया गया यद्यपि बजट में वह आईटम आ चुका था, लेकिन बाद में उसे काट दिया गया । उस पर विचार नहीं हुआ । उसके बाद इस पर फिर विचार किया गया और निश्चय किया गया कि प्रदेश में दो विदेशी पशु प्रजनन फार्म खोले जायेंगे एक रायबरेली में और दूसरा बलिया में । लेकिन बलिया में फार्म नहीं खुला यद्यपि इब्राहीमाबाद में 100 एकड़ जमीन गांव समाज की भूमि उपलब्ध हुयी जो कि आज भी 60 एकड़ के करीब खाली पड़ी हुई है, उसी स्थान के निकट बकुल्हा स्टेशन के पास रेलवे की जमीन चार सौ या साढ़े चार सौ एकड़ पड़ी हुई है । हमारे पहले पशुधन विभाग के सचिव महोदय थे, उन्होंने कागज पर कुछ रूप रेखा बनायी भी थी लेकिन अब जो इस विभाग में नये सचिव महोदय आये हैं वे प्रधान मंत्री की तरह 21 वीं सदी की बात करते हैं । पशुधन के सचिव कहते हैं कि फार्म सब बेकार हैं, अब तो ऐसी मशीनें आ गयी हैं कि आप उसमें जई डाल दीजिये चारा तैयार हो जायगा, और सुबह जई डालिये, शाम तक इसमें चारा तैयार हो जायेगा । ऐसे सचिव विभाग में मौजूद हैं? हम कहते हैं कि आप कृषि विभाग में ताला लगा दीजिये और सचिव महोदय को उसका डिक्टेटर बना दीजिये, पता नहीं कौन सी मशीन वे जर्मनी से मंगाये हैं कि रात भर में वह 3 फीट चारा उपजा लेती है । हम लोग भी चाहते हैं कि आप हमें भी उसे दिखाइये वह करिश्मा जरा हम लोग भी देखना चाहते हैं क्योंकि हम लोग भी जनता के सेवक हैं और चाहते हैं कि जनता को आसानी से सामान मुहैय्या हो जाय । यदि इससे दुग्ध विकास में मदद हो सकती है तो हम भी यही कहें । नहीं तो इस तरह की हवाई बात करके काम नहीं चलने वाला है । अगर ऐसे सचिव को आप बैठा देंगे अपने विभाग में तो फिर प्रदेश का बंटाधार हो जायेगा । उस सचिव को आप दिल्ली भेज दीजिये प्रधान मंत्री के कार्यालय में वे चले जायं और वहीं 21 वीं शताब्दी पर बैठ कर विचार करें ।

सुनने में आया है कि आपके यहां से निर्देश गये हैं जिलों में छोटे-छोटे फार्म खोलने की सम्भावना देखी जाय । यह परस्पर विरोधाभास की बात कैसे चल रही है ? मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व में आप एक फार्म खुलवाइये । इसके लिये गांव समाज की 100 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल सकती है और रेलवे का प्लाट 400 या 450 एकड़ का पड़ा हुआ है इसके लिये आप रेलवे से बात कीजिये । पशु प्रजनन फार्म आप पूर्व में जरूर खोलें क्योंकि सारे फार्म लखनऊ और लखनऊ के पश्चिम में हैं इसलिये आप पूर्व के लिये कुछ काम कीजिये ताकि लोग आपके नाम को याद रखें ।

मैं वर्तमान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसमें पहल करें । अस्पतालों की संख्या बहुत कम है और यदि अस्पताल है भी तो उसमें डाक्टर नहीं हैं, इसमें

लिये भी आप प्रयास करें । लोक सेवा आयोग द्वारा डाक्टरों की नियुक्ति में यदि देरी होती है तो आप उनकी एडहाक नियुक्ति कर लें या फिर प्राप्तांकों के आधार पर उनको वहां पर नियुक्ति दे दें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री राजेन्द्र शर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । मान्यवर, हमारे गांव का किसान और मजदूरों का जीवन कृषि और पशुधन पर आधारित है । मैं समझता हूं कि जो श्री मैनेजर सिंह ने सही कहा कि इस बजट पर कटौती का प्रस्ताव लाने के बजाय बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव लाना चाहिये था । मान्यवर, पशुओं के बिना न तो खेती की जा सकती है और न किसान का कोई धन्धा ही चल सकता है । माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण में पशुओं के स्वास्थ्य और नस्ल सुधार पर बड़े विस्तार से चर्चा की ।

मान्यवर, इस वर्ष के दौरान में जिस प्रकार से पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी बीमारी से बचने के लिये जो प्रयास किये गये हैं, वह सराहनीय है । मान्यवर, मेरठ में परतापुर डेरी है, वहां पर बहुत बड़ी-2 मशीनें लगी हैं, उनकी संख्या में वृद्धि की जाये । मान्यवर, मेरठ में जो भीषण दंगा हुआ है, उस समय इस डेरी ने दूध की पर्याप्त सप्लाई की और घी काफी मात्रा में सप्लाई किया और जनता की ऐसी विषम स्थिति में सेवा की है, ऐसे सरकारी संस्थान बधाई के पात्र होते हैं और मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । मान्यवर, इसी के साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कृषि प्रधान है वहां पर पशुओं की नसल निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन फिर भी सुधार की आवश्यकता है । वहां पर दवाओं की आवश्यकता है । मान्यवर, जिस प्रकार से गोरखपुर में दवाओं का कारखाना खोला गया है, उसी प्रकार से मेरठ में दवाओं का कारखाना खोला जाये । मान्यवर, आज होता क्या है, जब बीमारी आ जाती है, और पशुओं की मृत्यु होना प्रारम्भ हो जाती है, उस समय बीमारी की रोक थाम के लिये प्रयास किये जाते हैं । जानवरों में गला घोटू की बीमारी हो जाती है, उससे न मालूम कितने जानवर मर जाते हैं । अगर पशु मर गये तो किसान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है । वहां पर मान्यवर, 100 पशु दो तीन दिन में ही मर गये, तो बीमारी से पहले ही उसकी रोकथाम होनी चाहिये ।

मान्यवर, दूसरी चीज मैं पशु अस्पतालों के बारे में कहना चाहता हूं । पशु अस्पतालों की संख्या बहुत ही कम है । मेरा सुझाव है कि एक हजार आबादी वाले गांवों में एक पशु चिकित्सालय खोला जाना चाहिये । मान्यवर, पशु जीवन उतना ही जरूरी है जिस प्रकार से मनुष्य जीवन जरूरी है । दूध के बिना मनुष्य का जीवन असम्भव है, इसलिये मान्यवर, पशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जरूरी है। मान्यवर, पालीक्लीनिक खोलने की बात कही गयी है, यह एक दो स्थानों पर खोली गयी हैं, जिनसे काम नहीं चलने वाला है। इसलिये मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इनको मंडल स्तर पर खोला जाना चाहिये।

मान्यवर, अब मैं मछली के बारे में जो कहा गया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मछली पालन पर और दिया जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो लाखों रुपया लगाकर मत्स्य तालाब बनाये गये हैं, उनमें मछली नहीं पैदा हो रही है। मेरठ में दो बड़े मछली पालने के तालाब हैं-एक नीति तालाब और दूसरा बावली तालाब, लेकिन उनमें मछली पैदा नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मछुवारों के लिये सोसाइटी बनायी जा रही है। मेरा सुझाव है कि जो नौजवान लड़के एम0 एस-सी0 हैं और फिशरीज में उनको स्पेसिलाइजेशन है, उनको ऐसी सुविधायें दी जायें जिससे वे मछली पालन ठीक तरह से कर सकें। इससे उनकी बेरोजगारी भी दूर होगी और एक क्रांतिकारी सुधार भी मछली पालन में हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उधर से डाक्टर साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव अपनी भावना और इच्छा के विरुद्ध रखा है उसे वे वापस ले लें।

(श्री काशी सिंह ऐरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम भजन लाल शर्मा—

मान्यवर, ऐसा है कि आप तादाद का भी ध्यान रखें कि उधर से कितने लोग बोलने वाले हैं और इधर से कितने लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक नहीं बोल पाये हैं। एक उधर से खड़े हो जाते हैं तो एक इधर से खड़े हो जाते हैं। हमें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें। एक माननीय सदस्य इधर से और एक माननीय सदस्य को उधर से बुलवाऊंगा।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे माननीय डाक्टर जौहरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे गांव समाज में शुरू में जब कई दिनों के बाद लोग मिलते थे तो सबसे पहली शरीर की कुशलता पूछी जाती थी फिर बाल-बच्चों, गाय, भैंस और दही-दूध की बात पूछी जाती थी। तो जो हमारे गांव समाज में पशुधन विकास एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंश था उसे हमारी इस सरकार ने प्राथमिकता में बहुत नीचे रख दिया है, इस बात का मुझे दुख है। आपने इस सदन में भी आज देखा कि पशुधन और दुग्ध विकास के लिये आपका जो यह पशुधन विभाग काम कर रहा है उसका नमूना यह देखने को मिला कि हम लोगों के पीजान हाल में एक पैम्फलेट रखा था उसमें लिखा था "रानीखेत से बचाओ"। आज कोई भी बाहरी आदमी उसको पढ़कर क्या अन्दाज लगा सकता है। मैं जानता हूं कि रानीखेत कुक्कुट पर लगने वाली एक बीमारी है जिस पर शोध कार्य हो रहा है। लेकिन इस तरह से लिखने में कोई भी अन्दाज लगा सकता है कि आपका पशुधन विकास विभाग कितना काम कर रहा है कैसा विकास कर रहा है और उसमें कितना विकास हुआ।

श्री अधिष्ठाता—

उसमें मुर्गी की शक्ल भी बनी हुई है । . . . (व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी—

आपने आपरेशन फ्लड की बात कही कि यह 28 जिलों में लागू किया गया है। आपने और जिलों को छोड़ दिया है और खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों को नहीं लिया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुधन विकास की बहुत बड़ी समस्या है । उसे सरकार ने आपरेशन फ्लड स्कीम के अन्तर्गत नहीं रखा है । पिथौरागढ़ में एक अधिकारी से मेरी बात हुई । उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने किसी मित्र को बताया कि उन्होंने पिथौरागढ़ में दूध दुग्ध विक्रय केन्द्र खोल दिये हैं तो उनके मित्र ने कहा कि यह कौन सी बड़ी बात हो गई ? लेकिन मान्यवर, पिथौरागढ़ के लिए बड़ी बात थी । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि वहां पर दूध नहीं मिलता है । जितने वहां पर पशु हैं उनकी दूध देने की क्षमता बहुत कम है । इस सम्बन्ध में जो भी योजनायें बनीं वह सफल नहीं हुई । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पशु प्रजनन केन्द्र खोले जाने चाहिए । दो किलोमीटर में भी यदि एक पशु प्रजनन केन्द्र होगा तो रास्ते में जो पशुओं को लाने और ले जाने में परेशानी होती है, जानवर मरकर गिर जाते हैं, जो हीटेड पीरियड होता है, वह समाप्त हो जाता है । इसलिये मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये वहां पर ज्यादा से ज्यादा पशु प्रजनन केन्द्रों की स्थापना की जाये । तब आप उन्नत किस्म के पशुओं की बात कर सकते उन्नत किस्म के पशु ही ज्यादा दूध दे सकते हैं ।

एक और बात मैं पशुओं की जनगणना के बारे में कहना चाहता हूं पहले इस प्रकार की गणना हुआ करती थी लेकिन 1974 के बाद यह जनगणना नहीं हुई है । इस प्रकार की गणना होना जरूरी है जैसा कि डा0 जौहरी ने कहा जो फालतू किस्म के पशु हैं उनका गणना होनी आवश्यक है । यह इसलिये भी आवश्यक है कि उनको कम किया जाय क्योंकि इससे दो किस्म का नुकसान हमें हो रहा है एक तो यह कि वह दूध देने वाले पशुओं का चारा खाते हैं क्योंकि उनके चारे के लिये भी कहीं न कहीं से व्यवस्था करनी होती है और वह जंगल से व्यवस्था होती है उससे जंगलों में बहुत दबाव पड़ता है । इसलिये आवश्यक है कि पशुओं की गणना की जाय और जो अनुत्पादक पशु हैं उनको किसी तरह से कम किया जाय यह योजना युद्धस्तर पर करें ताकि जंगलों में पैदा होने वाला चारा दुग्ध पशुओं के लिये मिल सके ।

मैं अपने क्षेत्र की एक बात कहना चाहता हूं हमारे यहां भेड़पालन बहुत बड़ी मात्रा में होता है यह एक पुस्तैनी पेशा है । इससे आज भी वहां ट्रांसपोर्टेशन का काम कराया जाता है, इससे ढुलाई का काम होता है दूसरा इससे ऊन भी पैदा होती है तीसरा इसका मांस लोग खाते हैं लेकिन इसके चरने की कोई व्यवस्था नहीं है । जब से फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट पास हो गया है, तब से यह किल्लत और बढ़ गयी है । एक और विसंगति हमारे सामने आती है कि हिमांचल से आने वाले भेड़ पालकों के लिये हमारी सरकार लाइसेंस देती है लेकिन हमारे यहां के भेड़ पालकों को कोई लाइसेंस नहीं मिलता है जिससे भेड़ पालन का काम दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

एक मिनट में खतम करूंगा । एक बात मैं मत्स्य पालन के संबंध में कहना चाहता हूं हमारे यहां पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के लिये केवल एक ही फिशरीज इंसपेक्टर काम कर रहा है । दो जिलों की मुझे जानकारी है बाकी में क्या है मैं नहीं जानता लेकिन दो जिलों में एक व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है । पर्वतीय क्षेत्र में नदियों का पानी मीठा होता है इसलिये वहां अच्छे किस्म की स्वादिष्ट मछलियां होती हैं वहां पर मत्स्य विकास की बहुत संभावना है । चूंकि ज्यादा समय नहीं है इसलिये मैं कटौती प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

श्री राम भजन लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिसका मेरे से बहुत तालुक है हालांकि मैं सुबह से इरादा किये हुये था कि मैं पूर्ति के बजट पर बोलूंगा लेकिन पूर्ति विभाग के बजट के पहले ही मुझे आपने मौका दे दिया अगर समय मिला तो उस पर भी बोलूंगा । इस समय मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है इससे लोगों को काफी राहत मिलती है । मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि हमारे डाक्टर साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह दिल से नहीं रखा बल्कि उन्होंने कुछ सुझाव दिये उनकी इस समझदारी और होशियारी के लिये उनको मैं मुबारकबाद देता हूं । मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

पशुपालन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है कृषि तथा दूसरे कामों के लिये पशु का होना अति आवश्यक है । हमारे देश और प्रदेश में कृषि क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह किसी से छिपी हुई नहीं है उस पर हमें गर्व है । पशुधन की उन्नति के लिये भी हमने अच्छी बुनियाद डाली है । हमें आशा है कि जिस प्रकार हमने कृषि में उन्नति की है उसी प्रकार इसमें भी उन्नति होगी । इसको हमारे महापुरूषों ने तथा पूर्वजों ने पशुधन की संज्ञा दी है । यह ऐसी चीज है कि इससे दूध, घी, मक्खन आदि पौष्टिक पदार्थ हमें मिलते हैं । इसके अलावा पशुओं की और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आदमी के काम में आती हैं जैसे खाद मिलती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया शांत रहें ।

श्री राम भजन लाल—

(व्यवधान होने पर) मान्यवर, दो चीजें बेहूदा अक्ल की हैं-इस संबंध में एक फारसी की शेर कहना चाहता हूं-

"दो चीजिए अक्लस्त, दमफरो बस्तन,
बवक्त गुपतनो गुफतन बवक्त खामोशी ।

अर्थात् न बोलने के समय बोलना और बोलने के समय खामोश रहना । यह चीजें ठीक नहीं हैं ।

मान्यवर, बात करने के लिये कुछ शुरुआत का छोर होता है और दूसरा बात खत्म करने का । जो सभ्य आदमी हैं वह किसी के बीच में बात नहीं करते हैं ।

मैं उसी आदमी को अपना हमदर्द और शुभचिन्तक समझता हूं जो मेरे ऐबों को मुझपर जाहिर करे । इस संबंध में शेर अर्ज कर दूं-

सखुन रा खर अस्त ऐखिरदमन्द वुन,
मयावर सखुन दरम्यान सखुन ।

(व्यवधान)

हुल्लड़बाजी करते हैं जिससे आपके ऊपर रोना आता है । जनता ने रुपये खर्च करके आपको यहां भेजा है और आप यहां हुल्लड़बाजी करते हैं । यह ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ।

श्री राम भजन लाल—

मान्यवर, देश में कृषि में जो उन्नति होनी चाहिए थी हालांकि वह उन्नति नहीं हो सकी है लेकिन सरकार ने जो इस संबंध में बुनियाद डाल दिया है उस पर हमें फक्र है । सरकार ने अस्पतालों का जाल बिछा दिया है । दवा कारगर साबित हुई है जिससे देहातों में पहले जो पशु मरते थे उनके लिये यह एक अच्छी चीज हो गयी है । नस्ल सुधार के लिये सरकार ने काम किये हैं । (व्यवधान) किसान आज सचेत हो गया है जिससे नस्ल का सुधार होगा । इससे दूध अच्छा प्राप्त होगा और हमें पौष्टिक पदार्थ अच्छे मिलेंगे एवं खाने की अच्छी चीजें प्राप्त होंगी जिससे देश ताकतवर बनेगा ।

मान्यवर, यह अफसोस की बात है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पशु हैं लेकिन उनके नीचे दूध नहीं है चूंकि पशुओं को हम अच्छा चारा नहीं दे पाते हैं इसलिये सरकार पशुओं को नया-नया चारा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है जिससे दूध अच्छा मिलेगा । नये-नये बीजों से चारा अधिक पैदा होगा और इससे किसान तरक्की की ओर बढ़ रहा है । इस तरह खेती का दूसरा जो अभिन्न अंग है उसकी पूर्ति करने के बाद हम तरक्की कर सकेंगे ।

इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने यह बजट पेश किया है । यह ऐसा बजट है । . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप विराजिए । मनोहर लाल जी ---

*श्री मनोहर लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मत्स्य पालन और पशुधन का जो कटौती का प्रस्ताव डाक्टर साहब ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन और बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मत्स्य पालन और पशुधन विकास मंत्री ने अपने-अपने विभागों की जो चर्चाएं की हैं, उसमें बड़े जोरदार शब्दों में उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पशुधन और मत्स्य पालन को आगे बढ़ाने के लिये बड़ा काम कर रही है । भारत वर्ष और उसके ग्रामों के लिए जैसे कृषि आवश्यक है वैसे ही उसके लिये पशुधन आवश्यक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है यह सही है । लेकिन मैं आंकड़ों में न जाकर साधारण बात कहना चाहता हूं, गांवों में चले जाइये, जहां पर भी पशु चिकित्सालय बने हुए हैं सब पशु चिकित्सालय बन्द आपको मिलेंगे, कहीं भी उनमें डाक्टर आपको मौजूद नहीं मिलेगा । साथ ही इनके भवन भी टूटे फूटे हालत में आपको मिलेंगे ।

कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र खुले हुए हैं, उनकी भी बुरी हालत है । जैसे केन्द्र की सरकार नक्ली सांड की खाल जानवरों में ओढ़ाकर अपना काम चलाती है, वही काम उत्तर प्रदेश, चलने वाला नहीं है। यह तो आप स्वयं जानते हैं कि किस तरह का काम सरकार करवा रही है । पहले तो यहां दूध दही की नदियां बहती थीं और आज दूध की नदियां बहना तो दूर रहा, लोगों को और मरीजों और बच्चों तक को दूध नसीब नहीं होता है। तो यदि यह कहा जाय कि जैसा होता रहा है वैसा होता रहेगा, तो यह कहना ठीक नहीं है। अच्छी नस्ल के सांड चाहे हरियाणा से लेकर पंजाब से लेकर आप उत्तर प्रदेश में छोड़ें।उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत कमी है। नस्ल सुधारना है तो बहुत इसमें ऐसे प्रयास करने हैं। सिर्फ ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा । जो पशु चिकित्सालय हैं उनकी दशा आप सुधारें और जो हमारे यहां जानवरों की संख्या कम हो रही है, उसकी ओर भी ध्यान दें । बहुत से लोग पशुओं को जहर देने काम कर रहे हैं । इस तरह से वह उपयोगी जानवरों की बड़ी क्षति कर रहे हैं । इसकी तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए जो बड़ी मात्रा में लोग पशुओं को जहर देने का काम कर रहे हैं ।

मत्स्य पालन मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमने मछुवारा समुदाय की सहकारी समितियों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने मछुवारा समुदाय के कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी है और उनकी सोसाइटियों के माध्यम से कितनी असली सोसाइटियों को तालाबों के ठेके दिये गये हैं । मैं इस संबंध में बड़ी सचचाई के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी सोसाइटियां बनी हैं, वे फर्जी बनी हुई हैं । मत्स्य पालन के संबंध में मैंने नियम 56 के अंतर्गत एक प्रश्न सदन में उठाया था । मंत्री जी ने एक नहीं सैकड़ों नकली सोसाइटियां बना दी हैं । 20 साल पहले जो दूसरे विभाग के तालाब थे, वे मत्स्य पालन विभाग में आ गये थे, लेकिन आज तक उन तालाबों का उनका विभाग कब्जा नहीं ले पाया । उनके सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने अभी 25 जून, को टेन्डर कर दिया, जो तालाब थे उनका तीन साल के लिए टेन्डर दिया है और वह अपने सेक्रेटरी की बात को काट नहीं सके हैं । जो समितियों को दिये गये थे ठेके पर, पट्टे पर उसे इनके सेक्रेटरी ने खत्म कर दिया है और यह कुछ नहीं कर पाए हम चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा रेल एक्सीडेंट के ऊपर दे दिया उसी तरह से मंत्री जी सीताराम निषाद जी इस्ताफा दे दें कि इनके सेक्रेट्री ने इसकी बात न मानते हुए सारे प्रदेश में टेण्डर करवाया, इससे मछुआरा समुदाय में इनका नाम रोशन हो जाएगा इस्तीफा देकर यह अपने क्षेत्र में चले जाएं तो बड़ा अच्छा होगा, तो मत्स्य विभाग की तरफ से पशुधन विभाग की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो नस्ल सुधारने का काम है, चाहे वह इनकी नस्ल सुधारने का काम हो, चाहे पशु की नस्ल सुधारने का काम हो, इसको अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ढिंढोरा पीटने से काम चलने वाला नहीं है जब तक इसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा रखे गये इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पशुधन एवं मत्स्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं मिर्जापुर की तरफ से माननीय पशुधन मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि भेड़ पालकों को पैदा किये हुये उनकी अच्छी कीमत दिलाने के लिये प्रदेश के तीन जिलों में ऊन की छटाई और बिक्री के लिए जो महत्वाकांक्षी योजनायें बनाई हैं उसमें झांसी मुनी रेती के अलावा मिर्जापुर को भी स्थान दिया है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । सघन भेड़ विकास परियोजना का लाभ मिर्जापुर को भी दिया है । इसलिये भी मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, इस विभाग द्वारा जो बजट रखा गया है निश्चित रूप से इससे पशुधन का विकास होगा, जिन्होंने पशुधन से जुड़े हुए उद्योग लगाए हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी । आज हमारे प्रदेश के लोग सूखे के शिकार हैं जिससे पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । मिर्जापुर में भी पशुओं के चारे की कोई व्यवस्था नहीं है जिसका फायदा उठाकर पशु पालक के साथ जंगल विभाग के अधिकारी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं बल्कि उत्पीड़न करके उनसे अवैध वसूली भी की जा रही है । मान्यवर, हमारे जनपद मिर्जापुर में पशुओं का अस्पताल है उस अस्पताल में जो डाक्टर और अन्य कर्मचारी हैं जिनके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है वह सही तरीके से नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, पिछले मार्च के महीने में किसी रोग से सैकड़ों घोड़े शिकार हो गये जिससे उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उनकी कोई चिकित्सा नहीं की जा सकी, जिसके कारण मिर्जापुर में असन्तोष व्याप्त है पशुचिकित्सक होने के बाद भी कोई उनकी मदद नहीं कर सका । डाक्टरों की लापरवाही के कारण यह हुआ। मान्यवर मिर्जापुर में दुग्ध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जबकि लाखों रुपये खर्च करके मिर्जापुर नगर में प्लान्ट लगाये गये हैं । मान्यवर, मिर्जापुर जनपद में विश्व बैंक द्वारा घोषित 24 जनपदों के लिए एक योजना रखी गई है मत्स्य पालन अभिकरण की, लेकिन प्रगति के नाम पर इसमें ज्यादा सफलता हासिल नहीं हो सकी है । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र विकास खण्ड हालिया, लालगंज में मत्स्य पालन के लिए विशेष जोर दिया जाय ताकि वहां के लोग जो इस जाति को विलोप करते हैं और मत्स्य पालन में विशेष रुचि रखते हैं उनको मौका मिल सके और वह इस दिशा में अच्छी भूमिका निभा सकें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और डा0 जौहरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री कुशलपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय डा0 जौहरी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से कृषि प्रधान प्रदेश है । यहां पर पशुधन का विकास होना बहुत जरूरी है । पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि जो हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसमें जो छोटे किसानों को भैंस खरीदने के लिये कर्ज दिया जाता था उसमें अधिकतर फर्जी कर्जे दिये जाते थे और कर्जों को बांटकर लोग खा जाते हैं इसलिये जितना लाभ उससे होना चाहिये उतना नहीं हो पाता था । हमारे प्रदेश में अच्छी

नस्ल की गायों, भैंसों की काफी कमी है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि अच्छी नस्ल की गायों, भैंसों और दूसरे जानवर बाहर से मंगायें और जो हमारी दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हैं उनके मेंबर्स को वह जानवर दिये जायं ताकि दूध का अच्छा उत्पादन हो सके और श्वेत क्रांति सफल हो सके ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे मथुरा जनपद में जो पशु चिकित्सालय हैं उनकी बिल्डिंग्स टूटी फूटी हैं और उनकी हालत अत्यन्त दयनीय है। वहां दवाओं की भी व्यवस्था नहीं है। जब जानवर बीमार होते हैं और लोग डाक्टर के पास जाते हैं तो वह लिख देता है अगर वह दवाई गांव में नहीं मिल पाती है तो जानवर बीमारी से मर जाता है। बरसात आ रही है बरसात में बीमारियां फैलेंगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सभी सेंटर्स पर दवाओं को उपलब्ध करायें। हमारे जनपद का जो हरियाणा का बार्डर के गांव हैं वहां पर पशु चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं है । वहां के लोग जब उनके जानवर बीमार होते हैं तो हरियाणा को लेकर भागते हैं और बहुत दूर उनको जाना पड़ता है । मेरा निवेदन है कि एंच और रायपुर में चिकित्सालय खोले जायं ताकि लोगों को दवाओं के लिये दूर हरियाणा न जाना पड़े। जहां तक मत्स्य पालन का सवाल है जितनी भी मछली पालने के लिये समितियां बनायी गयी हैं वह सब कागज पर हैं और फर्जी हैं । लोगों को पट्टे नहीं दिये गये हैं । मथुरा में एक कोलार हैचरी बनायी गयी है । वहां पर 50 लाख का गबन हुआ है । जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने ठेकेदार से मिलकर मेरे शिकायती पत्र को मा0 मंत्री जी के यहां से गायब करा दिया है । मैंने उसकी शिकायत की थी लेकिन कोई जांच नहीं हुयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, हैचरी की जो बिल्डिंग है वह गिर चुकी है और जो वहां पर ट्यूबवेल लगाया गया था वह खराब है । वहां की जमीन ऊसर है वहां पर एक भी मछली का बच्चा देखने को नहीं मिलेगा । जो 50 लाख रुपये खर्च किये गये हैं वह बिलकुल बेकार चले गये हैं ।

श्री लाल चन्द निषाद–

मान्यवर, आपने जो बोलने के लिये मौका दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । मछली एक तरफ तो जहां शुभ चीज होती है वहीं दूसरी तरफ एक पौष्टिक आहार भी है । प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये मछली का जितना उत्पादन होना चाहिये, उससे बहुत कम उत्पादन हो रहा है । समाज का जो मछुवा समुदाय है वह बहुत शोषित और कमजोर तथा पिछड़ा तबका रहा है । उसके विकास के लिये सरकार ने मत्स्य पालक विकास अभिकरण और मत्स्य विकास निगम की स्थापना की है । मत्स्य पालक विकास अभिकरण के जरिये मत्स्य पालकों को मछली के बीज उपलब्ध कराने तथा पट्टे दिलवाने और सहकारी समितियां बनाने का काम किया जाता है । तालाबों की मिट्टी और पानी का परीक्षण करके मत्स्य पालकों को सुझाव दिया जाता है कि किस तरह की मछली वे पालें । इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि मत्स्य विकास निगम जो बनाया गया है तो 1981 में एक जी0 ओ0 हुआ था ।

और उस जी0 ओ0 में यह व्यवस्था की गयी थी कि बड़े-बड़े जो जलाशय हैं, उनका प्रबन्ध जो मछुवारों की सहकारी समिति हैं उनको दिया जायेगा । और उनकी बोली में अगर ओपेन बोली होती है तो उसमें अगर मछुआ समुदाय के लोगों की, उनके सोसाइटी की 25 प्रतिशत बोली कम भी आती है तब भी उन समुदाय के लोगों को ठेका दिया जायेगा हमारे मत्स्य निगम के अध्यक्ष जो मौजूदा सचिव महोदय हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि लगता है कि उनकी मछुआ समुदाय से पुस्तैनी दुश्मनी है । उन्होंने ओपेन ठेकेदारों को व्यवस्था दे दिया है । जो समुदाय के विकास करने के लिए नीति सरकार ने बनाया है गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए, उस नीति के खिलाफ सचिव ने काम किया है और उन्होंने मछुआ समुदाय के लोगों को, बड़े-बड़े पूंजीपतियों और सामंतवादियों के हाथ में शोषित करने के लिए यह नीति अपनाई है । मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वह नीति जो 1981 में बनाई गयी है उस नीति के अनुसार फिर मछुआ समुदाय के लोगों को ठेका दिया जाय और जो मौजूदा प्रबन्ध उन्होंने किया है उसको समाप्त किया जाय । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पशुधन, मत्स्य, दुग्ध और खाद्य ऐसे विभाग पर बोलने के लिए अवसर दिया है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद दूंगी । और अपने माननीय सदस्य डा0 दिनेश जौहरी साहब और बाबू मैनेजर सिंह की कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूं । इस विभाग से संबंधित अपने जनपद के बारे में एक दो सुझाव मैं पेश करूंगी। मान्यवर, मैं जनपद बलिया से आती हूं और सौभाग्य की बात है कि शायद मंत्री जी को याद हो कि मैं आपके विभाग की सदस्य भी हूं । मेरा एक यह निवेदन है कि जिला मुख्यालय पर पशुधन संबंधी जसी गायों की पालीक्लीनिक उन लोगों की उचित रखरखाव तथा दवाई वगैरा की व्यवस्था हो ताकि संतान उत्पादन में वृद्धि हो। काफी इच्छुक लोग जो पाले हुए हैं अगर यह गाय बीमार पड़ती है, तो उनको काफी परेशानी होती है और उनका नुकसान भी हो जाता है । दूसरा सुझाव यह है कि बरसात के दिनों में जो भी पशुओं में बीमारी फैलती है उसकी तत्काल जानकारी होते ही टीके वगैरह की जो व्यवस्था है उसको ग्रामीण अंचलों में मुफ्त करने की हिदायत मैं दूंगी और आपसे उम्मीद भी रखूंगी । मान्यवर, पशुओं के लिए पौस्टिक आहार की बहुत जरुरत है । आप सब को मालूम है कि यह हमारा देश कृषि प्रधान है और ग्रामीण अंचलों में पौस्टिक आहार न मिलने के कारण दुग्ध क्षमता पशुओं की कम हो जाती है इससे आचार-विचार पर भी ध्यान दिया जाय । विशेष कुछ मुर्गी पालन के संबंध में कहूंगी जैसा कि मैं अपनी तरफ देख रही हूं। मुर्गी पालन में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई पड़ रही है विभाग की तरफ से ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, लाबी के अन्दर शोर ज्यादा है कृपा करके शान्त करें ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी–

मुर्गी का एक अंडा एक रुपये की दर से और मुर्गी 40 से 60 रुपये की दर से है मैं निवेदन करूंगी कि इसमें प्रगति करें ताकि दर कम हो । और हर आदमी

को पौष्टिक आहार मिलने की सुविधा हो । मैं मान्यवर, कुछ मछली के संबंध में कहना चाहती हूं । हमारे जिला मुख्यालय में आपके विभाग का एक निधरिया फार्म है, उसकी हालत ठीक नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह कभी उधर भी जाने का प्रोग्राम बनावें और उसे सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करें । अन्त में मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, उनसे निवेदन करूंगी कि वह हमारे सुझावों पर ध्यान देने की कृपा करें ।

*श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे पशुधन और मत्स्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, पशुओं का और मनुष्यों का बहुत नजदीक का सम्बन्ध आदि काल से चला आ रहा है। आदिकाल में जब यंत्रों का विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य खेती-बाड़ी के मामले में, खाद्य-पदार्थ के मामले में पशुओं पर निर्भर करता था और लोग खेती करके अपने बच्चों का पालन-पोषण करते थे । मुझे खुशी है कि हमारी सरकार पशुधन के विकास में काफी सहयोग दे रही है, ताकि पशुधन की रक्षा हो सके, अच्छे पशु पाले जायं और अच्छे पशुओं के साथ-साथ समाज में विकास हो सके । हमारी सरकार जगह-जगह पर पशु चिकित्सालय खोलवा रही है, दवाओं की भी व्यवस्था है । लेकिन कभी-कभी अव्यवस्था हो ही जाती है और बीमारी फैलती है, तो सही दवा न मिलने के कारण पशुधन पर असर पड़ता है । इस समय सूखे की स्थिति पैदा हो गयी है, चारे की बहुत कमी है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि पशुओं के लिए चारे की भी व्यवस्था करें ।

मैं मत्स्य विभाग के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । 30 मई, 1981 को एक शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें मल्लाहों के विकास के बारे में प्राथमिकता के आधार पर उनको पोखरों और तालाबों के पट्टे देने की बात कही गयी थी । आदिकाल से सभ्यता और संस्कृति के विकास में मल्लाहों का बड़ा ही योगदान रहा है । जब सड़कें और रास्तों का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय नदियों से ही सड़कों का काम लिया जाता था, वे मल्लाह ही थे, जो नाव के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करते थे और जिस सभ्यता और संस्कृति के विकास में मल्लाहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा जिस मल्लाह ने भगवान राम को भी पार उतारा, उस मल्लाह की स्थिति आज भी उतनी ही दयनीय बनी हुई है, जितनी कि आदिकाल में थी । आज भी वह उतना ही गरीब, उतना ही उपेक्षित, उतना ही पिछड़ा हुआ और निर्धन है । इसके बारे में जितना ही कहा जाय, उतना ही कम है । 30 मई, 1981 में जो शासनादेश जारी हुआ था, उसका उल्लंघन मत्स्य विकास निगम के विशेष सचिव बृजेन्द्र ने किया है, क्योंकि 6 जून, 1987 को उन्होंने एक निविदा आमंत्रित की, जिसमें तालाबों की नीलामी के लिए निविदा मांगी गयी है, लेकिन उसमें 30 जून, 1981 के शासनादेश का कोई उल्लेख न होने के कारण मल्लाहों को कोई सुविधा मिलने की बात दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे विशेष सचिव बृजेन्द्र को जो गरीब वर्ग के हितों पर कुठाराघात करता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, मैं उसे उसके पद से हटाने की संस्तुति आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से करती हूं ।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि वह खुद भी मल्लाह हैं, मल्लाहों की व्यथा को वह जानते हैं । वे 30 जून, 1981 के शासनादेश का पालन करें और मल्लाहों को दी जाने वाली सुविधा प्रदान कराने की कृपा करें । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

पौने पांच बजे मुझे यह चर्चा समाप्त करनी है । अभी माननीय जौहरी साहब बोलेंगे, उसके बाद माननीय मंत्री जी बोलेंगे । मेरे लिए कतई यह संभव नहीं है कि मैं सदस्यों को बुलवाऊं । मैं एक काम कर सकता हूं कि एक माननीय सदस्य को इधर से बुलवाऊं और एक माननीय सदस्य को उधर से बुलवाऊं । अब आप तय कर लें। मैं सबको नहीं बुलवा सकूंगा, मेरे सामने मजबूरी है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप तय कर लें कि कौन बोलेंगे । माननीय नेता विरोधी दल, इसमें आप मेरा सहयोग करें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि एक के बजाय इधर से कम से कम दो लोगों को बोलने का मौका दें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने पशुपालन विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं । माननीय डा0 जौहरी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। कटौती का प्रस्ताव इसलिए रखा जाता है कि आपके विभाग की त्रुटियों पर चर्चा की जाय और सुझाव दिये जायं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां पर आपकी दृष्टि कम पड़ती है। हमारे माननीय मंत्री जी पश्चिमी जिले के हैं, उनसे हम लोग चाहते हैं कि वे पूर्वी जिलों का भी दौरा करें लेकिन पता नहीं वे क्या सोचते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश उनके क्षेत्र में नहीं आते ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । एक अस्पताल पर 3 हजार रु0 की दवा जाती है जिसमें 250 रु0 की दवा खर्च होती है और 48 हजार रु0 वहां के कर्मचारियों पर खर्च होता है । वहां पर दवा नहीं मिल पाती है। मैं कहना चाहता हूं कि दवा की वृद्धि करनी चाहिए । आप यह सोच लीजिए कि अगर आदमी को कुत्ता काट ले तो उसको दवा है जानवरों के काटने पर दवा नहीं मिलती है।आज डेढ़-डेढ़ सौ रु0 की दवाइयां मिल रही हैं, सुइयां मिल रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संबंध में आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि यह जो बतख पालन, बकरी पालन और बछड़ा पालन की योजना है, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आपने कहीं लागू नहीं किया है। मैं चाहूंगा कि बस्ती जिले में इसको आप लागू करें । आपके विभाग में 2 हजार 472

स्वीकृत पद हैं जिनमें से 472 स्थान रिक्त हैं और 246 जिला स्तरीय पद हैं जिनमें से 2 वर्ष से 46 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से 120 पद हैं जिनमें से 20 पद खाली पड़े हुए हैं।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जरसी गायें सही रेट पर किसानों को जिला स्तर पर दिलाने हेतु सरकार की तरफ से उचित व्यवस्था की जाए और इस समय जो 600 पद स्वीकृत हैं अगर माननीय मंत्री जी इस संबंध में कुछ रुचि रखते हैं तो उनको चाहिये कि पूरे प्रदेश पर नजर रखें और अंग्रेजों के बनाये हुए कानून पर आज भी यह सरकार चल रही है, ऐसा न करना चाहिये। पूरी तरह से अपने बनाये हुए कानून पर न चलने से ही मान्यवर, आज 12 करोड़ रु0 की हानि दुग्धशालाओं में हो रही है, अधिकारियों पर नियंत्रण न होने की वजह से भी यह हानि हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डेय जी, आप बिराजिये, आपके सुझाव आ गये।

श्री अमिताभ लवानियां–

मान्यवर, हमारे योग्य व ईमानदार माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उनका समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो थोड़े से समय में बहुत बड़ा काम नेक नियती से डेरियों में सुधार का काम किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और इनकी मेहनत के नतीजे से आज पराग दूध प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उचित मात्रा में उपलब्ध है। मैं मान्यवर, अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ सूचना व सुझाव देना चाहता हूं कि ब्लाक स्तर पर जो पशु चिकित्सा केन्द्र हैं उनमें जो दवाओं की व्यवस्था की जाती है, वह बहुत कम है। इसलिए इस ओर मेरा यह सुझाव है कि एक हजार से लेकर 1500 आबादी के बीच इन केन्द्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग इन केन्द्रों से बहुत दूर रहते हैं, अगर उनके पशु बीमार पड़ते हैं तो वह दूसरी वजह से और उन पशुओं को लाने, ले जाने की उचित व्यवस्था न हो पाने की वजह से उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी पशुओं की हालत जब बहुत चिन्ताजनक होती है, तो ऐसी व्यवस्था में और भी परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इन पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था एक हजार से 1500 व्यक्तियों के आबादी वाले हर गांव में कर दी जाएं, जिससे उनको इस सम्बन्ध में समुचित सुविधा प्राप्त हो सके।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से सबसे पहले एक बात यह जानना चाहता हूं कि वह खिजाब देश की किस फैक्ट्री से लाते हैं ताकि उनका अनुकरण (जोरदार ठहाका)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कुशवाहा जी, आप बजट पर आइए।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, मैं बजट पर ही आ रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो पशु चिकित्सालय खुले हुए हैं जिलों में, उनमें दवाओं की न व्यवस्था सही है, न उपचार की व्यवस्था सही है और जब कोई पशु, बड़ी चिन्ताजनक हालत में होते हैं, और डाक्टर साहब से कहा जाता है कि चलकर देख लीजिए तो डाक्टर बिना फीस लिए वहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाते नहीं हैं, माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था सही कराएं और साथ ही इस बात की भी व्यवस्था कराएं कि जो गायें बिना सांड के घूम रही हैं, इससे बड़ी अव्यवस्था फैली हुयी है (हंसी) और अगर यह व्यवस्था समय रहते न की गयी तो बछड़े सही नस्ल के कैसे अच्छे पैदा होंगे और जो माननीय मंत्री जी अभी मछुआ पालन के सिलसिले में उन्नाव में दौरे पर गये थे और वहां से जो 10 मछलियां 10-10 किलो की और पांच-पांच किलो की लाए हैं, वह सारी की सारी मछलियां गर्भवती थीं अगर माननीय मंत्री उन मछलियों का उपयोग न किये होते तो न मालूम उनसे कितने बच्चे पैदा होते। मान्यवर, उससे कितना नुकसान किया है मंत्री जी ने। मान्यवर, मंत्री जी ऐसा नुकसान करेंगे तो क्या स्थिति होगी। मान्यवर, आजकल अधिकारी क्यों सहयोग नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, अधिकारी तो समझ गये हैं कि कांग्रेस तो जा चुकी है, हिन्दुस्तान से खत्म हो चुकी है, तो चलते समय अधिकारी भी धक्का लगा रहे हैं। इसलिये सहयोग नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मंत्री तो आपको होना चाहिए। ऐसे मंत्री बनाये हैं, इसलिये काम नहीं हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, वर्ष 1976 में उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद् का गठन हुआ था, लेकिन पद स्वीकृत होने के बावजूद आज तक उसका अपना कोई अधिकारी नहीं है, सारे अधिकारी डेपूटेशन पर हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी भी डेपूटेशन पर हैं, इसलिये बोर्ड के कर्मचारियों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। मैं इस विषय में मा0 मंत्री जी से भी जानना चाहूंगा। मान्यवर, जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, वह बड़ी दोषपूर्ण है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री खत्म होती जा रही है। पोल्ट्री फूड इतना महंगा है कि लागत बहुत ज्यादा होती जा रही है। इससे अंडा महंगा पड़ता है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में लागत कम है फीडर फूड की, इसलिये वहां से अंडा सस्ता आता है। बरेली में पंजाब का अण्डा सस्ता पड़ता है और उत्तर प्रदेश का महंगा पड़ता है, इसलिये इस प्रदेश में आज सारे पोल्ट्री बन्द होने जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जहां पूरे प्रदेश में पशुधन के विकास के लिये कार्यक्रम लिये गये हैं, तो प्रशिक्षण के प्रसार के लिये भी कार्यक्रम लिये जाने चाहिये। रामपुर रेडियो और ए0आई0आर0 से मिलकर यह प्रसार का कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिये। पूरे प्रदेश में पशु चिकित्सा, पशु जनन, चारा उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि के संबंध में रेडियो से इस तरह का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाये तो लाभ मिलेगा। अन्त में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो पशुओं का चारा होता है, उसका विकास होना आवश्यक है और प्रदेश में फूड फीडर सेल (चारा प्रकोष्ठ) बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे सारे प्रदेश को चारा उपलब्ध कराया जाय। नेशनल सीड कार्पोरेशन और गवर्नमेन्ट सीड एजेंसी से मिलकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये। गरीबों को सस्ते दाम में जानवरों के लिये चारा उपलब्ध कराया जाय, चारे को खरीदने के लिये सब्सिडी दी जाय। पर्वतीय क्षेत्र में जहां घास कम होती है, वहां पर बीज और घास को विकसित करने के लिये सरकार की ओर से धन दे तो वहां के किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहां

के किसानों को प्रोत्साहित करें कि अच्छी घास लगाई जाय जिससे वहां जानवरों के लिये चारा मिल सके । मान्यवर, इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी सम्मानित सदस्यों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव व्यक्त किये और कई नयी बात बताई । मैं आश्वस्त करता हूं कि जो भी सुझाव दिये गये हैं, हम उनका परीक्षण करेंगे । मान्यवर, डा0 दिनेश जौहरी ने कई अच्छे सुझाव दिये और काफी कमियां दर्शायीं । आप कह रहे थे कि डेरियां नुकसान में चल रही हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रसन्नता की बात है कि जितनी भी दुग्ध सहकारी समितियां हैं, 95 प्रतिशत लाभ में हैं । जहां तक दुग्ध संघों का प्रश्न है, मिसाल के लिये केवल कुछ दुग्ध संघों की जानकारी दे रहा हूं । गत वर्ष मेरठ में 8.66 लाख का लाभ हुआ । बुलन्दशहर में 19.92 लाख का लाभ हुआ, कानपुर में 12.55 लाख का लाभ हुआ, मुजफ्फरनगर में 2.89 लाख का लाभ हुआ, मुरादाबाद 1 लाख 20 हजार के लाभ में है । जो डेयरी है मेरठ की पी0सी0 डी0एफ0 की, वह 5 लाख 54 हजार के लाभ में है । मान्यवर, इससे अच्छा प्रमाण और कोई नहीं दिया जा सकता । यह मैं मानता हूं कि अभी भी काम करने की गुंजाइश भी काफी है । प्रशिक्षण की बात कही गयी, मैं भी मानता हूं कि डाक्टरों का प्रशिक्षण होना और जारी रहना बहुत आवश्यक है । इस संबंध में एक कार्यक्रम आई0बी0आर0आई0 में भेजा है, ताकि छोटे कोर्स 15-15, 20-20 दिन के करा सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

लाबी से काफी आवाजें आ रही हैं, लाबी के अन्दर शान्ति कराने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

दवाई की क्रय नीति के बारे में कहा गया, जो हमने नीति बनायी है, एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर बनायी है । मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में अगर कोई खामी पायी जाती है, तो नियम में संशोधन करने में कोई विलम्ब नहीं होगा । माननीय मैनेजर सिंह जी ने बलिया के बारे में और पूर्वी क्षेत्रों में अच्छे फार्म स्थगित करने के बारे में कहा। आर0जी0 लाइन्स, बनारस में गंगा तीरी नस्ल की भैंस को विकसित करने के लिये फार्म स्थापित किया गया है।

मैं उनको यह भी बताना चाहूंगा कि बलिया में उपयुक्त जमीन उपलब्ध हो जाती है, तो गंभीरतापूर्वक फार्म स्थापित करने के बारे में सोचेंगे, बशर्ते जमीन उपलब्ध हो जाय। माननीय राजेन्द्र शर्मा जी ने मण्डल स्तर पर पोली क्लीनिक खोलने का सुझाव दिया, मैं बताना चाहता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही पहले से हम कर रहे हैं । एक शोध संस्थान हस्तिनापुर, मेरठ में स्थापित करने का कार्यक्रम विचाराधीन है। गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी डेयरी हम बनाने जा रहे हैं । माननीय काशी सिंह एरी ने आपरेशन फ्लड-2 के पर्वतीय क्षेत्र में न लागू होने की बाबत कहा, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस वर्ष नैनीताल को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है । हमारे बुजुर्ग सदस्य, माननीय हरभजन सिंह शर्मा ने कुछ फारसी में शेर सुनाये। माननीय मनोहर लाल जी एक सजग और जागरूक सदस्य हैं, उन्होंने डाक्टरों की गैरहाजिरी और अनुपस्थिति

की शिकायत की । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जहां भी शिकायत इस प्रकार की मिलती है, हम समुचित कार्यवाही करते हैं । माननीय जौहरी साहब, गो-वध की बात कर रहे थे, मैं मान्यवर आपके माध्यम से उन्हें यह जानकारी देना चाहूंगा कि आपके जनपद बरेली में ही हमको इस संबंध में शिकायत मिली थी, वहां के सम्बन्धित डाक्टर को केवल सस्पेंड ही नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ-साथ उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा भी दर्ज कराया गया । जहां भी हमें किसी प्रकार की शिकायत मिलती है, उसकी जांच कराते हैं और यथासंभव कार्यवाही की जाती है । मिर्जापुर के माननीय सदस्य चौधरी जी ने बताया कि मिर्जापुर में एक बीमारी की वजह से, और समय से उसका उपचार न हो सकने की वजह से, कई घोड़े मर गये । इस बीमारी की शिकायत केवल मिर्जापुर से ही नहीं, अपितु अन्य जनपदों से भी मिली थी । यह बात सही है कि जितनी जल्दी बीमारी फैलती है, यदि उसका तुरन्त उपचार नहीं होता है, तो उसके बाद उस पर नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाता है ।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे ध्यान रखा जायेगा, ऐसी घटना न होने पाये। हमारे एवरग्रीन सदस्य, माननीय कुशवाहा जी ने कुछ बातें कहीं क्योंकि इनके ऊपर रंग चढ़ ही नहीं सकता, इसलिए क्या कहा जाय, वह तो ईश्वर की बनायी हुई एक हस्ती हैं । मैं आभारी हूं कि उन्होंने डाक्टरों और दवाओं की बाबत कुछ सुझाव भी दिये । इसके अलावा श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री लाल चन्द्र निषाद और श्री कुशलपाल सिंह ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये । बिल्डिंग के बारे में जो शिकायत की गयी, हम उसको दिखवा रहे हैं । वैसे बिल्डिंग की शिकायत तमाम प्रदेश के लिये आम बात है । श्रीमती कमला साहनी ने चारे की बात कही ।

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि प्रदेश में, देश में, जितना चारा उपलब्ध होना चाहिये, उसमें शनैः शनैः कमी आती जा रही है । इस कमी को देखते हुए, जो नान कनवेंनशनल मेथड हैं, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा । हरी घास उगा कर ही केवल काम नहीं चलाया जा सकता । मान्यवर, जिस गति से जमीन खेती में ली जा रही है, उसको देखते हुए, कमी को देखते हुए, जो वेस्ट चीजें पड़ी हैं, उनको कन्सालिडेटेड के रूप में, चारे के रूप में, लाना पड़ेगा । माननीय सुखपाल पाण्डे जी ने दवाओं पर कम खर्च की बात कही, यह सही है कि दवाओं पर परिव्यय जितना होना चाहिये, वह उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैं आभारी हूं कि श्री अमिताभ लवानियां जी ने भी काफी सुझाव दिये हैं, चूंकि समय बहुत कम है, इस लिए विस्तार से नहीं बता पाऊंगा । जो भी सुझाव दिये गये हैं, उन्हें मैंने नोट किया है, हम उन पर विचार करेंगे । मत्स्य विभाग से संबंधित माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उसे हमारे सम्मानित साथी ने नोट किया है, हम माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन सारे सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा और जो पर्सनल मामले उठाये गये थे उनकी भी जानकारी कर ली जायेगी । इन्हीं शब्दों के साथ डा0 जौहरी जी से, जो पशुओं के डाक्टर तो नहीं हैं, आदमियों के डाक्टर हैं, इस बजट की महत्ता को देखते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करेंगे ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । 75 अरब 75 करोड़ के बजट में 32 करोड़ से भी कम बजट पशुपालन के लिए रखा गया है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि जितनी धनराशि स्वीकृत की जा रही है, वह कम है, हमारे यहां हास्पिटल भी कम हैं, इसे भी मंत्री जी ने स्वीकार किया है, दवाइयां भी कम हैं, इसे भी मंत्री जी ने स्वीकार किया है और उनमें डाक्टर्स भी कम हैं, उसे भी मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। इसलिए इस प्रकार का परम्परागत बजट को आप द्वारा नहीं रखा जाना चाहिए था और इतना कम बजट इसके लिए आवंटित करने का दोष भी आप पर ही ही जाता है । आपने 2 करोड़ वैक्सीन जानवरों को लगाने की व्यवस्था की है और उस पर 10 पैसा प्रति जानवर प्रति टीका आपने फीस निर्धारित कर दी है, 10 पैसा का सिक्का सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, इसलिए मेरी मांग है कि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाय । दूसरा, यह कि जो आपके स्लाटर हाउस हैं, वहां पर डाक्टर का काम रोगी जानवरों को काटने से रोकना होता है न काटने का होता है, लेकिन वह वहां जाता नहीं है, सिर्फ यह देखने जाता है कि कितने हैड कटे हैं, उसी हिसाब से 5 रुपए प्रति हैड वह कमीशन ले लेता है, इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे यह कमीशन लेने का चक्कर समाप्त हो जाय । आप जो कर्जा देते हैं भैंस आदि खरीदने के लिए, उसमें भी डाक्टर होता है । वहां भी वह उससे कमीशन तय करता है, इसलिए आप इसकी समुचित व्यवस्था करवायें । तीसरा, यह कि जो दवाईयां आपके अस्पतालों में नहीं रहती हैं, इस बजट के माध्यम से कहीं से कांट-छांट कर दवाईयां को अस्पतालों में उपलब्ध करवायें ताकि कोई भी आदमी वहां से खाली वापस न आय ।

(कई माननीय सदस्यों के साथ एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को स्पष्टीकरण का उत्तर देने दीजिए ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, तीन बिन्दु माननीय नेता, विरोधी दल ने उठाये हैं।

परिव्यय का प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम स्वयं प्रयत्नशील हैं कि इसको बढ़ाया जाय, लेकिन सारा प्लान जो आता है प्लानिंग कमीशन से, बहस होने के बाद आता है। इस बार डा0 मनमोहन सिंह, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन भी आये थे। मीटिंग में उनसे बात हुई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि प्लान आउटले बनाने पर आगे विचार करेंगे। कुछ न कुछ उपलब्ध हो जायगा ऐसा मेरा विश्वास है।

जहां तक 10 पैसे के सिक्के की आपने बात कही, तो वह वैक्सीन की कीमत नहीं है, बल्कि 10 पैसे लेवी के रूप में लेते हैं। यह लेवी जो स्वास्थ्य विभाग है, वहां पर भी ली जाती है। इससे एक रिकार्ड रहता है, यह सिम्बोलिक है। अगर आप कहेंगे कि 50 पैसे या एक रुपया कर दिया जाय, तो उस पर विचार करना होगा।

तीसरी बात आपने स्लाटर हाउस और आई0 आर0 डी0 के बारे में कही है । स्लाटर हाउस के बारे में जो बात आपने कही है, हम अपने उप निदेशकों को खास तौर से आदेश देकर और अपनी पार्टियां भेजकर कहेंगे कि वे देखें कि डाक्टर आकर वास्तव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में परीक्षण करता है या नहीं। आई0 आर0 डी0 के बारे में अब ऐसा जरूरी नहीं है कि डाक्टर साथ जायगा। हमने आदेश किये हैं कि किसी डाक्टर को साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह पशु खरीद लायें और दिखा दें।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,72,30,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,25,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,02,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आपने अपनी मांग प्रस्तुत कर दी है, यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोल लें तब उसके बाद कटौती का प्रस्ताव लाया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, खाद्य तथा रसद विभाग की जिम्मेदारी यदि उत्पादन अधिक हो तब भी है और यदि उत्पादन कम हो तब भी है । जब उत्पादन अधिक हो तो जिम्मेदारी यह आती है कि उत्पादकों को सही मूल्य मिल सके और उनका शोषण न होने पाये और खाद्य सामग्री एकदाम में जाये ।

मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूं कि हर साल जिस वक्त गेहूं की फसल आती थी तो यह शिकायत आती थी कि किसानों को मजबूर हो कर कम दामों में गेहूं बेचना पड़ रहा है और खाद्य विभाग को अपने साथ दूसरी एजेन्सियों को लेकर बाजार में जाना पड़ता था, लेकिन इस वर्ष से मुझे यह बतलाते हुए खुशी हो रही है कि केन्द्र सरकार ने गेहूं की मात्रा को देखकर यह निर्णय लिया है कि गेहूं पर कोई नियंत्रण न रहे, कहीं पर भी ले जाया जा सकता है । यह तय किया गया है किसानों को गेहूं पर पूरी छूट रहे और इससे हम पर भी बोझ नहीं आ पाया । इसके बाद भी खाद्य विभाग ने 25 लाख मि0 ट0 का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया था क्योंकि हमें आशंका थी कि पता नहीं कब कौन सी दिक्कत सामने आ जाय । हमने अपने पूरे दायित्व को निभाने का प्रयास किया।

इस वर्ष हमने 5,958 क्रय केन्द्र स्थापित किये हैं 25 लाख मै0 ट0 के वितरण के लिये, लेकिन हमको गेहूं मिला है 11 लाख 36 हजार टन। गेहूं खरीदने का हमारा कार्यक्रम नहीं था, केवल बाजार को देखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि किसानों को दिक्कत न हो। हमने जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिये हुए हैं कि वहां की स्थिति को देखते हुए वह अतिरिक्त क्रय केन्द्र खुलवा सकते हैं।

इस वर्ष किसानों का गेहूं खेत से कट कर खलिहानों में आ गया किन्तु देखा यह गया कि असामयिक वर्षा के कारण गेहूं खराब हो गया। इस गेहूं का क्या किया जाय? एफ0 सी0 आई0 ने भी इसे क्रय करने से मना कर दिया। हमारे पास तो भण्डारन की व्यवस्था होती नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, बुलन्दशहर और सहारनपुर से शिकायत आयी थी तो सरकार ने फ्लोर मिल मालिकों की मीटिंग बुला कर उनके सहयोग से उस गेहूं को क्रय कराने की कोशिश की। इस तरह से 4,345 मै0 टन गेहूं बुलन्दशहर का और 130 मै0 टन गेहूं सहारनपुर का क्रय किया गया है।

यह भी देखा गया कि जब धान की फसल आती थी तो उसकी भी समस्या सामने आती थी। गत वर्ष इसकी काफी विकट समस्या थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कल सिंचाई विभाग का बजट होगा, उसकी चर्चा में भाग लेने के लिये अभी तक उसका साहित्य मा0 सदस्यों को नहीं मिला है । मा0 सदस्यों को अपेक्षा रहती है कि 24 घण्टे पहले उनको साहित्य मिल जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री, कृपया देखें कि जिस बजट पर चर्चा होने वाली है उसका साहित्य 24 घण्टे पहले मा0 सदस्यों को मिल जाया करें।

श्री अम्मार रिजवी–

हम इसे देख लेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस साल हमने धान क्रय करने के लिये 891 क्रय केन्द्र खोले लेकिन यह अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ और धान का जो निर्धारित मूल्य था उससे कम नहीं आया। केवल 1701 मीट्रिक टन धान का क्रय हमारे माध्यम से हुआ।

दूसरा हमारा काम है चावल की लेवी वसूल करना और उसे सेन्ट्रल पुल में देना मान्यवर, इस वर्ष 12 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विपरीत 10 लाख 9 हजार आठ सौ मीट्रिक टन चावल ही हमने सेन्ट्रल पूल में दिया है। बासमती पर लेवी होती थी लेकिन यह बहुत ऊंची दर पर बेची जाती है और कई लोग इसे विदेशों में निर्यात करते थे। इस बात को देखते हुये हमने निर्णय लिया है कि इसको समाप्त किया जाय।

इसके अतिरिक्त अग्रिम लेवी की सुविधा जो पहले उपलब्ध होना बन्द हो गयी थी, उसे इस वर्ष हमने दुबारा शुरू कर दिया जिससे धान मिलों को काफी सुविधा मिली।

xxx (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में बात न करें। . . (व्यवधान) कृपया माननीय मंत्री जी आपस में बात न करें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय करने के अलावा इस विभाग का दायित्व यह भी है कि सही कीमत पर सही दाम पर सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप सामान को उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराया जा सके, यह जिम्मेदारी पूरे प्रदेश में 38,026 सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से हम पूरी कर रहे हैं। इन दुकानों पर चीनी, मिट्टी का तेल, चावल, गेहूं, कोयला, आयातित खाद्य तेल उपलब्ध कराना हमारे विभाग की जिम्मेदारी है। यह शिकायत मिलती थी कि केवल दो-तीन चीजें ही इन सस्ते गल्ले की दुकानों पर लगाई गई हैं। यह इकोनोमिकली वायबुल नहीं होती है। इस बात को देखते हुये हमने इन सस्ते गल्ले की दुकानों पर 19 और आइटम्स रखने, बेचने और व्यापार करने की स्वीकृति दे दी है।

चीनी के बारे में आम तौर से शिकायत मिलती है और कहा जाता है कि चीनी कम दी जाती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हर महीने 80 हजार मीट्रिक टन चीनी की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के अनुरूप उपभोक्ता को चीनी दी जानी चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक चीनी का अभाव रहा है, इस कारण प्रदेश भर में 52,925 मीट्रिक टन चीनी मिलती थी। 25 हजार मीट्रिक टन नान-लेवी की चीनी थी जो 5.75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपभोक्ताओं को मिलती है। इसमें

50 किलोग्राम तक सामान्य कन्ज्यूमर्स को तथा 25 क्विंटल तक बल्क कन्ज्यूमर्स को दी जा रही है।

मान्यवर, यह भी शिकायत आती रहती है कि देहाती क्षेत्र में 250 ग्राम चीनी देते हैं और शहरी क्षेत्र में 1 किलोग्राम देते हैं। इसका परीक्षण कराया गया। यह चिन्ता सही है, इसको दूर कैसे किया जाय, इसका भी परीक्षण कराया गया। जब हमने इसे देखा कि जो 52 हजार मीट्रिक टन चीनी हमें मिलती है उसमें से 38 हजार मीट्रिक टन चीनी हम देहातों में दे देते हैं जो कि ढाई सौ ग्राम पड़ती है। बाकी 14 हजार मीट्रिक टन चीनी हम देहातों में ही भेज दें तब भी हम गांवों में 300 ग्राम से ज्यादा नहीं दे पायेंगे। इसलिये देहातों में इस तरह से चीनी का कोटा और बढ़ा दें, समस्या हल नहीं हो पायेगी। मान्यवर, मुझे यह बताते हुये खुशी है कि इस प्रदेश में इस बार चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। 24 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन प्रदेश में कभी नहीं हुआ। अगर ऐसे ही उत्पादन बढ़ता गया तो चीनी की कोई कमी नहीं रहेगी जैसे कि गेहूं और चावल की कोई दिक्कत प्रदेश में नहीं है। तो वह दिन दूर नहीं जब चीनी की कोई कमी दुकानों पर नहीं रहेगी।

मान्यवर, ब्याह शादी के लिये यद्यपि अतिरिक्त कोटा हमें नहीं मिलता है लेकिन फिर भी हम अपने साधन से हमें जो चीनी मिलती है उसमें 100 के0 जी0 चीनी लड़की की शादी के लिए और 50 के0 जी0 चीनी लड़के की शादी के लिए देते हैं।

मिट्टी के तेल के बारे में भी आमतौर से शिकायत मिलती रही है कि उसकी मिलावट डिजल में होती है। इस वक्त पूरे प्रदेश में 90 हजार के0 एल0 मिट्टी के तेल की आवश्यकता है लेकिन हमें केवल 70 हजार के0 एल0 ही उपलब्ध हो रहा है। यह उपलब्धता भले ही 70 हजार हो लेकिन माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि इस समय प्रदेश के किसी कोने से मिट्टी के तेल की उपलब्धता की शिकायत नहीं है। हां, कहीं-कहीं बिलम्ब हो जाता है लेकिन अनुपलब्धता की कोई बात नहीं है। हमारा प्रयास यह है कि ग्रामीण अंचलों और शहरी अंचलों में भी खाना बनाने के लिये मिट्टी के तेल की कमी न रहे। माननीय सदस्यों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि औद्योगिक उपभोक्ता को हम पहले साधारण दरों पर देते थे तो उसमें आमतौर पर यह शिकायत मिली कि डिजल में उसकी मिलावट हो जाती है और उन इकाइयों की खपत भी ज्यादा है इसलिये सामान्य उपभोक्ता और औद्योगिक इकाइयों में फर्क होना चाहिये। तो केन्द्र सरकार से परामर्श करने के बाद उनके निर्देश पर औद्योगिक इकाइयों को जो मिट्टी तेल मिलता है उसकी दर बढ़ा दी गयी है। और वह भी भिन्न-भिन्न जनपदों में 3.15 पैसे और 3.35 पैसे तक बढ़ी है ताकि दोनों में कुछ न कुछ फर्क रखा जा सके और डिजल में मिलावट पर भी नियंत्रण किया जा सके।

मान्यवर, कोयले के बारे में बताना चाहता हूं कि हमें 12 रैक कोयले की आवश्यकता है उसके विरुद्ध हमें 6 रैक कोयला मिलता है। इसके अलावा 3 लाख 38 हजार एम0 टन0 सड़कों के द्वारा भट्टों के लिये आता है। कोयले की दिक्कत किसी जगह नहीं है। जहां कहीं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में यह उपलब्धता थी वहां पर कमी की कोई शिकायत नहीं आई।

चावल और गेहूं की इस समय कोई कमी सौभाग्य से इस प्रदेश में नहीं है। कभी-कभी हमारे साथी तुलना करते हैं दक्षिण के उन प्रदेशों से जहां पर गेहूं की कमी है या चालक की कमी है तो वहां पर काफी बिक्री इसकी है लेकिन जब भी हम यहां दुकानों में गेहूं या चावल उपलब्ध कराते हैं तो उसमें चावल की तो कहीं-कहीं खपत हो जाती है, लेकिन गेहूं की सस्ते गल्ले की दुकानों से खपत नहीं हो पाती है । हमने इन दुकानों को केवल इसलिये रखा है कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति न बने कि जिससे व्यापारी इन दुकानों की अनुपस्थिति का फायदा न उठायें और उपभोक्ताओं का वह शोषण करने लगे। हालांकि चावल और गेहूं की कमी नहीं है और केवल चीनी के लिये और मिट्टी तेल के लिये इन इकाइयों को हम कायम किये हैं ताकि व्यापारियों को उपभोक्ताओं का शोषण का मौका न मिले।

खाद्य तेल, आयल जो पहले 15 के0 जी0 टिन में आता था उसका वितरण सामान्यतया नहीं हो रहा था लेकिन अब हमने राशन की दुकानों के माध्यम से 2 के0जी0 और 5 के0 जी0 पैक के वितरण की संस्तुति की है जो राशन कार्डों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी है कि ऐसी आवश्यकता की चीजें जो रोजाना के इस्तेमाल की हैं, उन पर नियंत्रण रहे उनके दाम अनियंत्रित न हों और बाजार में कोई कमी न आये। इसी में एक सीमेंट भी आता है उसमें हमारी दोहरी नीति है लेवी और नान लेवी दोनों प्रकार का सीमेंट मिलता है तो हमारा विभाग सुनिश्चित करता है कि किस जनपद में सीमेंट की कमी है या नही और कमी होने पर लेवी सीमेंट सीमा के अंदर उपलब्ध कराई जाती है।

मान्यवर, इसी प्रकार डीजल दुर्भाग्य से भयंकर सूखे का सामना प्रदेश को करना पड़ा। लेकिन खुशी की बात है कि इस सूखे के बावजूद डीजल की खपत के बावजूद प्रदेश के किसी जिले में डीजल की कमी की शिकायत नही आयी और सुनिश्चित किया है कि केन्द्र सरकार के इंडियन आयल के कोआर्डिनेटर प्रदेश में हैं, जिनसे समय-समय पर बैठक करके जानकारी कर सुनिश्चित करते हैं कि कहीं पर भंडारण की कमी न आने पाये और जहां कमी आयी है वहां विशेष प्रयास करके उसकी पूर्ति करते हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार कुकिंग गैस की बात है, 15 दिनों या एक महीने में पहले नम्बर नहीं आता था और कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं। हमने एक नीति प्रदेश में लागू की और खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश अग्रणीय है इस नीति को लागू करने में कि जो होम डिलवरी सिलेंडर की डिलवरी मैन करने जाता था वही सही ठिकाने पर गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाता था और दूसरी जगह दे देता था, सही उपभोक्ता को इसकी जानकारी नहीं होती थी, इसमें हमने तय किया कि "कूपन सिस्टम" लागू किया जाये, इसमें कूपन बुक उपभोक्ता के पास रखी जायेगी और गैस सिलेंडर पहुंचने पर उपभोक्ता एक कूपन डिलीवरी मैन को दे देगा । यह कूपन दुकान पर वापस आने पर ही माना जायेगा कि डिलवरी मैन ने सही जगह सिलेंडर पहुंचा दिया है। इससे सुविधा उपभोक्ता को मिली है और भ्रष्टाचार दूर हुआ है। इसके साथ ही बराबर चेकिंग करके तय किया गया है कि डिपों या डीलर हमारी नीति में बाधक बनकर अवरोध न पैदा कर सकें।

मान्यवर, बांट-माप के बारे में कहना चाहता हूं कि 8 मण्डलीय प्रयोगशालाएं हैं और 3 खोले जाने का प्रस्ताव है। पूरे प्रदेश में 149 ब्काइयां कार्यरत हैं, 19 खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त सचल दस्ते तय करते हैं कि जहां शिकायतें आती हैं वहां छापा मार सकें और देख सकें कि गलत बांटों का स्तेमाल तो नहीं हो रहा है।

मान्यवर, कर्मचारी कल्याण निगम, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत सेवा का काम कर रहा है। वर्ष 1984-85 में केवल 15 डिपो इस कर्मचारी कल्याण निगम के थे जो अब बढ़कर 65 हो गये हैं और प्रयास है कि तहसील हेडक्वार्टर पर एक डिपो को स्थापित कर दें।

मान्यवर, इस देश में एक क्रान्तिकारी कदम यह भी उठाया गया है कि उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा जो पारित हुआ, वह प्रदेश में लागू किया जाये और इसलिये उसकी सारी व्यवस्थायें यहां की जा रही हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ता को शोषण से बचाना तथा उनके अधिकारों के बारे में उसमें जागरूकता पैदा करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रदेश स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन कर दिया गया है जिसके श्री मानपाल सिंह अध्यक्ष हैं। जिसमें दूसरी स्वैच्छिक संस्थायें जैसे युवा एवं महिला संगठन, उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम में रुचि रखने वाले युवाओं/व्यक्तियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं एवं फुटकर विक्रेताओं के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

प्रदेश सरकार को जिला स्तर पर जिला फोरम का गठन करना है जिसमें अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य होंगे। जिलाफोरम के अध्यक्ष जिला जज या उनके समकक्ष अधिकारी होंगे और उनके साथ दो सदस्य होंगे जिनमें एक महिला होगी। जिला फोरम उपभोक्ताओं के ऐसे मामले सुनने के लिये अधिकृत होगा जिसमें सामान/सेवा तथा मांगे जा रहे प्रतिकर की कुल लागत एक लाख रुपये से कम हो।

जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध अपील करने एवं एक लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये से कम मूल्य से संबंधित शिकायतों की सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर एक स्टेट कमीशन बनाया जायेगा जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के जज होंगे या रिटायर जज होंगे। उसके बाद नेशनल कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर होगा और इसके निदेशों अथवा आदेशों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाएगा। उसको अपने आदेशों को मनवाने के लिए सारे आवश्यक अधिकार होंगे। जिला फोरम, स्टेट कमीशन अथवा नेशनल के आदेशों का कार्यान्वयन उसी प्रकार किया जाएगा जैसे किसी न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश का किया जाता है और यदि उनकी कोई अवहेलना होती है तो दोषी को 3 साल तक की सजा और 10 हजार रुपया तक जुर्माना हो सकता है। उसमें यह भी है कि कम से कम 1 माह की सजा और 2 हजार रुपया जुर्माना होना लाजिमी होगा। यह बहुत बड़ा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत से कार्य सम्पादित कर रहा है। इसके बारे में बताने के लिए काफी समय की आवश्यकता होगी इसलिए समयाभाव के कारण मैंने बहुत कम में कहा है। मैं आपका आभारी हूंगा जो आप अपने सुझावों से हमें लाभान्वित करेंगे।

श्री सत्य पाल सिंह–

मेरे विचार से दोनों के लिए बराबर समय होना चाहिए। जितना समय मंत्री जी बोलें, उतना ही समय कट मोशन पेश करने वाले सदस्य को भी दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई नियम नहीं है।

श्री सत्य पाल सिंह–

नहीं है, तो आप उनके समय में भी कटौती किया करें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 22–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।

यह जो विभाग है, मैं समझता हूं कि आदमी की जरूरत के लिए, खाने के लिए जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति करना और उनके मूल्य पर नियंत्रण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि कोई आदमी भूख से मर न सके और जहां तक मैं समझता हूं एक समाजवादी दर्शन पर आधारित राज्य के लिए यह सच है और राज्य का यह दायित्व है कि आदमी भूखा न रहे, खाने के अभाव में लोग मर न सकें और लोगों को खाना सस्ते दाम पर दिया जा सके इस आधार पर यदि इस विभाग का मूल्यांकन किया जाए तो नतीजा यह आएगा कि इस उद्देश्य की पूर्ति में यह विभाग बिलकुल असफल रहा है। इस सूबे की आबादी करीब 12 करोड़ है और जो इसे आवंटन हुआ है, भारत सरकार से प्रदेश सरकार को, उसको अगर देख लें तो 85-86 में गेहूं का आवंटन 45 हजार मी0 टन और चावल का आवंटन 50 हजार मी0 टन हुआ है और वर्ष 86-87 में भी उतना ही हुआ है यानी गेहूं का आवंटन प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा करीब 5 लाख 40 हजार मी0 टन है और चावल का आवंटन 6 लाख मी0 टन है। अब प्रदेश की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो प्रति माह 4–5 किलो एक आदमी के हिस्से पड़ता है और मैं नहीं समझता हूं कि एक आदमी की खुराक इस सूबे में 4–5 किलो चावल या गेहूं की महीने भर की होगी। क्योंकि साधारण आदमी ढाई सौ ग्राम से कम खाने में काम नहीं चला सकता है और इस हिसाब से कम से कम 15 किलो महीने भर में खुराक पड़ती है और खाद्य विभाग द्वारा जो आंकड़े दिए गये हैं और केन्द्र सरकार द्वारा जो आवंटन किया गया है. . . .

(सदन में 'हां' पक्ष में बराबर शोर होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

कांग्रेस के लोग बड़े अनुशासनहीन हैं और. . .

श्री अधिष्ठाता–

आप विराजें, मैंने आपकी राय नहीं मांगी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा जो आवंटन किया गया है, वह आवंटन प्रदेश की आबादी को देखते हुए बहुत कम है इससे जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि जितना केन्द्र सरकार ने आवंटन किया है, उसका उठान भी राज्य सरकार नहीं कर पाई है। मान्यवर, पिछले साल 5 लाख 40 हजार मीट्रिक टन के मुकाबले जो आवंटन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुआ था उसमें सरकार ने 1 लाख 10 हजार मीट्रिक टन केवल उठाया है । इसी तरह से 6 लाख मीट्रिक टन चावल का आवंटन हुआ, उसमें राज्य सरकार ने केवल 1 लाख 52 हजार मीट्रिक टन उठाया है, जो मेरे पास सूचना है, मैं बताना चाहता हूं कि 5 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले 1 लाख 52 हजार मीट्रिक टन उठाया गया है, तो जो लैप्स हुआ है यह क्यों हुआ है । जो आपूर्ति विभाग है उसको यह देखना है कि लोग भूख के कगार में न जाएं इससे लोगों का बचाव करना है । इसको देखते हुए इतना कम चावल और गेहूं क्यों उठाया गया है । भूख का एहसास भूखा व्यक्ति ही कर सकता है, खासकर भूख का एहसास मंत्रियों को नहीं है उसमें मैं भी शामिल हूं । हम लोग भूख के बारे में पढ़ते हैं लेकिन भूख की तड़फ का एहसास हम लोगों को नहीं है । किस तरह से भूख के कारण आदमी मौत के कगार में जाता रहता है, इसका एहसास सरकार नहीं कर पाती है । यदि इस सरकार की, भूखे आदमी के पेट में राशन देने की तमन्ना होती तो किसी भी कीमत पर एक लाख टन का उठान न होता शत प्रतिशत उठान होता । सरकार को आदमी की जरूरत के हिसाब से पूरा-पूरा राशन देना चाहिए ।

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया है उसका नतीजा यह है कि पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक जो आदमी की जरूरत है, उसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है । इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो आवंटन किया जा रहा है वह बताना चाहूंगा कि गेहूं एक किलो से 10 किलो पहाड़ में चावल आठ किलो, मिट्टी का तेल 5 से 15 लीटर तक । सीमेन्ट मरम्मत के लिए 10 बोरी । गैस के बारे में मान्यवर, कहना चाहूंगा मंत्री जी को पता नहीं जानकारी है या नहीं, मंत्री जी को तो दो-दो सिलेंडर मिल जाते होंगे । वी0 आई0 पी0 लोगों में तो आजकल दरोगा भी आ गये हैं दो-दो सिलेन्डर उनके पास है और पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को ले लीजिए एक कनेक्शन इनके पास होता है, तो दूसरा कनेक्शन भी मिल जाता है । होम डिलीवरी की बात मंत्री जी कर रहे थे लेकिन इस समय मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन सहकारी गैस की जो दुकान है जहां से मंत्रियों को गैस सिलेंडर सप्लाई किया जाता है । आप पता कर लीजिए किसी भी विधायक के यहां होम डिलीवरी नहीं होती है । साधारण आदमी की तो छोड़िए घर में किसी को सप्लाई नहीं की जाती है । किसी महानगर में होम डिलीवरी की सप्लाई नहीं हो रही है । जहां तक राशन की बात है आठ किलो और पांच किलो जो राशन दिया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आता कि 8 किलो और 5 किलो में कोई आदमी कैसे महीने भर खा सकता है इसका जवाब शायद भूखे रह कर कोई मंत्री दे सकता है वरना इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है । इसके अलावा जहां तक दामों की बात है, मुझे नहीं मालूम है कि सस्ते गल्ले की दूकानों में दाम तय करने का क्या मापदंड है । किस आधार पर चावल और गेहूं और चीनी के दाम तय किए जाते हैं । हालांकि दाम तय किए जाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है राज्य सरकार शायद उस दाम को लागू करने का काम करती है । मुझे नहीं मालूम है कि यह विभाग दाम को तय करने का कौन सा मानक या मापदंड तय करता है । लागत मूल्य तथा बाजार मूल्य में दो गुने से ज्यादा का अन्तर नहीं होना चाहिए । अगर एक रुपये का सामान तैयार होता है तो उसकी कीमत बाजार में डेढ़ रुपये या दो रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । अगर यह मानक माना जाय तो किसान के एक क्विंटल

अनाज उत्पादन में जितनी लागत पूंजी आती है, उसके मुकाबले उसको दाम कम मिलता है। किसानों के द्वारा उत्पादित चीजों का दाम सरकार कम तय करती है लेकिन जो कारखाने में बनी वस्तुयें हैं उनकी कीमत लागत मूल्य के 3-4 गुने बाजार में होती है।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो दाम सरकार ने तय किये हैं वह 3-4 तरह के हैं। सस्ते गल्ले की दुकान पर एक दाम, बाजार में दूसरे दाम तथा नान लेवी चीज के दूसरे दाम और लेवी चीज के तीसरे दाम। तो यह 3-4 तरह के दाम रखने का उद्देश्य क्या है? जब तक सरकार दाम नहीं बांधेगी और लागत मूल्य तथा बाजार मूल्य में संतुलन नहीं करेगी, जब तक भावों का अनुपात तय नहीं करेगी तब तक उपभोक्ता को सस्ते दाम पर सामान नहीं मिल पायेगा और उसकी लूट तथा उसका शोषण होता रहेगा। इसी के साथ-साथ खेतों में पैदा करने वाले किसान का भी शोषण होता रहेगा। यहां पर दो तरह की नीति है। खेतों में उत्पादन करने वाले किसान का शोषण हो रहा है और कारखाने में उत्पादन करने वाला पूंजीपति सम्पन्न हो रहा है। आज कारखानों में उत्पादन करने वाला वर्ग सम्पन्न होता चला जा रहा है और किसान का शोषण होने के कारण वह गरीब होता चला जा रहा है। 1 अक्तूबर, 1986 को राज्य सरकार ने चावल के दाम बढ़ा दिये। जब उसके पहले सरकार ने चावल लिया था तो कोई दाम नहीं बढ़े थे। दाम बढ़ाने से जो फायदा सरकार को हुआ और जो पैसा सरकार को मिला वह कहां गया, मुझे नहीं मालूम। वह पैसा सरकार के पास गया या किसी अफसर ने खा लिया या सरकार ने खजाने में जमा किया। यह पैसा सरकार ने किस काम में लगाया। क्या इससे किसानों को कोई राहत दी गयी या यह पैसा एयर कंडीशनर खरीदने में खर्च हुआ या जहां पर एक एंबेसडर कार थी उसके मुकाबले दूसरी एंबेसडर कार खरीदने में खर्च किया गया है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। 1-10-86 के पहले 3.04 रुपये नंबर एक चावल के दाम थे। 2.89 रुपये बीच के चावल के दाम थे और 2.39 रुपये मोटे चावल जिसको सरकार कोर्स ग्रेन कहती है उसके थे। 1-10-86 के बाद जो नम्बर-1 चावल के दाम 3 रुपये 4 पैसे थे उसको घटाकर 2 रुपये 85 पैसे कर दिये गये और नंबर-2 के चावल के दाम 2 रुपये 85 पैसे की जगह पर 2 रुपये 75 पैसे कर दिये गये। जो महीन चावल के दाम थे उसको घटा दिया गया लेकिन इस प्रदेश में जो आबादी ज्यादा है, जो गुरबत में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनके लिये जो मोटा चावल है उसके दाम 2 रुपये 39 पैसे से बढ़ाकर 2 रुपये 61 पैसे कर दिये गये। मोटा चावल जो मेहनत करने वाले लोग खाते हैं, उसका दाम क्यों बढ़ाया गया। वैसे महीन चावल भी राशन की दूकानों से नहीं मिलता है कहीं अपवाद स्वरूप उसकी आपूर्ति सस्ते गल्ले की दूकानों से हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो चावल गरीब, रिक्शा चलाने वाले, मेहनतकश लोग खाते हैं जिसके लिये उनको दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है उनके इस्तेमाल में आने वाले मोटे चावल के दाम क्यों बढ़ाये गये। महीन चावलों के दामों में गिरावट करने का क्या आधार है यह मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं। इस सरकार ने जो समाजवादी दर्शन का आधार मानकर यह शोषित आदमियों और भूखे लोगों को गल्ला देना चाहती है। इस सरकार से क्या आशा की जाय। 21 पैसे 22 पैसे दाम इस सरकार ने पहली अक्तूबर को बढ़ा दिये गरीब लोग जो चावल लेते थे उनको मंहगा चावल देना शुरू कर दिया है। 11 प्रति-

शत चावल के दाम की वृद्धि की गयी, क्यों की गयी ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी अपनी सरकार की नीति के बारे में कहते हुए बतायेंगे । इसके अलावा मान्यवर, किसान से खरीदने के बारे में पता किया जाय । इस समय हमारे यहां अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है । उत्तर प्रदेश में अनाज का उत्पादन कम नहीं है । जिस प्रदेश में अनाज का उत्पादन कम नहीं है, उस प्रदेश के लोग खासकर पूर्वांचल के लोग, बांदा के लोग और पहाड़ी इलाके के लोग गोबर से दाना चुनकर अपना पेट भरें और उस प्रदेश में उत्पादन की कमी न हो ।

मैं मान्यवर, पूछना चाहता हूं कि आज प्रचुर मात्रा में उत्पादन होने के बावजूद प्रदेश के पूर्वान्चल के लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हुए गोबर से अनाज चुनकर अपने पेट को भरने का इन्तजाम करें । मैं बताना चाहता हूं कि इसी लखनऊ जनपद के अन्दर क्लार्कस अवध के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वह वहां जो कूड़ा फेंका जाता है उस में से दाना निकालकर अपने पेट को भरने का काम करते हैं । कालीदास मार्ग में जो वहां पुल पड़ता है उसके पास जो बंजारे रहते हैं वह कूड़े में दाना चुनने का काम करते हैं । जिस प्रदेश में गेहूं और चावल की प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो वहां के लोगों को पेट भर खाना न मिले, उसका मैं कारण जानना चाहता हूं । इस समय जो सस्ते गल्ले की दुकानों से चावल और गेहूं की किस्म दी जा रही है वह बहुत घटिया किस्म का है । अगर आप चावल देखें तो चावल लोग लेना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में लेते हैं । गेहूं है उसको नहीं लेना चाहते हैं, चीनी है वह मजबूरी में लेते हैं क्योंकि जो किस्म है इसकी वह बहुत गिरी हुई किस्म है । चीनी के दाम 4 रुपये साढ़े चार रुपये हैं सस्ते गल्ले की दुकानों में, और बाजार में 7 साढ़े 7 रुपये में है । यह दो तरह के दाम चल रहे हैं जिसके चलते न आम आदमी अच्छा अनाज खा पा रहा है और न उसको उचित कीमत दे पा रहा है । इसके अलावा मान्यवर, देखें कि जो इनका प्रशासनिक ढांचा है यह वितरण व्यवस्था कैसे चलेगी यह वितरण व्यवस्था को देखें यह है 86-87 का वार्षिक कार्य विवरण और मान्यवर, इसके साथ ही पिछले साल का भी 85 का भी वार्षिक विवरण देखें । इसमें पृष्ठ 10 की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इसमें तीसरा नम्बर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ उपभोक्ताओं को अधिकाधिक पहुंचाने के उद्देश्य से उचित दर की दुकानों का निरन्तर प्रसार किया जा रहा है । इसके अलावा चौथा देखें इसमें है उचित दर की दुकानों के आवंटन में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए दुकानों के आवंटन हेतु पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति के गठन के लिए आदेश दिये गये हैं । इसी तरह से 5 है, इसी तरह से 6 है, इसी तरह से 7 है । कहीं पर भी एक एक पाई एक शब्द का फर्क नहीं है । पिछले साल जो लिखा था आज वही हूबहू पूरा दिया गया है । मुझे नहीं मालूम है कि जिस आदमी ने पिछले साल लिखा था उसी आदमी ने इस साल भी लिख दिया होगा क्योंकि जो चीज पिछले साल लिखी गयी है वही चीज इस साल भी लिख दी गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आपने पिछले साल बजट में उल्लेख किया था उसको इस साल हूबहू लिखने की क्या जरूरत है ? मिसाल के तौर पर पृष्ठ 10 में 6 सं0 की ओर देखें-इंटीग्रेटेट ट्राइबल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित विशिष्ट रियायती दरों पर खाद्यान वितरित करने की योजना

लखीमपुर जनपद के पलिया तथा निघासन ब्लाक के 41 जनजातीय गांवों में तथा देहरादून, चमोली, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ के 11 जनजातीय ब्लाकों में लागू की गयी और मान्यवर, ठीक यही संख्या, ठीक यही शब्दावली 85-86 के बजट में रखी गयी है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कार्य प्रणाली है पूरे के पूरे विभाग की इसमें कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। एक राज्य मंत्री हुकुम सिंह और दूसरे मानपाल सिंह राज्य मंत्री हैं और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वह मुख्य मंत्री जी हैं। अगर किसी को इस विभाग में कोई काम कराना हो, तो राज्य मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। राज्य मंत्री को चपरासी से भी बदतर बना दिया गया है, क्योंकि काम तो मुख्य मंत्री करेंगे। आ गये हैं मान्यवर, मुख्य मंत्री जी, बड़ी लम्बी उम्र है, नाम लिया हाजिर हो गये, वैसे इनको आज-कल दिल्ली से ही फुरसत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने पहले नहीं याद किया, नहीं तो पहले आ जाते।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नीति विषयक और सारा का सारा काम मुख्य मंत्री जी ने अपने जिम्मे लिया है और जो दो राज्य मंत्री बनाये गये हैं, वे तो चपरासी से भी बदतर हैं। मान्यवर, आज चपरासी खुश है, लेकिन ये दोनों राज्य मंत्री बड़ी दर्दनाक स्थिति में हैं। अगर देखा जाय तो इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये, इसको सक्षम बनाने के लिए व्यापक तौर पर कारगर बनाने के लिए सहायक उपायुक्त के पदों का सृजन किया।

श्री अधिष्ठाता–

आप अभी कितना और समय लेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जितना आप कहें।

श्री अधिष्ठाता–

10 मिनट में समाप्त करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल, कुमायूं मंडल, झांसी मण्डल जहां पर 100 फीसदी राशनिंग है, आज तक वहां पर सहायक उपायुक्तों का पद सृजित नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहता हूं कि झांसी मंडल में सहायक आयुक्त का पद सृजित करने का क्या कारण है। मान्यवर, 1983 में इन्होंने एक उपायुक्त का पद सृजित किया, लेकिन 1983 से लेकर 1987 तक 4 साल हो गये, आज तक उपायुक्त के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गयी। शायद इस पद की इनको जरूरत नहीं है और और जब जरूरत नहीं है, तो यह पद खत्म कर दीजिए। अगर आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है, तो आपको अच्छे-अच्छे अधिकारी नियुक्त करने होंगे।

मान्यवर, पब्लिक सर्विस कमीशन में 1982 में करीब 10 जिलापूर्ति अधिकारियों के पद मांगे गये थे। मान्यवर, 1982 में इम्तहान हुआ और 10 जिलापूर्ति अधिकारी का नाम 1983 में प्रकाशित हो गया और इसको भेज दिया गया सरकार के

पास में । मान्यवर, जो गुणावगुण के आधार पर 10 लोगों की सूची बनाई गयी थी, मान्यवर, अंकों के आधार पर, गुण के आधार पर, जिसको मेरिट कहते हैं 10 लोगों की सूची बनाई गयी थी । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वरीयता सूची में से छठे नम्बर वाले व्यक्ति का और दसवें नम्बर वाले व्यक्ति का तो चयन कर लिया गया, जिसमें एक शम्भू नाथ वर्मा पिछड़ी जाति के थे और दूसरे राज नारायण थे । मान्यवर, दसवें और छठें नम्बर के व्यक्ति को तो ले लिया गया, लेकिन नम्बर 1, 2, 3 जो वरीयता सूची में थे, उनका चयन नहीं किया गया। इसके अलावा 1985 में पहले नम्बर के श्री मृगेन्द्र सिंह का 85 में चयन कर लिया गया और हाई कोर्ट के आदेश से कुमारी प्रवीण शर्मा का चयन कर लिया गया और कहा गया कि अब हम डिपार्टमेन्टल प्रमोशन के आधार पर डी0 एस0 ओ0 बनायेंगे । सूची आपके पास आ गई 83 से 87 के बीच, जब कि इस विभाग को फैलाना है, इस विभाग को आगे ले जाना है उस समय सूची में जिन योग्य अभ्यर्थियों का नाम आता, उनको वरीयता के अनुसार चयन न करके इस सरकार ने अपनी प्रशासनिक अक्षमता का परिचय दिया है । मुझे उम्मीद है, मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी इस अक्षमता को दूर करे और वरीयता के आधार पर डी0 एस0 ओ0 बनाकर अभावग्रस्त जिलों में भेजें ताकि वितरण प्रणाली चुस्त और दुरुस्त बनाई जा सके। आज आवश्यक वस्तुओं की, सामानों की महंगाई इतनी बढ़ गई है कि तेल कड़वा करीब 25 रु0 किलो और दाल 9 रु0 और 10 रु0 किलो चली गई है। कोई हिसाब ही नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है । यह सरकार दाम पर नियंत्रण नहीं कर सकती है । यह सरकार सप्लाई विभाग के चलते सकली मादण्ड करने का काम कर रही है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मंहगाई को कम करने के लिए इस विभाग को या तो मजबूत बनाया जाय वरना इस विभाग को तोड़ दिया जाय । यह विभाग अगर दामों पर नियंत्रण कर सके तब तो इस सरकार को इस विभाग को रखने का कोई औचित्य है। जो लोग इस कार्य को ठीक से नहीं करते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि लोगों को पेट भर राशन मिल सके तथा केन्द्र सरकार से अधिक राशन की मांग करें और जो राशन मिलता है उसको उठाने का कार्य करें तब तो इस विभाग की सार्थकता है वरना नतीजा निराशाजनक है । यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा अनुदान की मांग पर अपना पूर्ण समर्थन करते हुए मैं कटौती का विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा खाद्य विभाग की जो बेहतर वितरण प्रणाली है उसी की वजह से आज एक भी आदमी भूख के कारण नहीं मरा। आज अधिकांश गृहणियां राशन की दुकानों से अपने राशन कार्ड के ऊपर गल्ला लेती हैं क्योंकि वहां से मिलने वाले गेहूं, वहां से मिलने वाले चावल और वहां से मिलने वाली चीनी की किस्म पहले से बहुत अच्छी और बहुत ही ठीक है ।

मान्यवर, विरोधी दल के शतरुद्र प्रकाश जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए यह कहा कि पूर्वांचल में लोग गोबर से अनाज निकालते हैं और कालिदास मार्ग पर कूड़े के ढेर में से सामान निकालते हैं खाने का, ऐसा लगता है कि वह कोई नया चश्मा लगाकर इन चीजों को देख रहे हैं । हमने तो आज तक कहीं नहीं देखा कि कि लोग गोबर से अनाज निकालते हों या कूड़े के ढेर में से अनाज निकालते हों,

चाहे वह सुदूर मिर्जापुर का इलाका रहा हो या चुनार का इलाका रहा हो या चन्दौली और चकिया का इलाका रहा हो । हो सकता है कि वह अपनी नई मारुति गाड़ी में इधर-उधर बहुत दूर घूमते हों और उन्हें ऐसा दिखाई दिया हो ।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जहां तक मिट्टी के तेल का स्वाल है जो अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए इसके इस्तेमाल के लिए 2.35 पै0 प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.13 पै0 प्रति लीटर कर दिया, इससे उनके अंदर जो कठिनाइयां उत्पन्न हुयी हैं, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करते हुए साथ ही माननीय मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत करते समय जो विचार रखा जो कि डीजल में मिट्टी का तेल मिलाया जाता है, उसे रोकने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन इसको लेकर जो ज्वलंत समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं, उनकी तरफ आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि बनारस में मोती व माला का व्यवसाय है, जो बहुत बड़ा व्यवसाय है, जिसमें लगभग 50 हजार गरीब लगे हुए हैं, जो मोती व माला आदि बनाते हैं, यह 50 हजार लोग बहुत ही गरीब लोग जुग्गियों व झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। इन मोती व माला बनाने वालों का जो व्यापार है। उन्हें उसमें उद्योग विभाग की संस्तुति पर मिट्टी के तेल का परमिट दिया जाता है । यह व्यापार निर्यात उन्मुक्त कुटीर उद्योग है पहले दो रुपये पैंतिस पैसे प्रति लीटर के हिसाब से तेल मिलता था, उसको बढ़ाकर तीन रुपये तेरह पैसे प्रतिलीटर कर दिया गया है जिससे प्रति बैरल केवल 156 रु0 का दाम बढ़ा है, इससे इनके उद्योग पर काफी असर पड़ा है । मान्यवर, जिस प्रकार से आप अस्पतालों, दफ्तरों को कम दामों में तेल मुहैया करते हैं । उसी प्रकार उन्हें भी यह सुविधा देनी चाहिए ।मान्यवर, यही नहीं इनसे भाव का डिफरेंस भी मांगा जा रहा है । जब कि यह दरें 2-1-87 को बढ़ी हैं और इनको सूचना मिली है 28-3-87 को अब वे कहते हैं कि मोती माला बिक चुके नई दर पर अब वह डिफरेंस हम कहां से दें । मान्यवर, इस व्यापार में किसी मशीन का प्रयोग नहीं होता है । एक डिबरी जलाकर मुंह से फूंकते हैं, तब उससे शीशा पिघलाकर हाथ से यह मोती बनाते हैं, इनका सारा कारोबार मिट्टी के तेल पर ही निर्भर है । इसलिए इन्हें इस बढ़े हुए मूल्य से काफी परेशानी हो रही है, इन्हें उसी पुराने भाव में 2.35 प्रति लीटर मिट्टी का तेल दिलाने की कृपा करें और मान्यवर, दूसरी बात यह कि जब जमीन को पसीने की जरूरत होती है, तो किसान का बेटा काम आता है और जब जमीन का सीना फाड़ कर अनाज की बाली निकालनी होती है तो उस समय भी किसान का बेटा काम आता है, लेकिन उसके द्वारा पैदा होने वाला अनाज का मुनाफा वातानुकूलित कमरों में बैठे बिचौलियों के घरों में चला जाता है। किसान की जो चीजें जरूरत की हैं वह उनको सही मूल्य पर मिलती नहीं हैं। न उसको खाद ठीक दामों में मिल रही है, न बीज मिल रहा है और न उसे बिजली पानी मिल रहा है धोती व कपड़ा अगर यह चीजें उसे आनुपातिक दामों पर नहीं मिले तो उसे सब्सीडी दी जानी चाहिए ।नहीं तो अगर धोती के दाम दो रु0 से 4 रु0 हो जाते हैं तो उसी प्रकार से गल्ले के दाम दूना बढ़ना चाहिए। मान्यवर, दैनिक उपयोग की चीजों का दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इससे किसान काफी परेशान है । मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी और मा0 राज्य मंत्री जी के नेतृत्व में खाद्य एवं रसद विभाग में भी पिछले वर्ष जिस तरह काम किया है, उसके लिए यह सब बधाई के पात्र हैं, उसके लिए भी

जितनी बधाई दी जाय वह कम होगी । इसके साथ में विपक्ष से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री आसान सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं श्रीमन्, यह विभाग प्रदेश की 12 करोड़ जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है। आप मान्यवर, देखें कि आज गांवों में किसी चीज की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है । श्रीमन्, खाद्य विभाग की नीति ऐसी होनी चाहिए कि उत्पादक को चीजों का अच्छा दाम मिल जाएं और उपभोक्ता को सही दामों में आवश्यकतानुसार चीजें उपलब्ध हो जाएं, लेकिन मान्यवर, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं ऐसी व्यवस्था यदि सुलभ तरीके से हो जाए तो सभा को इससे काफी राहत मिल सकती है। बिचौलिया पनप रहा है मान्यवर और उस बिचौलिए का घर आज भर रहा है । श्रीमन्, आप देखें कि सरकार की जो व्यवस्था है, क्रय केन्द्रों की, सप्लाई विभाग के मान्यवर, 3 हिस्से हैं । एक है चीजों को क्रय करने का और दूसरा उसका भण्डारण करने का और उसके बाद उपभोक्ताओं को वितरण करने का । मान्यवर, हमारे खाद्य मंत्री जी की बेसिकली जो नीति है, वह गलत है। जिस समय हमारे क्रय केन्द्रों पर लक्ष्य निर्धारित होता है, खाद्य मंत्री जी को उसी समय पर्याप्त बोरों की व्यवस्था करनी चाहिये, पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं होती है और इसके अभाव में मान्यवर, हमारे उत्पादकों का शोषण होता है । अगर उत्पादक अपनी वस्तुओं को क्रय केन्द्रों पर लेकर जाता है तो कहा जाता है कि बोरे नहीं हैं, बोरे उपलब्ध हो गये तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है और वही जब बिचौलिया लेकर आता है उत्पादक से सस्ते पैसों में क्रय करके बिचौलिया लेकर आता है, तो बोरा भी उपलब्ध हो जाता है और पैसा भी उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार से श्रीमन्, शोषण होता है।

मा0 मंत्री जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिस समय वह लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसी समय पर्याप्त बोरों की और धन की व्यवस्था करनी चाहिये । दूसरे भण्डारण की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है । क्रय केन्द्र विधूना में है तो भण्डारण हो रहा है कानपुर में, मेरठ में, आगरा में, गाजियाबाद में, 200-200 किलोमीटर पर जाकर गेहूं और धान का भण्डारण होता है और फिर मान्यवर, जब सप्लाई होती है, गांव के गरीबों को खाने के लिये दिया जाता है, तो फिर दो सौ किलोमीटर दूर से ला करके फिर सप्लाई की जाती है । उस पर दोहरा खर्च पड़ता है ट्रान्सपोर्टेशन का । इसका क्या औचित्य है । गांव के 85 फीसदी मजदूरों, किसानों और व्यापारी को खाने को देना है तो उसके भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था वहीं गांव में होनी चाहिये । यह भी नहीं हो रही है । तीसरे मान्यवर, मैं वितरण के बारे में कहना चाहता हूं कि इनकी वितरण व्यवस्था तो बिल्कुल असफल है । इन्होंने सहकारिता विभाग को वितरण की जिम्मेदारी दे रखी है, सहकारी संघों, सहकारी समितियों और उपभोक्ता स्टोरों पर मान्यवर, इनका कोई कन्ट्रोल नहीं है । अगर यही व्यवस्था पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में होती तो उसमें कुछ सुधार

हो सकता था उनको 3/7 का भी डर होता, उनको जन-प्रतिनिधियों का भी डर होता, लेकिन यह जो सफेद हाथी सहकारिता विभाग है, उनको किसी का डर नहीं है। उनको 3/7 का डर नहीं है। उनको परगनाधिकारी या कलेक्टर का कोई डर नहीं है और जहां से यह सामान खरीदा जाता है वहीं पर ब्लैक में बेच देते हैं। वह सामान उठाती ही नहीं है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यही नहीं आप देख दें कि यहां पर जो यह सफेद हाथी बैठे हुए हैं यहां पर उसका हिस्सा आता है। आपका जो मिट्टी का तेल है, उस पर रिटेलर से होलसेलर हिस्सा बांधे है और उससे 3.50 रुपये प्रति लीटर में होलसेलर रिटेलर को देता है और वह पैसा इन सफेद हाथियों तक आता है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं फर्रुखाबाद जिले का, वैसे सारे प्रदेश में व्यवस्था एक ही है। मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि फर्रुखाबाद में, मा0 खाद्य मंत्री जी बैठे हैं, उनको कई माह पूर्व मैंने लिखकर दिया था और वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। 20-4-1987 को स्वयं माननीय मंत्री जी से मिला भी था और उन्हें फर्रुखाबाद की बाबत जानकारी दी थी। मान्यवर, पूरे उ0 प्र0 में कानून अलग है और जनपद फर्रुखाबाद के लिए कानून अलग है। वहां लाइसेंस आदि जारी करने की सारी पावर्स एस0 डी0 एम0 को हैं। डी0 एस0 ओ0 को मिट्टी का तेल, शक्कर आदि के लाइसेंस देने की पावर्स नहीं है। शक्कर, मिट्टी का तेल आदि के लाइसेंस एस0 डी0 एम0 देते हैं, जबकि यह पावर्स डी0 एस0 ओ0 को होनी चाहिए। मान्यवर, एक अपर आयुक्त एस0 पी0 सिंह हैं। उनका 75 हजार रु0 प्रतिमाह फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से बंधा हुआ है, 50 हजार रु0 प्रतिमाह हमारे इटावा जनपद से उनका बंधा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। माननीय पूरन सिंह माहरा जी आप बोलें। माननीय आसान सिंह जी, आपके जो और सुझाव हों, वह आप लिखकर मंत्री जी के पास भिजवा दें।

श्री आसान सिंह–

कथैवा में अपने रिश्तेदार को कोयला का लाइसेंस दिया गया, राइस मिल का लाइसेंस दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री आसान सिंह–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आसान सिंह जी, कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप बैठें।

श्री आसान सिंह–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं।

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि समय बहुत सीमित है और काफी माननीय सदस्यों को बोलना है, मेरे बार-बार अनुरोध करने के बाद भी जो माननीय सदस्य बोलना जारी रखेंगे, मुझे मजबूर होकर यह निर्देश देना पड़ेगा कि वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

*श्री पूरन सिंह माहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के योग्य खाद्य राज्य मंत्री माननीय श्री हुकुम सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसी के साथ इस सदन के अपने साथी शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं। वहां की दुर्गम परिस्थितियों, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों में, जिस तरह से खाद्य विभाग आज भी नियंत्रित गल्ला, दुकानों के माध्यम से, वहां की जनता को उपलब्ध कराकर के, जो सेवा कर रहा है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को और उनके विभाग को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इस समय, समय की कमी के कारण 2–3 सुझावों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र में, जिसका मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत मुलाकात में जिक्र किया और विभागीय अधिकारियों को भी बताया, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कुलान्टेश्वर नामक स्थान पर खाद्य गल्ले का स्टोर दिखाया हुआ है पेपर्स में, जबकि वह गल्ला स्टोर वहां से 10 कि0 मी0 दूर सराईखेत नामक स्थान पर है, कुलान्टेश्वर नामक स्थान पर नहीं है। इस विसंगति के कारण कुलान्टेश्वर के लोगों को, गल्ले का जो भाड़ा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पेपर्स में वह स्टोर कुलान्टेश्वर में ही प्रदर्शित है। जबकि सराईखेत के लोग इस विसंगति का लाभ उठाकर, भाड़ा ले लेते हैं, क्योंकि वह कुलान्टेश्वर दिखाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर ध्यान देकर, पेपर्स में स्थान को सही कर देना चाहिए।

दूसरी बात यह संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में अधिक वन होने के कारण, जो पर्यावरण का भार है, इस देश के लिए, प्रदेश के लिए, वह पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के ऊपर है। पर्वतीय क्षेत्र के लोग खाना आदि बनाने के संबंध में वन की लकड़ियों पर कम से कम आधारित हों, इसके लिए यह आवश्यक है कि वहां दिये जाने वाले मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस में सबसिडी सरकार को देनी चाहिए। ताकि लोगों का ध्यान लकड़ी आदि से हटकर, मिट्टी के तेल और कुकिंग गैस की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो और वनों पर कम से कम भार पड़े। आधी कीमत में मिट्टी का तेल और कुकिंग गैस वहां मुहैय्या करायी जानी चाहिए।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के जनजीवन का जहां तक सवाल है, पर्यटन वहां का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि वहां के लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष जब मुझे गर्मियों में डेढ़-दो महीने अपने क्षेत्र में रहने का मौका मिला तो वहां पर एक अजीब समस्या पैदा हो गई थी। वहां पर डीजल व पेट्रोल उपलब्ध नहीं था।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर्यटकों को बहुत बड़ी तादाद में एस0 डी0 एम0 व तहसीलदार के दफ्तर में जाना पड़ता था। सामान्य दिनों में वहां व्यवस्था ठीक रहती है, लेकिन गर्मी के दिनों में आपको अपने विभाग को निर्देश देना चाहिए कि वहां पर गर्मियों में डीजल व पेट्रोल की कमी न होने पाये, बल्कि सप्लाई को दुगुना कर देना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्र के लिए आप जो गल्ला देते हैं, गोदामों के अभाव में वह खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है और सड़ता रहता है, लोग उस गल्ले को खा रहे हैं। यद्यपि शासन ने वहां पर गल्ले की व्यवस्था कर रखी है, इसकी कमी नहीं है, लेकिन गोदाम न होने के कारण यह गल्ला खराब हो जाता है, इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार के गोदाम नहीं हैं, वहां-वहां पर गोदामों का निर्माण कराया जाय। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री हुकुम सिंह ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका हृदय से मैं समर्थन करता हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग का वार्षिक कार्य विवरण–1986-87 की पुस्तिका के पृष्ठ–17 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें नियंत्रित वस्त्र के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसमें माननीय सांसदों, विधायकों, प्रधानों और ब्लाक प्रमुखों को नियंत्रित वस्तुओं की आवंटित सूची निश्चित रूप से दिये जाने की व्यवस्था की गई है। श्रीमन्, आगरा में खाद्य सलाहकार समिति की बैठक आपकी अध्यक्षता में हुई थी, मैंने उसमें यह आरोप लगाया था कि नियंत्रित वस्त्र कभी भी देहातों में नहीं जाता है, यह बड़े-बड़े घरों में बेचा जाता है। यहां पर जितने भी सदस्य हैं, किसी के पास भी उस नियंत्रित मूल्य का वह मोटे कपड़े की सूची नहीं भेजी गई। इसलिए मान्यवर, आप यह सुनिश्चित करवायें कि जिन अधिकारियों ने सूची उपलब्ध नहीं करवाई है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और उसकी सूची माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाय। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच इस सरकार ने एक भेद कर दिया है। डीजल के मामले में इन्होंने एक नियम बना रखा है कि 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर डीजल पम्प का लाईसेन्स दिया गया है ग्रामीण अंचल में जबकि शहरी इलाके में 1 किलोमीटर के भीतर 10 डीजल पम्प खोल दें। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस नियम को ढीला करें और किसानों के हित में ग्रामीण क्षेत्र में भी 1 किलोमीटर के बाहर डीजल पम्प खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और आपकी अध्यक्षता में मान्यवर, जो खाद्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी और जो प्रस्ताव आपने स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा था, उसे माना जाय।

सीमेन्ट की बात कहना चाहता हूं। कालोनाईजरों को संस्था के नाम पर तो सीमेन्ट मिल जायेगा लेवी का, लेकिन गरीबों को लेवी का सीमेन्ट नहीं मिल पायेगा, इसलिए इसे आप सुनिश्चित करें। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बड़े वेग में बहुत से नीति विषयक चीजों का भी बखान कर देते हैं। दाम नीति विषय के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। आपने गेहूं खरीदा 166 रुपए प्रति क्विंटल, लेकिन उसे 2·10 रुपए के हिसाब से बेचने का क्या तुक है। समर्थन मूल्य एक तरफ हमको दिया और कोई भी दुनिया का अर्थशास्त्री बता दे या मा0 मंत्री जी

बता दें कि एक कि0ग्रा0 गेहूं पर 40-50 पैसे मुनाफा लेने का कहां से अधिकार उनको प्राप्त हो गया? हम समर्थन मूल्य ही मान लें लेकिन बाजार में सस्ता गेहूं खिलाने की प्रतिज्ञा के बाद उसी गेहूं को ऊंचे दाम पर बेचते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं, दूसरों के साथ धोखा करना हमारी समझ में नहीं आता। माननीय मंत्री जी क्या गम्भीरता से विचार करेंगे कि बीच में प्राइस कैसे बढ़ी है? आपके घोषणा पत्र में है कि सस्ता गेहूं खिलायेंगे, यह कौन सा तरीका है कि गेहूं को इतने मुनाफे से बेचेंगे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को धोखा देकर और उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को सस्ता गल्ला खिलाने का झूठा आश्वासन देकर शोषण करने का काम आप कर रहे हैं। आपकी यह प्रवृत्ति प्रदेश के अहित में है। इस पर पुनर्विचार करें और इस प्रकार शोषण का तरीका बन्द करें। इससे आपके शासन की छवि रोजाना धूमिल हो रही है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि गैस के मामले में काफी उपभोक्ताओं को शिकायत है। वहां पर तीन गैस कम्पनियां हैं, एक है कमला गैस सर्विस, फिरोजाबाद। तीनों ने मिलकर समझौता किया हुआ है कि जिनके नम्बर आ गये हैं, उनको एक रजिस्ट्री करेंगे बिना ए0 डी0 के और उसको स्वयं ले आयेंगे, जब उपभोक्ता को मालूम पड़ेगा कि नम्बर आ गया है, तो उससे कहेंगे कि हमारे यहां की रजिस्ट्री लाइए, रजिस्ट्रेशन नम्बर लाइए, राशन कार्ड लाइए, बयान हलफी लाइए। इसके बाद उसके नम्बर को ब्लैक में बेच लेंगे। ये सब फिरोजाबाद में चल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ब्लैक पर रोक लगा दें और जांच कराकर कार्यवाही करें। जो आपने निर्देश दिये हैं, पी0 सी0 एफ0 और मार्केटिंग का गोदाम, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। हर बोरी में 10-12 कि0 ग्रा0 कम होता है। इस प्रकार गेहूं, चीनी, चावल सब कम दुकानदारों को देते हैं। ये बोरियां जो वजन में कम होती हैं, जबर्दस्ती दुकानदारों को देते हैं। आपने जो आगरा में खाद्य सलाहकार समिति के निर्णय पर आदेश दिये थे परगनाधिकारियों को कि गोदाम का सर्वेक्षण करके माल की बोरी का सर्वेक्षण करके माल उठाने की इजाजत दें, उनका भी पालन नहीं हुआ। जनहित में आपका यह विभाग अपने उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी हो, यह आपको देखना चाहिए। आपके विभाग में ऊपर से नीचे तक जो बिना पैसा लिये काम नहीं होता है, उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करें नहीं तो यह तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत खाद्य के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, खाद्य तथा रसद विभाग के लिए हमारी उ0 प्र0 सरकार ने और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार से मदद लेकर ऐसी सुदृढ़ इसकी व्यवस्था की है, जिसे मैं सन् 1980 से लेकर अब तक यानी कि 1987 तक देखता चला आ रहा हूं कि इस विभाग की वितरण प्रणाली में और बांट तथा माप तौल विभाग में, उ0 प्र0 राज्य कल्याण निगम की स्थापना करके आवश्यक वस्तु उपभोक्ता एवं नियंत्रण कपड़े में, देहातों एवं शहरों में सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने में काफी

सुधार हुआ है। यह सारी व्यवस्था 1977 में जनता शासन में गड़बड़ हो गयी थी जब श्री राम नरेश यादव जी मुख्य मंत्री पद पर थे और गेहूं, चावल, चीनी जो कांग्रेस शासन ने रखा था या छोड़ कर चली गयी थी। इसके लिए एक कहावत कही जाती है कि "राम की चिड़िया, राम का ही खेत, खा लो चिड़िया भर-भर पेट।" इस तरह सब गल्ला लुटा दिया।

जब श्री राम नरेश जी मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने खूब अन्न लुटाया हमारे प्रदेश को और सारी वितरण व्यवस्था को आपने चकनाचूर कर दिया।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 हरदेव जी, आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करके अपनी बात कहें।

श्री हरदेव–

तो मैं कह रहा था कि हमारे विद्वान अधिकारियों ने, हमारे मंत्री जी ने जो इसमें सुधार लाये हैं, सस्ते गल्ले की दुकानों से जो जनता को जीवन उपयोगी वस्तुओं की सप्लाई हो रही है, खाद्य पूर्ति विभाग के द्वारा वितरण के क्षेत्र में सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है। किरासिन का तेल, गेहूं, चीनी सबको समय से मिल रही है। जनता को शादी विवाह में चीनी मिल जाती है। अभी एक महीने के लिए मुझे रसड़ा जाने व रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने देखा कि कोई भी शादी विवाह हो, व त्योहार हो, चाहे हिन्दुओं का, चाहे मुसलमानों को या ईसाइयों का, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। वैसे थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही रहती है परन्तु यदि व्यवस्था सही होती है तो परेशानी अपने ही से कम हो जाती है। लेकिन यह आप सबकी ओर से कहा जाय कि कोई वितरण व्यवस्था सही नहीं है तो यह कितने शर्म की बात है, यह अधिकारियों और मा0 मंत्रियों के मनोबल को गिराने की बात है।

आप देखिये कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा तथा आवश्यक वस्तु निगम तथा उपभोक्ता संघ को जीवनोपयोगी चीजें जैसे डालडा, साबुन, सर्फ का वितरण आदि 57 जिलों में मैं देख रहा हूं कि छोटे-छोटे डिपो बनाये गये हैं कर्मचारियों की सुविधा के लिए और वहां से उन्हें जीवनोपयोगी वस्तुयें आसानी से उपलब्ध करायी जा रही हैं।

इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि सचल गाड़ियां सस्ते दामों पर शहरों में चीजों को उपलब्ध करा रही हैं। सामान से लदी गाड़ियां घूम-घूम कर लोगों को चीजें मुहैय्या करा रही हैं और उसका उपयोग प्रसन्नता से सभी लोग करते भी हैं। सदन में यहां पर सही बात बोलना चाहिए, प्रदेश की जनता की सही आवाज को सदन में रखना चाहिए। मुझे अफसोस है कि आप लोगों को पता नहीं कैसे जनता अपना नुमाइन्दे चुन कर यहां भेज देती है जो सदन में सही बात भी नहीं कहना चाहते हैं और बहुत सी बातें गलत बोल जाते हैं।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के कर्मचारियों की सेवा नियमावली जो पहले नहीं थी, अब बना दी गयी है। हर तरह से वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है, बांट-माप विभाग में आशाजनक सुधार हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री मूल चन्द–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने बजट में दर्शाया है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर देखा जाय तो एक बात उन्होंने कही कि कई हजार सस्ते गल्ले की दूकानें उन्होंने दे दिया। मान्यवर, आपने दुकानें दी हैं, लेकिन जिनको आपने दुकानें दी हैं, लाइसेंस दिये हैं, तो उससे कितनी रिश्वत ली जाती है। मान्यवर, जो दुकान लेता है, (व्यवधान) अब हकीकत को आप सुनिये। जब वह दुकान लेने के लिए जाता है और अपना आवेदन पत्र देता है, तो वह पहले प्रमाण पत्र लाता है, सप्लाई इन्सपेक्टर को कुछ देना पड़ता है, फिर सीनियर सप्लाई इन्सपेक्टर को देना पड़ता है, एस0 डी0 एम0 को देना पड़ता है और जिला पूर्ति अधिकारी को देना पड़ता है और 6–6 महीने वह दुकान के लाइसेंस के लिए दौड़ता है, लेकिन दुकान का लाइसेंस मिल नहीं पाता है। तो मान्यवर, यह कमी कैसे पूरी होगी। एक व्यक्ति के लिए ढाई सौ ग्राम चीनी दी जाती है, दुकानदार करता क्या है, जब चीनी लेता है तो रास्ते में ही उसको बेच देता है, किसानों को बताता भी नहीं है और जब किसान को मालूम हो जाता है तो उसको 10 बजे बुलाता है और 12 बजे तक बैठाये रहता है और फिर भी चीनी नहीं देता है।

मान्यवर, आप दूसरी ओर देखें कि उसको दिन भर की मजदूरी कितनी मिलती है। आप बतावें कि न्यूनतम मजदूरी कितनी है, चीनी के लिए उसको दिन भर की मजदूरी गंवानी पड़ती है। जब वह पूरे दिन की मजदूरी गंवायेगा, तो दो किलो चीनी उसको मिल पायेगी। मेरा निवेदन है कि आप लाइसेंस समाप्त कर दें, तो जनता को ज्यादा फायदा होगा। आप लाइसेंस समाप्त कर देंगे तो सामान महंगा नहीं होगा, चीनी सस्ती मिलेगी। मान्यवर, जो आप कहते हैं कि यह योजनायें गरीबों और किसानों के लिए बनायी गयी हैं, तो वह उनके लिए कतई नहीं हैं। यह योजनाएं, इन्सपेक्टर, एस0 डी0 एम0 और दरोगा के लिए हैं। इन लाइसेंसों का फायदा तो अधिकारी और कर्मचारी को मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता है और गरीब परेशान हैं।

मान्यवर, आप सीमेंट की बात करते हैं। आप देखें कि क्या वह गरीबों को मिलती है। आपको क्या मालूम है कि गरीबों की क्या दशा है। अगर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो इसकी जांच करा लें, लेकिन आप जब भी जांच करायेंगे तो उसी इन्सपेक्टर से जांच करायेंगे जिसकी शिकायत की जाती है। इन्सपेक्टर जाता है, तो वह पैसा लेता है और दरोगा जाता है तो वह पैसा लेगा।

मान्यवर, सीमेंट के बारे में कहना चाहता हूं, सीमेंट गरीब आदमी को नहीं मिलता है और ब्लैक हो जाता है। आप जो सीमेंट देते हैं, उससे किसानों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है। चाहे विधायक हो, वह कमीशन लेता है, अधिकारी कमीशन लेता है, मिनिस्टर कमीशन लेता है, मान्यवर, इस मुल्क का दुर्भाग्य है कि आपकी जो भी योजनायें हैं, वह कमीशन के लिए ही हैं। कमीशन के लिये यह योजनायें चलायी जाती हैं, गरीबों को उनसे एकदम फायदा नहीं होता है। जब आप कमीशन लेते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, तो अधिकारी क्या सोचता है, फेयर फैक्स का मामला आपके सामने है, मंत्रियों का पैसा स्वीस बैंक में जमा है, तो जो अधिकारी हैं वह सोचता है कि हमने कम्पटीशन कम्पलीट किया है, लेकिन हम स्वीस बैंक में पैसा नहीं जमा कर पाए हैं और इन बिना पढ़े लिखे लोगों का पैसा स्वीस बैंक में जमा है। सारा का सारा गल्ला, चीनी और तेल का ब्लैक करके ये लोग स्विटजरलैण्ड का ख्वाब देख रहे हैं कि हम भी जमा कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ, कृपया बिराजें।

श्री मूल चन्द–

मैं बड़े अदब के साथ अपनी बात समाप्त करते हुये . . .

श्री हरदेव–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मूल चन्द–

मैं समाप्त कर रहा हूं। डिस्टर्ब न करो, बैठो।

श्री हरदेव–

मान्यवर, माननीय मूर्खचन्द जी का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री मूल चन्द–

मैं आपको क्या समझाऊं। जो अक्ल के दुश्मन हों वे गरीबों को क्या समझें। गरीबों की कौन सुनता है।

खुदा ने उस वर्ग की हालत न बदली
जो खुद अपनी हालत को देखा नहीं।

आप क्या बदल सकते हैं। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं माननीय सदस्य के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप कितना समय लेंगे?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

आप 5 मिनट बोल लें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैंने इस महत्वपूर्ण बजट पर कई माननीय सदस्यों को सुना। मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इनके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं माननीय रजनीकात दत्ता जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश एक गरीब सूबा है और उसकी गरीबी को देखने के लिए आप जैसे बड़े भाई को और मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे जैसा छोटा भाई आपको सहयोग देने का प्रयास करेगा। मान्यवर, उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात कही जिसका मैं भी समर्थन करता हूं कि बनारस में मोती वालों की कुछ समस्यायें हैं। जो सवाल उन्होंने उठाया है मैं भी चाहूंगा कि उस पर सरकार ध्यान देगी क्योंकि वे बनारस से चुनकर आये हैं उनकी आवाज का कुछ तो सम्मान वह सरकार करेगी और वहां के मोती वालों की समस्याओं का समाधान करेगी। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो कानून बनाये गये हैं और इस विभाग में जो अधिनियम बनाये गये हैं उनकी मंशा तो बहुत साफ है लेकिन उनसे अभी तक जो नतीजा निकला है उसमें बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि वक्त के साथ-साथ अगर उस कानून में उस व्यवस्था में तब्दीली नहीं की जायेगी तो घिसे पिटे तरीकों से, कानूनों से आधुनिक संदर्भों में भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता है और मुनाफाखोरी नहीं रोंधी जा सकती है। इस समय निश्चित रूप से कानून की जरूरत नहीं है। इस विभाग में क्या, पूरे प्रदेश और देश में आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह चिन्ता की बात है। मुनाफाखोरी और अपनी सम्पन्नता बढ़ती चली जा रही है। कानून का कोई डर नहीं रह गया है। मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग में जो इशेन्शियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया है और उसके तहत यू0 पी0 कोल कन्ट्रोल आर्डर 1977 में बनाया गया है और जो पी0 डी0 एक्ट है उसमें प्रावधान किया गया है जिसके चलते मुनाफाखोर को सजा देने की बात कही गई है, जिस तरह से प्रशासकीय अधिकारियों को दण्ड देने की उसमें व्यवस्था की गई है उसमें भी काफी सुधार की गुंजाइश है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एसेंन्सियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्सन 6(ए) की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें दोषी व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्राविधान है। उसके तहत यह भी व्यवस्था है कि 50 हजार रुपये से कम अगर किसी का माल जब्त होता है तो ए0 डी0 एम0 सप्लाई दण्ड देने की कार्यवाही कर सकते हैं और उससे ज्यादा है तो जिलाधिकारी कार्यवाही करेंगे।

मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा कि जो अधिकारी छापा डालता है, जो पकड़ता है उसी को न्याय करने की जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि यह आर्थिक अपराध है, सामाजिक अपराध है मिलावट करना या ज्यादा दाम पर बेचना, जिससे पूरे के पूरे समाज पर असर पड़ता है, एक व्यक्ति पर नहीं अगर एक पैसा प्रति किलो भी ज्यादा दाम लिये तो बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा, तो इस प्रकार यह आर्थिक और सामाजिक अपराध है इसलिए इसको ट्रेडीशनल लाज की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, ब्लैक मार्केटिंग से या जमाखोरी से जो पैसा कमाया गया उसमें दण्ड सामाजिक दर्शन के आधार पर बनाये गये सी0 आर0 पी0 सी0 या आइ0 पी0 सी0 में जो प्राविधान बनाये गये हैं उसमें जो जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी को दण्ड देने के अधिकार दिये गये हैं वह उचित नहीं हैं। उसमें दो साल 4 साल और 6 साल तक लग जाते हैं उससे मामलों का निस्तारण नहीं हो पाता है। इसमें बहुत सी खामियां भी आ गयी हैं मेरी गुजारिश है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको केवल प्रशासन और वितरण, पकड़ने तथा छापा डालने का ही काम दिया जाय और दण्ड देने के लिए किसी न्यायिक एजेंसी को होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरह 1974 में सी0 आर0 पी0 सी0 में संशोधन किया गया उत्तर प्रदेश तथा अन्य सूबों में भी किया उसी तरह से यह संशोधन होना चाहिये और 6(ए) में दण्ड देने का अधिकार जुडिशियल आफिसर को होना चाहिए ताकि वह निष्पक्ष होकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णय कर सके।

इस समय हमारे यहां जो व्यवस्था है उसमें थ्योरी आफ सेपरेशन आफ पावर नहीं ली गयी है। कार्यों के विभाजन का सिद्धान्त होना चाहिए कार्यपालिका को अपने कार्य-कलापों तक सीमित होना चाहिए उसे न्याय पालिका का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब यह चीज हो जायेगी तो निश्चित रूप से इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। मेरी राय में एसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट के चलते जितने भी आर्डर बनाये हैं उसके लिए विशेष न्यायालयों का प्रावधान होना चाहिए जिनका काम ही केवल इस तरह का हो कि मुनाफा-खोरी, कालाबाजारी या ज्यादा दामों पर बेचने वालों के मुकदमों का फैसला करें। तो इन मामलों का फैसला करने के लिये विशेष न्यायालय बनाये जायं यह काम साधारण न्यायालयों को न दिया जाय क्योंकि इनमें बहुत लम्बा समय लग जाता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस काम के लिए स्पेशल कोर्ट बनाये जायं और इन मामलों में दण्ड देने का काम न्यायिक अधिकारियों के द्वारा हो।

इसके साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा मैं तफतीश में नहीं जाऊंगा, हमारे यहां इस विभाग में जो अधिनियम बनाया गया है उसमें पुनर्विचार किया जाय। क्योंकि बहुत सी चीजों पर विचार फिर से करने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि जो यहां पर कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसकी जरूरत को समझते हुए सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे और सरकार ने जो इस विभाग का बजट रखा है उसको सुधार कर फिर से सदन में बजट रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों पर बल देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी उत्तर देने के बाद किसी बजट अनुदान पर, आप माननीय सदस्यों को स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन पिछले मत्स्य पालन का बजट था उसमें बहुत से माननीय सदस्य स्पष्टीकरण पूछना चाहते थे लेकिन आपने समय नहीं दिया, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या नीति रहेगी।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे पास समय की सीमा थी, दो बजट थे, इसलिए अनुमति नहीं दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बजट के अवसर पर आप स्पष्टीकरण न पूछें और पास होने दें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं सभी सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और हमको मार्गदर्शन दिया। मैं संक्षेप में जो बिन्दु यहां उठाये गए हैं उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। अभी कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए हमारे विद्वान सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश ने एक ऐसी शंका उठायी जिसको मैं नहीं समझ पाया और जितना समझ पाया हूं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। आपकी शिकायत थी कि केन्द्र सरकार से मात्र 45 हजार मेट्रिक टन गेहूं और 45 हजार मेट्रिक टन चावल का आवंटन हुआ जो प्रदेश की आबादी को देखते हुए कम है। उसके बावजूद भी उसका उठान कम हुआ। मान्यवर, उनको जानकारी होगी कि इस प्रदेश में इस वर्ष भी एक करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन

होगा उसमें से मात्र 10 लाख मैट्रिक टन उठाया है, शेष गेहूं कहां गया, व्यापारी या उपभोक्ताओं के घर में है। तो प्रदेश में गेहूं का इतना भण्डारण उपलब्ध है, तो केन्द्र सरकार से और लेकर सस्ते गल्ले की दुकानों से उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कम उठान हुआ। इसलिए कम उठान नहीं हुआ कि दुकान पर आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है चूंकि गेहूं उपलब्ध है जिससे लोग पा रहे हैं।

मान्यवर, एक शंका और उठायी गयी आवश्यक वस्तु एक्ट के सम्बन्ध में और मैं नहीं समझ सका कि आपको कहां से जानकारी मिली है कि डी0 एम0, ए0 डी0 एम0 को दण्ड देने का अधिकार है इस एक्ट के अन्तर्गत, मैं बताना चाहता हूं कि इस एक्ट के अन्तर्गत डी0 एम0, ए0 डी0 एम0 को दण्ड देने का अधिकार नहीं है। हर जिले में एक-एक विशेष न्यायालय में स्पेशल जज नियुक्त हैं। केवल अंतरिम व्यवस्था के अन्तर्गत धारा 6 में कार्यवाही करने के अधिकार डी0 एम0/ए0 डी0 एम0 को दिए गए हैं।

मान्यवर, दूसरा बिन्दु डी0 एस0 ओ0 के बारे में कहा गया कि 10 का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा हो गया लेकिन जगह नहीं दी गयी है। मैं आपको बता दूं कि इस संबंध में 4 डी0 एस0ओज को जगहें दी जा चुकी हैं और 6 अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए वित्त विभाग को लिखा गया है।

मान्यवर, एक सवाल खाद्य उपयुक्त के बारे में उठाया गया, इस संबंध में बताना चाहूंगा कि समस्त कार्यालय का पुनर्गठन करने पर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही पुनर्गठन करके आपके बिन्दु को हल कर दिया जायेगा।

मान्यवर, डा0 रजनीकान्त दत्ता ने काशी में मोती बनाने की समस्या के बारे में कहा है तो इस पर हम गम्भीरता से विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि उस समस्या का समाधान जल्दी ही हो सके। श्री अवसान सिंह ने क्रय केन्द्रों पर बोरों और धन की कमी का जिक्र किया। मान्यवर, इस वर्ष 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य हमने रखा था और इसके लिए बोरे और धन उपलब्ध हुआ किन्तु मात्र 10 लाख मैट्रिक टन ही उठाया, इसलिए किसी क्रय केन्द्र पर बोरे और धन की कमी का प्रश्न नहीं उठता है। हम और कृषि मंत्री जी, अधिकारीगण तमाम केन्द्रों पर गए और वहां की शिकायतों को दूर किया लेकिन बोरों की कमी किसी केन्द्र पर इस साल नहीं आई। आगे भी हम आश्वस्त करते हैं कि जैसा कि पहले हमने प्रबन्ध किया है, आगे भी करना सुनिश्चित करेंगे।

माननीय सदस्य पूरन सिंह माहरा ने गल्ला गोदाम की शिकायत की, उसकी हम जानकारी करायेंगे। रघुवर दयाल वर्मा जी ने कुछ सूचियां माननीय विधायकों को उपलब्ध न कराये जाने के बारे में शिकायत की और दाम के बारे में कहा है कि 166 के हिसाब से लिया जाता है और 290 में उपलब्ध कराया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि इसके बावजूद यदि आप सारे खर्चे खरीदने से लेकर बेचने तक के देखें–4 परसेंट परचेज टैक्स, 1 परसेंट मंडी शुल्क, ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण का खर्च, तो 210 में उपलब्ध कराने तक केन्द्र सरकार को 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रति वर्ष देनी पड़ती है। तो इस तरह से यह बहुत बड़ा भार प्रदेश सरकार पर है, किन्तु सरकार स्वयं यह भार वहन करके किसानों को उसकी उपज का मुनासिब

मूल्य और उपभोक्ता को सही और सस्ते दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम जन-हित में करती है। हमारे योग्यतम साथी हरदेव जी ने हमें कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और हमारी बात का समर्थन भी किया है और उनसे भी योग्य मूल चन्द्र ने जो बात कही है, मैं उनकी अनुपस्थिति में उसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं...

श्री फजलुल बारी–

मंत्री जी ने अपनी पार्टी के स्तर को बता दिया हरदेव जी को योग्यतम बताकर ।

श्री हुकुम सिंह–

मैं तो आपको भी बताना चाहता था, लेकिन आज मौका नहीं है । फिर कभी अवसर आने पर और समय होने पर बताऊंगा । तो मैं अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं । जिन शंकाओं को उन्होंने उठाया, उनका जवाब देने का मैंने प्रयास किया, अब मैं चाहता हूं कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 22–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अति-रिक्त 4,46,51,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आज की कार्यसूची की मद संख्या 10 व 13 के स्थगन की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 10 पर होने वाली आज की चर्चा, प्रस्तावक के अनुरोध पर आज स्थगित कर दी गई है और आगे जो तारीख कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी, उसमें लिया जायेगा। उसी प्रकार प्रस्तावक के अनुरोध पर मद संख्या 13 आज स्थगित कर दिया गया है और अब यह 14 जुलाई को बजट के बाद लिया जायेगा ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । यह सूचनाएं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की, सर्वश्री राम आसरे वर्मा जी रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की, सर्वश्री रामआसरे वर्मा, हरीशंकर तिवारी, डा0 अच्युतानन्द तिवारी, कामेश्वर उपाध्याय व रामपाल वर्मा जी की, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, डा0 दिनेश जौहरी जी की और श्री यदुनाथ सिंह जी की हैं ।

इनमें से माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी की सूचना, सूचना विभाग में छपाई के कागजों की खरीद में घपला, वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई है । और माननीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की सूचना केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार हुई है ।

प्रदेश में पत्रकारों के उत्पीड़न के संबंध में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

यह कहना भ्रामक है कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में पत्रकारों. . . .

श्री अधिष्ठाता–

आप सहमत हों तो वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ?

(सदन की सहमति मिलने पर वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप प्रश्न कर लें ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

यह कहना भ्रामक है कि पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश में पत्रकारों [का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण ने जिन पत्रकारों के विषय में अपनी सूचना में उल्लेख किया है उस संबंध में स्थिति निम्नवत् है ।

उरई से नवभारत टाइम्स के सम्वाददाता श्री राधेश्याम दांतरे पुत्र श्री प्रेम नरायण दांतरे को गिरफ्तारी तथा जनपद जालौन के ही पत्रकार श्री अयोध्या प्रसाद गुप्त "कुमुद" तथा श्री नागरमल तरसौलिया के उत्पीड़न संबंधी सभी शिकायतों पर जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है। यह जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) द्वारा की जा रही है, जो प्रगति पर है। पूर्ण जांच आख्या प्राप्त होने पर समस्त बिन्दुओं के संबंध में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जायेगी एवं शासन स्तर से उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

हमीरपुर के "नवभारत टाइम्स" लखनऊ के संवाददाता श्री महेश अवस्थी के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके विरुद्ध जनपद में आज तक न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दी है और न ही इन्हें गिरफ्तार किया गया है, यहां तक कि किसी भी मामले में पूछताछ के लिए भी उन्हें नहीं बुलाया गया है। प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कोई नोटिस इत्यादि भी नहीं दी गई है ।

जहां तक सहारनपुर के दो पत्रकारों को रा0 सु0 का0 में निरुद्ध करने का मामला है, इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि दिनांक 9-4-87 को कस्बा मंगोह, जनपद सहारनपुर में रामनवमी के जुलूस को के जुलूस को लेकर हिन्दू-मुसलमानों में हुए विवाद के संबंध में 9-4-1987 को श्री जिन्दा हसन तथा पत्रकार श्री राकेश गर्ग व श्री राकेश गोयल द्वारा अपने समुदाय के लोगों से सम्पर्क कर उनकी धार्मिक भावनाओं को उत्तेजनात्मक बातें कहकर भड़काया गया जिससे कस्बा मंगोह और आसपास के क्षेत्र में रामनवमी समाप्त होने के पश्चात् भी साम्प्रदायिक तनाव बना रहा। प्रशासन द्वारा काफी

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रयास के बाद स्थिति नियंत्रण में की गई और साम्प्रदायिक दंगे की स्थिति को बचाया गया । इस संबंध में थाना मंगोह पर दो अपराध अन्तर्गत धारा-153/153ए/147/353 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुए जिनमें नामजद अभियुक्त सर्वश्री जिन्दा हसन, राकेश गर्ग और राकेश गोयल को दिनांक 15-4-1987 को गिरफ्तार कर जल भेजा गया और दिनांक 16-4-1987 को रा0 सु0 का0 के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया, किन्तु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रा0 सु0 का0 के अन्तर्गत निरुद्धि के आदेश को शासन द्वारा विधिक दृष्टि से परीक्षण करने पर तकनीकी त्रुटि के कारण अनुमोदित नहीं किया गया और उनकी रा0 सु0 का0 के अन्तर्गत निरुद्धि समाप्त हो गई । उक्त दोनों पत्रकार दिनांक 15-5-1987 को रिहा कर दिए गए ।

जनपद सीतापुर में दैनिक समाचार-पत्र "अमृत प्रभात" के संवाददाता श्री अरुण कुमार मिश्र, कस्बा महोली, जनपद सीतापुर में एक दैनिक सूचना पट्ट पर समाचार अंकित करते हैं । उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध समाचार अंकित किए थे जिसके कारण श्री बांके पुत्र श्री चन्द्रशेखर निवासी रायपुर, थाना महोली, जनपद सीतापुर द्वारा दिनांक 29-3-1987 को श्री अरुण कुमार मिश्र को मारने की घटना घटित हुई । इस संबंध में थाना महोली में अपराध संख्या–105/87 अन्तर्गत धारा 147/323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ और अभियुक्त श्री बांके व श्री चन्द्रभाल को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया । उक्त मुकदमें में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । साथ ही श्री अरुण कुमार मिश्र की जीवन सुरक्षा हेतु शासन द्वारा अंगरक्षक प्रदान कर दिया गया है ।

बहराइच के पत्रकार श्री नित्यानन्द तिवारी के पत्रकारिता के कारण उत्पीड़न एवं बस्ती के पत्रकार श्री मजहर इमाम के सम्बन्ध में जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

सूचना में बांदा, कानपुर और वाराणसी के पत्रकारों का नामोल्लेख न होने के कारण उनके संबंध में कोई जानकारी देना कठिन है ।

जहां तक पत्रकारों की इस मांग का संबंध है कि उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं, विवेचना हुए यह सिद्ध होना कठिन है कि कौन मुकदमा फर्जी है कौन नहीं । इसी प्रकार आपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी के पूर्व सरकार की अनुमति प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं है ।

पत्रकारों की सुरक्षा और उनका स्वस्थ पत्रकारिता को लेकर उत्पीड़न न हो इस दिशा में राज्य सरकार पहले से ही सचेष्ट है और समय-समय पर शासन द्वारा तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए जाते रहे हैं । शासन को पत्रकारों से उनके उत्पीड़न के संबंध में जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे शीघ्र ही तत्परता से कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा जाता है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है । पत्रकारों और जिला प्रशासन के बीच सम्बन्धों को और सौहार्दपूर्ण बनाने के उद्देश्य से तथा पत्रकारों के द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों के संबंध में की गई शिकायतों, विशेषकर पुलिस द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न के प्रश्न पर विचार किए जाने हेतु जिला स्तर पर प्रत्येक जनपद में स्थायी समिति गठित है जिसकी बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य बुलाए जाने के निर्देश हैं । इस जिला समिति, जिसके जिला अधिकारी पदेन अध्यक्ष और जिला सूचना अधिकारी पदेन सचिव हैं, में जिला पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ जनपद के मान्यता प्राप्त दो पत्रकार भी सदस्य रखे गए हैं ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि शासन पत्रकारों की समस्या के प्रति जागरूक है ।]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, इसमें तथ्यों को काफी तोड़-मरोड़कर रखने की चेष्टा की गई है । वक्तव्य में जानकारी दी गई, यह उरई जिले का मामला है उसमें सब मामलों की सी0 आई0 डी0 जांच कराई जा रही है और जानकारी प्राप्त करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी । मेरे पास जानकारी है मान्यवर, उन पत्रकारों का अभी भी उत्पीड़न हो रहा है वहां के जो विवादस्पद जिलाधिकारी हैं जिन्होंने मुख्य मंत्री जी के आदेश की अवहेलना की थी उनका ट्रांसफर होने के बाद 30 जून को उरई कोतवाली में भारतीय दण्ड विधान की धारा 181, 182, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 265, 269, 471, 500, 505 (बी) 120 जिलाधिकारी ए0 के0 जाशी ने एक एफ0 आई0 आर0 लिखाई । जिलाधिकारी द्वारा उन पत्रकारों को पुनः गिरफ्तार करवाने का प्रयास किया जा रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी गिरफ्तारी रोकने के लिए अपने पूर्व वायदे के अनुसार आदेश करें ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

इस प्रकरण की पूरी जानकारी सी0 आई0 डी0 को सौंप दी गई है जिलाधिकारी का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है एस0 एस0 पी0 का वहां से ट्रांसफर कर दिया गया है । जितने भी बिन्दु इससे संबंधित हैं वह सी0 आई0 डी0 को दे दिए गये हैं इसमें जांच हो रही है जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0 की जांच कराई जा रही है पहले मामले में राधेश्याम दातर पकड़ा गया। मान्यवर, 30 तारीख को जो सूचना लिखाई गई क्या यह मामला भी सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

यदि नहीं दिया गया है, तो इस मामले को भी सी0 आई0 डी0 को संदर्भित कर दिया जायेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के बारे में कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है अभी हाल ही में दो-तीन दिन पहले काशीपुर में स्वतंत्र भारत और नव भारत टाइम्स के दो सम्वाददाताओं को वहां के स्थानीय अधिकारियों ने अमानवीय उत्पीड़न किया, तो क्या इसकी जानकारी शासन को है ? या जानकारी हो जाती है तो क्या इस पर कार्यवाही होगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

काशीपुर की घटना की सूचना नहीं है इसकी जानकारी करायेंगे तो कार्यवाही भी कराई जाएगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

आपने जो अपराध अनुसंधान विभाग की जांच के पहले जो प्रागदर्शन में जांच कराई थी उसमें जो तथ्य सामने आये उन तथ्यों की जानकारी क्या आप सदन को करायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 जांच के पूर्व महानिदेशक के द्वारा जांच की गई थी गये थे और उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए जिन अधिकारियों के ट्रांसफर की संस्तुति की थी उनका ट्रांसफर कर दिया गया है ।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हमीरपुर के जिलाधिकारी ने श्री राम प्रकाश त्रिपाठी को धारा 505 के अन्तर्गत गिरफ्तार कराया और महेश अवस्थी पत्रकार के खिलाफ कार्यवाही की गई, तो क्या इस संबंध में जांच कराने और उनके विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

हमीरपुर की घटना के संबंध में कमिश्नर जांच कर रहे हैं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान) –

मान्यवर, मैं भी एक सूचना दे दूं न उनको किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया और न प्रशासन द्वारा उनको किसी प्रकार की नोटिस दी गयी है । वैसे कमिश्नर जांच कर ही रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं कहना चाहता हूं कि क्या राज्य मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पत्रकार को गिरफ्तार किया गया या नहीं ? बिना वारंट के बिना कागज के उनको अनआथराइज्ड कस्टडी में रखा गया है या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है। न कोई रिपोर्ट लिखी गयी है न गिरफ्तार किया गया है और न कोई नोटिस दी गयी है।

श्री मैनेजर सिंह–

उनकी अनधिकृत रूप से गिरफ्तारी हुयी है क्या इसकी जांच करायेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

इस तथ्य पर जांच हो जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शतरुद्र प्रकाश जी के उत्तर में गृह मंत्री जी ने कहा कि काशीपुर की जानकारी उनको नहीं है। मैं इसी के आधार पर सवाल करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न जो वक्तव्य आया है उससे संबंधित नहीं है। इसको आप किसी अन्य शक्ल में उठायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने उस प्रश्न की अनुमति दे दी है और उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया था इसलिये वह सदन की सम्पत्ति बन गया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कि इस संबंध में पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मंडल गृह सचिव से भी मिला था। उसकी जानकारी मंत्री को नहीं है। तो इससे संगत जो सवाल है वह यह है कि आप वक्तव्य का पृष्ठ–3 देखने की कृपा करें। मैंने कहा था कि पत्रकारों की गिरफ्तारी के पूर्व शासन की अनुमति लेना चाहिए बिना पूर्व अनुमति के किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। तो इस सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है कि जहां तक पत्रकारों की इस मांग का संबंध है कि उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमें वापस लिये जायें, बिना विवेचना हुये यह सिद्ध होना कठिन है कौन मुकदमा फर्जी है कौन नहीं। इसी प्रकार आपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी के पूर्व सरकार की अनुमति प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं है। मान्यवर, खुद शासन ने स्वीकार किया है कि प्रत्येक मामले में, जो न्याय का सिद्धान्त है कि

चाहे 10 गुनहागार छूट जायं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस सिद्धान्त को अगर आप स्वीकार करते हैं तो प्रत्येक मामले में नहीं तो कुछ मामले जरूर ऐसे होंगे जिनमें पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन इसकी डिस्टिंक्शन कैसे किया जायेगा कि कौन घटना सही है या कौन घटना गलत है। तो मैं जानना चाहता हूं कि पत्रकारों की जो मांगें हैं कि पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता के लिये संरक्षण देना जरूरी है क्या पत्रकारों की इस मांग पर विचार करके उन पर जो भी मुकदमें दायर हों उनके लिए सरकार की पूर्व अनुमति ली जाय और फिर मुकदमें दायर किये जायं क्या इस मांग पर पुनर्विचार करके इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, वक्तव्य में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक विषय में बिना जानकारी किये मुकदमा वापस लेने का निश्चय कर देना वास्तव में उचित नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि घटना के विषय में जब जानकारी आयेगी तो उस घटना की जांच करायी जायगी और वह वापस लेने योग्य होगी तो अवश्य वापस लिया जायगा।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र–

मान्यवर, मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसियेशन हमीरपुर ने श्री महेश अवस्थी की अनुचित पत्रकारिता की निन्दा का प्रस्ताव किया है और ब्लैक मेलर पत्रकारिता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग की है। तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस वक्तव्य से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार की सूचनायें ब्लिटज अखबार में निकली हैं। यह भी निकला है कि यह मामला मनगढ़न्त है। लेकिन इस विषय को लेकर कोई प्रपंच फैलाना नहीं चाहता या कोई विवाद फैलाना मैं नहीं चाहता। हर चीज के दो मत हो सकते हैं। लेकिन सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है इसलिए इस पर अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहारनपुर के 3 पत्रकार सर्वश्री जिन्दा हसन, राकेश गर्ग और राकेश गोयल को दिनांक 15-4-1987 को गिरफ्तार किया गया और 16-4-87 को रासुका के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया परन्तु मान्यवर, 15-5-87 को उन्हें रिहा कर दिया गया। एक महीने तक 3 पत्रकारों को निरुद्ध किया गया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह अधिकारी जिन अधिकारी के आदेश से एक महीने तक 3 पत्रकार जो जनतंत्र के सजग प्रहरी हैं, निरुद्ध किया गया उनके ऊपर जांच कराकर कार्यवाही करेंगी ? उनकी क्या गलती थी कि एक महीने तक लगातार जेल में रखा और फिर एक महीने के बाद रिहा कर दिया गया तो उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इसकी जांच करायेंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय राज्य मंत्री गृह ने साफ यह बताया कि हमीरपुर के पत्रकार को गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन मान्यवर, मैं इनके बयान को चुनौती देता हूं कि जैसा इन्होंने कहा है, यह सही नहीं है। उनको भारतीय दण्ड विधान की धारा 505 में गिरफ्तार किया गया था यह आपको जानकारी नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि गिरफ्तार नहीं किया गया क्या यह सही है कि उनको धारा 505 में गिरफ्तार किया गया या नहीं?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे। हमें जो सूचना उपलब्ध है उनके खिलाफ न कोई एफ0 आई0 आर0 हुई है और न उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, न कोई नोटिस दिया गया है । कोई भी किसी प्रकार की कार्यवाही हमीरपुर में नहीं हुई है। लेकिन मान्यवर, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 505 में इस तरह की बात हुई है, एक्शन हुआ है, तो इसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर मामला है। इनके अधिकारियों ने आदरणीय सदन को गुमराह करने के लिए गलत सूचना दी है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर दिखवाने के बाद मामले की सूचना सही निकली और यह साबित हो गया कि 505 में गिरफ्तार किये गये थे तो माननीय मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारी की सूचना पर यहां सूचना दी गयी है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

(श्री कुंवर बहादुर मिश्र के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या यह मंत्री हैं जो खड़े हो गये।

कुंवर बहादुर मिश्र–

क्या आप मुझे सवाल नहीं करने देंगे?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह मुझसे बात कर रहे हैं। सवाल मैंने किया और आपने स्वीकार किया, मुझे खुशी हुई, अब यह मुझसे बात क्यों कर रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता–

मिश्रा जी, आप मेरी बिना अनुमति के कैसे बोले, मैं जब इजाजत दूं तब बोलें। (व्यवधान)

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो सूचना दी है इसकी हम जानकारी करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमने जानकारी की बात नहीं करी है। मैंने कहा है कि उस अधिकारी ने जिसने उनको भ्रमित किया है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे जिसने गलत सूचना दी है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, यदि यह गलत सूचना देने की बात सही निकली तो जरूर कुछ कार्यवाई करेंगे।

*श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, अनेकानेक घटनाएं पत्रकारों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 56 के तहत दी गयी थी। उसमें आपने हरेक का स्पष्टीकरण दिया। आपने दो बातें कही हैं एक तो जिलास्तर पर एक समिति बना दी गयी है उसमें जिला सूचना अधिकारी के अलावा जिलाधिकारी होंगे, पुलिस अधीक्षक होंगे। मान्यवर, पत्रकारों का मुख्य प्रश्न था कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलकर उत्पीड़न होता है अथवा दोनों से अलग-अलग होता है तो इस समिति के द्वारा इनको कोई इन्साफ मिलने वाला नहीं है। तो जहां तक आपने यह कहा है कि पुलिस महानिदेशक द्वारा, शासन को पत्रकारों की जब भी शिकायत मिले, उसकी जांच करायेंगे। तो मैं आपसे दो बातें जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि पत्रकारों का यदि कोई भी उत्पीड़न होता है और उसकी जिला प्रशासन को कोई एफ0 आई0 आर0 लिखाता है तो उस एफ0 आई0 आर0 पर तब तक कार्यवाही न हो, जब तक कि आपके महानिदेशक या उनके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा जांच न हो जाय, क्योंकि पत्रकारों का तो उत्पीड़न तुरन्त हो जाता है जहां एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा आश्वासन देंगे, जैसा कि महानिदेशक को आपने अधिकृत किया है, जब तक वह जांच न कर लें, तब तक कार्यवाही न की जाय? इसी के साथ-साथ माननीय मंत्री जी यह भी उत्तर दे दें कि क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को कोई पत्र लिखा है, और नहीं लिखा है, तो लिखेंगे कि पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

शासन द्वारा समय-समय पर जिलाधिकारियों को सचेष्ट किया जाता रहा है और पुनः उन्हें सचेष्ट कर दिया जायगा कि पत्रकार बन्धुओं के प्रति किसी प्रकार का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्पीड़न न हो। जो स्थायी समिति बनाई गई है, उसमें दो पत्रकार बन्धु भी हैं, जिससे कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही जिला पुलिस कप्तान को इसलिए रखा जाता है ताकि दूसरा पक्ष भी सामने आ जाय और निर्णय लेने में आसानी हो। आपने कहा कि जब एफ0 आई0 आर0 हो, तो महानिदेशक की आख्या आ जाने के बाद कोई कार्यवाही की जाय। हमारा निवेदन है कि माननीय नेता विरोधी दल स्वयं सहमत होंगे कि प्रत्येक मामले में महानिदेशक की आख्या आ जाने के बाद कार्यवाही प्रारम्भ करना उचित नहीं होगा, अलग-अलग मसले में जानकारी कर ली जाय, जिससे किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
7 जुलाई, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सदस्य

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 29(4) के ता0प्र0सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर।)

परिशिष्ट–1

जनपदों की जनसंख्या तथा वर्ष 1987–88 के लिए जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय का जनपदवार प्रतिशत भाग।

जनपद	प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत	वर्ष 1987–88 के लिए जिला योजना हेतु आवंटित कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	3
1—आगरा	2.69	2.11
2—अलीगढ़	2.43	1.93
3—एटा	1.75	1.51
4—मैनपुरी	1.63	1.52
5—मथुरा	1.47	1.26
योग, आगरा मण्डल ..	9.97	8.33
6—झांसी	1.07	1.07
7—ललितपुर	0.54	0.98
8—हमीरपुर	1.13	2.38
9—बांदा	1.45	1.97
10—जालौन	0.93	1.82
योग, झांसी मण्डल ..	5.12	8.22
11—लखनऊ	1.90	1.49
12—रायबरेली	1.78	1.73
13—हरदोई	2.15	2.13
14—उन्नाव	1.72	1.80
15—सीतापुर	2.20	2.13
16—खीरी	1.84	1.99
योग, लखनऊ मण्डल ..	11.59	11.27
17—बरेली	2.14	1.79
18—बदायूं	1.86	1.86
19—पीलीभीत	0.95	0.99
20—शाहजहांपुर	1.56	1.55
योग, बरेली मण्डल ..	6.51	6.19

1			2	3
21—मेरठ	..	..	2.61	2.86
22—गाजियाबाद	..	..	1.74	1.32
23—बुलन्दशहर	..	..	2.22	1.77
24—सहारनपुर	..	..	2.52	2.01
25—मुजफ्फरनगर	..	..	2.15	1.66
योग, मेरठ मण्डल		..	11.24	8.62
26—मुरादाबाद	..	..	2.97	2.73
27—रामपुर	..	..	1.11	1.00
28—बिजनौर	..	..	1.83	1.50
योग, मुरादाबाद मण्डल		..	5.91	5.23
29—वाराणसी	..	..	3.49	3.00
30—गाजीपुर	..	..	1.83	1.83
31—बलिया	..	..	1.84	2.69
32—जौनपुर	..	..	2.39	2.43
33—मिर्जापुर	..	..	1.92	2.69
योग, वाराणसी मण्डल		..	11.47	12.64
34—गोरखपुर	..	..	3.58	3.44
35—बस्ती	..	..	3.37	4.08
36—देवरिया	..	..	3.30	3.31
37—आजमगढ़	..	..	3.34	3.12
योग, गोरखपुर मण्डल		..	13.59	13.95
38—इलाहाबाद	..	..	3.58	3.07
39—फतेहपुर	..	..	1.48	1.36
40—कानपुर नगर	..	..	1.84	1.21
41—कानपुर देहात	..	..	1.69	2.55
42—फर्रुखाबाद	..	..	1.84	1.70
43—इटावा	..	..	1.65	1.59
योग, इलाहाबाद मण्डल		..	12.08	11.48
44—फैजाबाद	..	..	2.25	2.03
45—प्रतापगढ़	..	..	1.70	1.95
46—सुल्तानपुर	..	..	1.93	3.34
47—गोण्डा	..	..	2.67	2.62
48—बाराबंकी	..	..	1.88	1.87
49—बहराइच	..	..	2.09	2.26
योग, फैजाबाद मण्डल		..	12.52	14.07
योग, सम्पूर्ण प्रदेश (मैदानी क्षेत्र)		..	100.00	100.00

1			2	3
1—नैनीताल	..	..	23.50	14.84
2—अल्मोड़ा	..	..	15.66	15.80
3—पिथौरागढ़	..	..	10.12	12.45
योग, कुमाऊं मण्डल		..	49.28	43.09
4—उत्तरकाशी	..	..	3.95	6.64
5—चमोली	..	..	7.54	10.79
6—टिहरी गढ़वाल	..	..	10.29	13.19
7—पौड़ी गढ़वाल	..	..	13.19	16.06
8—देहरादून	..	..	15.75	10.23
योग, गढ़वाल मण्डल		..	50.72	56.91
योग पर्वतीय क्षेत्र		..	100.00	100.00

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट—2

जनपदों को परिव्यय आवंटन हेतु उपयोग किए जा रहे मानक

(अ) मैदानी क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1—कुल जनसंख्या	50
2—अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3—सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4—कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5—औद्योगिक पिछड़ापन	5
6—सड़कों में पिछड़ापन	5
7—विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
8—अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
9—पेयजल अभावग्रस्त गांव	5
योग	95

(परिव्यय के शेष भाग को जनपदों की विशेष समस्याओं, उनके द्वारा जुटाए गए संसाधन अथवा शुरुआत में होने वाली 'असंगतियों' को दूर करने के निमित्त आरक्षित किए जाने का प्राविधान है।

(ब) पर्वतीय क्षेत्र

सूचकांक	प्रतिशत भाग
1—कुल जनसंख्या	50
2—अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या	5
3—सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों की संख्या	10
4—कृषि उत्पादन में पिछड़ापन	5
5—औद्योगिक पिछड़ापन	5
6—विद्युतीकृत ग्रामों में पिछड़ापन	5
7—अस्पतालों की शैय्याओं की संख्या में पिछड़ापन	5
8—पेयजल अभावग्रस्त ग्राम	5
9—भौगोलिक क्षत्रफल	5
10—इफैक्टिव फारेस्ट कवर	5
योग	100

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर।)

सूची

नाम		85–86 में व्यय	86–87 में व्यय
1		2	3
श्री वीर बहादुर सिंह, मुख्य मन्त्री	..	1,27,575.80	1,99,639.50
डा0 संजय सिंह, मन्त्री, परिवहन।	..	1,25,330.60	1,86,817.90
श्री बल्देव सिंह आर्य, मन्त्री, राजस्व।	..	36,642.30	40,398.00
श्री लोकपति त्रिपाठी मन्त्री, स्वास्थ्य।	..	67,124.00	89,826.50
श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, मन्त्री, हरिजन एवं समाज कल्याण।	..	41,029.80	26,114.40
चौधरी नरेन्द्र सिंह, मन्त्री, कृषि।	..	47,373.35	94,030.30
श्री श्याम सूरत उपाध्याय, मन्त्री, ग्राम्य विकास।	..	45,418.70	57,857.20
श्री अरुण कुमार सिंह, मन्त्री, सहकारिता।	..	42,803.80	52,643.10
श्री सुनील शास्त्री, मन्त्री, ऊर्जा विभाग।	..	42,152.10	40,150.30
श्री सै0 सिब्ते रजी, मन्त्री, शिक्षा।	..	15,822.60	13,809.60
श्री गोपीनाथ दीक्षित, मन्त्री, गृह विभाग।	..	20,670.50	25,062.00
डा0 अम्मार रिजवी, मन्त्री, संसदीय कार्य।	..	..	16,871.60
श्री सईदुल हसन, मन्त्री, श्रम।	..	22,470.40	24,479.50
श्री हुकुम सिंह, राज्य मन्त्री, संसदीय कार्य।	..	36,234.75	67,685.2
श्री जफर अली नकवी, राज्य मन्त्री, वन।	..	60,106.20	87,455.00
श्रीमती पदमा सेठ, राज्य मन्त्री, नगर विकास।	..	25,225.75	28,525.70
श्री शिव बालक पासी, राज्य मन्त्री, कृषि।	..	21,183.90	32,905.20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2	3
श्री ओम प्रकाश रिछारिया, राज्य मन्त्री, वित्त एवं नियोजन ।	..	55,310.60	48,096.00
श्री गौरी शंकर, राज्य मन्त्री, राजस्व ।	..	18,969.00	39,722.30
श्री मान पाल सिंह, राज्य मन्त्री, खाद्य तथा रसद ।	..	19,180.80	18,181.60
श्री प्रमोद कुमार तिवारी, राज्य मन्त्री, ऊर्जा एवं पर्यटन ।	..	5,731.75	46,834.80
श्री भोला शंकर मौर्य, राज्य मन्त्री, सिंचाई ।	..	23,495.40	56,382.70
श्री निसार अहमद अन्सारी, राज्य मन्त्री, लघु उद्योग ।	..	3,109.00	22,729.60
श्री राम औतार दीक्षित, राज्य मन्त्री, पर्वतीय विकास ।	..	710.00	29,798.70
श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, राज्य मन्त्री, गृह ।	..	28,191.50	53,414.30
श्री चेतराम गंगवार राज्य मन्त्री, ग्राम्य विकास ।	..	3,154.50	14,360.90
श्री राम नरेश शुक्ल, राज्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन ।	..	2,036.80	44,972.30
श्री सीताराम निषाद, राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग ।	..	3,058.00	35,295.60
कु0 सरस्वती अम्माल, राज्य मन्त्री, श्रम ।	..	1,839.00	87,419.70
श्री संकठा प्रसाद शास्त्री, राज्य मन्त्री, शिक्षा ।	..	9,076.20	26,677.10
श्री प्रवीण कुमार शर्मा, राज्य मन्त्री, उच्च शिक्षा ।	..	21,880.00	16,711.40
श्री सुरेन्द्र सिंह, राज्य मन्त्री, सहकारिता ।	..	9,756.50	30,639.20
श्रीमती दीपा कौल, राज्य मन्त्री, सूचना ।	..	..	14,652.90
श्री राम नाथ मुंशी, राज्य मन्त्री, आबकारी ।	..	..	11,638.90
श्रीमती प्रमिला बबवार मेहरा उप मन्त्री, पर्यटन ।	..	..	8,770.30
श्री नारायण दत्त तिवारी, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ।	..	87,656.10	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
श्री वासुदेव सिंह, भूतपूर्व मन्त्री, खाद्य ।	17,976.50	..
श्री अजीत प्रताप सिंह, भूतपूर्व मन्त्री, आबकारी ।	7,781.00	..
श्री राम रतन सिंह, भूतपूर्व मन्त्री, संसदीय कार्य ।	71,863.50	..
श्रीमती बेनी बाई, भूतपूर्व मन्त्री, पशुधन ।	24,819.60	..
श्री रघुवीर सिंह यादव, भूतपूर्व मन्त्री, कारागार ।	10,679.00	..
श्री जयराम वर्मा, भूतपूर्व मन्त्री, नियोजन ।	4,738.00	..
श्री गुलाब सिंह, भूतपूर्व राज्य मन्त्री, पर्वतीय विकास ।	29,585.00	..
श्री दलजीत सिंह, भूतपूर्व राज्य मन्त्री, पशुधन ।	12,473.50	..
श्री इन्द्रजीत, भूतपूर्व राज्य मन्त्री, हरिजन एवं समाज कल्याण ।	5,278.70	..
श्री दीपक कुमार, भूतपूर्व राज्य मन्त्री, सहकारिता ।	23,166.20	..
मो0 सफीउर्रहमान अन्सारी, भूतपूर्व राज्य मन्त्री, उद्योग ।	17,661.00	..
श्रीमती सुखदा मिश्रा, भूतपूर्व राज्य मन्त्री, ऊर्जा ।	10,999.60	..
कुल योग ..	रु0 13,07,341.30	रु0 16,90,569.30

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–58 पीछे पृष्ठ 47 पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मो0 अबरार अहमद द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या–58 के उत्तर का संलग्नक।

मार्गों को चौड़ा किए जाने व सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 1985–86 के लिए जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण।

जनपद	मार्ग का नाम	1985–86 में आवंटित धनराशि रू0
1	2	3
1—बरेली	(1) बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 85 से 78 (रा0मा0–33)।	20.00 लाख
	(2) बरेली–बागेश्वर मार्ग किमी0 5 से 42 (रा0मार्ग–33)।	26.50 लाख
	(3) बरेली–बागेश्वर मार्ग किमी0 43 से 56 (रा0मार्ग–33)।	26.10 लाख (सुदृढ़ीकरण मिलाकर)
	(4) किला बाईपास किमी0 1 से 3 (रा0मा033)।	1.80 लाख
	योग	74.40 लाख
2—मुरादाबाद	(1) मुरादाबाद–फर्रुखाबाद मार्ग किमी0 4 व 7 से 14 (रा0मार्ग–43)।	0.45 लाख
	(2) मुरादाबाद–फर्रुखाबाद मार्ग किमी0 15 से 17 व 21 (रा0मा0–43)	3.15 लाख (सुदृढ़ीकरण मिलाकर)
	(3) मुरादाबाद–ठाकुरद्वारा–काशीपुर मार्ग किमी0 16 से 24 व 41 से 51 (रा0मा0–41)।	5.55 लाख
	(4) चन्दौसी–अलीगढ़–आगरा मार्ग किमी0 1 से 4 (रा0मा0–39)	2.85 लाख
	(5) मुरादाबाद–हरिद्वार–देहरादुन मार्ग किमी0 6 से 10 व 12 से 16 (रा0मा0–49)।	5.00 लाख
	योग	17.00 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
3—एटा	(1) पीलीभीत–भरतपुर मार्ग किमी0 142 से 151 ।	15.00 लाख
	(2) जी0टी0 मार्ग के एटानगर से पड़ने वाले मार्ग को चार लेन में चौड़ा करना ।	15.00 लाख
	योग	30.00 लाख
4—बुलन्दशहर	(1) चन्दौसी–तातपुर कोर्ट मार्ग किमी0–92 ।	1.00 लाख
	(2) जी0टी0 मार्ग के किमी0 88 को 4 लेन चौड़ा करना ।	2.00 लाख
	योग	3.00 लाख
5—अलीगढ़	(1) चन्दौसी–तातपुर कोर्ट मार्ग के 115 से 162 से मध्य 9 किमी0 ।	14.00 लाख
	(2) पीलीभीत–भरतपुर मार्ग किमी0223 से 236 ।	8.00 लाख
	(3) चन्दौसी–तातपुर कोर्ट मार्ग किमी0 94 से 111 ।	6.00 लाख (सुदृढ़ीकरण मिलाकर)
	(4) जी0टी0 मार्ग के किमी0 131 व 132 ।	1.00 लाख (सुदृढ़ीकरण मिलाकर)
	(5) जी0टी0 मार्ग के शहरी भाग 133 से 136 किमी0 172 किमी0 में	9.00 लाख
	योग	38.00 लाख
6—फर्रुखाबाद	(1) जी0टी0 रोड किमी0 323 से 327 (रा0मा0–22) ।	22.85 लाख

उत्तर प्रदेश सचिवालय सूचना

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

गन्ना विकास विभाग द्वारा जनपद बस्ती में वर्ष 1972–73 से अब तक अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की परिक्षेत्रवार तथा लम्बाई व किस्मवार सूची।

क्रमांक	नाम परिक्षेत्र	सड़क का नाम	किस्म सड़क तथा सम्बाई कि0मी0 में			
			कच्ची	कंकड़	पेटेंड	सोलिंग
1	2	3	4	5	6	7
1	खलीलाबाद	खलीलाबाद–दुल्हीपार	..	1.000	..	..
		मलोरना–रसूलपुर	..	1.050	..	..
		योग ..	..	2.050	..	..
2	मुन्डेरवा	बुधा–खटियांवा	1.000	1.000	..	..
		कोटे–उमिला	0.800	0.800	..	..
		वरडाड–तुर्कवलिया।	1.645	1.645	..	..
		अहरा–वानपुर	2.195	2.195	..	..
		वानपुर–चन्दौली	6.000	..	..	6.000
		उपिकौरा–छितौनी।	1.500	..	..	..
		मुण्डेरवा–डारीडिहा।	2.000	..	..	..
		टेड़ीगिमटी–परसाहजाम।	3.000	..	..	..
		योग ..	18.140	5.640	..	6.000
3	बस्ती	मझरिया शुक्ल–लोहटी।	..	..	1.000	..
		वरदही–बाजार मार्ग।	..	..	1.000	..
		हड़िया–दरौली	..	2.000	..	..
		मझौवामीर–हनुमानगंज	..	1.000	..	..
		हनुमानगंज–पकरीसेयम।	..	0.500	..	..
		पोखरनी–पोखरा	..	0.500	..	..
		पाउं–मिर्जापुर	..	0.250	..	..
		करही–डडिया	..	0.500	.	..
		पडरी–घोसियारी।	..	0.500	..	..
		करनपुर–मझिया	..	0.250	..	..
		योग	..	5.500	2.000	..

1	2	3	4	5	6	7
4	वाल्टरगंज	वेलहरा–बहरामपुर	..	0.500	..	..
		देईपार–भिरिया	..	0.600	..	..
		अगया–सेमरी	..	1.000	..	..
		सल्टौवा–मझौवा	..	1.000	..	..
		उकड़ा–पिरैला	..	1.000	..	..
		अठदमा–सगरा	..	1.000	1.000	..
		अमीना-खोरिया	..	0.700	..	..
		योग	..	5.800	1.000	..
5	बमनान	घारीघाट–कपनगर।	0.500	0.500	..	..
		पैकोलिया–परसौरा–महादेवा।	1.000	1.000	..	..
		योग	1.500	1.500	..	..
		महा योग	19.640	20.490	3.000	6.000

विधान सभा सचिवालय पटना

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0–116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

समाचार-पत्र का नाम/स्थान	औसत प्रसार संख्या	सूचना विभाग द्वारा दी गयी विज्ञापन मान्यता की दरें वर्ष 1986-87 के लिए	समाचार-पत्र को कागज का कितना कोटा दिया जा रहा है
1	2	3	4
झांसी जनपद			
1 दै0 जागरण 362 सिविल लाइन्स, झांसी।	16,000	रु0 9.90 प्रतिकालम सें0मी0।	526 मीटरी टन वार्षिक
2 दै0 भाष्कर, 31, रानी महल।	12,000	रु0 8.70	300 मीटरी टन वार्षिक
3 दै0 विश्व परिवार, 34, चन्द्रशेखर, आजाद।	10,000	रु0 7.50 प्रति कालम सें0मी0।	78 मीटरी टन वार्षिक
4 दै0 मौलिक अधिकार, 5-बाहर खेडेराव गेट।	4,000	रु0 3.25 प्रति कालम सें0मी0।	15.9 मीटरी टन वार्षिक
5 दै0 बुन्देलखण्ड सन्देश, 191, हजारयाना।	2,000	रु0 1.95 प्रति कालम सें0मी0।	कागज का कोटा नहीं है।
6 दै0 लोकपथ, 365, सिविल लाइन्स।	2,500	रु0 5.50 प्रति कालम सें0मी0 (31-1-86 तक के लिए)	कागज का कोटा नहीं है।
7 दै0 गढ़कुण्डार टाइम्स, 231, बाहर दतिया गेट।	2,000	मुख्यालय पर 7-5-87 से मान्यता दी गयी है (अभी दर नहीं दी गई है)	लिया नहीं है।
8 दै0 जनहित दर्शन, बड़ा बाजार, मऊरानीपुर।	1,500	विज्ञापन मान्यता प्राप्त नहीं है।	कागज का कोटा नहीं है।
जालौन जनपद			
1 दैनिक कर्मयुग प्रकाश, उरई	14,000	रु0 7.50 प्रति कालम सें0मी0 (87-88 के लिए)	12 1मीटरी टन 1 जनवरी, 86 से 2-4-87 तक।
2 दैनिक एलार्म, उरई	10,000	रु0 7.50 प्रति कालम सें0मी0 (87-88 के लिए)	75.04 मीटरी टन आवंटित हुआ जिसमें अभी तक 64.50 मी0 टन प्राप्त हुआ।
3 दैनिक दिनवीर, उरई	4,000	विज्ञापन मान्यता प्राप्त नहीं है।	कागज का कोटा नहीं है।
4 दैनिक अग्निचरण, उरई	7,000	रु0 6.50 प्रति कालम सें0मी0 (86-87 के लिए)	कागज का कोटा नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
	हमीरपुर जनपद		
1	दैनिक स्वप्नों का भारत, राठ तहसील।	700	विज्ञापन के लिए शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है।	कागज का कोटा आवंटित नहीं है।
	बांदा जनपद		
1	दैनिक कर्मयुग प्रकाश, बांदा	11,000	रु0 7.50 प्रतिकालम सें0मी0 (87-88 के लिए)।	102.57 टन अप्रैल, 86 से मार्च, 1987।
2	दैनिक प्रदेशपथ, बांदा	2,000	रु0 1.95 सम्प्रति विज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं।)	कागज का कोटा नहीं है।
3	दैनिक वम्वार्ड, बांदा	2,740	विज्ञापन मान्यता नहीं है।	कागज का कोटा नहीं है।
4	दैनिक मध्ययुग, बांदा	12,500	रु0 1.95 प्रतिकालम सें0मी0 (सम्प्रति विज्ञापन नहीं दिए जा रहे हैं।)	कागज का कोटा नहीं है।
5	दैनिक तुलसी दर्पण, बांदा	6,000	विज्ञापन मान्यता नहीं है।	कागज का कोटा नहीं है।
	ललितपुर जनपद		
1	दैनिक आर्शीवाद सन्देश, 8/1, तलैयापुरा, ललितपुर।	1,000	विज्ञापन मान्यता नहीं दी गयी है।	कागज का कोटा नहीं है।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 117 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61 पर)

बुन्देलखण्ड मण्डल के जिलों के शासन से मान्यता प्राप्त साप्ताहिक समाचार-पत्रों की सूची।

क्रम-सं0	समाचार-पत्र का नाम	वर्ष 1987-88 के लिए स्वीकृत डी0ए0वी0पी0 अथवा प्रदेश सरकार की विज्ञापन दर (प्रति कालम सेंटीमीटर)	स शुल्क प्रसार आर0एन0 आई0 अथवा एल0आई0 यू0 द्वारा पुष्ट
1	2	3	4
	जिला झांसी		
1	सा0 तलाश (हिन्दी)	रु0 7.30 (डी0ए0वी0पी0 दर)।	6821 (आर0एन0आई0)
2	सा0 मार्गदर्शक (हिन्दी)	रु0 5.65 (डी0ए0वी0पी0) (वर्ष 1986-87 के लिए)।	7450 (आर0एन0आई0)
3	सा0 स्वतन्त्र प्रवाह (हिन्दी)	रु0 5.30 (डी0ए0वी0पी0 दर)। (वर्ष 1987-88 के लिए)	6100 (आर0एन0आई0)
4	सा0 महिला उत्थान (हिन्दी)	रु0 7.30 (डी0ए0वी0पी0 दर)।	5483 (आर0एन0आई0)
5	सा0 मौलिक अधिकार (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर) (प्रसार सम्बन्धी अद्यतन सूचना प्राप्त की जा रही है)	550 (एल0आई0यू0)
6	सा0 कांग्रेस दर्शन (हिन्दी)	रु0 8.30 (डी0ए0वी0पी0 दर)।	12303 (आर0एन0आई0)
7	सा0 स्वर्ण दर्पण (हिन्दी)	रु0 3.45 (डी0ए0वी0पी0 दर) (वर्ष 1986-87 के लिए)	1877 (आर0एन0आई0)
8	सा0 घायल लोकतन्त्र (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	1000 (एल0आई0यू0)
9	सा0 इंकिशाफु (उर्दू)	रु0 4.00 (डी0ए0वी0पी0 दर) (वर्ष 1986-87 के लिए)।	2700 (आर0एन0आई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
	जिला जालौन		
1	सा0 दिनान्त (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	1200(एल0आई0यू0)
2	सा0 अगस्त (हिन्दी)	रु0 7.30 (डी0ए0वी0पी0 दर)।	8181(आर0एन0आई0)
3	सा0 एलार्म (हिन्दी)	रु0 7.00 (डी0ए0वी0पी0 दर)।	7466(आर0एन0आई0)
4	सा0 आनन्द विकास (हिन्दी)	रु0 1.95 (प्रदेश सरकार की दर)।	3000(एल0आई0यू0)
5	सा0 व्यास भूमि (हिन्दी)	रु0 1.95 (प्रदेश सरकार की दर)।	2200(एल0आई0यू0)
6	सा0 संसार सागर (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	1600(एल0आई0यू0)
7	सा0 चौधरी दर्शन (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	1200(एल0आई0यू0)
8	सा0 जालौन परिक्रमा (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	2000(एल0आई0यू0)
	जिला हमीरपुर		
1	सा0 हरदौल (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	1870(एल0आई0यू0)
2	सा0 दीनोदय (हिन्दी)	रु0 2.60 (प्रदेश सरकार की दर)।	5710(एल0आई0यू0)
	जिला ललितपुर		
1	सा0 जनप्रिय (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	2000(एल0आई0यू0)
2	सा0 बुन्देली धारा (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	1000(एल0आई0यू0)
	जिला बांदा		
1	सा0 एल्गा टाइम्स (हिन्दी)	रु0 1.30 (प्रदेश सरकार की दर)।	1350(एल0आई0यू0)

पी0एस0यू0पी0—एल0 165 वि0सभा (290)—1987—813।